चतुर्दश माला, खंड 24, अंक 13

शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2006
17 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Parliament L ...ilding
Block 'C'
Acc. No.....6/.....
Dated....3 Jan 2007

(खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 13, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2006/17 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 242 से 245 और 247	1–41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 246 और 248 से 261	41–96
अतारांकित प्रश्न संख्या 2434 से 2600	96–343
सभा पटल पर रखे गए पत्र	343–361
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	361
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006–2007) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री कपिल सिब्बल	361–363
(दो) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006–07) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विलास मुत्तेमवार	363–364
सभा का कार्य	363–368
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आंध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटूर और प्रकाशम जिलों में चक्रवात और मूसलाधार वर्षा के कारण हाल ही में आई बाढ़ से हुई जान-माल की हानि से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम	368–374
श्री बाडिगा रामकृष्णा	368, 370–372
श्री शिवराज वि. पाटील	368–370, 373–374
श्री शैलेन्द्र कुमार	372
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	373

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सरकारी विधेयक–पुरःस्थापित	375–377
(एक) बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006	375
(दो) राष्ट्रीय जलमार्ग (नदियों का तलचर-धामरा खंड, पूर्वी तट नहर का गोंखली-चरबतिया खंड, माताई नदी और महानदी डेल्टा नदियों का चरबतिया-धामरा खंड) विधेयक, 2006	375–376
(तीन) राष्ट्रीय जलमार्ग (नहरों और कालूबेली जलाशय का काकीनाडा-पांडिचेरी खंड, गोदावरी नदी का भद्राचलम-राजामुंदरी खंड और कृष्णा नदी का वजीराबाद-विजयवाड़ा खंड) विधेयक, 2006	376–377
सदस्यों द्वारा निवेदन	380–383
(एक) व्यापारियों के लिए ई सी बांड फार्म की अनुपलब्धता के बारे में	380–382
(दो) एड्स का सामना करने हेतु एक विधान लाए जाने की आवश्यकता के बारे में	382–383
भारतीय राइफल्स (निरसन) विधेयक, 2006	392–393
विचार करने के लिए प्रस्ताव	392
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	392
खंड 2 और 1	393
पारित करने के लिए प्रस्ताव	393
भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006	393–434
विचार करने के लिए प्रस्ताव	394
श्री दयानिधि मारन	394–395, 418–425, 429–431
श्री प्रबोध पाण्डा	395–396
श्री पी.एस. गढ़वी	396–399
श्री नवीन जिन्दल	400–401
श्री पी. करूणाकरन	401–404
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	404–407
श्री शैलेन्द्र कुमार	407–408
प्रो. रासा सिंह रावत	409–410
श्री वरकला राधाकृष्णन	411–413
श्री भर्तृहरि महताब	413–415
श्री गिरधारी लाल भार्गव	415–416
श्री शंखलाल माझी	416–417
श्री खारबेल स्वाईं	417–418

विषय	कॉलम
खंड 2 से 3 और 1	432–434
पारित करने के लिए प्रस्ताव	434
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)–2006-07.	440–441
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2004-05.	441
नियम 193 के अधीन चर्चा	
पंचायतों की स्थिति मध्यावधि समीक्षा एवं आंकलन-2006 संबंधी प्रतिवेदन	434–440
श्री खारबेल स्वाईं	425–440, 441–457
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	441–445
श्री लक्ष्मण सिंह	446
श्री भर्तृहरि महताब	446–449
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	449–453
श्री तापिर गाव	453–454
श्री कीरेन रिजीजू	454–456
श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक	456
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	456–457
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव.	458–465
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुरःस्थापित.	458
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुच्छेद 85 का संशोधन)	
श्री गुरूदास दासगुप्त	458
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुच्छेद 124, आदि का संशोधन)	
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	459
(तीन) सिनेमा कलाकार कल्याण विधेयक, 2006	
श्रीमती जयाप्रदा	459
(चार) राष्ट्रीय लघु और सीमान्त व्यापारी आयोग विधेयक, 2006	
श्रीमती जयाप्रदा	460
(पांच) बीड़ी कर्मकार कल्याण विधेयक, 2006	
श्रीमती जयाप्रदा	460

विषय	कॉलम
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)	
श्री एल. राजगोपाल	461
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुच्छेद 370 का संशोधन)	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	461
(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुच्छेद 102 और 191 का संशोधन)	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	462
(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	462–463
(दस) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2006	
(धारा 3, आदि का संशोधन)	463
डा. आर. सेनथिल	463–464
(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुच्छेद 15 का संशोधन)	
डा. आर. सेनथिल	464
(बारह) महिला कल्याण विधेयक, 2006	
श्रीमती अर्चना नायक	464–465
(तेरह) कृषक (वृद्धावस्था पेंशन) विधेयक, 2006	465
श्रीमती अर्चना नायक	465
(चौदह) मिथ्या विज्ञापनों पर पाबंदी विधेयक, 2006	
श्रीमती अर्चना नायक	465
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन	
कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2006.	466–508
विचार करने के लिए प्रस्ताव	466
श्री हन्नान मोल्लाह	466–476
श्री एस.के. खारवेनथन	476–480
प्रो. रासा सिंह रावत	480–484
श्री शैलेन्द्र कुमार	484–488
श्री सुग्रीव सिंह	488–490
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	490–499

विषय		कॉलम
	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	499–502
	डा. सिबैस्टियन पॉल	503–504
	श्री मित्रसेन यादव	504–506
	डा. आर. सेनथिल	506–508
	श्री टी.के. हमजा	508
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	513
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	514–518
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	519–520
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	519–520

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2006/17 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री पंकज चौधरी, प्रश्न संख्या 242।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

***242. श्री पंकज चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है तथा आरआरबी की एक समेकित समीक्षा भी संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। नाबार्ड एवं प्रायोजक बैंकों द्वारा स्टाफ की क्षमता निर्माण जैसे अन्य सहायक कार्यों सहित समन्वित संस्थागत सुदृढ़ीकरण के उपायों से आरआरबी अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने में सक्षम हुए हैं। कुछ पैरामीटरों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए कार्यनिष्पादन की समीक्षा नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	पैरामीटर	2004-05	2005-06*
1.	कारबार स्तर	95013.00	111041.00
2.	जमा बकाया	62143.00	71329.00
3.	ऋण बकाया	32870.00	39713.00
4.	घाटे में चल रहे आरआरबी	30	22
5.	संचित हानियों की राशि	2715.00	2626.47
6.	कृषि के लिए संवितरित ऋण	11926.82	15183.00
7.	सकल अनुपयोज्य आस्तियां (प्रतिशत)	8.53	7.28
8.	निवल अनुपयोज्य आस्तियां (प्रतिशत)	5.15	3.90

*वर्ष 2005-06 के लिए आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) से (ङ) आरआरबी के कार्यनिष्पादन के लिए प्रायोजक बैंकों को पूरी तरह जिम्मेवार बना दिया गया है। आरआरबी को सुदृढ़ करने एवं इसकी अर्थक्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से, सरकार ने एक राज्य में एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी को समामेलित करके इनके संरचनात्मक एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी। समामेलित आरआरबी बेहतर सुविधाओं, शाखाओं के कंप्यूटरीकरण, अनुभवी कार्य बल के एकीकरण, संयुक्त प्रचार एवं विपणन संबंधी प्रयासों आदि के कारण बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करेंगे। आज की स्थिति के अनुसार, 137 आरआरबी को समामेलित करके 43 आरआरबी बनाने से संबंधित अधिसूचनाएं जारी कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, आरआरबी की संख्या 196 से घटकर 102 हो गई है।

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी: अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किसानों की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आज न ड्राफ्ट की सुविधा है, न कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है और न एटीएम की सुविधा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अन्य बैंकों की तरह आप

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने की घोषणा करेंगे ताकि उन बैंकों से जुड़े हुए जितने किसान हैं, खातेदार हैं, उन्हें पूरे देश से संचालन करने का अवसर प्राप्त हो सके?

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण बैंक अलग-अलग राज्यों में वहां की राज्य सरकारों के साथ, वहां के अलग-अलग स्पान्सर्ड बैंकों के साथ, एरिया स्पैसीफिक होते हैं कि कुछ-कुछ जिले उसमें ले लिए जाते हैं और यह तय हुआ होता है कि इस जिले के लिए यह ग्रामीण बैंक है। उसी बैंक के जरिए वही बैंकिंग फैसीलिटीज उन्हें मुहैया होती हैं।

श्री पंकज चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उसी क्षेत्र में ही संचालन होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज देश आगे जा रहा है, देश में इलैक्ट्रानिक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वहां जो लोग बैंकों में अपना खाता खोलते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ने-लिखने आदि के लिए जाते हैं, वे उन बैंकों की सेवा प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन उन बैंकों के जरिए वे पैसे का भुगतान, बैंक ड्राफ्ट आदि नहीं बनवा पाते।

मैं दूसरा सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार ग्रामीण बैंक कर्मियों को प्रायोजित बैंक कर्मियों के समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें वेतन तो मिल रहा है, लेकिन प्रायोजित बैंकों के कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा, अवकाश, यात्रा की सुविधा, पेंशन, विराम भत्ता आदि उन्हें नहीं मिल पा रहा हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें भी ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि अन्य बैंकों की तरह उनकी भी सहभागिता रहे और वे ठीक ढंग से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर सकें?

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, दोनों जगह, जहां तक एलाउंसेज का ताल्लुक है, कमर्शियल बैंकों और उनमें आपस में मेल-जोल है और उन्हें उसी तरह के एलाउंसेज मिलते हैं। लेकिन जहां तक वेतन का सवाल है, वह अलग है, अलग-अलग बोर्ड द्वारा तय होता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो वेज रिवीजन हुआ था, उसके कारण ग्रामीण बैंकों के मुलाजिमों को 55 करोड़ रुपये ज्यादा मिलने शुरू हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में ये ग्रामीण बैंक ग्रामीण किसानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। लेकिन उन्होंने अन्य बैंकों की तरह ही काम करना शुरू कर दिया है। मेरे विचार से इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की जांच करने हेतु चलापति राव समिति नियुक्त की है। चलापति राव समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ? इन बैंकों का नियमित बैंकों में किस तरह विलय किया गया है?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, ग्रामीण बैंक छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों को अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी भी इन क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया जाता और इसी वजह से इन बैंकों की अच्छी आंतरिक कार्य व्यवस्था के कारण कुछ वर्षों में इनका कार्य-निष्पादन बढ़ा है।

समय-समय पर कार्य की समीक्षा की जाती है और आज-इस तथ्य के बावजूद कि कार्यकरण में और अधिक कार्य कुशलता लाने के लिए हम बैंकों का विलय कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी ढांचे आदि संबंधी सहायता उपलब्ध है लेकिन सच यह है कि इन वर्षों में बैंकों की शाखाओं में वृद्धि हुई है। आज इन शाखाओं की संख्या 14,495 है।

ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने तथा इनके कार्यकरण को लाभप्रद बनाने हेतु समय-समय पर उपाय किए जाते हैं, जिसमें कार्यबल का गठन भी शामिल है और माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख भी किया है। इसका गठन दो माह पहले सितम्बर में किया गया था और उसे शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': अध्यक्ष महोदय, आज बेरोजगारी की जो स्थिति है, मुख्य तौर पर, इलैवन्थ फाइव ईयर प्लान के अनुसार, करीब साढ़े छः करोड़ लोग, जिनको रोजगार देने की बात है, जो रोजगार की तलाश में हैं, अतिरिक्त हो जायेंगे। रीजनल रूरल बैंकों के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने में हमें बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें काटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। क्या सरकार काटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करेगी?

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, हमारे पास इस तरह की स्कीम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष रूरल आर्टीजन्स को 701 करोड़ रुपये, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को 823 करोड़ रुपये, रिटेल ट्रेड के लिए 3925 करोड़ रुपये और सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को 1458 करोड़ रुपये दिये गये। इस ढंग से जो लोग

बैंक्स के पास इमदाद के लिए पहुंचते हैं, वे अगर सारी कंडीशन्स को पूरी करते हैं, तो उनको लोन मुहैया करा दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: महोदय, दक्षिण तमिलनाडु में पी.जी.बी. एक सुदृढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। पी.जी.बी. के शाखा नेटवर्क को और सुदृढ़ करने तथा प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय: यह पी.जी.बी. क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, पी.जी.बी. तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों में से एक है। नि:संदेह यह एक बहुत सुदृढ़ बैंक है। वस्तुत,: पंजाब में एक अन्य बैंक सहित पंडियन ग्रामीण बैंक और और पंजाब बैंक पिछले कुछ वर्षों से पहले और दूसरे स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पंडियन ग्रामीण बैंक को अनेक शाखा लाइसेंस दिए गए हैं जिसने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार रामनाथपुरम से शिवगंगा और वहां से पुद्दुकोट्टई तक किया है और मेरे विचार से वे अब अन्य जिलों में भी अपना विस्तार कर रहे हैं। यह बहुत सुदृढ़ बैंक है। पी.जी.बी. जब कभी और अधिक लाइसेंसों के लिए आवेदन करेगा, मुझे विश्वास है कि भारतीय रिजर्व बैंक उन आवेदनों पर विचार करेगा।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, जैसाकि वरिष्ठ माननीय सदस्य, श्री एन. जनार्दन रेड्डी ने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण सीमांत किसानों और कारीगरों को सेवाएं देने पर बल देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। हमारे राज्य केरल में दो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक अर्थात् साउथ मालावार ग्रामीण बैंक और नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक हैं। देश के समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से ये दोनों बैंक भी अच्छा कार्यनिष्पादन कर रहे हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि सरकार इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात् साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक और नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक को और सुदृढ़ करने के लिए भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने के लिए क्या कदम उठा रही है।

श्री पी. चिदम्बरम: यदि उनका कार्यनिष्पादन अच्छा है, तो मेरे विचार से हमें उन्हें अच्छे कार्यनिष्पादन के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। यदि वे और अधिक शाखाएं खोलने के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें और शाखाएं खोलने की मंजूरी दे दी जाएगी। ग्रामीण बैंक की कुल मिलाकर लगभग 14,495 शाखाएं हैं। जब भी वे अधिक शाखाएं खोलने के लिए आवेदन करेंगे, तो उन्हें और शाखाएं खोलने की मंजूरी दे दी जाएगी। कृपया माननीय सदस्य उन्हें आवेदन करने के लिए कहें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जनता से जुड़े हुए बैंक्स हैं। आज की परिस्थिति में इनका महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि सारी कोशिशों के बावजूद कमिर्शयल बैंक्स अपनी शाखाएं छोटे कस्बों और शहरों में खोलने के लिए तैयार नहीं हैं।

ऐसी स्थिति में नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है, जो स्वागत का विषय है। मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है कि इसकी 14,400 शाखाएं हैं, मेरी समझ से ये शाखाएं अपर्याप्त हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विदेशों में जाते हैं, वहां काम कर रहे हैं, बड़े शहरों में भी काम कर रहे हैं। जब उनके द्वारा भेजी गयी मुद्रा गांव में जाती है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए उनका कारोबार नहीं हो पाता है। चूंकि मूल प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के कारोबार को बढ़ाने और आधुनिक बनाने के बारे में है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी मुद्रा के संचालन की भी व्यवस्था इन बैंकों के माध्यम से सरकार करेगी जिससे ग्रामीण अंचल से बाहर जाकर काम करने वाले लोगों के परिवारवालों को परेशानी न हो?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रयोजन वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना के प्रयोजन से थोड़ा अलग है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान को बनाए रखा ही जाना चाहिए और हमें वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बीच अंतर को पहचानना चाहिए। यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वाणिज्यिक बैंकों के समान (क्लोन) बन जाते हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या आवश्यकता है? आज वाणिज्यिक बैंकों का तेजी से विस्तार हो रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उतनी तेजी से अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी काफी शाखाएं हैं। एक ही राज्य के एक ही जिले में एक ही मूल बैंक द्वारा अनेक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। चलापति राव समिति के कार्य दल की अंतरिम सिफारिशों का अनुसरण करते हुए अब हमने राज्य की सहमति से एक ही राज्य में एक ही मूल बैंक द्वारा स्थापित बैंकों के विलय की प्रक्रिया शुरू की है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों की संख्या 196 से घटकर 102 हो जाएगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एक बार विलय हो जाने के बाद हमारा तुलन-पत्र ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अत:, बैंक और अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि समामेलन पूरी होने के बाद इन बैंकों का तेजी से विस्तार होगा और मैं निश्चित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शाखा-लाइसेंस प्रदान करने में उदारता बरतने का आग्रह

करूंगा। लेकिन मैं सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूं कि हमें वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बीच अंतर रखना ही चाहिए ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पहचान बनी रहे और जिस प्रयोजन के लिए वे स्थापित किए गए थे, वह भी समाप्त न हो।

अध्यक्ष महोदय: मैंने पांच अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने का निर्णय किया है। लेकिन अपने बचाव के लिए मुझे श्री प्रभुनाथ सिंह जी को बोलने की अनुमति देनी होगी।

इसे पूर्वोदाहरण न माना जाए। इसे रोजाना बढ़ावा न दिया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री गंगवार जी, आप प्रभुनाथ सिंह जी नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, खासकर बिहार में हमने देखा है कि सेन्ट्रल बैंक के अधीन, ग्रामीण बैंकों को दो-तीन जिले जोड़कर काम चलाया जा रहा है। इससे मैं यह समझता हूं कि इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने का ग्रामीण बैंक का जो उद्देश्य था, उसे नुकसान हो रहा है क्योंकि सेन्ट्रल बैंक उन पर अपनी गाइडलाइन्स लाद रहा है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल बैंक को नोडल बैंक बनाकर, उनका मालिक बनाकर, उसकी गाइडलाइन ग्रामीण बैंकों पर लदवाकर क्या उस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, नुकसान नहीं पहुंच रहा है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: वस्तुत:, इन्हें इसी तरह काम करना चाहिए। अब हमने मूल बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन के लिए पूर्णत: जिम्मेदार बना दिया है। वस्तुत: प्रत्येक मूल बैंक में एक महाप्रबंधक होता है, जिससे अनन्य रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यकरण की निगरानी सौंपी गई है। नीति में इस तरह के बदलाव के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ज्यादा सुदृढ़ है; अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब लाभ में चल रहे हैं। यदि आप लाभप्रद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देखें तो इनका पिछले वर्ष का निवल लाभ पिछले वर्षों से अधिक है। मेरे विचार से हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन के लिए मूल बैंक को पूर्णत: जिम्मेदार बनाने की जो नीति बनाई है, वह नीति सही है। मैं माननीय सदस्यों से इस नीति को उचित रूप से क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने उपभोक्ताओं के लाभ के बारे में प्रश्न पूछा था, जबकि मंत्री जी ग्रामीण बैंकों के लाभ के बारे में बता रहे हैं। बैंक कितना लाभ कमा रही हैं, इससे क्या मतलब है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब और प्रश्न न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत सहयोगी सदस्य होने के कारण मैं अपवाद स्वरूप श्री संतोष गंगवार को बोलने का समय दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: अभी हमारे साथियों ने कुछ सवाल किए थे। ग्रामीण बैंक नाम तो रख दिया गया है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां से इनकी शाखाओं को बंद करके शहरों में खोला जा रहा है। यदि ऐसा है तो इसके बारे में मंत्री जी की क्या राय है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से ये अच्छे सबक हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अगर बिना पैसे के बैंकों द्वारा बना दिए जाएं तो बैंकों को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। हम चाहेंगे कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। आपने इन्हें अमलगमेट करके 196 से 102 किए हैं, क्या इन्हें भी चार जोनों को, नेशनलाइज्ड बैंकों को देने का विचार है, क्योंकि यह चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को देने का इरादा है? अभी आपने ही कहा है कि 102 करने से फायदा हो रहा है, लेकिन जो उनका व्यय होता है वह कम हो रहा है। क्या आप इन 102 बैंकों की शाखाओं को ऐसे बैंकों में शामिल करेंगे या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को देने का इरादा है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, हो सकता है कि मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाया। प्रत्येक ग्रामीण बैंक वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रायोजित और स्थापित किया जाता है। जहां मूल बैंक ने किसी राज्य में एक से अधिक ग्रामीण बैंक स्थापित

किए हैं, वहां हम उन्हें एक ग्रामीण बैंक में समामेलित कर रहे हैं, जिससे कि मजबूत तुलन-पत्र वाला एक ग्रामीण बैंक बन सके। अब वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलना एक अलग मुद्दा है। वाणिज्यिक बैंकों का बहुत बड़ा शाखा नेटवर्क है और मेरे विचार से औसतन प्रत्येक वर्ष वे लगभग हजार शाखाएं खोलते हैं।

ग्रामीण बैंकों की अपनी शाखा विस्तार नीति है और ग्रामीण बैंक जब भी मूल बैंक के माध्यम से आवेदन करते हैं तो उन्हें शाखाएं खोलने की स्वीकृति दे दी जाती है। इसलिए एक बैंक की जिम्मेदारी दूसरे पर डालने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब प्रायोजक मूल बैंक को उसके द्वारा स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य-निष्पादन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

*243. **श्री बापू हरी चौरे:**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वीएएमबीएवाई) के अंतर्गत शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या वीएएमबीएवाई के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो धनराशियों के उपयोग तथा इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत शहरी स्लम क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत धनराशि के उपयोग तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्रमश: अनुबंध-II और III में दिया गया है।

(घ) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत धनराशि का कम उपयोग किए जाने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) मकानों की कम इकाई लागत

(ii) अवस्थापना के विकास के लिए धनराशि का प्रावधान न होना

(iii) आवास के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता की कमी

(iv) भूमि से संबंधित मुकदमे।

चूंकि वाम्बे स्कीम राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की गई है इसलिए भारत सरकार धनराशि के कारगर उपयोग के लिए उनके साथ इस मामले को पुरजोर ढंग से उठाती आ रही है।

अनुबंध I

वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 के दौरान वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5987.383	3492.490	7127.410
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	18.000	272.925
3.	असम	0.00	0.000	0.000

1	2	3	4	5
4.	बिहार	10.00	0.000	3.600
5.	छत्तीसगढ़	383.470	0.000	1124.320
6.	गोवा	0.00	0.000	0.000
7.	गुजरात	13.480	451.200	126.700
8.	हरियाणा	666.080	0.000	0.000
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.000	0.000
10.	जम्मू एवं कश्मीर	112.930	64.250	78.810
11.	झारखंड	0.00	718.800	696.400
12.	कर्नाटक	3957.580	406.000	1774.100
13.	केरल	1398.680	200.000	1336.740
14.	मध्य प्रदेश	286.700	376.000	50.000
15.	महाराष्ट्र	5299.967	13244.968	1622.540
16.	मणिपुर	205.400	0.000	88.425
17.	मेघालय	0.00	0.000	0.000
18.	मिजोरम	0.00	0.000	0.000
19.	नागालैंड	185.830	6.200	113.625
20.	उड़ीसा	59.880	16.400	0.000
21.	पंजाब	0.00	0.000	0.000
22.	राजस्थान	52.985	650.000	16.880
23.	सिक्किम	0.00	0.000	0.000
24.	तमिलनाडु	2086.480	4705.630	1554.200
25.	त्रिपुरा	233.080	0.000	48.375
26.	उत्तरांचल	218.680	0.000	0.000
27.	उत्तर प्रदेश	1922.480	1991.950	0.000
28.	पश्चिम बंगाल	150.400	470.200	166.770
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.000	0.000
30.	चंडीगढ़	0.00	0.000	0.000
31.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.000	0.000

1	2	3	4	5
32.	दमन व दीव	0.00	0.000	0.000
33.	दिल्ली	0.00	0.000	0.000
34.	पांडिचेरी	74.680	123.600	0.000
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.000
	कुल	23278.165	26935.688	16401.820

अनुबंध II

शुरूआत (2001-02 से 2005-06) से वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोग का संचयी ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी कुल राजसहायता	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	22925.855	15811.985	12412.555	3399.430
2.	अरुणाचल प्रदेश	290.925	18.000	0.000	18.000
3.	असम	0.000	0.000	0.000	0.000
4.	बिहार	13.600	10.000	0.000	10.000
5.	छत्तीसगढ़	2088.720	977.880	977.880	0.000
6.	गोवा	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	गुजरात	2641.900	2528.680	2153.330	375.350
8.	हरियाणा	652.600	666.080	0.000	666.080
9.	हिमाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	जम्मू एवं कश्मीर	367.830	302.500	127.570	174.930
11.	झारखंड	1415.200	718.800	0.000	718.800
12.	कर्नाटक	9006.800	7246.180	7246.180	0.000
13.	केरल	5493.590	4170.330	3956.850	213.480
14.	मध्य प्रदेश	1705.750	1669.230	742.330	926.900
15.	महाराष्ट्र	22197.575	20588.535	14133.057	6455.478
16.	मणिपुर	288.220	213.275	213.275	0.000
17.	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	0.000	0.000	0.000	0.000
19.	नागालैंड	301.175	201.030	201.030	0.000
20.	उड़ीसा	124.000	137.480	88.000	49.480
21.	पंजाब	0.000	0.000	0.000	0.000
22.	राजस्थान	1766.385	1762.985	1032.105	730.880
23.	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	0.000
24.	तमिलनाडु	12859.330	10810.610	8889.640	1920.970
25.	त्रिपुरा	423.003	388.108	374.628	13.480
26.	उत्तरांचल	401.350	414.830	88.150	326.680
27.	उत्तर प्रदेश	5438.460	5451.940	1652.460	3799.480
28.	पश्चिम बंगाल	2118.540	1965.250	1342.340	622.910
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.000	0.000	0.000	0.000
30.	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000
31.	दादर व नगर हवेली	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दमन व दीव	0.000	0.000	0.000	0.000
33.	दिल्ली	50.000	50.000	50.000	0.000
34.	पांडिचेरी	218.330	231.780	184.390	47.390
35.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000
	कुल	92792.11	76335.490	55865.770	20469.720

अनुबंध III

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत ली गई आवासीय इकाईयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 से 2005-06 तक लक्षित आवासीय इकाईयां	2001-02 से 2005-06 तक सम्मिलित की गई आवासीय इकाईयां	वास्तविक प्रगति (31.10.2006 तक) आवासीय इकाईयां		
				कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति पर	कार्य आरंभ नहीं हुआ
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	39783	99190	63644	15909	19637
2.	अंडमान और निकोबार	338	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	542	1293	0	0	1293
4.	असम	8414	0	0	0	0
5.	बिहार	17577	68	0	0	68
6.	चंडीगढ़	1410	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	4991	8942	5825	3117	0
8.	दादरा और नगर हवेली	26	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	91	0	0	0	0
10.	दिल्ली	21532	167	167	0	0
11.	गोवा	755	0	0	0	0
12.	गुजरात	22737	20971	20213	0	758
13.	हरियाणा	6656	3263	0	0	3263
14.	हिमाचल प्रदेश	1067	0	0	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	5146	1389	638	128	623
16.	झारखण्ड	5859	6986	0	0	6986
17.	कर्नाटक	11745	33282	25904	37	7341
18.	केरल	10879	27467	19784	0	7683
19.	लक्षद्वीप	23	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	13493	7026	3357	1906	1763
21.	महाराष्ट्र	70992	76365	52085	6019	18261
22.	मणिपुर	1634	1281	1012	129	140
23.	मेघालय	1676	0	0	0	0
24.	मिजोरम	1669	0	0	0	0
25.	नागालैंड	880	1311	1046	0	265
26.	उड़ीसा	7410	620	276	266	78
27.	पांडिचेरी	1407	1196	951	245	0
28.	पंजाब	12521	0	0	0	0
29.	राजस्थान	21589	7767	3700	1300	2767
30.	सिक्किम	178	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
31.	तमिलनाडु	28818	121541	103891	17326	324
32.	त्रिपुरा	1290	1880	1284	436	160
33.	उत्तर प्रदेश	48430	24926	8874	4420	11632
34.	उत्तरांचल	2549	1849	464	401	984
35.	पश्चिम बंगाल	43495	8685	5815	731	2139
	कुल	417602	457465	318930	52450	86165

[हिन्दी]

श्री बापू हरी चौरे: अध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के सामने रोटी, कपड़ा और मकान की गम्भीर समस्या है। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के लिए 2001 से 2006 तक जो फंड आबंटित किया गया था, उसमें टोटल फंड जो रिलीज हुआ है, वह 92792.11 लाख रुपए है। उसके अगेन्स्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इश्यूड अप-टू-डेट 55865.77 लाख रुपए है। उसके कारण भी बताए हैं कि यह फंड क्यों सही तरीके से खर्च नहीं हुआ है। इनमें मकानों की कम इकाई लागत, अवस्थापना के विकास के लिए धनराशि का प्रावधान न होना, आवास के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता की कमी आदि हैं। कई राज्य सरकारें इतने गम्भीर विषय को गम्भीरता से नहीं लेते हुए आवास के बारे में फंड यूटिलाइजेशन का हिस्सा बराबर नहीं लेती है। उनके लिए यहां से क्या कोई निर्देश जारी किए जा रहे हैं और ऐसे राज्यों के संबंध में आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: दूसरा प्रश्न बाद में पूछना।

कुमारी सैलजा: अध्यक्ष महोदय, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना 2001 में शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। इस तरह की योजनाओं को नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के तहत ले लिया गया है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, मैं बताना चाहूंगी कि यह डिमांड ड्रिवन स्कीम थी। इसके अंदर हमने फंड एलोकेट किया, लेकिन कई राज्यों ने पैसा नहीं लिया। उसके कारण हमने लिखित उत्तर में बताए हैं, जिनके कारण यह स्कीम जितनी सफल होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पाई। कई राज्यों ने पैसा नहीं उठाया और जिन्होंने उठाया, उस पैसे को प्रापर यूटिलाइज नहीं किया।

श्री बापू हरी चौरे: अध्यक्ष जी, रूरल एरिया के लिए इंदिरा आवास योजना इंदिरा जी ने वर्ष 1985-86 में चालू की थी, जिसे सरकार ने 20 पाइंट प्रोग्राम में भी शामिल कर लिया था। उस समय इंदिरा जी की सोच थी कि गरीबों को आवास मिलना सबसे बड़ी प्राब्लम है, इसलिए उनके लिए यह नीति बनाई गई। रूरल एरिया हो या अर्बन हो, भूखंड की प्राइसेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आवास देने की नीति के अंतर्गत, गवर्नमेंट की तरफ से आवास बनाने के लिए सब्सिडी के रूप में जो पैसे दिये जाते हैं, उसका लाभ वे उठाना चाहते हैं, लेकिन भूखंड न होने के कारण वे उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एरिया चाहे रूरल हो या अर्बन हो, सिटी के अगल-बगल में कोई जमीन सम्पादित करके, क्या मंत्री जी क्या कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि एक पैकेज का निर्माण करके वहां गरीबों के लिए कोई बस्ती बनाई जा सके? क्या कोई ऐसा प्रावधान माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं?

कुमारी सैलजा: सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि मैं केवल शहरों के बारे में जवाब दे पाऊंगी, रूरल एरियाज के बारे में नहीं। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत शहरों में बी.पी.एल. फैमिलीज के लिए जो स्लम बस रहे थे, हमारी सरकार ने आकर देखा कि उन स्लम का कोई कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब जो हमारा नया जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन है जिसे पिछले साल माननीय प्रधान मंत्री जी ने 3 दिसम्बर को लांच किया था, उसके तहत अब हम होलिस्टिक बेसेज पर इसे टैकल कर रहे हैं, क्लस्टर एप्रोच ली जा रही है ताकि पूरे स्लम का प्रोजैक्ट राज्य सरकारें बनाकर हमारे पास भेजें। कामन मिनिमम प्रोग्राम में पहली बार शहरों के गरीबों के बारे में बात की गयी है, सोशल हाउसिंग के बारे में बात की गयी है और उसी के तहत इस मिशन में हम कह रहे हैं कि जहां तक हो सके स्लम्स को वहीं पर बसाया

जाए, वहीं पर लोगों को जमीन दी जाए। अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टान्सेज हो जाते हैं कि वहां हम जमीन नहीं दे पाते, तो राज्य सरकारें जमीन को नजदीक ही आइडेंटिफाई करें और उसके लिए प्रोजैक्ट्स बनाकर हमें भेजें, जिनको हम क्लीयर कर सकें।

श्री कृष्णा मुरारी मोघे: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उन्होंने जो फिगर्स उपलब्ध कराए हैं उन फिगर्स में और विशेष रूप से मध्य प्रदेश से फिगर्स में, जो मेरे पास हैं, उनमें काफी डिफरेंस है। वर्ष 2003-2004 में 286.700 का फिगर्स मुझे प्राप्त हुई है, इसके विपरीत मध्य प्रदेश से जो फिगर प्राप्त हुई है, वह 138.30 है। वैसे ही, वर्ष 2005-2006 में जो यहां 50 लाख की फिगर दी हुई है, वह स्टेट गवर्नमेंट के पास निरअंक है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में कोई पहल करेंगे? दूसरे, यह गरीब लोगों के लिए जो योजना है और जिन स्टेट्स ने अच्छा काम किया है क्या उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ विशेष प्रयास करेगी और जिन दिक्कतों का इसमें उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह गरीबों के लिए योजना है, इसलिए उन स्टेट्स के साथ कुछ अतिरिक्त प्रयास करके यह योजना ठीक ढंग से लागू हो, ऐसी कोई योजना सरकार की है?

कुमारी सैलजा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, यह स्कीम अब खत्म की जा चुकी है लेकिन इस स्कीम के तहत पहले से जो कार्यक्रम चालू हैं, उनके लिए हमने इस साल के बजट में 75 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, ताकि जो स्कीम्स पहले शुरू की जा चुकी हैं उनको हम खत्म कर सकें। लेकिन नये सिरे से, केवल मिशन के तहत नये प्रोजैक्ट्स लिये जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, मुझे बहुत सीधा-साधा प्रश्न पूछना है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या समग्र परियोजना की निगरानी करने के लिए सरकार का कार्यदल गठित करने का कोई प्रस्ताव या विचार है ताकि परियोजनाएं उचित रूप से क्रियान्वित की जा सके और निधियों का समुचित उपयोग किया जा सके। यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अब यह स्कीम नहीं है, नई स्कीम है।

[अनुवाद]

उन्होंने अभी-अभी कहा कि अब यह परियोजना नहीं है। वह योजना बदल दी गई है। अब एक नया कार्यक्रम है।

अब श्री रवि प्रकाश वर्मा।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के माध्यम से बैम्बे योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही, जो मुश्किलें माननीय मंत्री महोदया ने बताई हैं, उसमें उन्होंने चार मुख्य बिंदु बताए हैं-पहला: 'आवास की प्रति यूनिट लागत कम होना एक समस्या थी।' जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया, उसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स नहीं थे, यह दूसरी प्रोब्लम थी, लैंड एवेलेबल नहीं थी, यह तीसरी प्रोब्लम थी और लिटिगेशन केसेज थे। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इस अर्बन रिन्यूवल मिशन के अंतर्गत जो कारपोरेटर्स और स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का क्या कोई प्रोविजन आपके पास है, जिससे कि जो मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें अर्बन रिन्यूवल मिशन में रिड्रेस किया जा सके।

कुमारी सैलजा: माननीय सदस्य ने बहुत अहम सवाल पूछा है। हमने वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना में कई खामियां पाई, इसलिए जो नया मिशन है, उसके तहत बड़ा स्ट्रांग कंपोनेंट ट्रेनिंग का है। उसमें न केवल जो कोरपोरेटर्स हैं या काउंसलर्स हैं, उनके अलावा सिविल सोसायटी को भी इसमें जोड़ा है। उनकी ट्रेनिंग के लिए हमारे पास प्रावधान है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद को छोड़कर सभी शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक हैं। राजग शासनकाल के दौरान शहरी गरीब लोगों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित पहली योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से, इस योजना अर्थात् 'बैम्बे' की घोषणा की थी। लेकिन पिछले वर्ष विगत बजट में एक नए कार्यक्रम अर्थात् समेकित आवास और गन्दी बस्ती विकास की घोषणा की गई थी।

मुझे बताया गया है कि आई.एच.एस.डी.पी. के वित्त पोषण का अनुपात 80:20 है। मंत्रालय के तकनीकी समूह के प्रारम्भिक आकलन के अनुसार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में शहरी क्षेत्रों में लगभग 24.71 मिलियन आवासों की कमी होगी।

चूंकि यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि कौन-कौन से राज्यों ने इस संबंध में अपनी योजना

प्रस्तुत कर दी है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा ने भी अपनी योजना प्रस्तुत कर दी है; यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि व्यय की गयी?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न वी.ए.एम.बी.ए.वाई. तक ही सीमित है, आपका प्रश्न इसके अंतर्गत नहीं आता।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, दो कार्यक्रमों को मिला दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी पहले ही बता चुके हैं कि वी.ए.एम.बी.ए.वाई. को समाप्त कर दिया गया है। इस बारे में एक पृथक प्रश्न पूछा जाए तो मैं उसकी अनुमति दूंगा।

मुझे खेद है कि इसमें से कोई प्रासंगिक प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मुझे यह भली-भांति मालूम है।

अब प्रश्न संख्या 244 : श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शान्ति बनाये रखें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, आप माननीय मंत्री महोदया से इस बारे में मुझे लिखित जानकारी भेजने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय: आप इन्हें लिख कर पूछें।

माननीय मंत्री जी श्री महताब को लिखित जानकारी भेजेंगी।

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों का अधिग्रहण

***244. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के शेयरों का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में विभिन्न पक्षों ने कोई विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (नरसिम्हम समिति-II) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि यह प्रभावी पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाता है कि विनियामक, बैंक का स्वामी भी हो और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए बैंक और वित्तीय संस्थाओं में इसकी धारिता को समाप्त करना अपेक्षित होगा। वर्ष 2001-02 की अपनी मौद्रिक और ऋण नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में शेयरों के स्वामित्व के अंतरण के अपने इरादे की घोषणा की है। तदनुसार ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन संस्थाओं में स्थित अपने शेयरों को अंतरित करने का प्रस्ताव भेजा है।

(ग) और (घ) श्री एस.एस. तारापोर की अध्यक्षता वाली पूंजी खातों की पूर्ण परिवर्तनीयता (एफसीएसी) संबंधी समिति ने 31 जुलाई, 2006 को भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि बासेल-II और एफसीएसी के संदर्भ में बैंक की पूंजी को मजबूती प्रदान करने की अनिवार्यता को देखते हुए इस अंतरण पर रोक लगा दी जानी चाहिए। तथापि, दिनांक 30.9.2006 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक 12.63 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता के साथ अच्छी स्थिति में है जो कि 9% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास नई इक्विटी जुटाकर, टियर-I पूंजी के रूप में अन्तर्वेशन के लिए पात्र नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई) जारी करके, अपनी टियर-II पूंजी को बढ़ाने के लिए विभिन्न पूंजी लिखत जारी करके अपनी पूंजी को मजबूती प्रदान करने के लिए, इसके स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना, आदि जैसे कई उपाय हैं। इसलिए, भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता का भारत सरकार में अंतरण किसी भी प्रकार से बैंक की पूंजी जुटाने की क्षमता को प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं करेगा।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के शेयरों का भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण के संबंध में प्रश्न के दिये गए उत्तर से बहुत से प्रश्न उठते है।

सर्वप्रथम, नरसिम्हम समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों के बारे में यह सत्य है कि ये सिफारिशें वर्ष 1992 में दी गयी थी और तब से 14 वर्ष बीत चुके हैं। इस समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के हितों में परस्पर टकराव नहीं होना चाहिए क्योंकि देश के व्यापक हित में विनियामक

होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं होनी चाहिये। यह सुस्पष्ट धारिता है। परन्तु सरकार ने पिछले 16 वर्षों में ऐसा होने दिया और अभी भी उसका अधिग्रहण नहीं किया है।

दूसरे, भारतीय रिजर्व बैंक एक विनियामक निकाय है।

परन्तु अब भारत सरकार ने उसके शेयरों का अधिग्रहण किया है जबकि कई राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंक हैं। उसके शेयर अधिग्रहीत करके सरकार द्वारा यह संकेत दिया जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक अन्य बैंकों की तुलना में वरीयता प्राप्त बैंक है। इसलिए सरकार अधिक इक्विटी का अधिग्रहण करना चाहती है। उसके साथ-साथ सरकार एक विधान लाकर यह कहने का प्रयास कर रही है कि वह अन्य बैंकों में इक्विटी विनिवेश करना चाहती है और सरकार उन्हें बाजार से अधिक इक्विटी जुटाने की अनुमति दे रही है।

यदि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की इक्विटी का अधिग्रहण करना चाहती है तो इसके अन्य तरीके भी हैं। अन्य तरीके का उपयोग नहीं किया जा रहा है, यही मेरा प्रश्न है। क्या सरकार यह नहीं समझती है कि नरसिम्हम समिति की सिफारिश के बाद भी 15 वर्ष तक भारतीय रिजर्व बैंक के शेयर भारतीय स्टेट बैंक में रखकर उनसे विनियामक की भावना का उल्लंघन किया है, उन्होंने ऐसा ही किया है और भारतीय स्टेट बैंक को अनुचित लाभ दिया है और यह अब आगे भी उसे जारी रखना चाहती है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह आपको शोभा नहीं देता है।

[अनुवाद]

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं निश्चित तौर पर अपने विद्वान मित्र की बात का जवाब दूंगा परन्तु मैं उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से असहमत हूं।

महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक एक विनियामक है। यह एक मौद्रिक प्राधिकरण भी है। तत्पश्चात् वर्ष 1996 में नियुक्त दूसरी नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की और उसमें कहा "यह प्रभावी पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाता कि विनियामक, बैंक का स्वामी भी हो और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए यह अपेक्षित होगा बैंक और वित्तीय संस्थाओं में इसकी धारिता समाप्त की जाए।" मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण कारण है और मैं इस तर्क से सहमत हूं।

अतएव सरकार ने सिद्धांतत: यह निर्णय लिया है। सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के शेयरों के अधिग्रहण पर सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए। यह मामला विचाराधीन है। जब इस पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिग्रहण सरलतापूर्वक हो।

आज सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक में प्रमुख शेयरधारक है। माननीय सदस्य का यह सुझाव गलत है कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी शेयरधारिता को कम करने या समाप्त करने हेतु विधान ला रही है। हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और इस अवसर पर एक बार फिर सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों में सदैव 51 प्रतिशत या इससे अधिक की शेयरधारक रहेगी।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी एक मुद्दे को स्पष्ट कर दें। सरकार ने एक सतत प्रणाली की अनुमति दी है जिसके अंतर्गत विनियामक को अनुचित लाभ मिला और इससे एक बैंक विशेष को लाभ मिल पाया और अन्य बैंकों को कोई लाभ नहीं मिला। इस प्रकार विनियामक की उचित भूमिका नहीं रही क्योंकि इसका संचालन आप कर रहे थे। वस्तुत: 1996 से 10 वर्ष का समय बीत चुका है। इसीलिये यह हुआ है। यह इसका पहला भाग है।

दूसरे, पूंजी की पर्याप्तता एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा और जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि इसमें कमी नहीं की जाएगी। मेरी समझ में आता कि पूंजी पर्याप्तता और शेयरधारिता के बीच क्या संबंध है। शेयरधारिता में परिवर्तन किया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूंजी पर्याप्तता को कोई अवसर नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: परन्तु मेरा मूल प्रश्न यह है कि क्या हम इस मामले में ऐसा नहीं होने देंगे। यदि आप अन्य किसी को इसके अधिग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे तो भी आप प्रमुख शेयरधारक रह सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयर धारिता एक विरासत का मुद्दा है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि यह हमने शुरू किया हो। लगभग 1996 में नियुक्त नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की थी कि विनियामक की बैंक में शेयरधारिता नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक अकाट्य तर्क है और इसका एक ठोस कारण है। यह तर्क मेरी भी समझ में आता है। वर्ष 1998 से 2004 तक इस सिफारिश पर कोई

कार्रवाई नहीं की गयी। निश्चित तौर पर, आप इसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब हमारी सरकार वर्ष 2004 में सत्ता में आयी और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना प्रस्ताव दोहराया तो हमने इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया और अब हम इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने वाले हैं।

सी.आर.ए.आर. और शेयरधारिता के बीच क्या संबंध है? तारापोर समिति ने सुझाव दिया था कि यदि शेयरधारिता का अंतरण किया जाता है तो इससे भारतीय स्टेट बैंक की बाजार से पूंजी जुटाने की क्षमता प्रभावित होगी। मैंने इस आशंका के निराधार होने के कारण भी बताए हैं। भारतीय स्टेट बैंक की सी.आर.ए.आर. 12.63 है जो कि सहज स्थिति है। पूंजी जुटाने के और भी तरीके हैं। भारतीय स्टेट बैंक पूंजी जुटा सकता है और जुटाएगा भी तथा ऐसी स्थिति में सरकार इसका पूरा समर्थन करेगी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कमर्शियल बैंकों के संबंध में भारत सरकार तथा आरबीआई की पालिसी में मतभेद हैं और क्या विदेशी बैंकों की प्रतिस्पर्धा के लिए यह आवश्यक है। यदि आवश्यक है तो इसके क्या उपाय हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि यह कैसे संबंधित है? इसमें कोई संबंध नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम: इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक विनियामक है। सरकार इसमें प्रमुख शेयरधारक है और प्रत्येक अपने कार्यक्षेत्र का कार्यकरण देखता है।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, सरकार की अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार केवल लगभग 27 प्रतिशत जनसंख्या को ही संस्थानात्मक समर्थन प्राप्त है। कृषि समस्याओं और किसानों की आत्महत्याओं के चलते कृषि उत्पादन में गिरावट से हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। सरकार ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि आने वाले तीन वर्षों में कृषि ऋण दुगना हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न से संबंधित कैसे है?

श्री रूपचंद पाल: सरकार वित्तीय मुद्दों पर विचार करने के लिए पहले ही एक समिति गठित कर चुकी है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार की कृषि और कृषकों तथा वित्तीय मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता का विनियामक तथा सेवा-प्रदायक के बीच टकराव के तर्क पर भारतीय स्टेट बैंक के छद्म निजीकरण से मजाक नहीं बनेगा।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत आदर करता हूं परन्तु इस सुझाव को मैं पूर्णत: अस्वीकार करता हूं। इसमें कोई छद्म निजीकरण नहीं है। वस्तुत: यदि सरकार भारतीय स्टेट बैंक में प्रत्यक्ष प्रमुख शेयरधारक बन जाती है या कोई अन्य बात जो इस संबंध में बनाई गई नीति को सुदृढ़ करती है तो सरकार भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी बैंकों में प्रमुख शेयरधारक बनी रहेगी। मैं देश में छद्म निजीकरण के सुझाव को अस्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: भारतीय रिजर्व बैंक में उनका विश्वास आपसे अधिक है।

आईपीओ घोटाला

***245. श्रीमती नीता पटैरिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग'' (आईपीओ) घोटाले में लिप्त पाए गए बैंकों पर से प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन पर से प्रतिबंध हटाया गया है; और

(घ) इन घोटालों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि. बैंक) ने सूचित किया है कि इसने दस वाणिज्यिक बैंकों पर आईपीओ अनियमितताओं में उनकी संलिप्तता के लिए मौद्रिक शास्तियां अधिरोपित की हैं। ये दस बैंक हैं:- भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटीबैंक, आईडीबीआई लिमिटेड, आईएनजी वैश्य बैंक तथा सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लिमिटेड। इसने वाणिज्यिक बैंकों को प्रचालनात्मक स्तर तथा जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए अनेक निदेश तथा सूचनाएं जारी की हैं। तथापि, इसने इन बैंकों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं।

वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक/ बैंकों से उन्हें प्राधिकृत किए जाने संबंधी प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय विनियामक सहजता सहित अनेक कारकों को ध्यान में रखता है। आईपीओ संबंधित अनियमितताओं में इन बैंकों की संलिप्तता के परिणामस्वरूप प्रत्युत्पन्न विनियामक असहजता के दृष्टिगत उनसे शाखाएं, चेस्ट इत्यादि खोलने के लिए प्राप्त आवेदनों को आरंभ में लंबित रखा गया। तथापि, अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उनके द्वारा आरंभ किए गए सुधारात्मक कार्यों/ किए गए उपायों का उनसे सुनिश्चय करने के पश्चात् आवश्यक प्राधिकार तथा अन्य विनियामक अनुमोदन जारी किए जा रहे हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि इसने अप्रैल, 2006 में कुछेक बैंकों को, जो निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के रूप में कार्य कर रहे थे, जांच पूरी होने तथा अंतिम आदेश पारित किए जाने तथा निक्षेपागार भागीदार के रूप में कोई नया व्यवसाय शुरू न करने का निदेश देते हुए अप्रैल, 2006 में एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया था। तदनंतर, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड तथा ईंग वैश्य बैंक लिमिटेड सहित कुछ बैंकों के मामले में इस निदेश को समाप्त कर दिया गया है।

सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी आईपीओ अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों में निम्न उपाय शामिल हैं:-

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आईपीओ वित्तपोषण तथा संबंधित मामलों यथा अनेकानेक खाते खोलना, अपने ग्राहक को जाने/मनीलांडरिंग रोधी दिशानिर्देशों का अनुपालन, आईपीओ वित्तपोषण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों, शेयरों के एवज में अग्रिम इत्यादि की समीक्षा करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करते हुए निष्कर्षों संबंधी रिपोर्ट अपनी लेखापरीक्षा समितियों के समक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

(ख) संबंधित बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विशेष जांच के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी जांच द्वारा उद्घाटित कमियां आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु इन बैंकों को सूचित की हैं। इन बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अवलोकित कमियां समावेशित करते हुए एक परिपत्र सभी बैंकों को (आर.आर.बी. को छोड़कर) समुचित कार्रवाई हेतु जारी किया गया है।

(ग) बैंकों को "आदाता के खाते में" चेकों को उसमें नामित आदाता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करने से प्रतिषिद्ध करते हुए एक निदेश जारी किया गया है।

सेबी द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) निक्षेपागारों ने सेबी से प्राप्त एक निदेश के आधार पर अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदारों को सलाह दी है कि वे उन अभौतिकीकृत खाताधारकों की यथार्थता का सत्यापन करें जहां 20 या उससे अधिक अभौतिकीकृत खाताधारकों का एक ही पता है तथा उन अभौतिकीकृत खातों को बंद कर दें जहां निक्षेपागार भागीदार यह सत्यापन करने में असमर्थ हैं।

(ख) निक्षेपागारों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे अनेकानेक खातों जिनके बेनामी/जाली होने का संदेह है, का पता लगाने के लिए आवश्यक साफ्टवेयर सहित एक प्रणाली को सुव्यवस्थित करें।

(ग) निक्षेपागारों को निदेश दिए गए हैं कि वे अभौतिकीकृत खाताधारकों के सभी वर्गों के लिए उनके द्वारा पहली अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् खोले गए सभी अभौतिकीकृत खातों के संबंध में स्थायी खाता संख्या कार्ड अनिवार्य बनाते हुए निक्षेपागार भागीदारों को निदेश जारी करें।

(घ) निक्षेपागारों को सलाह दी गई है कि वे आईपीओ के मामले में स्टाक एक्सचेंजों में कारोबार के आरंभ की तिथि को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या सक्रिय करें।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने आईपीओ घोटाले से संबंधित बैंकों एवं संस्थाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? यह 50 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने हमें जो उत्तर दिया है उसमें बताया गया है कि आरबीआई और सेबी ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार उन बैंकों से, जो घोटाले में लिप्त हैं, इन दिशानिर्देशों का पालन किस प्रकार से कराएगी?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने विस्तार से उत्तर दिया है। पूरे पृष्ठ में मैंने भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा शुरू किए गए सभी प्रयासों, की गई दाण्डिक कार्यवाहियां का ब्यौरा दिया है। यदि कोई माननीय सदस्य किसी की गई कार्यवाही विशेष के बारे में

और अधिक जानना चाहता है तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरा उत्तर विस्तृत उत्तर है।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: अध्यक्ष महोदय, उत्तर में विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया था, कैसे उनके ऊपर फिर से विश्वसनीयता हो गई है। क्या आईपीओ घोटाले में उन लोगों को सजा दी गई है जिन्होंने फर्मों को जरिया बनाकर कमाई की थी? किन जायज निवेशकों के निवेदन लौटाए गए हैं? हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि आईपीओ जारी होने से पहले जनता को जिस तरह लोक लुभावने विज्ञापनों द्वारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं, क्या सरकार ने उन पर अंकुश लगाने का विचार किया है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, जहां तक आई.पी.ओ. घोटाले का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही की है जिनकी शाखाओं ने शाखा लाइसेंस के अनेक आवेदनों के दाखिले को सुकर बनाया लेकिन इसमें किसी बैंक को घाटा नहीं हुआ। बैंकों ने अनेक आवेदनों के दाखिले को सुकर बनाया। उन पर मौद्रिक शास्तियां लगाई गई हैं। शाखा लाइसेंस के लिए उनके आवेदनों को रोक लिया गया और बैंकों को के.वाई.सी. मानदण्ड तथा जिस तरह से के.वाई.सी. मानदण्ड लागू किए गए थे, उन्हें पूर्णत संशोधित करने के लिए कहा गया। जहां तक अन्य बैंकों का संबंध है, सेबी ने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है।

मैं कहना चाहूंगा कि 'सेबी' ने हाल ही में अभूतपूर्व आदेश पारित किया है। इसे उद्ग्रहण आदेश कहते है और यह भारत में पहली बार दिया गया है। 'सेबी' ने 'इनिशियल पब्लिक आफरिंग (आई.पी.ओ.) में लिप्त सभी बैंकों अर्थात् निक्षेपागारों, संयुक्त रूप और व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले निक्षेपागारों को निदेश दिए हैं और उन्हें जवाबदेह बनाया जा रहा है। उन्हें लाभ वापस लौटाने के लिए कहा जा रहा है। यह अर्द्ध-न्यायिक कार्यवाही है और आदेश पारित कर दिए गए हैं। न्यायाधिकरण के समक्ष कुछ आदेशों को चुनौती दी गई है। मुझे विश्वास है कि ये कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी तथा सेबी इन लोगों द्वारा अनुचित रूप से कमाए गए लाभ की वापसी सुनिश्चित करने हेतु इन कार्यवाहियों को जारी रखेगा।

मैंने 'सेबी' को सलाह दी है कि एक बार धन वापस दिलाने पर अगला कदम वह यह उठाए कि वह उन व्यक्तियों से शेयर लेकर, जो इसके हकदार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को शेयर आबंटित करें जो इन शेयरों के हकदार हैं। यह एक लम्बी प्रक्रिया है लेकिन यह अपनी तरह का पहला मामला है। 'सेबी' पहले ही आदेश दे चुकी है जो मेरे विचार से एक ऐतिहासिक आदेश है।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि जो लोक-लुभावने विज्ञापन दिये जाते हैं, क्या वह उन पर अंकुश लगायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप विज्ञापनों पर नियंत्रण रखेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: ये विज्ञापन 'सेबी' की जानकारी में भी आए हैं। मेरे विचार से 'सेबी' ने उन्हें सलाह दी है कि इन विज्ञापनों की अनुमति नहीं है और मेरे विचार से इस घटना के बाद से कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है।

मोहम्मद सलीम: महोदय, जहां तक आई.पी.ओ. का संबंध है तो मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में ऐसे घोटालों अथवा अनियमितताओं की पुन: आवर्ती रोकने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और 'सेबी' द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न उपायों के बारे में बताया है। लेकिन मंत्री महोदय तथा वित्त संबंधी स्थायी समिति ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आई.पी.ओ. के अस्तित्व में आने के बाद से आई.पी.ओ. माध्यम का उपयोग की बजाय दुरूपयोग अधिक हुआ है और सिफारिश में भी यही बात कही गई है। इसलिए मैं इनके द्वारा की गई सिफारिश के भाग के रूप में यह बात पूछता हूं। क्या वह आई.पी.ओ. के अस्तित्व में आने के बाद से इसमें हुए सभी घोटालों की जांच करेंगे और सभा में आकर ये बताएंगे कि ये जांच कहां तक सफल हुई हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, आई.पी.ओ. घोटाला क्या है? प्रत्येक मुद्दे पर इस धोखाधड़ी की कार्यवाही से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। अनेक मुद्दों में लोग निक्षेपागारों में प्रणाली के अभाव का फायदा उठाते हैं और अनेक आवेदन करते हैं। प्रत्येक को केवल एक आवेदन करने की अनुमति होती है लेकिन उन्होंने अनेक आवेदन किए। एन.एस.डी.एल. अथवा डी.एस.डी.एल. में इन अनेक आवेदनों का पता लगाने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थीं और आवेदकों ने इसका फायदा उठाया।

मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं लेकिन हमने उन्हें पकड़ा भी है। ऐसा नहीं है कि वे बच गए। हमने उन्हें पकड़कर दण्डित किया है। अब हम एक प्रणाली शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं जहां अनेक आवेदनों का सरलता से पता लगाया जा

सकेगा। अब एन.एस.डी.एल. और सी.एस.डी.एल. ने एक प्रणाली शुरू की है। मेरे विचार से एन.एस.डी.एल. ने एक महत्वपूर्ण प्रणाली शुरू की है जहां अनेक आवेदनों का पता लगाया जाएगा। इसमें एक तरीका है कि अनेक आवेदनों का पता लगाने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) को अनिवार्य बनाया जाए। कोई भी व्यक्ति 'पैन' के बिना निक्षेपागार खाता नहीं खोल सकता है।

मैं इस समय यह बात सुस्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी के लिए भी 'पेन' के बिना निक्षेपागार खाता खोलने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2006 है। अभी भी दो लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 'पैन' संख्या प्रस्तुत नहीं की है। यदि वे लोग 31 दिसम्बर तक अपनी 'पैन' संख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके खातों पर रोक लगा दी जाएगी और उसके बाद वे अपने खातों का प्रचालन नहीं कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि 'पैन' संख्या अनिवार्य होने पर तथा अनेक आवेदनों का पता लगाने हेतु एन.एस.डी.एल. तथा सी.एस.डी.एल. में एक साफ्टवेयर के शुरू होने पर इस तरह के घोटाले नहीं होंगे। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि लोग और क्या चालाकी करेंगे। हमें सजग रहना होगा और मैं वादा करता हूं कि हमने भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, एन.डी.एस.एल. तथा सी.एस.डी.एल. को सदैव सजग रहने का निदेश दिया है ताकि ऐसे घोटालों को रोका जा सके।

श्री गुरूदास दासगुप्त: माननीय मंत्री ने उत्तर के पहले पैराग्राफ में घोटाले में संलिप्त 10 बैंकों का उल्लेख किया है। इसमें केवल एक सरकारी बैंक तथा अधिकांश निजी बैंक हैं। इसमें दो विदेशी बैंक अर्थात् स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिटी बैंक हैं।

माननीय मंत्री ने मेरे पूर्व वक्ता के अनुपूरक का उत्तर देते समय इन अनियमितताओं से बचने के सुरक्षोपायों के बारे में कहा था। लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि उनके उत्तर में बताए गए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिटी बैंक वर्ष 1992-1993 में हुए प्रतिभूति घोटाले में भी संलिप्त थे। एक संसदीय समिति ने मामले की जांच की और मैं उस समिति का सदस्य था।

मेरा माननीय मंत्री से यह विशेष प्रश्न है कि सरकार इन अनेक विदेशी बैंकों द्वारा की जा रही निरंतर अनियमितताओं को देखते हुए इन विदेशी बैंकों को अनुशासित करने के लिए क्या कदम उठाएगी?

अध्यक्ष महोदय: यह एक लम्बा प्रश्न है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि हमें यह समझना चाहिए कि यह आई.पी.ओ. घोटाला क्या है। यह आई.पी.ओ. घोटाला था। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैंने घोटाले के स्वरूप के बारे में कुछ नहीं पूछा था। मैं इन बैंकों द्वारा किए गए कदाचार के बारे में पूछ रहा था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह कदाचार के प्रकार के बारे में कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मुझे यह बात स्पष्ट करने दीजिए। बैंक स्वयं किसी तरह के कदाचार में संलिप्त नहीं था। बैंक की शाखा व्यक्तियों द्वारा अनेक आवेदन दाखिल करने का पता लगाने में सजग नहीं थी। इंडियन ओवरसीज बैंक है जो सरकारी क्षेत्र का बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, विदेशी बैंक और निजी बैंक है। उस शाखा के प्रबंधक ने यह पता लगाए बिना कि एक ही व्यक्ति अनेक आवेदन दाखिल कर रहा है, अनेक आवेदन दाखिल करना सुगम बनाया। यह घोटाला नहीं था जिसमें बैंक स्वयं संलिप्त हो। इन शाखाओं की पहचान कर ली गई है।

उदाहरण के लिए अनेक बैंकों में संलिप्त शाखाएं केवल एक दो या तीन थीं। अत: यह घोटाला प्रकाश में आने के बाद अब हमने अनेक आवेदन अथवा एक ही व्यक्ति द्वारा दाखिल अनेक आवेदन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की है। बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा एक से अधिक शाखा प्रबंधक द्वारा अनेक आवेदनों के दाखिल होने का पता न लग पाने के कारण बैंक को नुकसान हुआ है बैंकों पर मौद्रिक शास्तियां अधिरोपित की गई हैं और शाखा लाइसेंस के लिए उनके आवेदनों को वर्ष 2006 के लिए रोक लिया गया। आज भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिटी बैंक को इस वर्ष के लिए कोई शाखा लाइसेंस नहीं दिया गया है। अब उन्हें के.वाई.सी. मानदण्डों और आवेदन में सुधार करने के लिए कहा गया है ताकि शाखा प्रबंधक ऐसे अनेक आवेदनों के दाखिले को सुगम न बना सके। मेरे विचार से बैंक पर शास्तियां लगाई गई हैं। अत:, हमें इस बात को दरकिनार कर बैंकिंग प्रणाली का विकास करना चाहिए।

मुझे मालूम है कि ये बैंक वर्ष 1992-1993 के घोटाले में संलिप्त थे और इसी तरह अन्य बैंक भी संलिप्त थे और इसके लिए उन्हें दण्डित किया गया था। उन्होंने मौद्रिक शास्तियों का भुगतान कर दिया है और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 246, श्री मोहन रावले-उपस्थित नहीं

श्री असादूद्दीन ओवेसी-उपस्थित नहीं

वरिष्ठ नागरिकों पर चर्चा के लिए किसी सदस्य को बोलना है?

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार

*247. **श्री निखिल कुमार:**
श्री पी.सी. थामस:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का दूसरा चरण शुरू करके इसे और अधिक जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने जिले शामिल किए जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में योजना आयोग से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दूसरे चरण को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा क्रियान्वित किया जायेगा?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 1(3) के अनुसार इस अधिनियम को इसके क्रियान्वयन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया तथा इसे पहले चरण में 2 फरवरी, 2006 से देश के 200 निर्धारित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे चरण में इस अधिनियम को और अधिक जिलों में कार्यान्वित करने से संबंधित मामले पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) जी, हां। योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के पहले चरण में कवर किए जाने वाले जिलों का निर्धारण किया गया। अधिनियम के दूसरे चरण में कवर करने के लिए जिलों का निर्धारण करने का अनुरोध योजना आयोग से किया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन के दूसरे चरण में कवर किए जाने वाले जिलों का निर्धारण योजना आयोग द्वारा अभी किया जाना है।

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक करके पूछिए।

श्री निखिल कुमार: हां, कई महीनों के पश्चात् मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भेद-भाव नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री निखिल कुमार: महोदय, मैं जानता हूं। पहली बात तो यह है कि एक महत्वपूर्ण योजना है, जो ग्रामीण बेरोजगारों विशेषकर जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, के लाभ के लिए बनाई गयी है। मैं विशेषरूप से अपनी बात निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहता हूं। लगभग 106,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिसमें से मेरे पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर केवल 31,000 लोगों को रोजगार कार्ड दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन 31,000 लोगों में से किसी को भी भत्ता नहीं दिया गया है। यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है।

मुझे दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी नहीं है, परन्तु बिहार में निश्चित रूप से इस योजना का सम गति से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले तो सभी जरूरतमंद लोगों को रोजगार कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं, और जब रोजगार कार्ड जारी किए जाते हैं, तो उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता और यदि रोजगार दिया जाता है, तो उन्हें भत्ता नहीं दिया जाता। मेरे निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद के लिए 38 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें से 6.2 करोड़ रु. केवल कागजों पर खर्च किए गए हैं।

यह राशि 16 प्रतिशत से भी कम है। यह इस योजना को कार्यान्वित करने का सही तरीका नहीं है। क्या इस योजना के कार्यान्वयन की निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निगरानी के लिए भारत सरकार की कोई योजना है? इसके पश्चात् में दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न बाद में पूछिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद जिले की चर्चा की है। यह ठीक

बात है कि बिहार में जितने पैसे दिये गये, उसमें से बहुत कम खर्च हुए हैं। सभी पंचायतों में जाब कार्ड का वितरण भी ठीक ढंग से नहीं हुआ है, काम भी ठीक ढंग से शुरू नहीं हुआ है। राज्य सरकार से हमने कई बार बातचीत की है, उनके अधिकारियों से भी लिखा-पढ़ी की है, चीफ मिनिस्टर साहब को भी दो बार पत्र लिखा ताकि वहां ठीक ढंग से काम शुरू हो। शुरू में कारण बताया गया है कि पंचायती राज के चुनाव हैं, फिर बरसात का कारण बताया गया। अब उन लोगों ने कहा है कि हम ठीक ढंग से नहीं बल्कि समारोह पूर्वक लागू करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें चार-पांच राज्य पीछे चल रहे हैं। उनके लिए हम चिंतित हैं। गरीबी रेखा से नीचे जितने लोग हैं, कम से कम उतने लोग भी जाते हैं तो भी हम संतुष्ट हो जाएंगे कि वहां ठीक से काम चल रहा है। इसलिए अवैयरनैस की कमी है, मुस्तैदी की कमी है, पर्सेनल का भी अभाव है। तीन-चार पंचायतों पर एक-एक ग्राम सेवक, सैक्रेटरी है। उसके अतिरिक्त रोजगार सेवक, प्रोग्राम को-आर्डिनेटर या प्रोग्राम अफसर बहाल करने के लिए हमने राज्य सरकारों से कहा है कि हम उनको राशि देंगे, हम उनकी सहायता करेंगे लेकिन राज्य सरकारें उसमें पीछे चल रही हैं।

श्री निखिल कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। वह मानते हैं कि इस योजना का कार्यान्वयन बिहार में और विशेषकर मेरे क्षेत्र में जिस गति से होना चाहिए, वह नहीं पा रहा है।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, कहीं भी नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की बात ही आप रिकार्ड नहीं करने के लिए कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकार्ड होगी लेकिन आपको जब मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा।

[अनुवाद]

उनके भाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह बात मानी है हालांकि स्कीम के तहत यह लिखा हुआ है कि जो इच्छुक लोग हैं, उनको जाब-कार्ड मिलेगा लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि उन लोगों को लाभान्वित किया जाए जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। हमारे यहां जिन लोगों को जाब-कार्ड मिले हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। मैं जानना चाहता हूं कि जिनको जाब-कार्ड नहीं मिले हैं या जिन्हें जाब-कार्ड मिले भी हैं, उनको भत्ता नहीं मिला है, भत्ता इसलिए नहीं मिलेगा कि जो पंचायत सेवक हैं, उनको रोस्टर जिस तरह से मेनटेन करना चाहिए, वे उस तरह से रोस्टर मेनटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या आपकी कोई ट्रेनिंग या वर्कशाप आयोजित करने की योजना है जिससे वहां पर लोगों को समझाया जा सके कि जो आप रोस्टर गलत मेनटेन करते हैं, उसे सही कीजिए। उनको डर है कि अगर हम रोस्टर मेनटेन करेंगे और यदि कहीं कुछ गलती हो गई तो हमारे ऊपर कहर टूट पड़ेगा। इस भय की वजह से इतनी महत्वपूर्ण योजना का कार्यान्वयन नहीं हो, यह बहुत अफसोस की बात है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह बताएं कि क्या कोई ऐसी योजना उनके पास है, जिसके अंतर्गत कोई वर्कशाप आयोजित की जाए या ऐसा कोई प्लान उनके पास है जिसके तहत उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अनुपूरक प्रश्न के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, तीन तरह की ट्रेनिंग की योजना हमने बनाई है। हमने राज्य सरकारों को बाध्य किया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के सदस्य, फिर उनके अधिकारी, कर्मचारी तथा साथ ही जो स्कीम बनेगी, उसमें नौ व्यक्तियों की लोकल बेनेफिशयरीज की निगरानी समिति बनानी है, अनुश्रवण समिति बनानी है। इन तीनों तरह के लोगों की ट्रेनिंग का सोलहआना खर्च भारत सरकार देगी। राज्य सरकार को हमने कहा है। फेजवाइज में एनआईआरडी को लगाया है और रिसोर्सफुल पर्सन्स को लगाया है ताकि फेजवाइज सभी की ट्रेनिंग हो सके क्योंकि अधिकारियों-कर्मचारियों को जानकारी तक नहीं हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लोग भी नहीं जानते हैं। इसलिए ट्रेनिंग का विगरस प्रोग्राम हमने किया है। सभी राज्यों को कहा है कि सभी इसे करा लें लेकिन राज्य सरकार आहिस्ता चल रही हैं। इससे हम चिंतित हैं और एपीएल और बीपीएल का इस कानून में प्रावधान नहीं है। कानून में यह है कि जो कोई भी लोग इच्छुक हैं।

अगर गांव में रहने वाले लोग इच्छा जाहिर करेंगे, पैटीशन देंगे तो उनका नाम रजिस्टर होगा, तब उन्हें जाब कार्ड मिलेगा। अगर जाब कार्ड मिलने के बाद वे पैटीशन देंगे कि हम काम करना चाहते हैं तो उन्हें 15 दिन के अंदर प्राप्ति रसीद मिलेगी जो अत्यंत अनिवार्य है। अगर 15 दिन के बाद भी काम नहीं मिलता है, तो वे लोग बेरोजगार भत्ता पाने के हकदार हैं–ऐसा कानून में प्रावधान है। इसलिये लोगों में अवेयरनैस पैदा करने के लिये, गरीबों में उत्साह पैदा के लिये, हमने सभी पार्टियों के नेताओं और माननीय सदस्यों को पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों को इस बात की जानकारी दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार जी मुझे खेद है यह उचित नहीं है। वे सब कुछ कह चुके हैं। कृपया, नहीं।

श्री पी.सी. थामस: यह एक अच्छी योजना है। इस योजना के पीछे जो संकल्पना है मै उसकी सराहना करता हूं। मैं सरकार से इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए प्रमुख उद्यमों के परिणाम और निष्कर्षों के बारे में जानना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस योजना को मेरे राज्य केरल में लागू किए जाने के क्या परिणाम हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, देशभर में अब तक 1 करोड़ 11 लाख 10 हजार 946 परिवारों ने काम की मांग की है, जबकि 1 करोड़ 7 लाख 39 हजार 206 परिवारों के 1 करोड़ 46 लाख 52 हजार 081 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। जब हम इसका ऐवरेज देखते हैं तो यह संतोषजनक और उत्साहजनक दिखाई देता है। इसके बावजूद चार-पांच राज्यों में काम की शुरूआत अच्छी नहीं है, जैसे केरल है। केरल में जब यह योजना शुरू की गई थी, उसके एक महीने के बाद वहां विधान सभा के चुनाव होने वाले थे। इसी तरह तमिलनाडु, फिर असम और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले थे। मेघालय में एक उप-चुनाव होने वाला था और बिहार में पंचायती राज का चुनाव था। इसलिये बाकी राज्यों में जो उत्साह देखा गया, इन 4-5 राज्यों में उसकी कमी थी। केरल में यह योजना दो जिलों में लागू की गई है। केरल राज्य से इस आशय की सूचना मिली है कि अब वहां समारोहपूर्वक लोग काम करने के लिये जा रहे हैं। चुनाव के चलते, यह काम उस राज्य में देर से शुरू हुआ है।

श्री राम सिंह कस्वां: अध्यक्ष महोदय, गरीबों और बेरोजगारों को काम देने के लिये यह बहुत अच्छी योजना है। सरकार इसके दूसरे चरण को चालू करने जा रही है लेकिन राजस्थान राज्य के साथ अन्याय किया गया है। वहां बार-बार अकाल पड़ता है, बहुत भारी मात्रा में लोग बेरोजगार हैं। रोजगार न मिलने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के मात्र 6 जिले शामिल किये गये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे चरण में मेरे जिले चुरू को इसमें शामिल करने जा रहे हैं या नहीं? इसके अलावा राजस्थान के अन्य जिलों को भी नहीं लिया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चुरू एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के चुरू जिले में पिछले सात साल से अकाल पड़ रहा है, लोग बेरोजगार हैं। जब सदन में पहली बार यह बिल आया था, उस समय भी मैंने निवेदन किया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके लिए मैंने चुरू जिले के बारे में कह दिया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, दूसरे चरण की शुरूआत करने के लिये सरकार ने योजना आयोग से आग्रह कर दिया है। जिस तरह उनके क्राइटीरिया के आधार पर प्रथम चरण में 200 जिलों की 87 हजार पंचायतों में यह योजना शुरू की गई है, इसके दूसरे चरण के लिये भी योजना आयोग के क्राइटीरिया के आधार पर नये जिलों का चयन किया जायेगा। अगर क्राइटीरिया के अंतर्गत चुरू जिला आ जायेगा, तो उसे भी उत्साहपूर्वक शामिल किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: चुरू जिला होना चाहिये।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, यह योजना बहुत अच्छी और बढ़िया है। माननीय मंत्री जी के विचार भी अच्छे हैं क्योंकि वह बार-बार पत्र भी लिख रहे हैं, बिहार भी बार-बार जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: टाइम नहीं है, आप जल्दी-जल्दी पूछिये।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, सरजमीं पर इसका काम नहीं होता है। हमारे देश में चुनाव होने के समय अलग-अलग हैं। हम लोगों के यहां सीजन भी अलग-अलग हैं। बरसात के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में 4-5 महीने काम नहीं होता है, लेकिन कभी चुनाव का बहाना बनाकर, कभी उप-चुनाव की बात कहकर यह काम रोक दिया जाता है। उसके लिए क्या भारत सरकार इलैक्शन

कमीशन से बात करके, इस तरह के बंधन को हटाना चाहती है या नहीं, ताकि योजना के तहत हर इलाके में काम हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारी चुनाव आयोग से लिखा-पढ़ी हुई है और हमने चुनाव आयोग से साफ कहा है। चूंकि यह पार्लियामेंट से पारित सर्वसम्मत कानून है, इस कानून में चुनाव आयोग का कोड नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कुछ कंसीड भी किया है, लेकिन पूरे तौर पर अभी तक उन्होंने सहमति नहीं दी है, लेकिन हम परस्यू कर रहे हैं। चूंकि जब कोई ऐसा कानून लागू हो जाए और कोड के चलते उसके कार्य में बाधा आ जाएगी, मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, जिससे बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार को देना पड़ेगा-इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चुनाव आयोग से बार-बार आग्रह कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें हमें कामयाबी मिल जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा के सभी पक्षों का उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना

***246. श्री मोहन रावले:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की कर से छूट प्राप्त आय पर बैंकों द्वारा कर लगाने के कितने मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को कर से छूट प्राप्त आय पर कर लगाने के लिए बैंकों की खिंचाई की है जैसाकि 11 नवम्बर, 2006 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) वरिष्ठ नागरिकों को समुचित सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बैंकों द्वारा फार्म सं. 15ज और 15छ को स्वीकार न करने तथा जमाकर्त्ता द्वारा इन फार्मों को भरकर देने अथवा भरने के वादा करने के बावजूद कर कटौती के जारी रहने से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश दोहराया है कि जहां जमाकर्त्ता द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197(1) के अंतर्गत फार्म 15ज अथवा फार्म 15छ भरकर दिया गया है अथवा प्रमाण-पत्र दिया गया है, उस मामले में स्रोत पर किसी प्रकार की कटौती न की जाए।

(घ) बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के तहत मीयादी जमाराशियों पर अधिक ब्याज दर, पेंशन पर ऋण, चिकित्सा संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण, आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं भी व्यवहार्य हो और विशेषकर वैयक्तिक बैंकिंग सेवा अथवा बचत बैंक शाखाओं पर बैंक वरिष्ठ नागरिकों को "पंक्ति रहित" सुविधा प्रदान करने, फार्म भरने में सहायता देने, आदि पर ध्यान रखते हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पनधारा कार्यक्रमों का विस्तार

***248. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पनधारा (वाटरशेड) कार्यक्रमों के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत पनधारा (वाटरशेड) कार्यक्रमों के विस्तार की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में वाटरशेड

कार्यक्रमों [समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)] के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करवाए हैं, विवरण-I के रूप में संलग्न है। इन अध्ययनों के अनुसार वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भूमि की समग्र उत्पादकता तथा जल के स्तर में वृद्धि हुई है तथा परियोजना क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास पर इनका सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वाटरशेड क्षेत्रों में हरित वानस्पतिक आच्छादन में भी वृद्धि हुई है जिससे जल और वायु द्वारा होने वाले भूमि कटाव को रोकने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से इन कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने का पता चलता है।

मंत्रालय की एक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार ने देश में समग्र बंजरभूमि के नक्शे तैयार करने का कार्य वर्ष 1998 में पूरा किया था और देश में बंजरभूमि का क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया था। तत्पश्चात्, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) ने भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस (वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया) तैयार किया है और बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 55.27 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया है। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान 8.58 मिलियन हैक्टेयर की कमी हुई है। विवरण-II पर संलग्न है।

(ग) से (ड.) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) की परियोजनाएं पांच वर्षों की परियोजना अवधि में वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं। तदनुसार, वर्ष 2001-02 से लेकर आगे स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि अभी पूरी नहीं हुई है।

तथापि उन परियोजनाओं, जिन्हें वर्ष 2000-01 में स्वीकृत किया गया है, के संबंध में इस मंत्रालय ने एक और वर्ष की अवधि बढ़ाने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है। वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत की गई पांचवें बैच की परियोजनाओं के मामले में राज्य सरकारों से प्रत्येक परियोजना के कार्य निष्पादन की अलग-अलग रूप में समीक्षा करने तथा उनको जारी रखने अथवा जारी नहीं रखने के संबंध में अपनी विशेष सिफारिश करने के लिए कहा गया है। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

वाटरशेड विकास कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.डी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को शामिल करते हुए 16 राज्यों में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करवाया था:-

(1) ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास का आकलन करना, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है-

(क) वाटरशेड के भीतर भूमि, जल तथा वनस्पति जैसे प्राकृतिक संसाधनों, जो सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करेंगे तथा आगे होने वाले पारिस्थितिकीय अवक्रमण पर रोक लगायेंगे, का इष्टतम उपयोग करना, और

(ख) रोजगार सृजन तथा बचतों तथा अन्य आय सृजन संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए मानव गांव के अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास करना।

(2) गांव में पारिस्थितिकीय संतुलन के निम्नलिखित के जरिए बहाल करने के संबंध में वाटरशेड विकास कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना:

(क) सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन तथा रख-रखाव के लिए तथा वाटरशेड के भीतर प्राकृतिक संसाधनों की शक्यता का आगे और विकास करने लिए सतत सामुदायिक कार्रवाई, और

(ख) ऐसे सरल, प्रयोग के लिए आसान तथा किफायती प्रौधोगिकीय समाधान तथा संस्थागत व्यवस्थाएं होना, जिनका प्रयोग किया जा सके तथा जिन्हें स्थानीय तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध सामग्री से तैयार किया गया हो।

(3) भूमिहीन लोगों तथा महिलाओं जैसे समाज के गरीबों और उपेक्षित वर्गों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों

में निम्नलिखित कार्यों के जरिए सुधार के रूप में परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन करना:

(क) सामुदायिक भूमि और जल संसाधन के विकास के होने वाले लाभों और इसके परिणामस्वरूप बॉयो-मास के उत्पादन का और अधिक समान रूप से वितरण करना, और

(ख) आय सृजन संबंधी अवसरों को और अधिक सुलभ बनाना तथा गांव के मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान देना।

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों का सारांश

भूमि, जल तथा बायोमास पर प्रभाव

भूमि उपयोग

वाटरशेड विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पश्चात सभी राज्यों से भूमि उपयोग के संबंध में समग्र विकास होने की सूचना प्राप्त हुई है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से निवल बुआई क्षेत्र, सकल फसल क्षेत्र तथा एक से अधिक बार बुआई किए जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि होने की सूचना दी गई है।

सिंचाई

उन सभी क्षेत्रों में जहां पर वाटरशेड परियोजनाएं शुरू की गई थीं, सिचाई के विकल्पों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसी वृद्धि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से हुई है।

ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता

ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता में, विशेष रूप से समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, जहां पर बंजरभूमि विकास एवं जलग्रहण क्षेत्र के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था। बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों द्वारा ईंधन लकड़ी और चारे, दोनों की उपलब्धता में सकारात्मक परिवर्तन होने की सूचना दी गई है।

पशुधन

जबकि कुछेक राज्यों ने अपने पशुधन की वास्तविकता संख्या में परिवर्तन होने की सूचना दी है, तथापि, वहां पर परियोजना के पश्चात उन्नत नस्लों को काफी प्राथमिकता दी गई है। कुछेक राज्यों ने टैंकों और अन्य जल स्रोतों के विकास के पश्चात् मत्स्य पालन की क्षमता उत्पन्न होने की सूचना भी दी है।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

फसल पद्धति

कई राज्यों ने अपनी फसल पद्धति में प्रत्येक वर्ष एक फसल से दो फसल में परिवर्तन होने की सूचना दी है। ऐसा प्रत्यक्ष रूप से शुष्क मौसम में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता के कारण हुआ है। कुछेक राज्यों ने उन्नत किस्म की फसलों को अपनाने की सूचना दी है।

केवल कुछेक राज्यों ने ही वार्षिक फसल चक्र में मुख्य फसलों के बारे में परियोजना पूर्व और बाद में हुई पैदावारों का रिकार्ड रखा है। जहां पर आंकड़े रखे गए हैं, वहां पैदावार में वृद्धि की सूचना दी गई है।

आय और रोजगार सृजन

कई राज्यों ने कृषि से संबंधित लाभार्थियों के लिए इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने और गैर-लाभार्थियों के लिए अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की सूचना दी है। इनमें व्यापार, दुग्धशाला (डेरी), मुर्गी पालन, राजगीरी आदि शामिल हैं। वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए वास्तविक कार्यों से लगभग सभी राज्यों में अलग-अलग संख्या में श्रम दिवस उपलब्ध हुआ हैं। कुछेक राज्यों में पारिवारिक आय के शून्य से लेकर विभिन्न स्तरों में अन्य राज्यों में परियोजना पूर्व के स्तरों की तुलना में 50% तक वृद्धि हुई है।

क्षमता निर्माण एवं लोगों की भागीदारी

संस्थागत व्यवस्थाएं

सभी राज्यों ने वाटरशेड विकास कार्यक्रम को शुरू करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करने की सूचना दी है। सभी वाटरशेड जिलों में जिला स्तर पर वाटरशेड विकास सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। इस बात को प्राथमिकता दी गई है कि सरकारी विभाग परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करें और वन, कृषि, पशुपालन, भूमि संरक्षण, योजना, राजस्व, ग्रामीण विकास तथा लघु सिंचाई के विभागों सहित कई समनुरूप विभागों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन नें सहायता दी गई है। कुछ राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों को भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में उपयोग में लाया गया था।

लोगों की भागीदारी

प्रयोक्ता समूहों स्व-सहायता समूहों का गठन केवल कुछेक राज्यों में ही किया गया था। इसी प्रकार अधिकांश वाटरशेड क्षेत्रों में वाटरशेड समितियों (डब्ल्यू.सी.) तथा वाटरशेड संघों (डब्ल्यू.ए.) को भी गठित किया गया था। परन्तु कुछ क्षेत्रों में अभी यह कार्य नहीं किया गया है। इसका कारण कुछ राज्यों में पर्याप्त रूप से वस्तुस्थिति से अवगत न कराये जाने तथा प्रशिक्षण न दिए जाने के कारण सामाजिक तथा संस्थागत मामलों के संबंध में कार्य करने में सरकारी एजेंसियों को पर्याप्त जानकारी न होना रहा है। अन्य राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों के उपलब्ध न होने से भी इन कार्यों में लोगों को सार्थक रूप में जोड़े के प्रयास में बाधा आई है।

क्षमता निर्माण

सभी राज्यों ने लाभार्थियों, वाटरशेड समितियों तथा वाटरशेड संघों के सदस्यों एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के स्तरों सहित विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण में निवेश किए जाने की सूचना दी है। कुछ राज्यों में इसके सकारात्मकपरिणाम प्राप्त हुए हैं। अन्य राज्यों में यह महसूस किया गया कि दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनों की संख्या को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजनों में अधिकांशत: राज्य कृषि विभाग तथा विश्वविद्यालय लगे हुए हैं तथा कुछेक मामलों में गैर-सरकारी संगठनों को भी इस कार्य में शामिल किया गया था।

विवरण II

बंजरभूमि आंकड़ों की तुलना (1986-2000 से 2003)

क्र.सं.	राज्य	जिलों की सं.	कुल भौगोलिक क्षेत्र	1986-2000 बंजरभूमि क्षेत्र	2003			परिवर्तन
					कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में प्रतिशतता	बंजरभूमि क्षेत्र	कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में प्रतिशतता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	23	275068	51750.19	18.81	45267.15	16.46	-2.35
2.	अरुणालय प्रदेश	16	83743	18326.25	21.88	18175.95	21.7	-0.18
3.	असम	23	78438	20019.17	25.52	14034.08	17.89	-7.63
4.	बिहार	37	94171	5880	6.2	5443.68	5.78	-1.75
5.	छत्तीसगढ़	16	135194	10185.98	7.53	7584.15	5.26	-2.27
6.	गोवा	2	3702	613.27	16.57	531.29	14.35	-2.21
7.	गुजरात	25	196024	43021.28	21.95	20377.74	10.4	-11.55
8.	हरियाणा	19	44212	3733.98	8.45	3266.45	7.39	-1.06
9.	हिमाचल प्रदेश	12	55673	31659	56.87	28336.8	50.9	-5.97
10.	जम्मू-कश्मीर	14	101387	65444.24	64.55	70201.99	6924	4.69
11.	झारखण्ड	19	79706	15884	19.93	11165.26	14.01	-5.92
12.	कर्नाटक	27	191791	20839.28	10.87	13536.58	7.06	-3.81
13.	केरल	14	38863	1448.18	3.73	1788.8	4.6	0.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मध्य प्रदेश	49	308252	60732.53	19.7	157134.1	18.53	-1.17
15.	महाराष्ट्र	33	307690	53489.08	17.38	49275.41	16.01	-1.37
16.	मणिपुर	9	22327	12948.62	58	13174.74	59.01	1.01
17.	मेघालय	7	22429	9904.38	44.16	3411.41	15.21	-28.95
18.	मिजोरम	8	21081	4071.68	19.31	4469.88	21.2	1.89
19.	नागालैंड	7	16579	8404.1	50.69	3709.4	22.37	-28.32
20.	उड़ीसा	30	155707	21341.71	13.71	18952.74	12.17	-1.53
21.	पंजाब	17	50362	2228.4	4.42	1172.84	2.33	-2.1
22.	राजस्थान	32	342239	105639.11	30.87	101453.9	29.64	-1.22
23.	सिक्किम	4	7096	3569.58	50.3	3808.21	53.67	3.36
24.	त्रिपुरा	4	10486	1276.03	12.17	1322.97	12.62	0.45
25.	तमिलनाडु	29	130058	23013.9	17.7	17303.29	13.3	-4.39
26.	उत्तर प्रदेश	70	240926	22971.6	13.17	16984.16	7.05	-6.12
27.	उत्तरांचल	13	53483	16079.72	30.07	16097.46	30.1	0.03
28.	पश्चिम बंगाल	18	88752	5718.48	6.44	4397.56	4.95	-1.49
29.	संघ राज्य क्षेत्र	20	10973	574.3	5.23	314.38	2.87	-2.37
	योग	597	166412	638518.31	20.17	552692.3	17.45	-2.71

विवरण III

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) की 5वें बैच की उन परियोजनाओं की स्थिति जिनकी समीक्षा की जानी है

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	जिलों की सं.	परियोजनाओं की सं.	अभ्युक्ति
1.	झारखण्ड	चतरा	1	19	राज्य सरकार को परियोजना को जारी रखने अथवा इन्हें जारी नहीं रखने के संबंध में निर्णय लेने के लिए परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए।
2.	कर्नाटक	बीदर	1	23	
3.	महाराष्ट्र	आदिलाबाद, धुले, नांदेड़ उस्मानाबाद, सांगली, सतारा, यवतमाल	7	219	
4.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	1	12	
5.	उत्तरांचल	पौड़ी गढ़वाल, चम्पावत	2	49	
	योग		12	322	

पवन तथा सौर ऊर्जा

***249. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रकार की उपयोग में लाई जा रही तथा प्रायोगिक स्तर पर चल रही पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा का विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इसका कितना उपयोग हुआ है; और

(ग) देश में पवन तथा सौर-ऊर्जा के उत्पादन को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस प्रयास किए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) दोहन किए जा रहे प्रमुख नवीन और अक्षय स्रोत पवन, लघु पनबिजली, जैव-ईंधन सहित बायोमास और सौर हैं। इनके अलावा, भूतापीय, महासागर तापीय, ज्वारीय, सिंथेटिक ईंधन और हाइड्रोजन जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रदर्शन/प्रायोगिक अवस्था में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2005-06 के दौरान बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान स्तरों पर इस मंत्रालय को आबंटित निधियों और किए गए वास्तविक व्यय के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सौर और पवन सहित अक्षय ऊर्जा के दोहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं जिनमें पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए रियायती शुल्क और करों से राहत शामिल हैं। इनके अलावा, संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत हेतु अधिमान्य शुल्क-दर दी जा रही है। तथापि, चूंकि ग्रिड इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत की लागत 20 रु./किवा. घं. (बैटरी बैकअप के बिना) आती है, इसलिए इस समय आर्थिक रूप से इसके व्यवहार्य न होने के कारण इसका उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है। प्रिंट, पोस्टल तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से अक्षय ऊर्जा प्रणालियों युक्तियों के प्रयोग के संबंध में प्रचार तथा जागरुकता का सृजन भी किया जाता है और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस जैसे विशेष समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा योजनाओं कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन को सुगम बनाने के लिए राज्यों में जिला स्तरीय सलाहकार समितियां गठित की गई हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2005-06 के दौरान इस मंत्रालय को बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान स्तर पर आबंटित की गई राशि और किए गए वास्तविक व्यय के वर्षवार विवरण

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (संशोधित अनुमान के संदर्भ में उपयोग)
2003-04	630.15	395.74	381.33 (96.36%)
2004-05	605.27	405.47	240.33 (59.27%)
2005-06	605.38	356.43	285.98 (80.23%)

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों पर नियंत्रण

***250. श्री उदय सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी क्षेत्र में बेहतर अनुशासन लाने के लिए कहा है जैसा कि 6 नवम्बर के द स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.,

(ग) क्या कुछ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) वित्तीय क्षेत्र में समान अवसर प्रदान् करने संबंधी नीतिगत ढांचे की सिफारिश करने के लिए गठित आंतरिक समूह की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने "प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों के उनके साथ संबंध से संबंधित वित्तीय विनिमय" को 3 नवम्बर, 2006 को और संशोधित प्रारूप परिपत्र को 30 नवम्बर, 2006 को टिप्पणियों और प्रारूप मार्गनिर्देशों के लिए जनता के समक्ष रखा है। संशोधित प्रारूप मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी दिया गया है:-

1. जमाराशियां स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

   (i) कम से कम 10% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखेंगी;

   (ii) एकल और समूह एक्स पोजर मानदण्डों का अनुपालन करेंगी जो जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू है।

2. बैंक एकल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर अपनी पूंजी निधि का 10% तक और सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर अपनी पूंजी निधि का 40% तक एक्सपोजर स्वीकार कर सकते हैं। इन सीमाओं को पूंजी निधि के क्रमश: 5% और 10% तक बढ़ाया जा सकता है यदि अतिरिक्त एक्सपोजर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र को उधार दी गई राशि के कारण है।

(ग) से (ड.) इस समय, जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम विनियमों के अध्यधीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का विनियमक और पर्यवेक्षी ध्यान मुख्य रूप से जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर केन्द्रित है और भारतीय रिजर्व बैंक वैसी जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता रहा है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है या जिन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति खराब दर्शाई है। ऐसी कार्रवाइयों में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्रियाकलाप जारी रखने, जमाराशियां स्वीकार करने और आस्तियों के निपटान से कंपनी को रोकना शामिल है। जहां कहीं चूक लगातार हो रही है, भारतीय रिजर्व बैंक समापन की कार्रवाई शुरू करता है। और साथ ही एनबीएफसी के निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज कराता है। अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 84 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध समापन याचिका, 70 मामलों में आपराधिक शिकायतें और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत जनता के साथ धोखाधड़ी की 27 शिकायतें दर्ज कराई हैं।

राज्यों के साथ सेवा कर में भागीदारी

***251. श्री तथागत सत्पथी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितने सेवा कर का संग्रहण हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार सेवा कर में राज्यों के साथ भागीदारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मूल्य संवर्धन कर के संबंध में शक्ति प्राप्त समिति ने भी उक्त आशय की सिफारिश की है; और

(ड.) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) वित्त वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान संग्रहित सेवा कर की राशि क्रमश: 14200 करोड़ रु. और 24039 करोड़ रु. (अनंतिम) है। सेवा कर राज्यवार संग्रहित नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान समय में सेवा कर आय केन्द्र और राज्यों की हिस्सेदारी होती है। केन्द्रीय विक्रय कर की प्रस्तावित समाप्ति के कारण राजस्व हानि हेतु राज्यों को दिए जाने वाले पैकेज के भाग के रूप में केन्द्र सरकार ने विनिर्दिष्ट कतिपय ऐसी सेवाओं की आय के संग्रहण और विनियोजन का प्रस्ताव किया है जो अंतर राज्य प्रकृति की हैं।

(घ) और (ङ.) राज्य वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 26.05.2006 के अपने पत्र में प्रस्ताव दिया था कि-

(i) सेवा कर में राज्यों के हिस्से को 30.5% से बढ़ाकर 50% किया जाए और 19.5% के वर्धित हिस्से को राज्यों के बीच सी एस टी के अनुपात में वितरित किया जाए, और

(ii) उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अभिज्ञात अंतर राज्य प्रकृति की 124 सेवाओं (वर्तमान समय में केन्द्र द्वारा कर लगाई जाने वाली 67 सेवाओं सहित) को सेवा कर के संग्रहण और विनियोजन के लिए राज्यों को अंतरित किए जाएं।

सेवा कर में राज्यों की हिस्सेदारी में वृद्धि के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सूचित किया है कि फिलहाल सेवा कर में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कतिपय विनिर्दिष्ट सेवाओं पर राज्यों द्वारा सेवा कर के संग्रहण एवं विनियोजन के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ विचार-विमर्श जारी है।

पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा संयंत्र

*252. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पुनर्उपयोगीकृत ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना कहां-कहां की जाएंगी;

(ग) इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किया गया कुल परिव्यय कितना है;

(घ) इन संयंत्रों से कितना विद्युत उत्पादन होने की संभावना है; और

(ङ.) इन संयंत्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अक्षय विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना में सुगमता प्रदान की जा रही है। दिनांक 1.10.2006 के अनुसार 9060 मेवा. की अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता (लघु पनबिजली से 1860 मेवा. बायोविद्युत से 1100 मेवा. और पवन विद्युत से 6100 मेवा.) पहले ही स्थापित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, समग्र रूप से 2456 मेवा. क्षमता के संयंत्र (लघु पनबिजली से 434 मेवा., बायोविद्युत से 1322 मेवा. और पवन विद्युत से 700 मेवा.) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं जैसा कि संलग्न विवरण में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(ग) लघु पनबिजली और बायोविद्युत परियोजनाओं के लिए सब्सिडी हेतु वर्ष 2006-07 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर 82.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान बनाया गया है।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान अक्षय विद्युत संयंत्रों से अनुमानित विद्युत उत्पादन 14 बिलियन किवा. घं. था और वर्ष 2006-07 के दौरान इसके 17 बिलियन किवा. घं. होने की संभावना है।

(ङ.) अक्षय विद्युत परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि संसाधन, प्रौद्योगिकी, स्थान और स्थल विशिष्ट होती है। लघु पनबिजली तथा बायोविद्युत परियोजनाओं के लिए नियामक पूर्णता का समय 1-2 वर्ष है जबकि पवन विद्युत परियोजनाओं में स्थल की तैयारी के पश्चात यह एक वर्ष से कम है।

विवरण

दिनांक 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार संस्थापनाधीन अक्षय विद्युत परियोजनाओं के राज्यवार विवरण

(मेगावाट में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली	बायो-विद्युत	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13.90	97.00	110.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.27	-	41.27

1	2	3	4	5
3.	असम	26.00	–	26.00
4.	बिहार	9.50	–	9.50
5.	छत्तीसगढ़	8.0	140.00	148.00
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	28.25	–	28.25
10.	जम्मू-कश्मीर	5.56	–	5.56
11.	झारखण्ड	34.85	–	34.85
12.	कर्नाटक	46.49	200.00	246.49
13.	केरल	47.25	–	47.25
14.	मध्य प्रदेश	24.20	–	24.20
15.	महाराष्ट्र	25.75	233.00	258.75
16.	मणिपुर	2.75	–	2.75
17.	मेघालय	3.28	–	3.28
18.	मिजोरम	15.50	–	15.50
19.	नागालैंड	12.20	–	12.20
20.	उड़ीसा	40.92	–	40.92
21.	पंजाब	2.00	75.00	77.00
22.	राजस्थान	–	45.00	45.00
23.	सिक्किम	12.20	–	12.20
24.	तमिलनाडु	7.90	147.00	154.90
25.	त्रिपुरा	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश		365.00	365.00
27	उत्तरांचल	23.01	20.00	43.01
28	पश्चिम बंगाल	3.80	–	3.80
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
	कुल	434.58	1322.00	1756.58*

*संभाव्यता वाले गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल राज्यों में कार्यान्वित की जा रही अनुमानित 700 मेगावाट पवन विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर ।

जल विद्युत उत्पादन

*253. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत जल विद्युत उत्पादन में अपनी असीम उत्पादन क्षमता के बावजूद अन्य देशों की तुलना में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अपनी भावी विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में जल विद्युत उत्पादन के विकास में तेजी लाने के प्रयास शुरू किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक जल विद्युत आयोग की स्थापना करने का है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अंतर्राज्यीय जल विवाद जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किए जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन विवादों को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987 में पूरे किए गए भारत की जल विद्युत शक्यता संबंधी पुनर्मूल्यांकन में 60% भार घटक पर लगभग 84044 मेगावाट जल विद्युत शक्यता आंकी गई है जो कि पूर्ण विकसित होने संभाव्य औसत भार के घटक के आधार पर लगभग 1,50,000 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता प्रदान करेगी। कुल दोहन योग्य जल विद्युत शक्यता में से लगभग 33,600 मेगावाट पहले ही विकसित हो चुकी है, अन्य 13527 मेगावाट विकासाधीन है। दोहन योग्य जल विद्युत की मात्रा और कुछेक देशों में इसके विकास की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

देश में जल विद्युत शक्यता के धीमे विकास के कुछ कारण निम्नवत हैं-

(i) कठिन व दुर्गम स्थल

(ii) भूमि अधिग्रहण की समस्या

(iii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की समस्या

(iv) कानून व व्यवस्था की समस्या

(v) लंबी निर्माणावधि

(vi) दुर्गम हिमालय क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण में भूवैज्ञानिकी चुनौतियां।

(vii) जल संबंधी अंतरराज्यीय विवाद।

(viii) विभिन्न लाभभोगी राज्यों के बीच परियोजना लागत का आबंटन।

(ix) पर्यावरण, वन और वन्य जीवन स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलम्ब और बाधाग्रस्त पद्धतियां।

(x) वन भूमि के विपथन पर लगाए गए निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के कारण अधिक भार।

(xi) राज्य क्षेत्र में निधियों की कमी।

(ग) केंद्रीय सरकार ने देश में जल विद्युत शक्यता के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। सरकार द्वारा जल विद्युत शक्यता के तीव्र विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(i) निजी भागीदारी को आकर्षित करने संबंधी उपायों सहित जल विद्युत विकास की नीति (1998)।

(ii) जल-विद्युत (एच.ई.) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय/संयुक्त क्षेत्र के निगमों का सृजन।

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 3-चरण की स्वीकृति प्रक्रिया।

(iv) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण हेतु वर्ष 2001-02 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा रैंकिंग अध्ययन।

(v) मई, 2003 में 50,000 मे.वा. जल विद्युत पहल आरंभ करना।

(vi) विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियमन।

(vii) राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुन:स्थापन नीति, 2003।

(viii) राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005

(ix) राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2006

(x) वितरण लाईसेंसधारी द्वारा विद्युत के प्रापण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया से टैरिफ का निर्धारण किये जाने हेतु दिशानिर्देश जनवरी, 2005 में जारी किए गये हैं।

(xi) विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा) द्वारा परियोजनाओं की मानीटरिंग तथा नियमित क्षेत्रीय दौरे।

(xii) मुख्य उपस्करों के विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठकें।

(xiii) पर्यावरण, वन और वन्य जीवन, अंतर-राज्यीय नदियों के जल बंटवारे और विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सहमति आदि दृष्टिकोणों से परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय प्राधिकरण के साथ समन्वय बैठक।

(xiv) 11वीं योजना के दौरान तथा उसके बाद लाभों के लिए जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान हेतु अग्रिम कार्रवाई

(घ) सरकार के पास जल विद्युत आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड.) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) और (छ) वर्तमान में अंतरराज्यीय जल विवादों का समाधान न किए जाने के कारण कुल 7260 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की 36 जल विद्युत स्कीमें रुकी पड़ी हैं।

"जल विद्युत समेत जल" का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II के अंतर्गत राज्य का विषय है। विद्युत मंत्रालय यह मानता है कि जल विद्युत का विकास तटवर्ती राज्यों के अधिकारों को क्षति पहुंचाए बगैर किया जाना चाहिए जैसा कि नदी बेसिन के लिए न्यायालय के निर्णय/करारों में निर्धारित किया गया है। इस मुद्दे का समाधान अगस्त, 1998 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित जल विद्युत नीति में किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि परियोजना का चयन और डिजाईन एकीकृत बेसिनवार अध्ययनों के आधार पर होने चाहिए ताकि यह सनिश्चित करते हुए इष्टतम निर्णय लिया जा सके कि इस प्रकार की परियोजनाएं किसी भी दशा में बेसिन राज्यों के दावों के विपरीत न हो। जल विद्युत नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि ऐसी परियोजनाओं के स्थान, इसमें शामिल आधारभूत पैरामीटर तथा प्रणाली जिसके माध्यम से प्रत्येक परियोजना का निर्माण व प्रचालन किया जाएगा, के संबंध में बेसिन राज्यों के मध्य एक सम्मति तैयार की जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	संदोहनीय क्षमता (मेगावाट)	विकसित क्षमता (मेगावाट)	विकसित क्षमता (%)
1.	चीन	395000	79000	20.00
2.	कनाडा	160000	69205	43.25
3.	भारत	150000	33600	22.40
4.	ब्राजील	93694.	69087	73.70
5.	नार्वे	47000	27689	58.91
6.	पाकिस्तान	45000	6595	14.65
7.	नेपाल	43000	565	1.31
8.	म्यांमार	39720	747	1.88
9.	थाइलैंड	26440	3476	13.14
10.	भूटान	16000	970	6.06

स्रोत: वाटर पावर और डैम कंस्ट्रक्शन मैगजीन की वेबसाइट से।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

***254. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश पर विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व के ऋणग्रस्त देशों में भारत की स्थिति क्या है;

(ग) इस समय देश पर विदेशी ऋण का प्रति व्यक्ति भार कितना है;

(घ) भारत को कुल ऋण पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज देना पड़ता है;

(ङ.) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशी ऋणदाताओं को देश-वार और संस्था-वार मूलधन और ब्याज के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(च) देश के भार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार भारत का कुल विदेशी ऋण जून 2006 के अंत में 132.13 बिलियन अमरीकी डालर था (जिसमें 122.93 बिलियन डालर का दीर्घावधि ऋण और 9.20 बिलियन अमरीकी डालर का अल्पावधि ऋण शामिल है) इसमें सरकार का विदेशी ऋण 46.15 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का है।

(ख) विश्व बैंक की ग्लोबल डेवलपमेंट फाईनेंस, 2006 के अनुसार वर्ष 2004 में विश्व के ऋणग्रस्त देशों की श्रेणी में भारत आठवें स्थान पर था।

(ग) देश पर कुल विदेशी ऋण का प्रति व्यक्ति भार मार्चांत 2006 की स्थिति के अनुसार 113अमरीकी डालर (5,041 रुपए) था और प्रति व्यक्ति सरकारी ऋण 41 अमरीकी डालर (1,829 रुपए) था।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल विदेशी ऋण के प्रति अदा की गई ब्याज राशियां नीचे सारिणी-I में दी गई हैं:

सारिणी-I भारत के विदेशी ऋण पर किया गया ब्याज भुगतान

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	2005-06	2004-05	2003-04
सरकार	706	641	726
सरकार के अतिरिक्त	4,378	2,397	3,675
कुल ब्याज भुगतान	5,084	3,038	4,401

(ङ.) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के विदेशी ऋण पर अदा की गई मूलधन और ब्याज की कुल राशि के देशवार ब्यौरे नीचे सारिणी-II में दिए गए हैं:

सारिणी-II सरकार के विदेशी ऋण शोधन भुगतान

(मिलियन अमरीकी डालर)

		2005-06			2004-05			2003-04		
		मूलधन	ब्याज	कुल	मूलधन	ब्याज	कुल	मूलधन	ब्याज	कुल
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	बहुपक्षीय (1 से 4)	790	402	1,192	737	307	1,044	3,563	389	3,952
1	एडीबी	25	62	87	15	38	53	1,257	73	1,330
2.	आईबीआरडी	133	153	286	111	68	179	1,751	141	1,892
3.	आईडीए	619	184	803	598	198	796	542	172	714
4.	अन्य	13	3	16	13	3	16	13	3	16
ख.	द्विपक्षीय (5 से 10)	1,348	304	1,652	1,301	334	1,635	2,498	337	2,835

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	जर्मनी	100	19	119	121	22	143	119	24	143
6.	फ्रांस	45	14	59	51	16	67	50	17	67
7.	जापान	486	222	708	501	251	752	502	241	743
8.	रूसी परिसंघ	615	27	642	470	17	487	431	11	442
9.	यूएसए	101	22	123	117	26	143	126	29	155
10.	अन्य	1	0	1	41	2	43	1,270	15	1,285
ग.	कुल जोड़ (क+ख)	2,138	706	2,844	2,038	641	2,679	6,061	726	6,787

(च) विदेशी ऋण को नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर रखने के लिए सरकार द्वारा विवेकशील विदेशी ऋण प्रबंधन नीतियों का अनुपालन किया जाता है। इनमें रियायती शर्तों पर और दीर्घावधि परिपक्वता वाले कम खर्चीले स्रोतों से निधियां जुटाने पर बल देना, अल्पावधि ऋण का अनुवीक्षण, उच्च लागत वाले ऋणों का समय पूर्व भुगतान करना, अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों का यौक्तिकीकरण और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अंतिम-उपयोग पर सीमाएं लागू करने के साथ-साथ उन पर रोक लगाना शामिल हैं।

काले धन को स्वैच्छिक रूप से प्रकट करना

*255. **श्री काशीराम राणा:**
श्री वी.के. थुम्मर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में काले धन के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार का विचार काले धन को बाहर लाने हेतु स्वैच्छिक रूप से इसे प्रकट करने की कोई योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) काले धन को नियंत्रित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) इस समय देश में प्रचलन में काले धन की मात्रा का कोई निश्चित आंकलन नहीं है। तथापि, सरकार के आग्रह पर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.) ने देश में काले धन के आकलन का प्रयास किया था। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 1983-84 के दौरान देश में काले धन की सकल राशि 31,584 करोड़ रुपए एवं 36,786 करोड़ रुपए के मध्य आंकलित की गई थी। तत्पश्चात सरकार द्वारा काले धन की राशि पर कोई नवीतम अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान समय में काले धन के प्रकटन के लिए कोई स्वैच्छिक प्रकटन स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) आयकर विभाग काले धन पर नियंत्रण करने के लिए कई दण्डात्मक एवं निवारक कदम उठाता हैं। इसमें विवरणियों की संवीक्षा, सर्वेक्षण, तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई, अर्थदण्ड अधिरोपण एवं उचित मामलों में अभियोजन आरंभ करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2005 के द्वारा सरकार ने दो अतिरिक्त कर अपवंचन रोधी उपाय लागू किए हैं नामत: बैंक चैनलों के माध्यम से बड़े नकद आहरणों का पता लगाने के लिए बैंककारी नकद संव्यवहार कर का उद्ग्रहण एवं आयकर अधिनियम की धारा 206क के अन्तर्गत यथा विहित कतिपय निक्षेपों की तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करना।

ग्रमीण बाजार

*256. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **ग्रमीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण बाजारों की स्थापना के लिए वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के शिल्पकारों द्वारा तैयार की गई हस्तशिल्प की वस्तुओं के विपणन के लिए ग्रामीण बाजारों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण बाजारों की स्थापना के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, मंत्रालय ने ग्रामीण निर्धनों के स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा उत्पादित ग्रामीण उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी स्व-रोजगार योजना—स्वर्णजंयती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कुछ पहलें की हैं। इनमें शामिल हैं—(क) समस्त देश में "सरस" ब्रांड नाम से मेलों का आयोजन करना, (ख) दिल्ली राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में विपणन सुविधा सृजित करना, (ग) एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के तहत विपणन पर अधिक बल देना, (घ) विपणन अनुसंधान से संबंधित व्यावसायिक निवेशों के प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, उत्पाद विविधीकरण अथवा उत्पादों के विपणन को सुविधाजनक बनाने हेतु अन्य निवेशों के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 5 लाख रु. का वार्षिक आवंटन करना, और (ङ) ग्रामीण क्षेत्र के स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) तथा कारीगरों द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प वस्तुओं को प्रोत्साहित करना।

अब तक 59 सरस मेले आयोजित किए गए हैं जिनसे ग्रामीण निर्धनों को अपने उत्पादों को देश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री करने का एक मंच मिला है। मंत्रालय ने ग्रामीण निर्धनों के उत्पादों के विपणन के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत 15093.205 लाख रु. की कुल लागत वाली 16 विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन 16 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाएं विशेष रूप से 8 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरांचल के लिए हैं जिनकी कुल लागत 8827.86 लाख रु. है। अन्य परियोजनाएं ग्रामीणों के लिए ब्राण्ड सृजन तथा ग्रामीण निर्धन उत्पादकों को बाजारों से जोड़ने के लिए हैं।

संदूषित जल

***257. श्री गिरिधारी यादव:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लाखों व्यक्ति फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, आर्सेनिक और सेलाइन साल्ट्स की अत्यधिक मात्रा वाले संदूषित पेयजल का उपयोग करने के लिए बाध्य है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार ऐसे किन-किन क्षेत्रों/जिलें की पहचान की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने पेयजल में संदूषण की मात्रा को कम करने के लिए कोई योजनाएं आरंभ की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त की गई है;

(ङ.) क्या इस संबंध में किसी विशेष पैकेज की घोषणा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संदूषण-रहित जल की आपूर्ति हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि जारी और उपयोग की गई;

(छ) देश के प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है; और

(ज) जल परीक्षण सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। निर्धारित मानदंड के अनुसार देश की 1422303 ग्रामीण बसावटों में से 96.13% बसावटों को पूरी तरह से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुविधा मुहैया कराई गई है तथा 3.55% बसावटों में यह सुविधा आंशिक रूप से मुहैया कराई गई है। भू-जल स्रोतों में रासायनिक संदूषण मुख्य रूप से भौगोलिक कारणों की वजह से है। तथापि, भू-जल के अत्यधिक दोहन और अन्य कारकों की वजह से पेयजल के कुछ स्रोत रासायनिक रूप से संदूषित और असुरक्षित हो गये है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों की संदर्भ में आईएस: 10500 मानक के अनुसार जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोशालाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों के पेयजल की समय-समय पर निगरानी की जाती है। कुछ बसावटों में दोहरी जल आपूर्ति नीति को बढ़ावा दिया जाता है। और राज्य सरकारों को असुरक्षित/संदूषित पेयजल स्रोतों को लाल रंग से चिन्हित करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग पीने और खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग न करे किन्तु धोने तथा स्नान करने जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार देश में जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कुल संख्या 195813 है जैसा कि

मार्च, 2000 में आदेश दिए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी भारत निर्माण कार्य योजना में जानकारी दी है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ग) से (ड.) और (छ) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। भारत सरकार निर्धारित मानदंड के अनुसार पेयजल की आपूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक केन्द्र प्रयोजित योजना के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। रासायनिक संदूषण की वजह से हुई जल गुणवत्ता समस्याओं को दूर करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93 में एक उप-मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें केन्द्र और राज्य के बीच वित्तपोषण का वहन 75:25 के अनुपात में किया जाता था। 1.4.1998 से उप-मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं मंजूर करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई थीं जिसके लिए जल गुणवत्ता के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग किया जाना था। राज्यों की रिलीज की गई त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों की 15% राशि जल गुणवत्ता समस्याओं को दूर करने के लिए तथा 5% राशि वर्षा जल एकत्रीकरण तथा जल पुर्नभरण जैसे स्रोतों का स्थायित्व संबंधी उपाय शुरू करने लिए निर्धारित की गई थी। इन उपायों से, अन्य बातों के साथ-साथ भू-जल आधारित पेयजल स्रोतों के संदूषण में कमी आती है। पूर्णत: कवर किए गए राज्य भारत सरकार के अनुमोदन से जल गुणवत्ता समस्याओं को दूर करने के लिए और अधिक निधियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित जल गुणवत्ता समाधान उपाय किए गए थे:

* मौजूदा भू-जल योजनाओं के लिए फ्लोराइड दूर करने वाले, खारापन दूर करने वाले, आर्सेनिक दूर करने वाले संयंत्र लगाना, ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना।

* फ्लोराइड दूर करने वाले सामुदायिक संयंत्र तथा घरेलू स्तर के फिल्टर उपलब्ध कराना।

* लौह संदूषित जल के शोधन के लिए वातन।

* सुरक्षित और असुरक्षित स्रोतों को चिह्नित करना तथा पीने और भोजन बनाने के प्रयोजनार्थ सुरक्षित स्रोतों के उपयोग के लिए सामाजिक जागरूकता फैलाना।

* वैकल्पिक दूरस्थ भू-जल/सतही स्रोत से एकल तथा बहु-ग्रामीण पाइप वाली जल आपूर्ति योजनाएं।

12वें वित्त आयोग ने गम्भीर रूप से प्रभावित राज्यों, उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश (325 करोड़ रु.) प. बंगाल (600 करोड़ रु.) राजस्थान (150 करोड़ रु.) तथा हरियाणा (100 करोड़ रु.) में जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए निधियां निर्धारित की हैं।

राज्यों के उपचारी इकाइयों/घरेलू फिल्टरों, छत पर वर्षा जल एकत्र करने के ढांचों, पाइप द्वारा जल आपूर्ति की योजनाओं तथा मौजूदा सुरक्षित स्रोत का पुर्नभरण/उन्हें कारगर बनाकर और वाटरशेड आधारित क्रियाकलापों का उपयोग करके गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है। 01.04.2006 से एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत संशोधित उप-मिशन कार्यक्रम के तहत एआरडब्ल्यूएसपी की 20% निधियों को केन्द्र स्तर पर बहाल रखने तथा केवल जल गुणवत्ता समस्या वाली राज्य सरकारों को ही निधियां रिलीज करने करने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्र सरकार की मदद से राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या में कमी आई है, फिर भी इसके साथ-साथ भू-जल के अतिदोहन के कारण गुणवत्ता से प्रभावित कुछ नई बसावटें उभर कर सामने आती रहती हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा गुजरात जैसे राज्य सरकारों ने कवरेज में बढ़ोत्तरी होने तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या में कमी आने की जानकारी दी है।

सरकार ने पहले ही भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू कर दिया है जिसके तहत संखिया, फ्लोराइड तथा लवणता संदूषण को वरीयता देकर देश में जल गुणवत्ता की सभी समस्याओं को 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से हल किया जाएगा।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत की गई राज्यवार रिलीजें संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। इन निधियों का 15 प्रतिशत जल गुणवत्ता से निपटने के लिए निर्धारित किया गया है। एआरडब्ल्यूएसपी के संशोधित उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के आवंटनों की तुलना में 30.11.2006 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2006-07 के लिए की गई राज्यवार रिलीजें संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(ज) राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31.11.2006 की स्थिति के अनुसार देश में मौजूदा जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-IV में दी गई है। देश में समुदाय आधारित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पंचायत में निचले स्तर के कर्मियों द्वारा आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्र परीक्षण किटों का उपयोग करके सभी पेयजल स्रोतों का परीक्षण करना है। इस प्रयोजन के लिए देश में प्रत्येक

ग्राम पंचायत को एक क्षेत्र परीक्षण किट दी जाएगी। परीक्षण में सही पाए गए नमूनों की बाद में पुष्टि के लिए जिला/राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में जांच की जाएगी । इस कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी/मार्च 2006 के दौरान सभी राज्यों के लिए 57.84 करोड़ रु. रिलीज किए गए जिसमें आई.ई.सी. क्रियाकलाप, एचआरडी क्रियाकलाप, क्षेत्र परीक्षण किटों की खरीद आदि शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए रिलीज की गई राज्यवार निधियां संलग्न विवरण-V में दी गई हैं।

विवरण I

01.04.2006 की स्थिति के अनुसार जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्न से प्रभावित बसावटें						
		फ्लोराइड	लवणता	लौह	संखिया	नाइट्रेट	विविध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1497	1058	0	0	0	0	2555
2.	बिहार	383	0	21540	794	2000	0	24717
3.	छत्तीसगढ़	17	61	4932	11	0	0	5021
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	2563	1528	0	0	838	0	4929
6.	हरियाणा	119	72	0	0	0	145	336
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
8.	झारखण्ड	1159	0	129	18	1	41	1348
9.	जम्मू-कश्मीर	0	0	47	0	0	67	114
10.	कर्नाटक	5000	0	6633	0	4077	4460	20170
11.	केरल	34	86	564	0	78	105	867
12.	मध्य प्रदेश	3282	279	105	0	33	153	3852
13.	महाराष्ट्र	2748	1424	2491	0	4552	0	11215
14.	उड़ीसा	794	651	26136	0	0	435	28016
15.	पंजाब	588	1289	164	0	0	0	2041
16.	राजस्थान	6992	4428	131	0	7693	12639	31883
17.	तमिलनाडु	452	61	68	0	104	735	1420
18.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
19.	उत्तर प्रदेश	2077	612	2375	0	11	1302	6377
20.	पश्चिम बंगाल	665	811	11883	5408	0	0	18767

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	16	0	0	10	26
22.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
23.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0
24.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
25.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
26.	पाण्डिचेरी	0	65	17	0	0	0	82
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	28370	12425	77231	6231	19387	20092	163736
	पूर्वोत्तर राज्य							
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	353	0	0	213	566
2.	असम	660	0	23841	730	0	2950	28181
3.	मणिपुर	0	0	37	0	0	0	37
4.	मेघालय	0	0	124	0	0	0	124
5.	मिजोरम	0	0	26	0	0	0	26
6.	नागालैंड	0	0	136	0	0	0	136
7.	सिक्किम	0	0	76	0	0	0	76
8.	त्रिपुरा	0	0	2653	106	0	172	2931
	कुल	660	0	27246	836	0	3335	32077
	कुल योग	29030	12425	104477	7067	19387	23427	195813

विवरण II

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	रिलीज की गई एआरडब्ल्यूएसपी निधियां		
		2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11688.00	13084.00	22340.29
2.	बिहार	3159.50	7400.03	15324.00
3.	छत्तीसगढ़	1901.00	2269.80	5020.44
4.	गोवा	0.00	0.00	182.45

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	5537.00	6623.00	11205.00
6.	हरियाणा	1694.00	1974.00	3493.30
7.	हिमाचल प्रदेश	4919.00	5427.00	10885.00
8.	जम्मू-कश्मीर	12800.00	12500.00	21908.00
9.	झारखण्ड	2060.00	1859.83	6171.28
10.	कर्नाटक	10104.00	10045.89	17723.99
11.	केरल	3497.76	3946.00	6170.65
12.	मध्य प्रदेश	6079.00	7745.00	15039.88
13.	महाराष्ट्र	15710.00	15971.00	31610.88
14.	उड़ीसा	4213.81	6934.00	13880.94
15.	पंजाब	2269.00	2815.00	4134.81
16.	राजस्थान	15694.51	20391.86	35891.34
17.	तमिलनाडु	4869.00	7075.13	11093.34
18.	उत्तरांचल	2371.50	2957.97	6559.12
19.	उत्तर प्रदेश	10457.00	12991.00	28372.10
20.	पश्चिम बंगाल	6827.00	8270.21	15078.33
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
22.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
23.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
24.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
25.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
26.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
27.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00
	उप-योग (क)	125851.08	150280.72	282085.14
28.	अरुणाचल प्रदेश	3300.00	6125.00	9874.54
29.	असम	5701.72	8782.62	14800.63
30.	मणिपुर	1624.15	2103.00	2713.67
31.	मेघालय	1811.78	2422.00	3190.10

1	2	3	4	5
32.	मिजोरम	1386.00	1737.00	2599.27
33.	नागालैंड	1626.73	1702.00	2641.20
34.	सिक्किम	763.00	731.00	1183.68
35.	त्रिपुरा	1903.00	1558.25	3199.86
	उप-योग (ख)	18116.38	25160.87	40202.95
	कुल (क+ख)	143967.46	175441.59	322288.09

विवरण III

वर्ष 2006-07 (30.11.2006 की स्थिति के अनुसार) के दौरान संशोधित उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की रिलीज

क्र.सं.	राज्य का नाम	लक्षित जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की सं.	आबंटन (रु. करोड़ में)	रिलीज की गई निधियां (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	730	34.12	33.63
2.	तमिलनाडु	306	10.63	3.38
3.	पश्चिम बंगाल	648	142.00	88.30
4.	त्रिपुरा	361	4.61	4.05
5.	असम	1589	44.22	35.90
6.	अरुणाचल प्रदेश	14	0.69	0.52
7.	झारखण्ड	446	21.01	16.62
8.	कर्नाटक	417	125.36	73.54
9.	नागालैंड	5	0.16	0.16
10.	राजस्थान	7748	206.63	206.00
11.	उत्तर प्रदेश	507	50.13	19.47
12.	उड़ीसा	1261	85.16	17.47
13.	बिहार	6429	79.41	22.46

1	2	3	4	5
14.	छत्तीसगढ़		13.27	प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है ताकि निधियां रिलीज की जा सकें।
15.	गुजरात		58.38	
16.	मध्य प्रदेश		60.23	
17.	महाराष्ट्र		76.34	
18.	हरियाणा		2.98	
19.	केरल		3.11	
20.	मणिपुर		0.04	
21.	मिजोरम		0.03	
22.	मेघालय		0.15	
23.	जम्मू-कश्मीर		0.28	राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने हैं।
24.	पंजाब		20.36	
25.	सिक्किम		0.09	
26.	पाण्डिचेरी		0.53	
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		0.06	
	कुल		1040.00	521.50

विवरण IV

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बिलों की सं.	अचल प्रयोगशालाओं की स्थिति					भारत सरकार के अंतर्गत अभी बनाई जानी हैं	चल प्रयोगशालाएं	
			केन्द्र द्वारा		राज्य द्वारा	अन्य	कुल		स्वीकृत	सौंपी गई
			स्वीकृत	बनाई गई	बनाई गई	बनाई गई	बनाई गई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	23	14	14	37	0	51	0	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	13	13	0	0	13	0	–	–
3.	असम	23	21	21	2	0	23	0	–	–
4.	बिहार	38	35	35	2	0	37	0	1	1
5.	चंडीगढ़ (सं.रा. क्षेत्र)	1	0	0	0	0	0	0	–	–
6.	छत्तीसगढ़	16	16	6	2	0	8	10	–	–
7.	गोवा	2	1	1	1	0	2	0	–	–
8.	गुजरात	25	13	13	4	0	17	0	1	1
9.	हरियाणा	19	18	18	1	0	19	0	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	12	10	10	5	0	15	0	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	जम्मू-कश्मीर	14	9	6	2	0	8	3	3	3
12.	झारखण्ड	22	16	6	0	0	6	10	–	–
13.	कर्नाटक	27	21	9	0	0	9	12	–	–
14.	केरल	14	4	4	10	0	14	0	–	–
15.	मध्य प्रदेश	48	48	48	14	0	62	0	1	1
16.	महाराष्ट्र	35	3	3	27	0	30	0	1	1
17.	मणिपुर	9	8	3	0	0	3	5	1	1
18.	मेघालय	7	7	7	0	0	7	0	1	1
19.	मिजोरम	8	4	4	0	0	4	0	1	1
20.	नागालैंड	8	6	2	0	0	2	4	1	1
21.	उड़ीसा	30	30	29	0	0	29	1	1	1
22.	पंजाब	17	12	4	0	0	4	8	–	–
23.	राजस्थान	32	23	23	10	0	33	0	1	1
24.	सिक्किम	4	3	2	0	0	2	1	1	1
25.	तमिलनाडु	30	24	24	6	0	30	0	1	1
26.	त्रिपुरा	4	3	3	3	0	6	0	1	1
27.	उत्तर प्रदेश	70	67	54	1	14	69	10	1	1
28.	उत्तरांचल	13		3	0	0	3		–	–
29.	पश्चिम बंगाल	18	17	13	6	0	19	4	1	1
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	1	0	0	1	0	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	1	0	0	1	0	–	–
32.	दमन और दीव	2	2	2	0	0	2	0	–	–
33.	दिल्ली	9	0	0	6	0	6	0	1	1
34.	लक्षद्वीप	1	7	2	7	0	9	5	–	–
35.	पाण्डिचेरी	4	2	2	2	0	4	0	–	–
36.	डीआई जोधपुर								1	1
37.	आईटीआरसी लखनऊ								1	1
38.	सभी पीएचएंडपीएच, कलकत्ता								1	1
	अखिल भारतीय	603	459	386	148	14	548	73	23	23

नोट: *पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के लिए अनुमोदित 67 जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं, जिसमें उत्तरांचल भी शामिल है।

विवरण V

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और जांच कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फरवरी/मार्च, 2006 की रिलीज की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र परीक्षण किटों की सं. 15%	प्रदर्शन किटों की सं.	किटों की कुल सं.	क्षेत्र परीक्षण किटों की कुल लागत	बैक्टीरिया जांच 15%	एचआरडी 20%	आईईसी 20%	जिला स्तरीय जांच समन्वयक को मानदेय	एसआर आई शुल्क 3 माह	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3104	2171	5275	131.87	36.34	138.84	178.70	0.99	1.2	487.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	152	186	338	8.44	1.02	8.30	2.81	0.68	1.2	22.45
3.	असम	379	514	893	22.32	13.80	19.97	75.23	1.04	1.2	133.56
4.	बिहार	1312	1180	2492	62.31	25.92	62.36	240.11	1.67	1.2	393.56
5.	छत्तीसगढ़	1373	341	1714	42.84	15.02	58.15	53.78	0.72	1.2	171.71
6.	गोवा	44	29	73	1.82	0.05	2.08	2.18	0.09	1.2	7.42
7.	गुजरात	2093	522	2615	65.37	12.85	88.72	102.57	1.13	1.2	271.84
8.	हरियाणा	814	271	1085	27.12	14.36	35.54	48.44	0.81	1.2	127.47
9.	हिमाचल प्रदेश	445	189	634	15.85	5.36	19.84	17.74	0.54	1.2	60.53
10.	झारखण्ड	544	487	1031	25.78	27.27	26.34	67.71	0.99	1.2	149.28
11.	जम्मू-कश्मीर	396	343	739	18.49	3.94	18.97	24.48	0.63	1.2	67.71
12.	कर्नाटक	839	432	1271	31.76	21.52	38.17	112.66	1.22	1.2	206.52
13.	केरल	140	341	481	12.03	9.34	8.70	76.28	0.63	1.2	108.17
14.	मध्य प्रदेश	3317	771	4088	102.20	31.53	140.93	143.30	2.16	1.2	421.32
15.	महाराष्ट्र	4119	794	4913	122.83	30.34	172.02	180.35	1.49	1.2	508.24
16.	मणिपुर	0	86	86	2.15	0.71	1.19	5.88	0.41	1.2	11.54
17.	मेघालय	88	100	188	4.70	2.45	4.64	6.00	0.32	1.2	19.30
18.	मिजोरम	105	69	174	4.36	0.69	5.23	1.46	0.36	1.2	13.30
19.	नागालैंड	8	129	137	3.42	0.12	1.68	5.29	0.36	1.2	12.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	उड़ीसा	930	719	1649	41.22	21.44	43.76	101.00	1.35	1.2	209.97
21.	पंजाब	1776	328	2104	52.60	5.28	74.29	51.92	0.77	1.2	186.06
22.	राजस्थान	1392	571	1963	49.08	20.71	61.53	140.01	1.44	1.2	273.97
23.	सिक्किम	25	31	56	1.40	0.25	1.48	1.55	0.18	1.2	6.06
24.	तमिलनाडु	1893	855	2748	68.70	28.63	82.95	112.84	1.26	1.2	295.58
25.	त्रिपुरा	159	93	252	6.31	6.48	7.23	8.57	0.18	1.2	29.96
26.	उत्तरांचल	1120	230	1350	33.74	12.73	47.15	20.42	0.59	1.2	115.82
27.	उत्तर प्रदेश	7936	1839	9775	244.37	141.27	333.75	425.66	3.15	1.2	1149.40
28.	पश्चिम बंगाल	490	734	1224	30.61	54.26	25.29	186.83	0.77	1.2	298.95
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	21	21	0.53	0.00	0.27	0.78	0.09	1.2	2.86
30.	दादरा व नगर हवेली	2	24	26	0.64	0.21	0.27	0.55	0.05	1.2	2.92
31.	दमन और दीव	1	6	7	0.18	0.06	0.15	0.33	0.05	1.2	1.97
32.	दिल्ली	0	82	82	2.05	0.00	1.17	3.12	0.41	1.2	7.94
33.	लक्षद्वीप	1	22	23	0.58	1.59	0.26	0.11	0.05	1.2	3.78
34.	पाण्डिचेरी	2	13	15	0.36	0.02	0.28	1.05	0.09	1.2	3.01
35	चंडीगढ़	3	6	9	0.22	0.00	0.21	0.30	0.05	1.2	1.98
	कुल	35000	14529	49529	1238.23	545.56	1531.72	2400.00	26.64	42.00	5784.15

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नीति

***258. श्री एल. राजगोपाल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति के अंतर्गत अभी तक लाभान्वित क्षेत्रों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत कुछ वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी में आई गिरावट को देखते हुए आगामी वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए निर्धारित लक्ष्य किस प्रकार किए जाएंगे; और

(ड.) इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक पृथक परिषद् का गठन करने की सरकार की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) विभिन्न पणधारियों, वैज्ञानिकों, गैर-सरकारी संगठनों, सभ्य समाज, पालिसी बनाने वालों, उद्योग के साथ विचार-विमर्श करके जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। मसौदा कार्यनीति की स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल को भेज दिया गया है।

ड्राफ्ट राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति समाज के बड़े भाग की समस्याओं का हल करने के लिए टूल्स एवं प्रौद्योगिकीयों को तैयार करने, वहनीय मूल्यों पर उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदान करने और उभरती हुई जैव अर्थव्यवस्था में भारत को विश्वस्तरीय प्रतियोगी बनाने का लक्ष्य रखती है। ड्राफ्ट राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का आधारभूत लक्ष्य एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को उभारना है जिससे कि खोज को बढ़ावा मिल सके। कार्यनीति में और अधिक विश्वस्तरीय अनुसंधकों को तैयार करना, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना तथा विश्वविद्यालय तंत्र में अंतर-उद्देश्यीय नेटवर्क तैयार करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पेटेंटिंग कौशल का सुदृढ़ीकरण करने, बायोटिक कल्स्टर्स एवं पार्क को बढ़ावा देने, एक मजबूत विनियामक तंत्र तैयार करने, जैविक सामान का ट्रांसनेशनल आदान-प्रदान, कुछ नये क्षेत्रों में जहां कमी है उनमें नये संस्थानों का निर्माण करना और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को जोड़ना शामिल हैं। मानव संसाधन विकास, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने, जैवप्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने, विनियामक तंत्र तथा जन जागरुकता, विशिष्ट उपक्षेत्रों के लिए एक कार्य योजना से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए ड्राफ्ट कार्यनीति एक व्यापक रूपरेखा है। महत्वपूर्ण कार्य योजना जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्यमयी प्राथमिकताओं तथा कार्यविधियों को निर्देशित करेगी।

(ग) हालांकि मसौदा कार्यनीति मंत्रिमंडल की स्वीकृति का इंतजार कर रही है, जारी योजनाओं पर जैसेकि लघु व्यापार अनुसंधान खोजी पहल (एसबीआईआरआई) को चालू रखा जा रहा है ताकि खोज को बढ़ावा देने के लिए लघु एवं मध्यम उद्योगों को पूर्व प्रमाण अवधारणा स्तर पर निधि की सहायता प्रदान की जा सके, भौतिक वैज्ञानिकों की अत्यधिक मात्रा तैयार करने के माध्यम से मानव संसाधन और अवसंरचना की गुणवत्ता में खोज एवं सुधार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना, वृद्धित संख्या में पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल फैलोशिप्स प्रदान करना, युवा वैज्ञानिकों एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा जैवप्रौद्योगिकी विनियामन में किए गए सुधारों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। उद्योग के लिए विशेष भत्तों की घोषणा की गई है ताकि औद्योगिक क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ावा मिल सके।

(घ) राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति मसौदा में जैवप्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने जिससे कि जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापार में वृद्धि होने में मदद मिलेगी और जिसमें रोजगार के नये अवसर तैयार होंगे, के लिए विशेष भत्तों को प्रदान करने के प्रावधान हैं। फिलहाल जैवप्रौद्योगिकी उद्योग 40% की दर से बढ़ोत्तरी कर रहा है और इसने यूएस डालर 1.5 बिलियन की कुल बिक्री की उपलब्धि हासिल कर ली है। यह आशा है कि जैवप्रौद्योगिकी उद्योग की वार्षिक कमाई कम से कम 1 मिलियन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ वर्ष 2010 तक 9.00 बिलियन डालर को पार कर जाएगी। आयात, जैविक सामान का भंडारण एवं निष्पादन, बायोटेक उत्पादों के लिए विनियामक स्वीकृतियों को सुविधाजनक होना, अनुसंधान एवं विकास निवेशों का मार्ग दर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवसरों को बढ़ावा देना और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा व्यापार एवं औद्योगिक भागीदारी इस वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के मुख्य कारण हैं। औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न छूट जैसेकि अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता से छूट, क्षेत्र में 100% तक सीधे विदेशी निवेश (एफ डी आई) को अनुमति, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ समतल करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में लाने के लिए उत्तीर्ण क्षेत्र में कमी। बड़े सामान पर सीमा शुल्क की छूट प्रदान करते हुए इन-हाउस अनुसंधान और विकास इकाईयों को वित्तीय भत्ते प्रदान करना और इन-हाउस अनुसंधान और विकास पर होने वाले व्यय पर 150% की अनुपाती छूट ।

(ड.) सरकार की जैवप्रौद्योगिकी के लिए एक अलग परिषद की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है, हालांकि जैवप्रौद्योगिकी आयोग प्रस्तावित किया गया है।

एन.एच.पी.सी. की विस्तार योजना

***259. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) ने 2007-2012 तक के लिए एक महत्वाकांक्षी विस्तार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के लागत और इसके वित्तपोषण संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) ने 11वीं योजना (2007-12) में 14 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए 5837 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि की योजना बनाई है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) एनएचपीसी के लिए 11वीं योजना हेतु अनंतिम परिव्यय लगभग 30,000 करोड़ रु. है। इस अनुमानित निधि आवश्यकता में से 6,045 करोड़ रु. आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से एकत्र किए जाएंगे।

(घ) अनुबंध में इंगित 14 जल विद्युत परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं पहले से निर्माणाधीन हैं तथा उत्तरांचल राज्य में कोटली भेल चरण-1 ए एचईपी (195) मेगावाट तथा कोटली भेल चरण-1बी एचईपी (320 मे.वा.) के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सहमति प्रदान कर दी है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1.	तीस्ता-V	सिक्किम	510
2.	पार्बती-II	हिमाचल प्रदेश	800
3.	सेवा-II	जम्मू व कश्मीर	120
4.	तीस्ता लो डैम-III	पश्चिम बंगाल	132
5.	सुबानसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश	2000
6.	उड़ी-II	जम्मू व कश्मीर	240
7.	चमेरा-III	हिमाचल प्रदेश	231
8.	पार्बती-III	हिमाचल प्रदेश	520
9.	तीस्ता लो डैम-IV	पश्चिम बंगाल	160
10.	ओंकारेश्वर*	मध्य प्रदेश	520
11.	निमू बाजगो	जम्मू व कश्मीर	45
12.	चुटक	जम्मू व कश्मीर	44
13.	कोटली भेल - 1ए	उत्तरांचल	195
14.	कोटली भेल - 1बी	उत्तरांचल	320
		कुल	5837

*परियोजना का कार्यान्वयन नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लि. (एनएचडीसी) जो एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, द्वारा किया जा रहा है।

बैंकों में अदावाकृत धनराशि

***260. श्री कैलाश मेघवाल:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राहकों द्वारा लम्बी अवधि तक अपने खातों का संचालन न किए जाने के कारण से विभिन्न बैंकों में बैंक-वार कितनी अदावाकृत धनराशि पड़ी हुई है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के उन ग्राहकों के बारे में पता लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके खाते एक वर्ष या इससे ज्यादा अवधि से असंचालित हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऐसे ग्राहकों का पता ठिकाना मालूम किए बिना ही अनेक बैंक वार्षिक सेवा शुल्क काटना शुरू कर देते हैं;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार का विचार ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस परिपाटी को समाप्त करने और बैंकों को निर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार, अदावी खातों की कुल धनराशि 929.54 करोड़ रु. है। अदावी जमाराशियों का बैंक-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनकी शाखाएं दो वर्षों से परिचालित न किए गए जमा खातों को अलग करें और उनका रख-रखाव अलग लेजर में करें। एक वर्ष से परिचालित न किए गए खातों के मामले में, बैंकों को अपने ग्राहकों को सूचित करना होता है। यदि सूचना-पत्र अवितरित वापिस आ जाता है, तो शाखा से ऐसे ग्राहकों के पते-ठिकाने या उनके कानूनी वारिस का पता लगाने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) से (च) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को उनके संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तथापि, बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करते समय, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम गतिविधियों वाले ग्राहकों को दंडित न किया जाए और प्रभार युक्तसंगत हों तथा इन सेवाओं को प्रदान करने की औसत लागत से अधिक न हों। बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना के क्षेत्र का भी विस्तार किया गया है ताकि उसके अंतर्गत ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाने और अलग-अलग बैंकों द्वारा अपनाए गए उचित व्यवहार कोड का पालन न करने जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतों को सम्मिलित किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2006 में स्वतंत्र निगरानीकर्ता के रूप में, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैण्डर्ड बोर्ड आफ इंडिया (बीसीएसबीआई) की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक उनके द्वारा स्वीकार किए गए कोडों एवं मानकों के अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं।

विवरण

दिनांक 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार विभिन्न बैंकों के पास (10 वर्ष से अधिक पुरानी) अदावी जमाराशि

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल अदावी जमाराशि (रुपए में)
1	2	3
	स्टेट बैंक समूह	
1.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	952402966
2.	स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	99130842
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	82253000
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	61520246
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	102468706
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3317627
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	21082736
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	80505119
	एसबीआई समूह कुल	1402681242
	राष्ट्रीयकृत बैंक	
1.	इलाहाबाद बैंक	44884462
2.	आंध्रा बैंक	222235943
3.	बैंक आफ बड़ौदा	328267002
4.	बैंक आफ इंडिया	194904797
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	215084934
6.	केनरा बैंक	1448122920
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	539229099
8.	कारपोरेशन बैंक	49132110
9.	देना बैंक	90349492
10.	इंडियन बैंक	169331675
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	346078514
12.	ओरि. बैंक आफ कामर्स	146964508
13.	पंजाब नैशनल बैंक	1232965000
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	199740000
15.	सिंडिकेट बैंक	432365147
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	718738541
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	131776105
18.	यूको बैंक	270275385
19.	विजया बैंक	174342035

1	2	3
	अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक	
1.	आईडीबीआई लि.	0
2.	राष्ट्रीयकृत बैंक	6954787669
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग	8357468911
	निजी क्षेत्र के बैंक	
1.	दि बैंक आफ राजस्थान लि.	88799095
2.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	24077179
3.	दि कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	30341942
4.	सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लि.	489438
5.	सिटी यूनियन बैंक लि.	17362657
6.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	23150000
7.	दि धनलक्ष्मी बैंक लि.	7725068
8.	दि फेडरल बैंक लि.	60407304
9.	दि गणेश बैंक आफ कुरूंडवाड	920536
10.	एचडीएफसी बैंक लि.	0
11.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	1266710
12.	इंडसइंड बैंक लि.	698000
13.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	107248934
14.	दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	35364203
15.	दि कर्नाटक बैंक लि.	64048649
16.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	0
17.	दि करूर वैश्य बैंक लि.	15004251
18.	दि लक्ष्मी विलास बैंक लि.	28310851
19.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	527419
20.	दि नैनिताल बैंक लि.	10420317
21.	दि रत्नाकर बैंक लि.	8782392
22.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	0
23.	सांगली बैंक लि.	57208243
24.	साउथ इंडियन बैंक लि.	691421
25.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.	57391247
26.	यूटीआई बैंक लि.	0
27.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	2554034
28.	यस बैंक	0
	निजी क्षेत्र के बैंकों का योग	642789890
	विदेशी बैंक	
1.	एबीएन एमरो बैंक	81375
2.	अबु धाबी कमर्शियल बैंक	643501
3.	अंटवर्प डायमंड बैंक	0
4.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	0
5.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	11089915
6.	बैंक आफ अमेरिका	5023589
7.	बैंक आफ टोक्यो-मित्सुबिशी	5207384
8.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	0
9.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत	0
10.	बारकलेस बैंक	7775
11.	बैंक आफ सिलोन	0
12.	बीएनपी परिबास	1149527
13.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	71688
14.	काल्यान बैंक	30205
15.	चोहंग बैंक	0
16.	चाइना कमर्शियल बैंक	0
17.	सिटी बैंक	6778127
18.	डीबीएस बैंक लि.	0
19.	डयुश बैंक	0
20.	हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन लि.	40131709

1	2	3
21.	क्रंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लि.	0
22.	मिजहो बैंक	0
23.	मशरेक बैंक	154092
24.	जेपी मोरगान चेस बैंक	0
25.	ओमान इंटरनेशनल	2738271
26.	स्टेट बैंक आफ मारिशस लि.	0
27.	सोनाली बैंक	0
28.	सोसाइटी जेनरल	34707
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	221995444
30.	यूएफजे बैंक	0
	विदेशी बैंकों का योग	295137309
	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	9295396111

बैंकों में धोखाधड़ी संबंधी मामले

*261. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की तर्ज पर एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए वाणिज्यिक अदालतों का सृजन भी विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ड.) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ियों से संबंधित मामलों की जांच करने एवं मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की तरह एक स्वतंत्र निकाय का गठन करने या ऐसी धोखाधड़ियों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तथापि, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। बैंकों को समय-समय पर सतर्कता ढांचे को सुदृढ़ बनाने और निवारक एवं निषेधक उपाय शुरू करने का परामर्श दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी निगरानी कक्ष को वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में पता लगाई गई 1 लाख रु. और इससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होती हैं। 5 लाख रु. और इससे अधिक की धोखाधड़ियों में शामिल उधारकर्ताओं के नाम सभी मामलों में, बैंकों में परिचालित किए जाते हैं और उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे उन्हें कोई ऋण सुविधाएं मंजूर करने से पूर्व उसकी गहन जांच करें। धोखाधड़ियों की कार्यशैली भी बैंकों में परिचालित की जाती है ताकि उन्हें ऐसी धोखाधड़ियां किए जाने के संबंध में सतर्क किया जा सके। धोखाधड़ियों के सभी मामलों में, बैंकों को पुलिस/सीबीआई के पास शिकायतें दर्ज कराने, अंतर्ग्रस्त राशि की वसूली का प्रयत्न करने, स्टाफ की जवाबदेही की जांच करने, उसी प्रकार की धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करने तथा एक करोड़ रु. और इससे अधिक की धोखाधड़ियों के सभी मामलों की बोर्ड की विशेष समिति द्वारा समीक्षा किए जाने का परामर्श दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को समय-समय पर धोखाधड़ी की संभावनाओं वाले सामान्य क्षेत्रों और धोखाधड़ियों की घटना को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में परामर्श देता रहा है।

[हिन्दी]

कोटा तथा सूरतगढ़ विद्युत परियोजनाएं

2434. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोटा तथा सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आयात सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या इन दोनों परियोजनाओं के लिए आयातित कोयला घरेलू कोयले से महंगा पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) घरेलू स्रोतों से कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर कम करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान विद्युत यूटिलिटीज को क्रमश: लगभग 13 मिलियन टन (एमटी) और 20 एमटी कोयले का आयात करना होगा। निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर कोयले के आयात हेतु ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में विचार किया गया:-

(i) तटवर्ती विद्युत केन्द्र।

(ii) केन्द्र जहां कोयले की उपलब्धता में बाधा है।

(iii) पिटहैड से अधिक दूरी पर स्थिति केन्द्र।

(iv) पारंपरिक रूप से आयात करने वाले केन्द्र।

पिटहैड से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण कोटा तथा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले के आयात हेतु सम्मिलित किया गया था।

(ख) से (ग) बॉयलर डिजाइन को ध्यान में रखते हुए किसी विद्युत केन्द्र द्वारा आयात किए जाने वाले कोयले की मात्रा उसकी कोयले की वार्षिक आवश्यकता के 10-15% तक सीमित की गई है ताकि आयातित कोयले को घरेलू कोयले के साथ मिलाया जा सके। ऐसा देखा गया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मानदण्डों को आयातित कोयले उच्च कैलोरिफिक मूल्य और राख की मात्रा कम होने के परिणामस्वरूप परिचालन कार्य निष्पादन में सुधार तथा अनुरक्षण लागत एवं रेलवे भाड़े में बचत होने के कारण आयातित कोयले का उत्पादन की लागत पर अतिरिक्त प्रभाव न्यूनतम है।

सिक्कों का परिचालन

2435. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक रुपये तक के सिक्कों का परिचालन बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके स्थान पर कुछ नए प्रकार की करेंसी चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मोटर बीमा बैंक

2436. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोटर बीमा बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने भारत में मोटर बीमा कारोबार करने वाली सभी बीमा कंपनियों के बीच मोटर तृतीय पक्ष बीमा की भागीदारी के लिए एक पूल तैयार कर लिया है। भारतीय साधारण बीमा निगम 01 जनवरी, 2007 से प्रवृत होने वाले इस पूल के लिए प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों के शेयरों की खरीद

2437. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वित्तीय कंपनियां निजी कंपनियों का शेयर खरीदती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकारी वित्तीय कंपनियों ने कुछ ऐसी कंपनियों के शेयरों की खरीद की है जिनकी "बुक वैल्यू" काफी कम थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा हानि, यदि कोई हुई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के खरीदे गए शेयरों के मामलों की जांच करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकारी वित्तीय संस्थाएं गैर-सरकारी कंपनियों के शेयर अधिगृहीत करती हैं। ऐसे अधिग्रहण के लिए मानदण्ड प्रत्येक संस्था के निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सामान्यत: शेयरों की खरीद समग्र परियोजना निधीयन के एक भाग के रूप में की जाती है।

(ग) और (घ) कम अंकित मूल्य वाले शेयरों का अधिग्रहण दायित्वों के परिवर्तन के जरिए किया जाता है और घाटे की मात्रा बताना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी अधिकांश कंपनियां सूचीबद्ध नहीं हैं।

(ङ.) और (च) जी, नहीं। ये वित्तीय संस्थाओं के वाणिज्यिक निर्णय होते हैं, जिसके लिए निदेशक बोर्ड को अधिकार दिए गए हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन

2438. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण वस्त्र क्षेत्र में सुनिश्चित रोजगार अवसरों के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 5 लाख लोगों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु किसी कार्यक्रम की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को किस प्रकार वित्त-पोषित किए जाने का प्रस्ताव है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा तय करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुनामी से प्रभावित लोगों के लिए आवास

2439. श्री के.सी. पल्लामी शामी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के सुनामी से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए आवासों का निर्माण शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सुनामी प्रभावित लोगों के लाभार्थ आवासों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। के.लो.नि.वि. द्वारा तमिलनाडु में कोई कार्य नहीं किया गया।

(ख) के.लो.नि.वि. द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जिन द्वीपों में मकानों का निर्माण किया गया है उनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) अब कुल परियोजना लागत 1,221 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

विवरण

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निर्माण किए जाने वाले आवासों के ब्यौरे

क्र.सं.	द्वीप	के.लो.नि.वि. द्वारा निर्माण किए जाने वाले आवासों की कुल संख्या
1	2	3
1.	हट बे	965
2.	कार निकोबार	3941
3.	चौरा	346
4.	टेरेसा	506
5.	कमोरता	518
6.	नानकाओरी	269
7.	कटचल	315

1	2	3
8.	ग्रेट निकोबार	995
9.	लिटल निकोबार	111
10.	पोर्ट ब्लेयर	0
	कुल	7966

भूकंप प्रवण क्षेत्र

2440. श्री के.एस. राव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कौन-कौन से भूकंप प्रवण क्षेत्र, शहर और अन्य निवास स्थल हैं;

(ख) सुरक्षित भवन ढांचों के लिए क्या मानदंड और विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) भूकंप से क्षति के खतरे का सामना करने के लिए मौजूदा ढांचों और भवनों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी भवनों और ढांचों के निर्माण में भूकंप आदि के लिए पर्याप्त रक्षोपाय सुनिश्चित करने के लिए विधिक उपचार करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बचत बैंक खातों में जमाराशि पर बीमा सुरक्षा

2441. श्री एस.के. खारवेथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछेक राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बचत बैंक खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को खाता धारकों की सुविधा के लिए इस योजना को अपनाने हेतु निदेश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ बैंक अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के साथ जमाराशि उत्पाद ऑफर दे रहे हैं जिसका बीमा प्रीमियम ग्राहकों से वसूला जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में यह व्यवस्था है कि बैंकों को बीमा एजेंसी कारोबार में लगने या बिना किसी जोखिम भागीदारी के रेफरल व्यवस्था के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बीमा उत्पादों में बैंक ग्राहक की भागीदारी पूर्णत: स्वैच्छिक आधार पर है, इसलिए, इसके बारे में बैंक द्वारा संवितरित सभी प्रचार सामग्री में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। साथ ही बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए दी गई बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान और बीमा उत्पादों के उपयोग के कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए।

[हिन्दी]

निजी बीमा कंपनियां

2442. श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी बीमा कंपनियां विभिन्न देशों के निगमित निकायों से लिए गए ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की वजह से भारी मुश्किलों का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, निजी बीमा कंपनियों को इक्विटी के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति दी जाती है। ये निधियां उनके प्रवर्तक शेयरधारकों से जुटाई जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंकिंग क्षेत्र के लिए कर लाभ

2443. श्रीमती जयाप्रदा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बैंकिंग उद्योग के लिए कर लाभ की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के ज्ञापन में अनेक कर प्रस्ताव निहित हैं। बजटीय प्रक्रिया के दौरान ऐसे कर प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा वित्त विधेयक में सरकार के निर्णय को परिलक्षित किया है।

निजी बीमा कंपनियां

2444. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) देश में बीमा क्षेत्र में कितनी निजी कंपनियां हैं;

(ख) क्या और अधिक बीमा कंपनियां इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मानव जीवन में विभिन्न बीमा परियोजनाओं की आवश्यकता, और महत्व का प्रचार करने के लिए कोई पहल की है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि आज की तारीख की स्थिति के अनुसार बीमा क्षेत्र में 24 निजी कंपनियां हैं जिनमें से 15 जीवन बीमा क्षेत्र में और 9 गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में हैं।

(ख) और (ग) आईआरडीए ने सूचित किया है कि उन्हें प्रिंसिपल पीएनबी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जनरेली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियों से जीवन बीमा क्षेत्र के लिए तथा फ्यूचर जनरेली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से साधारण बीमा क्षेत्र के लिए रुचि व्यक्त करते हुए पत्र/आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) से (च) आईआरडीए ने सूचित किया है कि उसने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन (क्षेत्रीय चैनलों सहित) पर व्यापकता बीमा जागरुकता अभियान चलाया है। इसके अतिरिक्त, आईआरडीए पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बीमा संरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा ई-चौपाल से भी सहायता प्राप्त करता है।

[हिन्दी]

कृषि मौसम विज्ञान सेवाएं

2445. श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि मौसम विज्ञान सेवाओं में संग्रहीत की जा रही सूचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) मौसम विज्ञान विभाग इस समय तथ्यों को संग्रहीत करके कितने जिलों में सूचना प्रदान कर रहा है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों में देश में मानसून वर्षा पैटर्न में बड़ा परिवर्तन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) विशेषीकृत कृषि मौसम विज्ञानी वेधशालाएं प्रचालित करता है तथा वर्षा, तापमान (अधिकतम, न्यूनतम), आर्द्रता (प्रात: और अपराह्न), हवा की दिशा और गति, खिली हुई धूप की अवधि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, मृदा नमी और मृदा तापमान से संबंधित डाटा एकत्र करता है। मौसम पूर्वानुमान के साथ इस सूचना का प्रयोग और देश के विभिन्न भागों में राज्य कृषि विभाग के जरिए फसल की

अवस्थाओं और स्थिति तथा इसे नष्ट करने वाले कीट और होने वाले रोग संबंधी सूचना का प्रयोग किसानों के लिए परामर्श सूचनाएं तैयार करने के लिए किया जाता है।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने कृषि मौसम परामर्श सेवा एककों के सुविस्तृत नेटवर्क के जरिए समस्त देश के किसानों के लिए वास्तविक समय के आधार पर फसल के संबंध में विशेष परामर्श सूचनाएं प्रदान कर रहा है। इस समय ये सेवाएं 23 राज्यों को प्रदान की जा रही हैं।

कृषि परामर्श सेवाएं राष्ट्रीय मध्य रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) अपने माडल पूर्वानुमान, देश भर में फैले अपने कृषि मौसम विज्ञान परामर्श सूचना सेवा (एएएएस) एककों तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त इनपुट के आधार पर भी तैयार कर रहा है। पूरा देश 127 कृषि जलवायु मंडलों में विभाजित है तथा प्रत्येक मंडल में लगभग 3-5 जिले शामिल हैं। वर्तमान में, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ ने 107 कृषि जलवायु मंडलों में एएएस एकक स्थापित किए हैं। फसल, मृदा और मौसम पर विशेषज्ञ परामर्श सूचना वाला कृषि मौसम विज्ञान परामर्श-सूचना बुलेटिन किसान समुदाय को मीडिया के जरिए और सीधे संपर्क करके उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्षामापी स्टेशनों के सुस्थापित नेटवर्क पर आधारित, जिलावार वर्षा का साप्ताहिक संक्षिप्त विवरण कृषि मंत्रालय को साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह की बैठकों में उपलब्ध किया जा रहा है।

(ग) गत कुछ वर्षों में संपूर्ण देश में मानसून वर्षा पैटर्न में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) और (ड.) (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत केंद्रों का कार्य-निष्पादन

2446. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राज्य बिजली बोर्डों के अनेक विद्युत केंद्र औसत से कम कार्य-निष्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार औसत से कम कार्य-निष्पादन करने वाले इन विद्युत केंद्रों को अपनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान में देश के अल्प-कार्यनिष्पादन वाले विद्युत केन्द्रों के अभिग्रहण का नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देश की बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाली यूटिलिटीज में से एक होने के कारण एनटीपीसी ने उत्कृष्टता में भागीदारी (पीआईई) कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर परिचालन एवं आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) पद्धतियों को अपनाते हुए, ओ एंड एम कार्मिकों के प्रशिक्षण, अवशिष्ट कार्यकाल निर्धारण (आरएलए) अध्ययन पर आधारित व्यापक ओवर हॉल आवश्यक नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के द्वारा 15 विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीज तथा दामोदर घाटी निगम के साथ भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने बिहार में मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (2×110 मे.वा.) के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी, वैशाली पावर जेनरेटिंग कंपनी, एनटीपीसी और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संयुक्त उद्यम बनाई है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का विस्तार

2447. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं के विस्तार हेतु स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, विस्तार कार्यक्रम सम्मिलित की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं से कितनी अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ड.) 10.06.2003 को लागू हुई विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता को थर्मल उत्पादन के लिए समाप्त कर दी गई है। हालांकि जल-उत्पादन स्टेशन की स्थापना का इरादा रखने वाली कंपनी को ऐसी योजना तैयार कर सहमति हेतु प्राधिकरण

को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उतना पूंजी व्यय शामिल होगा जितना अधिसूचना द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

वर्तमान में दो विस्तार परियोजनाएं यथा पारली विस्तार यू-2 (250 मेगावाट) और पारस विस्तार यू-2 (250 मेगावाट) निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, खापरखेड़ा विस्तार (500 मेगावाट) और भुसावल विस्तार (1000 मेगावाट) के संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी गयी है। परियोजना का कार्यान्वयन महाजेनको द्वारा किया जा रहा है। विद्युत मंत्रालय के पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने इन परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में 7000 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए हैं।

शहरी क्षेत्रों में गरीबों हेतु मकान

2448. श्री कैलाश बैठा: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की सूची किस प्रकार तैयार किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) सरकार दिनांक 2.12.2001 से वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम पहले ही कार्यान्वित कर रही है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी स्लम वासियों, जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं है, की दशाओं में सुधार लाया जा सके। वाम्बे स्कीम का प्रारंभिक उद्देश्य रिहायशी इकाईयों का निर्माण और उनका उन्नयन करना तथा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके स्वस्थ और अनुकूल पर्यावरण मुहैया कराना है। वाम्बे स्कीम को अब 63 मिशन शहरों के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) तथा मिशन शहरों से भिन्न नगरों/कस्बों के लिए समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) नामक नए शुरू किए गए कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। बीएसयूपी/आईएचएसडीपी नामक उपर्युक्त योजनाओं को 3.12.2005. को शुरू किया गया है।

(ग) वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श के राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) जिला शहरी विकास प्राधिकरण (डूडा) द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की सहायता भी ली जा सकती है।

[अनुवाद]

सरकारी कालोनियों के प्रवेश द्वारों को खोला जाना

2449. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्रों विशेषकर मिंटो रोड क्षेत्र में सरकारी कालोनियों के प्रवेश और निकाय द्वारों को खोले/बंद किए जाने के संबंध में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) क्या दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने भी प्रवेश/निकास द्वारों को खोले और बंद किए जाने के संबंध में क्या निर्देश जारी किए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी कालोनियों में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है;

(ड.) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार को सरकारी कॉलोनियों विशेषकर मिंटो रोड क्षेत्र के निवासियों से दिन के समय प्रवेश द्वारों को खोले जाने के संबंध में कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी कालोनियों के प्रवेश और निकास द्वारों के खोलने और बंद करने की व्यवस्था नहीं करता।

(ख) से (ड.) इस मंत्रालय को इस विषय पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(च) और (छ) मिन्टो रोड हॉस्टल की रेजीडेन्ट वेलफेयर ऐसोसिएशन से केवल एक शिकायत/निवेदन प्राप्त हुआ है। चूंकि यह मामला मंत्रालय/केलोनिवि के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसलिए इस मामले का समाधान रेजीडेन्ट वेलफेयर ऐसोसिएशन द्वारा स्वयं ही किया जाना है।

अवैध और अनधिकृत अवसंरचनाओं हेतु ऋण

2450. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक अवैध अनधिकृत अवसंरचनाओं हेतु भी ऋण दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बैंकवार ऐसे कितने मामले ध्यान में आए हैं;

(ग) ऐसे बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(घ) बैंकों को परिहार्य घाटे से बचाने हेतु ऋण देने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 मार्च, 2006 के अपने परिपत्र द्वारा बैंकों से कहा है कि स्थावर संपदा वाले ऋण प्रस्तावों की समीक्षा करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उधारकर्ता द्वारा उस परियोजना के लिए जब भी आवश्यक हो संबंधित सक्षम सरकारी प्राधिकारियों से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण प्रस्ताव प्रक्रिया में इस वजह से बाधा न आए इसलिए प्रस्तावों को सामान्य रूप से मंजूरी दी जाए तथा उधारकर्ताओं द्वारा सरकारी प्राधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात ही संवितरण किया जाए।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के एक बैंक-केनरा बैंक ने सूचित किया है कि इन्हे कुछ समय पहले दिल्ली में ऐसे एक मामले का पता चला है। बैंक ने ऋण की वसूली के लिए कदम उठाए हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में 17 नवम्बर, 2006 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं जिनमें कड़ाई से अनुपालन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियां/निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 17 नवम्बर, 2006 के परिपत्र सं. डीबीओडी. डीआईआर. बीसी. सं. 43/08.12.01/2006-07 की प्रति उसकी बेवसाइट अर्थात wwwrbi.org.in/scripts/Notification User.aspx. पर उपलब्ध है।

आईपीओ वित्तपोषण हेतु मानदंड

2451. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) संबंधी वित्तपोषण के मानदंड कठिन हो गए है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई आदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या एकल निवेशक हेतु कोई प्रतिबंध लगाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक 17 नवम्बर, 2006 को बैंकों को एक मसौदा पत्र भेजा है जिसमें आईपीओ वित्तपोषण हेतु मानदंडों सहित पूंजी बाजारों में बैंकों के उद्भासन संबंधी विद्यमान दिशानिर्देशों में कतिपय आशोधनों का प्रस्ताव किया गया है तथा उन पर उनकी अभ्युक्तियां मांगी गई हैं। मसौदा परिपत्र इसकी वेबसाईट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।

स्वजलधारा योजना के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

2452. श्री मित्रसेन यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान स्वजलधारा योजना के अंतर्गत स्वीकृति और वित्तपोषण हेतु विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से स्पष्टीकरण के अभाव में राज्य को वापस किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ इन सभी प्रस्तावों को हाल ही में केन्द्र सरकार को पुन: प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) वर्तमान में, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए स्वजलधारा योजना के अंतर्गत परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती हैं। केवल वर्ष 2002-03 में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गए थे। जून, 2003 में जारी स्वजलधारा दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि स्वजलधारा के अंतर्गत प्रस्तावों को जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डीडब्ल्यूएससी) अथवा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। राज्यों को प्रत्येक वर्ष स्वजलधारा के अंतर्गत निधियों का आबंटन, वर्ष के निर्धारित अंतर्राज्यीय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) आबंटन अनुपात के अनुसार किया जाता है। तत्पश्चात राज्य, डीडब्ल्यूएपी/एसडब्ल्यूएसएम स्तर पर विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करते हैं और उन्हें स्वजलधारा दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित करते हैं। राज्यों में डीडब्ल्यूएसपी/एसडब्ल्यूएसएम द्वारा प्राप्त एवं स्वीकृत प्रस्तावों का भारत सरकार द्वारा ब्यौरा नहीं रखा जाता है। भारत सरकार राजस्थान सहित ग्राम पंचायतों, जिलों या राज्यों से अलग-अलग परियोजनाएं स्वीकृति हेतु प्राप्त नहीं करती है।

मैला ढोना

2453. **श्री पी. मोहन:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री जोवाकिम बखला:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैला ढोना, इस पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम को लागू किए जाने के बाद भी अभी तक एक घृणास्पद वास्तविकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गटर, मैनहोल और सेप्टिक टैंकों को साफ करने वाले वर्करों को भारी जोखिम उठाना पड़ता है और उन्हें इस अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ.) इस अधिनियम को प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) क्या राज्यों में शुष्क शौचालयों (ड्राई लैट्रीन्स) को तोड़ने का कोई कार्यक्रम है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) देश में पूरी आबादी को जलवाही शौचालय सुलभ नहीं है और शुष्क शौचालय तथा मैला ढुलान की स्थिति अभी देश के कुछ भागों में है।

(ख) योजना आयोग ने मैला ढुलान के पूरी तरह उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।

(ग) और (घ) मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 में मानवमल के ढुलाने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित करने या उससे काम लेना निषिद्ध है।

(ङ.) अधिनियम को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने का राज्यों से अनुरोध किया गया है

(च) और (छ) अधिनियम, 1993 में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारें अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट करे कि व्यक्ति शुष्क शौचालय नहीं बनाएगा या रखेगा।

अस्पताल कचरा प्रबंध योजना

2454. **प्रो. एम. रामदास:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पताल कचरा प्रबंधन योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि को लौटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। प्रायोगिक/प्रदर्श परियोजनाओं के रूप में बायो-मेडिकल कचरा सुविधा की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी स्कीम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मई 2005 में इस मंत्रालय को हस्तांतरित की गई। इस स्कीम के लिए एक करोड़ रु. की राशि वर्ष 2005-06 के दौरान आबंटित की गई थी। चूंकि शहरी विकास मंत्रालय के पास इस विषय-वस्तु से संबंधित विशेषज्ञता नहीं थी, इसलिए इस स्कीम को पुन: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को वापस कर दिया गया।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बायो-मेडिकल कचरा (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 1998 जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा अधिशासित होता है, के प्रावधानों के अनुसार उपचारी उपाय किए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इत्यादि उक्त नियमों को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां हैं।

[हिन्दी]

अध्यादेश जारी किया जाना

2455. श्री रामदास आठवले: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए गए;

(ख) संसद द्वारा कुल कितने अध्यादेशों को अभी तक स्वीकृति दी गई और कितने अध्यादेश व्यपगत हुए;

(ग) क्या कुछ अध्यादेशों को अभी तक स्वीकृति दी जानी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) 01.01.2004 से 06.12.2006 तक प्रख्यापित अध्यादेशों के ब्यौरे (वर्ष-वार) निम्नानुसार है:-

अध्यादेश सं.	अध्यादेश का नाम
1	2
2004	
1.	आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश, 2004
2.	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2004
3.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अध्यादेश, 2004
4.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004
5.	प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004
6.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश, 2004
7.	पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004
8.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2004
2005	
1.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2005
2.	नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005
3.	मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005
4.	कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005
2006	
1.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006
2.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2006
3.	भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006

(ख) (1) ऐसे अध्यादेशों की संख्या जिन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया है, निम्नानुसार है:

2004	:	8 (आठ)
2005	:	4 (चार)
2006	:	3 (तीन)

(2) व्यपगत हुए अध्यादेशों की संख्या

2004		1 (एक)
2005	:	1 (एक)

(ग) और (घ) जी हां, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2006 और भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006।

[अनुवाद]

शहरों में वाहनों की भीड़

2456. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका स्थित ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कंपनी की सहायता से 30 शहरों में वाहनों की भीड़ को कम करने हेतु एक अवसंरचनात्मक मॉडल विकसित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ चिन्हित किए गए शहरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उक्त कंपनी द्वारा संबंधित रिपोर्ट सौंपने की कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) भारत में शहरी क्षेत्रों में यातायात और परिवहन नीतियों तथा कार्यनीतियों के संबंध में एक व्यापक अध्ययन मैसर्स विलबुर स्मिथ एसोसिएटस प्रा. लि. को सौंपा गया है। फर्म भारत में पंजीकृत है, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। अध्ययन का उद्देश्य भारत में शहरी क्षेत्रों में यातायात व परिवहन परिदृश्य का व्यापक आधार तैयार करना, भारत में शहरी परिवहन के प्रबंधन के लिए भावी नीतियों व कार्यक्रमों के विनिर्माण हेतु एक स्वतंत्र और विश्वसनीय आधार तैयार करना तथा शहरी परिवहन के क्षेत्र में भावी अनुसंधान के लिए एक विश्वसनीय डाटाबेस तैयार करना है।

(ग) राज्यवार शहरों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ड.) जी हां। अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख मई, 2007 है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	शहर का नाम
1	2	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	असम	गुवाहाटी
3.	बिहार	पटना
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
6.	दिल्ली	दिल्ली
7.	गोवा	पणजी
8.	गुजरात	अहमदाबाद, सूरत
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10.	कर्नाटक	बंगलौर, हुबली-धारवाड
11.	केरल	कोच्चि, त्रिवेन्द्रम
12.	मध्य प्रदेश	भोपाल
13.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई, नागपुर, पुणे
14.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
15.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
16.	पंजाब	अमृतसर
17.	राजस्थान	गंगटोक
18.	सिक्किम	गंगटोक
19.	तमिलनाडु	चेन्नै, मदुरै
20.	उत्तर प्रदेश	आगरा, कानपुर, वाराणसी
21.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

विद्युत अधिनियम, 2003 की समीक्षा

2457. श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पारित विद्युत अधिनियम, 2003 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) तथा विश्व बैंक द्वारा देश में विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में सुझाए गए सुधारों के भाग के रूप में, राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.) के कार्यकरण को तीन भागों-उत्पादन, पारेषण और वितरण में विभाजित करने का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उन 13 राज्यों में हुए विनाशक अनुभव की जानकारी है जहां इन सुधारों को लागू किया गया था

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्युत अधिनियम, 2003 की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) विद्युत अधिनियम, 2003 को राज्यों, राज्य विद्युत यूटिलिटी औद्योगिक संघों, वैयक्तिक विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियनों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, कर्मचारी संघों आदि से व्यापक परामर्शों के जरिए तैयार किया गया। लोक सभा में इसके पुनरोस्थापन के पश्चात विद्युत विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया जिसने सभी स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात् अपनी सिफारिशें दी, जिनमें से अधिकांश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

अधिनियम में विद्युत उद्योग के विकास में सहायक कदम उठाने, उसमें प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने, वैद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण, सब्सिडियों से संबंधित पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने, प्रभावी एवं पर्यावरणीय रूप से हितकर नीतियों के प्रोत्साहन तथा अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकार अपने राज्य विद्युत बोर्डों की निरंतरता हेतु उतने समय के विस्तार की अनुमति दे सकती है जितनी केंद्र सरकार द्वारा सहमति दी जाए। केंद्र सरकार ने समय-समय पर कुछ और अधिक समय के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को जारी रखने के अनुरोधों पर सहमति प्रकट की है।

(ख) केन्द्र सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए) को राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के प्रभाव पर अध्ययन का कार्य सौंपा है। अध्ययन प्रगति पर है।

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की समीक्षा के परिणामस्वरूप विद्युत (संशोधनों) विधेयक, 2005 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

(घ) विधेयक में विद्युत अधिनियम, 2003 के निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं-

(i) धारा 6 में संशोधन ताकि यह व्यवस्था हो कि संबंधित राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचे तथा घरों के विद्युतीकरण के माध्यम से गांवों और हेमलेटों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी।

(ii) सुसंगत धाराओं में संशोधन ताकि क्रॉस सब्सिडी को समाप्त किया जा सके। हालांकि, क्रॉस सब्सिडियों की कमी जारी रहेगी।

(iii) इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए धारा 151 में संशोधन कि पुलिस अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों की जांच कर सकेगी। विशेष न्यायालयों के समक्ष विचारण को तेज करने के लिए व्यवस्था करने का भी है कि विशेष न्यायालय विचारण के लिए मामला सुपुर्द किए बिना अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगा।

[हिन्दी]

मदरसों को विदेशी निधियां

2458. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री शिशुपाल पटले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि देश में मदरसों को "हवाला" के माध्यम से प्रत्येक वर्ष विदेशी निधियां मुहैया करवाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) हवाला के माध्यम से होने वाले ऐसे लेन-देन को रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विदेशों से हवाला चैनलों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) मामला जांचाधीन है।

(घ) ऐसे चैनलों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति के विरुद्ध निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

प्रतिस्पर्धा आयोग

2459. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिस्पर्धा आयोग को कार्यकरण में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (ग) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का गठन 14 अक्तूबर, 2003 को हुआ था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 इसके अंतर्गत बनाए गए चयन संबंधी नियम और की गई नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय में विधिक चुनौतियों पर आधारित थे, जिनका परिणाम यह हुआ कि सीसीआई का कार्य पूरी तरह से आरंभ नहीं हो सका। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के संबंध में दिनांक 20.01.2005 को अपना निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक 9 मार्च, 2006 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था जिसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का सुझाव दिया गया। इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया। संसद द्वारा संशोधन विधेयक पारित करने के पश्चात् आयोग पूरी तरह कार्य कर सकेगा।

टिहरी बांध विस्थापितों का पुनर्वास

2460. श्रीमती अर्चना नायक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिहरी बांध के निर्माण की वजह से विस्थापित हुए काफी संख्या में लोगों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) टिहरी बांध के निर्माण की वजह से कुल कितने परिवार विस्थापित हुए हैं तथा उनमें से कितने लोगों का अभी तक पुनर्वास किया गया है; और

(घ) शेष विस्थापित परिवारों का पुनर्वास कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) टिहरी बांध के निर्माण से विस्थापित 5291 पूरी तरह से प्रभावित शहरी परिवारों का पुनर्वास पहले ही किया जा चुका है। 5429 पात्र ग्रामीण परिवारों में से जलाशय के 790 मीटर स्तर तक रह रहे सभी परिवारों को पूरी क्षतिपूर्ति दे दी गई है। चूंकि पूर्ण जलाशय स्तर के ऊपर के शेष 462 पात्र ग्रामीण परिवारों का उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार जलाशय भराव के साथ-साथ पुनर्वास किया जा रहा है। टिहरी बांध योजना के संबंध में पुन:स्थापन एवं पुनर्वास कार्य उत्तरांचल सरकार द्वारा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा दी गई निधि से किया जा रहा है। एक आकर्षक एवं उदार पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें समय-समय पर सुधार किया जाता है। पुनर्वास पैकेज की पर्याप्तता को उच्चतम न्यायालय ने भी सही ठहराया है। उत्तरांचल सरकार के पुनर्वास निदेशालय ने 790 मी. से ऊपर रह रहे शेष पात्र परिवारों को क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव दिया है, परन्तु वे इस मुद्दे पर आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जलाशय तीन से चार वर्षों में भरेगा । ये परिवार उचित समय पर विस्थापित किए जाएंगे, क्योंकि वे वर्तमान में अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं, जो अभी जलमग्न नहीं हुई हैं।

तिरूवनंतपुरम में मेट्रो रेल परियोजना

2461. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिरुवनंतपुरम में मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय सहायता के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बराक नदी पर जल विद्युत परियोजना

2462. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में बराक नदी और इसकी सहायक नदियों पर जलविद्युत क्षमता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बराक घाटी में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु किसी स्थान की पहचान की गयी है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जल विद्युत संभाव्यता के संबंध में किए गे पुनर्निर्धारण अध्ययनों के अनुसार, बराक नदी और उसके समीप

स्थित नदियों की जल विद्युत संभाव्यता 60 प्रतिशत भार घटक पर 3908 मेगावाट निर्धारित की गई थी। 6679 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाली 60 जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है। इन पहचानी गई योजनाओं में से कोई भी योजना असम में स्थित नहीं है।

(ख) और (ग) 50,000 मेगावाट की जल विद्युत पहल के अंतर्गत, बराक नदी और उसके समीपस्थ नदियों पर 20 योजनाओं तथा मणिपुर में 3, मेघालय में 11, मिजोरम में 3 और नागालैंड में 3 योजनाओं की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इनमें से विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करने हेतु कम टैरिफ वाली जल विद्युत योजनाओं के रूप में मेघालय में 6 योजनाओं की पहचान की गई है।

विवरण

50,000 मेगावाट की जल विद्युत पहल के अंतर्गत बराक नदी तथा समीपस्थ नदियों पर जल विद्युत योजनाएं

राज्य	क्र.सं.	योजनाएं	क्षमता (मे.वा.)
	1	2	3
मणिपुर			
	1.	खोंगनम चक्क	67
	2.	नुंगलीबान	105
	3.	पाबारम	190
मेघालय			
	1.	मावाब्लई	140
	2.	माहू	120*
	3.	मापुट	21
	4.	नोंगकोइत	120*
	5.	नौगाम	50*
	6.	रंगमा	65*
	7.	सेलिम	170*
	8.	सुशेन	65
	9.	उमदुना	57*
	10.	उमजौत	69
	11.	उमंगी	54
मिजोरम			
	1.	बोइनू	640
	2.	लुंगलेग	815
	3.	टीलांग	45
नागालैंड			
	1.	दिखू	140
	2.	टिजू	150
	3.	यांगन्यू	40
	कुल (20 योजनाएं)		3,123

*विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने के लिए पहचानी गई कम टैरिफ वाली योजनाएं।

[हिन्दी]

सेवाकर के भुगतान में अनियमितताएं

2463. श्री अजीत जोगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल कम्पनियां सेवाकर के भुगतान में अनियमितताएं बरत रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सेवाकर के भुगतान में अनियमितता बरतने के लिए दोषी पायी गयी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। मोबाइल कंपनियों के संबंध में कतिपय मामलों में सेवा भुगतान में अनियमितताएं पाई गई हैं।

(ख) से (घ) संलग्न विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ड.) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कंपनी का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान बुक किए गए मामलों की संख्या	इन मामलों में अंतर्ग्रस्त सेवा कर राशि (लाख रुपए में)	की गई कार्रवाई तथा मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
एयरसेल लि.	1	4.2	राशि वसूल
एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि., जयपुर	1	3.3	राशि वसूल
भारत टेलीवेंचर लि.	4	711.3	अपील अवधि के भीतर
भारती सेल्यूलर लि. (एयरटेल), कोच्चि	3	36.5	10.23 लाख रु. वसूल। शेष राशि अपील अवधि के भीतर।
भारती सेल्यूलर लि.	2	61.3	53.41 लाख रु. वसूल। शेष राशि अपील अवधि के भीतर।
भारती हेक्साकाम इंडिया लि., जयपुर	3	120.4	अपील में लंबित
बी पी एल मोबाइल सेल्यूलर लि.	9	192.9	184.34 लाख रु. वसूल। शेष राशि अपील अवधि के भीतर।
बी पी एल मोबाइल कम्युनिकेशन इंडिया लि.	3	152	अपील में लंबित
बी एस एन एल, जयपुर	1	21.8	राशि की वसूली के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
बी एस एन एल, मोबाइल सर्विसिज, त्रिवेंद्रम	1	192.1	विवाद पर गठित समिति के समक्ष लंबित
बी एस एन एल, आगरा	1	384.9	विवाद पर गठित समिति के समक्ष लंबित
बी एस एन एल, अम्बाला	2	511	विवाद पर गठित समिति के समक्ष लंबित
बी एस एन एल, करनाल	1	178.8	0.08 लाख रु. वसूल। शेष राशि अपील अवधि के भीतर।
बी एस एन एल, कोच्चि	2	5.0	अपील में लंबित
बी एस एन एल, कोल्हापुर	1	0.8	अपील अवधि के भीतर
बी एस एन एल, मुरादाबाद	1	1.8	अपील अवधि के भीतर
बी एस एन एल, रांची	1	1118	अपील अवधि के भीतर
बी एस एन एल, सिलिगुड़ी	2	36.2	अपील में लंबित
बी एस एन एल, उज्जैन	1	3.3	राशि वसूल
एस्कोटेल मोबाइल कम्युनिकेशन लि., कोच्चि	1	17.6	अपील में लंबित

1	2	3	4
फासेल लि.	1	1569	मामला अपील अवधि के भीतर
हचिंसन एस्सार साउथ लि.	1	1.7	राशि वसूल
हचिंसन मैक्स टेलिकाम प्रा.लि.	3	232	अपील में लंबित
आइडिया सेल्यूर लि.	3	39	अपील अवधि के भीतर
आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन लि., कोच्चि	1	0.5	अपील में लंबित
आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन, सोनीपत	1	75.7	राशि वसूल

दिल्ली में सीलिंग

2464. श्री पारसनाथ यादव:
श्रीमती अर्चना नायक:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री सीताराम सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली में सीलिंग के विरोध में किए गए बंद के दौरान सरकारी संपत्ति की कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) वर्ष 2006 के दौरान अब तक कितनी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सील किए गए हैं;

(ग) क्या सीलिंग की वजह से हजारों व्यवसायी बेरोजगार हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) इस वर्ष सितम्बर-नवम्बर के दौरान दिल्ली में व्यापारियों द्वारा बुलाए गए बंदों के दौरान मुख्यत: पत्थर फेंकने और डीटीसी बसों को जलाने के कारण सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। सार्वजनिक संपत्ति को हुई हानि का इस मंत्रालय द्वारा आकलन नहीं किया गया है। दिल्ली नगर निगम ने भी यह सूचित किया है कि इस प्रकार का ब्यौरा उनके पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में उसने 1.12.2006 तक लगभग 19123 परिसरों को सील किया जिसमें से काफी परिसरों की सील बाद में हटा ली गई है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में कोई नीति नहीं बनाई गई है।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2465. श्री संतोष गंगवार:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से संबंधित राज्यों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) 10.06.2003 को लागू हुए विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता को थर्मल उत्पादन के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि जल-उत्पादन स्टेशन की स्थापना का इरादा रखने वाली कंपनी को ऐसी योजना तैयार कर सहमति हेतु प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उतना पूंजी व्यय शामिल होगा जितना अधिसूचना द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान 6575.56 मे.वा. की 16 हाइड्रो योजनाएं प्राप्त की गई थीं। इनमें से 1423 मेगावाट की तीन हाइड्रो योजनाओं को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा

सहमति प्रदान की गई थी। जबकि 5152.56 मेगावाट की 13 हाइड्रों परियोजनाएं परियोजना प्राधिकारियों को वापस लौटा दी गई थीं, क्योंकि अनिवार्य स्वीकृतियों/निवेशों के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	प्राप्त		स्वीकृत		वापस लौटाई गई	
	सं.	मेगावाट	सं.	मेगावाट	सं.	मेगावाट
छत्तीसगढ़	1	60	1	60		
केरल	1	163	1	163		
सिक्किम	4	2100	1	1200	3	900
जम्मू-कश्मीर	3	1893			3	1893
अरुणाचल प्रदेश	2	559.56			2	559.56
कर्नाटक	2	720			2	720
तमिलनाडु	1	500			1	500
उत्तरांचल	1	480			1	480
मध्य प्रदेश	1	100			1	100
कुल	16	6575.56	3	1423	13	5152.56

वर्तमान में सहमति प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

बैंक धोखाधड़ी में बैंक कर्मियों की संलिप्तता

2466. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बैंकवार कितने बैंक-कर्मियों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने बैंक कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है; और

(ग) बैंकों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 2003, 2004 तथा 2005 के दौरान धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित कर्मचारियों की बैंक-वार संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान इनमें से सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बैंकों को समय-समय पर धोखाधड़ी की संभावना वाले सामान्य क्षेत्रों, धोखाधड़ियों की कार्य शैली तथा बैंकों में धोखाधड़ी की घटना को रोकने/कम करने के लिए इनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सुग्राही बना रहा है। बैंकों से धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आरबीआई संबंधित बैंकों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/पुलिस को मामले की सूचना देने, स्टाफ की जवाबदेही की जांच करने एवं दोषी स्टाफ के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाहियां पूरी करने, धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त राशि वसूल करने के लिए कदम उठाने, बीमा, जहां लागू हो, का दावा करने तथा प्रणाली एवं कार्यविधियों को सुव्यवस्थित करने की सलाह देता है जिससे धोखाधड़ी की घटनाएं दोबारा न हों।

विवरण I

गत तीन वर्ष अर्थात् 2003, 2004 एवं 2005 के दौरान धोखाधड़ी संबंधी मामलों के तहत आरोपित कर्मचारियों की बैंक-वार संख्या तथा इनमें से सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	बैंक का नाम	2003		2004		2005	
		धोखाधड़ी के मामलों के तहत आरोपित कर्मचारियों की संख्या	सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	धोखाधड़ी के मामलों के तहत आरोपित कर्मचारियों की संख्या	सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	धोखाधड़ी के मामलों के तहत आरोपित कर्मचारियों की संख्या	सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	83	18	64	19	77	12
2.	आंध्रा बैंक	101	28	97	18	89	17
3,	बैंक आफ बड़ौदा	44	26	21	16	20	13
4.	बैंक आफ इंडिया	116	31	28	19	11	10
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	49	7	48	12	36	9
6.	केनरा बैंक	76	49	91	40	79	35
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	65	24	77	30	97	36
8.	कारपोरेशन बैंक	19	10	17	12	7	2
9.	देना बैंक	12	10	36	8	21	9
10.	इंडियन बैंक	66	42	41	31	37	26
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	56	20	68	21	133	18
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	27	9	40	7	38	13
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	24	5	61	10	104	21
14.	पंजाब नैशनल बैंक	151	38	89	40	86	26
15.	सिंडिकेट बैंक	38	25	26	19	24	15
16.	यूको बैंक	105	12	128	15	119	31
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	79	19	36	10	84	22
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	127	15	35	8	45	12
19.	विजया बैंक	44	10	67	6	45	5
20.	भारतीय स्टेट बैंक	683	107	562	78	383	74

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	43	9	38	10	13	12
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	60	22	17	11	27	12
23.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	27	6	12	0	12	0
24.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	10	6	13	4	5	3
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	66	24	58	11	39	10
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	13	3	9	1	20	1
27	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	4	4	7	5	8	7
	कुल	2188	579	1786	461	1659	451

विवरण II

गत तीन वर्ष अर्थात् 2003, 2004 एवं 2005 के दौरान भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के तहत आरोपित कर्मचारियों की बैंक-वार संख्या तथा इनमें से सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	बैंक का नाम	2003		2004		2005	
		भ्रष्टाचार के मामलों के तहत आरोपित कर्मचारियों की संख्या	सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	भ्रष्टाचार के मामलों के तहत आरोपित कर्मचारियों की संख्या	सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	भ्रष्टाचार के मामलों के तहत आरोपित कर्मचारियों की संख्या	सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	0	0	0	0	1	0
2.	आंध्रा बैंक	0	0	0	0	0	0
3.	बैंक आफ बड़ौदा	0	0	3	2	1	0
4.	बैंक आफ इंडिया	24	15	4	2	2	2
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0
6.	केनरा बैंक	6	3	10	10	19	8
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	107	20	101	21	126	18
8.	कारपोरेशन बैंक	11	0	15	1	19	0
9.	देना बैंक	0	0	0	0	0	0
10.	इंडियन बैंक	3	1	3	1	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0	0	3	0	4	4
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	60	10	82	8	75	6
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2	1	3	2	0	0
14.	पंजाब नैशनल बैंक	4	1	6	0	5	2
15.	सिंडिकेट बैंक	83	16	53	3	52	8
16.	यूको बैंक	3	0	5	2	0	0
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	3	0	0	0	0	0
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	49	4	26	2	8	0
19.	विजया बैंक	18	1	32	2	26	2
20.	भारतीय स्टेट बैंक	96	7	93	9	126	8
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	32	3	15	1	2	0
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	0	0	3	1	0	0
23.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	10	0	24	2	11	0
24.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	0	0	1	1	0	0
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	32	2	31	1	47	2
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4	0	0	0	0	0
27.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	0	0	0	0	0	0
	कुल	547	84	513	71	526	60

[अनुवाद]

कस्बों का सौन्दर्यीकरण

2467. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम के उन कस्बों का ब्यौरा क्या है जिनका निकट भविष्य में सभी मॉडर्न अवसंरचना और संचार सुविधाओं के साथ उन्नयन किया जाना है;

(ख) क्या सरकार के पास डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी शहरों के उन्नयन/सौन्दर्यीकरण हेतु कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मेगा विद्युत परियोजनाएं

2468. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री किन्जरपु येराननायडु:
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें से राज्यवार किन विद्युत परियोजनाओं को वर्ष 2010 से पहले स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार, देश में चल रही निजी क्षेत्र की मेगा विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मेगा विद्युत परियोजनाओं का समुचित और सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्य बल गठित करने का है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) उन "प्रमाणित" मेगा विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है जो कि वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है। चालू करने की संभावित अवधि प्रत्येक के मामले में इंगित की गई है। इनमें से कुल 14,368 मेगावाट क्षमता के लिए 12 परियोजनाओं को वर्ष 2009-10 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है जैसा कि इंगित किया गया है।

(ग) निजी क्षेत्र में प्रमाणित किसी मेगा विद्युत परियोजना ने अभी तक उत्पादन आरंभ नहीं किया है।

(घ) और (ङ.) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मेगा विद्युत परियोजनाओं समेत विद्युत परियोजनाओं के मानिटरिंग तंत्र को सशक्त बनाया गया है। प्रत्येक परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। स्थल में कार्य की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से स्थल पर दौरे किए जा रहे हैं। सामग्री की समयपूर्वक आपूर्ति तथा स्थल पर उपस्कर के उत्थापन व उसे चालू करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) की विभिन्न विनिर्माता यूनिटों के साथ मंत्रालय में नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।

विवरण

वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन प्रमाणित मेगा विद्युत परियोजनाओं की सूची

परियोजना का नाम	परियोजना प्रवर्तक	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का संभावित कार्यक्रम
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
सिम्हाद्री-II ताप विद्युत परियोजना	एनटीपीसी लि.	1000	दिसंबर, 2010
अरुणाचल प्रदेश			
कामेंग एचईपी*	नीपको	4 × 150=600	2009-10
सुबानसिरी लोअर	एनएचपीसी	8 × 250=2000	2010-11
असम			
बोंगईगांव	एनटीपीसी लि.	750	जुलाई, 2010
बिहार			
कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट*	एनटीपीसी लि.	फेस-I-1000 फेस-II-500	2007-08
बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	एनटीपीसी लि.	1980	2010-11

1	2	3	4
छत्तीसगढ़			
सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (चरण-1)*	एनटीपीसी लि.	3×660=1980	2009-10
सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (चरण-2)*	एनटीपीसी लि.	2×500=1000	2007-08
रायगढ़ टीपीपी	जिंदल पावर (निजी क्षेत्र)	4×250=1000	मार्च, 2008
गुजरात			
अखाखोल जीबीपीपी*	टोरेंट पावर (निजी क्षेत्र)	3×376=1128	यू-I—अगस्त, 2007, यू-II—दिसंबर, 2007, यू-III—फरवरी, 2007
कवास विस्तार	एनटीपीसी लि.	1300	2010-11 (गैस उपलब्धता पर निर्भर)
झनोर गांधार विस्तार	एनटीपीसी लि.	1300	2010-11 (गैस उपलब्धता पर निर्भर)
हरियाणा			
झज्जर	एनटीपीसी लि.	1500	सितंबर, 2010 (प्रथम यूनिट)
हिमाचल प्रदेश			
कोलडैम जल विद्युत परियोजना*	एनटीपीसी लि.	4 × 200 = 800	2008-09 (400 मेगावाट) 2009-10 (400 मेगावाट)
पार्बती-II*	एनएचपीसी	4 × 200 = 800	2008-09 (400 मेगावाट) 2009-10 (400 मेगावाट)
पार्बती-III*	एनएचपीसी	520	2010-11
झारखण्ड			
मैथान टीपीपी*	डीवीसी	2 × 500=1000	यूनिट-1 : दिसंबर, 2009 यूनिट-2 : मार्च, 2010
उत्तर करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	एनटीपीसी लि.	1980	अक्तूबर, 2011
मध्य प्रदेश			
विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट*	एनटीपीसी लि.	2 × 500=1000	यू-10-2007-08
महाराष्ट्र			
रत्नागिरि गैस एंड पावर प्रा.लि.*	एनटीपीसी-गेल एवं अन्य संयुक्त उद्यम परियोजनाएं	2150	गैस की उपलब्धत पर निर्भर

1	2	3	4
सिक्किम			
तीस्ता-5*	एनएचपीसी	3 × 170=510	2007-08
तमिलनाडु			
एन्नौर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (टीएनईबी के साथ संयुक्त उद्यम)	एनटीपीसी लि.	1000	दिसंबर, 2010 (प्रथन यूनिट)
उत्तरांचल			
लोहारीनाग पाला एचईपी	एनटीपीसी लि.	600	2011-12
तपोवन विष्णुगाड एचईपी	एनटीपीसी लि.	520	2011-12
पश्चिम बंगाल			
पुरूलिया पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना*	राज्य क्षेत्र परियोजना	900	2006-07 (225 मेगावाट) 2007-08 (675 मेगावाट)

*परियोजनाएं 2009-10 से पहले/तक पूरी हो जाएंगी।

निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत राजनीतिक दल

2469. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और असंगठित राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है;

(ख) गत लोक सभा/विधान सभा चुनावों के दौरान कितने असंगठित दलों ने चुनाव लड़ा था;

(ग) क्या सरकार का विचार इन असंगठित राजनीतिक दलों की लेखा परीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) निर्वाचन आयोग के पास 6 राष्ट्रीय दल, 46 राज्य दल और 818 रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं।

(ख) वर्ष 2004 में कराए गए अंतिम लोक सभा निर्वाचन में 173 गैर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों ने निर्वाचन लड़ा था और वर्ष 2006 में कराए गए असम, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंतिम विधान सभा निर्वाचनों में 60 गैर मान्यता प्राप्त दलों ने निर्वाचन लड़ा था।

(ग) और (घ) निर्वाचन विधियों और अन्य संबद्ध विषयों में सुधार/परिवर्तन की प्रक्रिया एक सतत और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण में गिरावट

2470. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इन मसलों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या तरीके अपनाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ड.) कृषि क्षेत्र (वानिकी और मत्स्य पालन सहित) में वर्ष 1999-2000 के मूल्यों पर सकल पूंजी निर्माण 1999-2000 में 50151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2004-05 में 52839 करोड़ रुपए (त्वरित अनुमान) हो गया।

पालिसी धारकों पर सेवा प्रभार

2471. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बीमा पालिसीधारकों पर लगाए गए विभिन्न सेवा प्रभारों और "अल्टरनेशन फीस" को वापस लेने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेवा कर संग्रहण

2472. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सेवा कर संग्रहण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम में संशोधन करने के स्थान पर व्यापक विधान लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सेवा कर संग्रहण के लिए वित्त वर्ष 2006-07 का बजट अनुमान 34500 करोड़ रु. है।

(ख) सेवा कर संग्रहण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करदाताओं के बीच जागरुकता सृजित करने के लिए मीडिया प्रचार सहित अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे, सक्षम सेवा प्रदाताओं का पता लगाने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना का विशेष सर्वेक्षण और कार्यवाही, सहायता केन्द्रों के जरिए सहायता प्रदान करना, बड़ी संख्या में निर्धारितियों की लेखा परीक्षा शुरू करना तथा कारण बताओ नोटिसों के न्याय-निर्णयन को गति देना।

(ग) से (ड.) संविधान (अट्ठासिवां संशोधन) अधिनियम, 2003 (1) केन्द्र सरकार द्वारा सेवा कर लगाने के तौर तरीकों को निर्धारित करने, (2) केन्द्र और राज्यों द्वारा कार्यवाहियों का संग्रहण करने तथा (3) केन्द्र और राज्यों के बीच कार्यवाहियों का आदान-प्रदान करने के लिए संसद को विधि द्वारा नियमों को तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। विनिर्दिष्ट सेवाओं का पता लगाने तथा राज्यों को इन सेवाओं पर उपयुक्त सेवा कर संग्रहित करने हेतु शक्तियां प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति से विचार-विमर्श कर रही है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल वित्त अधिनियम, 1994 की जगह विस्तृत विधान केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सेवा कर अपवंचन

2473. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद आसूचना महानिदेशालय (डी जी सी ई आई) ने सेवा कर अपवंचन के मामलों में कई प्रमुख कम्पनियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा कितनी राशि का कर अपवंचन किया गया तथा इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में गैर-बैंककारी संस्थाएं भी लिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्त वर्ष (अक्तूबर 2006 तक) के लिए सेवा कर अपवंचन के बुक किए गए मामलों की कुल संख्या तथा अंतर्ग्रस्त राशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	मामलों की संख्या	राशि (लाख में)*
2003-2004	30	952.26
2004-2005	422	34564.71
2005-2006	505	54362.59
2006-2007	231	36619.33

*कुछ मामलों में जांच अभी भी चल रही है तथा अभी तक अंतिम राशि निर्धारित नहीं हो पाई है।

10 करोड़ रु. से अधिक के सेवा कर मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्त वर्ष (अक्तूबर, 2006 तक) के लिए गैर-बैंकीय वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध बुक किए गए मामलों में उनमें अंतर्ग्रस्त राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	मामलों की संख्या	राशि (लाख में)*
1	2	3
2003-2004	0	0
2004-2005	2	206.19
2005-2006	18	3626.74
2006-2007	7	103.79

*कुछ मामलों में जांच अभी भी चल रही है तथा अभी तक अंतिम राशि निर्धारित नहीं हो पाई है।

गैर-बैंकीय वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है जिन मामलों में जांच पूरी हो गई है उनमें राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

विवरण I

10 करोड़ रुपए से अधिक के सेवा कर अपवंचन के मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	पार्टी का नाम	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
	2004-05	
1.	एच ए एल, कोलकाता	1100
2.	करम चंद थापर एण्ड ब्रदर्स	2299.87
3.	एच ए एल, बंगलौर	1500
4.	स्टेट बैंक आफ इंडिया, एम आई सी आर चैक्स प्रोसेसिंग सेंटर, मुम्बई एण्ड आर बी आई	4900.00
5.	एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली	13,433.00
	2005-06	
1.	मैसर्स एम एस एसोसिएट्स	2094.49
2.	जी एस पी सी लि., अहमदाबाद	1000
3.	इंडियन एयरलाइंस, दिल्ली	1500.00
4.	जैट एयरवेज, मुम्बई	1635
5.	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया	1539
6.	आर्यन कोल बैनेफिसिएशन प्रा.लि., दीपीका	1856.92
7.	नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कार्पोरेशन लि., मुम्बई	1696
8.	नेशनल सिक्योरिटीज एण्ड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लि., (एसटी)	1000

1	2	3
9.	वेरियस एयरलाइंस आपरेटिंग इन इंडिया (एसटी)	3100
10.	ट्रांसओशियन ग्रुप आफ कंपनीज (एसटी)	2500
11.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट, चेन्नई	1000.00
12.	हुण्डाई मोटर्स इंडिया लि., इरूंगाट्टोकोट्टई	1000.00
13.	यूनाइटिड ब्रेवरीज, बंगलौर	1200
	2006-07	
1.	इंडियन एयरलाइंस, दिल्ली	2730.00
2.	सहारा एयरलाइंस, लखनऊ	1000.00
3.	सहारा इंडिया, लखनऊ	3700.00
4.	जैरोक्स इंडिया लि., गुड़गांव	2000.00
5.	कर्नाटक स्टेट ब्रेवरीज कार्पोरेशन लि., बंगलौर	1100
6.	एस ए पी इंडिया प्रा.लि., बंगलौर	2500
7.	आई बी एम इंडिया (प्रा.) लि., बंगलौर	7225.49
8.	मैसर्स जी एस अतवाल एण्ड कं. (इंजी.) प्रा.लि., (केजेडयू) कोलकाता	1000
9.	मैसर्स एम एस एसोसिएट्स (डिफ.) नई दिल्ली	1994.49

विवरण II

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सेवाकर अपवंचन राशि (लाख में)	राजस्व वसूली के लिए उठाए गए कदम
1	2	3	4
		2004-2005	
1.	आवास फाइनेंशियल सर्विसिज, नवीं मुम्बई	6.19	कारण बताओ नोटिस जारी। न्याय निर्णयन लंबित
2.	एस टी इवेशन बाय वेरियस म्युचुअल फण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स	200.00	जांचाधीन
		2005-2006	
1.	मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कार्पोरेशन, इंदौर	17.29	कारण बताओ नोटिस जारी। न्याय निर्णयन लंबित
2.	स्माल इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट बैंक	2.52	कारण बताओ नोटिस जारी। न्याय निर्णयन लंबित
3.	दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया	1539	जांचाधीन

1	2	3	4
4.	नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कार्पोरेशन लि., मुम्बई	1696	जांचाधीन
5.	बैंक आफ इंडिया शेयरहोल्डिंग लि., मुम्बई	24	जांचाधीन
6.	बिरला सनलाइफ डिस्ट्रीब्यूशन	11.7	कारण बताओ नोटिस जारी। न्याय निर्णयन लंबित
7.	आई एल एण्ड एफ एस	2.56	कारण बताओ नोटिस जारी। न्याय निर्णयन लंबित
8.	वेरियस मर्चेंट बैंकर्स	123.23	कारण बताओ नोटिस जारी। न्याय निर्णयन लंबित
9.	एस बी आई फंड मैनेजमेंट	5.51	कारण बताओ नोटिस जारी। न्याय निर्णयन लंबित
10.	एस बी आई म्युचुअल फंड	8.87	कारण बताओ नोटिस जारी। न्याय निर्णयन लंबित
11.	जे एम मोर्गान स्टेनली फिन. सर्विसिज	0.91	जांचाधीन
12.	क्रिस्टल इन्फो फाइनेंशियल सर्विसिज लि., पुणे एण्ड मै. क्रिस्टल फाइनेंशियल सर्विसिज लि., पुणे, मै. क्रेडेंशियल्स, पुणे	41.46	कारण बताओ नोटिस जारी। न्याय निर्णयन लंबित
13.	एसआईडीबीआई, कानपुर	90	जांचाधीन
14.	राजस्थान फाइनेंस कार्पो., जयपुर	30	जांचाधीन
15.	मुथूट फाइनेंस प्रा.लि., दिल्ली	26.49	जांच पूरी की गई। कारण बताओ नोटिस अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
16.	यू.पी. फाइनेंशियल कार्पो., कानपुर	12.18	जांचाधीन
17.	एच पी फाइनेंस कार्पो., शिमला	5.2	कारण बताओ नोटिस जारी।
18.	दिल्ली फाइनेंस कार्पो., दिल्ली	2	कारण बताओ नोटिस जारी।
		2006-2007	
1.	वेजमैन कैपिटल लि.	0.79	कारण बताओ नोटिस जारी। न्याय निर्णयन लंबित।
2.	एच डी एफ सी, सी एच यू पी पी जनरल इंश्योरेंस लि.	4.5	जांचाधीन
3.	सेंट्रम केपिटल लि., फोर्ट, मुम्बई (मीना सुपरिटेंडेंट)	20	जांचाधीन
4.	आनंद राठी सिक्योरिटीज प्रा.लि.	मात्रा निर्धारित नहीं की गई है	आयुक्तालय को अंतरित

1	2	3	4
5.	ए एस के रेमण्ड जेम्स	0.5	आयुक्तालय को अंतरित
6.	कीनोट कार्पोरेशन	मात्रा निर्धारित नहीं की गई है	आयुक्तालय को अंतरित
7.	इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज लि., गुड़गांव	78	कंपनी ने अब तक अनुमोदित कर देयता जमा कर दी है। तथापि माला जांचाधीन है।

[हिन्दी]

विद्यालयों को आबंटित भूमि को फ्री-होल्ड बनाना

2474. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडिया:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के कुछ पब्लिक स्कूलों से उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि को फ्री-होल्ड में बदलने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा शैक्षिक संस्थानों को आबंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में बदलने के बारे में पब्लिक स्कूलों के फैडरेसन से 27.11.2006 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में बदलने की मौजूदा नीति सांस्थानिक प्रयोजनों के लिए आबंटित भूमि पर लागू नहीं है।

इसलिए अभ्यावेदन को टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

सेबी अधिनियम में संशोधन

2475. श्री पी.एस. गड़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम में संशोधन के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) सेबी ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य प्रतिभूति कानूनों में संशोधन की मांग की गई है। प्रस्ताव में निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि की स्थापना, प्रतिभूति धारकों के लिए नामांकन की सुविधा, गैर-कानूनी ढंग से अर्जित मुनाफों की वसूली, प्रशासनिक/सिविल कार्यवाहियों के निपटान आदि की व्यवस्था करने हेतु संशोधन शामिल हैं।

पेंशन निधियों का प्रबंध

2476. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेंशन निधियों का प्रबंध करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस कार्य के लिए निजी कंपनियों को भी अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) विधेयक, 2005, के निबंधनों के अनुसार, सरकार, निजी आपरेटरों सहित प्रतिस्पर्धी आपरेटरों के लिए पेंशन फंडों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव करती है। इन पेंशन फंडों को पीएफआरडीए द्वारा चयनित और विनियमित किया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशी बैंक

2477. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम आर टी पी सी) ने धोखाधड़ी और गलत वायदे के कारण कुछ विदेशी बैंकों को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विदेशी बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	जांच संख्या	जांच का शीर्षक	मामले का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	यूटीपीई* संख्या 25/97	महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण)** बनाम सिटी बैंक और अन्य	आयोग के सिटी बैंक के विरुद्ध धारा 36क के अंतर्गत श्री एम.डी. राजपूत द्वारा दायर शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी बैंक के कार-ऋण-करार में प्रतिबंधित एवं अनुचित खण्ड सम्मिलित हैं। मामला जांच के लिए महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) को भेजा गया। महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह कहा गया कि प्रतिवादी बैंक अधिनियम की धारा 2(ण)(ii) के अनुसार प्रतिबंधित व्यापार प्रथा का अनुसरण कर रहा है। मामले की अंतिम सुनवाई का तारीख 26.2.2007 निश्चित की गई है।
2.	यूटीपीई संख्या 205/98	श्री राकेश वैद्य, फरीदाबाद बनाम बैंक आफ अमेरिका और अन्य	यह श्री राकेश वैद्य एमआरटीपी अधिनियम *** 1969 की धारा 36ख(क) के अंतर्गत बैंक आफ अमेरिका और अन्य के विरुद्ध दायर की गई शिकायत है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी बैंक ने इसी बैंक से ऋण लेकर खरीदी गई शिकायतकर्त्ता की कार कुछ किश्तों का भुगतान न कर पाने पर जब्त कर ली। मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख 16.1.2007 निश्चित की गई है।
3.	यूटीपीई संख्या 106/2002	श्री जैनेन्द्र कुमार जैन, गाजियाबाद, उ.प्र. बनाम स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नई दिल्ली	यह श्री जैनेन्द्र कुमार जैन द्वारा एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 36क के अंतर्गत स्टैण्डर्ड बैंक के विरुद्ध, दायर की गई शिकायत है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी बैंक ने इसी बैंक से ऋण लेकर खरीदी गई शिकायतकर्त्ता की कार कुछ किश्तों का भुगतान न कर पाने पर जब्त कर ली। मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख 9.03.2007 निश्चित की गई है।

1	2	3	4
4.	यूटीपीई संख्या 14/2003	श्री रवि लुथरा, नई दिल्ली बनाम सिटी बैंक, एनए, नई दिल्ली-प्रतिवादी-1 शेल्टर्स, नई दिल्ली-प्रतिवादी-2	यह श्री रवि लूथरा द्वारा एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 36ख(क) के अंतर्गत सिटी बैंक, एनए के एजेंट सिटी बैंक, एनए एण्ड शेल्टर्स के विरुद्ध दायर की गई शिकायत है। इसमें यह बताया गया है कि प्रतिवादी बैंक ने रिहायशी प्लाट खरीदने के लिए वचनबद्ध ऋण स्वीकृत नहीं किया है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 (शेल्टर्स) ने ऋण प्रक्रिया संबंधी शुल्क लिया था जिसे प्रतिवादी संख्या 1 को वापस किये जाने का करार था। मामले में शिकायतकर्त्ता के गवाह की प्रतिपरीक्षा हेतु तारीख 5.2.2007 निश्चित की गई है।
5.	यूटीपीई संख्या 25/2004	श्री राघव लाल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश बनाम स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक (एएन जैड ग्रिंडलेज बैंक)	यह श्री राघव लाल द्वारा स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (एएनजैड ग्रिंडलेज बैंक) के विरुद्ध दायर की गई शिकायत है। इसमें क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय अधिसूचित शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। मामले में प्रतिवादी गवाह की प्रतिपरीक्षा हेतु तारीख 28.2.2007 निश्चित की गई है।
6.	यूटीपीई संख्या 53/2004	श्री रवि चन्द्र बनाम स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	यह श्री रवि चन्द्र द्वारा एमआरटीपी अधिनियम की धारा 36क के अतंर्गत स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के विरुद्ध दायर की गई शिकायत है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि बैंक ने कार-ऋण स्वीकृत करने का झूठा वायदा किया। मामले में जांच संबंधी नोटिस जारी करने पर विचार करने हेतु 17.1.2007 की तारीख निश्चित की गई है।
7.	आरटीपीई **** संख्या 5/2006	श्री अशोक वैद्य, दिल्ली बनाम एबीएन एम्रो बैंक, नई दिल्ली	यह श्री अशोक वैद्य द्वारा एबीएन, ऐम्रो बैंक, नई दिल्ली के विरुद्ध दायर की गई शिकायत है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एमआरटीपी अधिनियम की धारा 33(1)(क), (ख), (ग), (ञ) और 2(ण) के अंतर्गत बैंक के स्टैण्डर्ड ऋण करार प्रतिबंधित खण्ड के दायरे में आते हैं। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक अनुचित और प्रतिबंधित कार्य कर रहा है। मामले पर पुन: विचार करने हेतु 8.12.2006 की तारीख निश्चित की गई है।
8.	यूटीपीई संख्या 74/2006	श्री शलभ खन्ना, दिल्ली बनाम सिटी बैंक, चेन्नई	यह श्री शलभ खन्ना द्वारा धारा 36ख(क) के अंतर्गत सिटी बैंक के विरुद्ध दायर की गई शिकायत है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी ने उनके खाते से अवैध ढंग से जमाराशि निकालने का अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया है। मामले पर पुन: विचार करने हेतु 5.1.2007 की तारीख निश्चित की गई है।

*यूटीपीई - अनुचित व्यापार व्यवहार जांच

**डीजी (आई एण्ड आर) - महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण)

***एमआरटीपी अधिनियम - एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम

****आरटीपीई - प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार जांच

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन हेतु कोयले तथा गैस की मांग और आपूर्ति

2478 श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री विजय कृष्ण:
श्री रामदास आठवले:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पादन हेतु देश में कोयले तथा गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत उत्पादन हेतु गैस तथा कोयले की मांग और आपूर्ति के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) वर्तमान में, घरेलू संसाधनों से कोयला आपूर्ति की न्यूनतम कमी है किन्तु देश में विद्युत उत्पादन के लिए गैस की कमी है।

11वीं योजना के दौरान व्यवहार्य क्षमता अभिवृद्धि 66,463 मे.वा. मूल्यांकित की गई है जिसमें 42,625 मे. वा. कोयला, 2,114 मेगावाट गैस/एलएनजी तथा 1,375 मेगावाट लिग्नाइट शामिल है। 2011-12 के दौरान विद्युत यूटिलिटियों के लिए कोयला आवश्यकता 537 मिलियन टन (एमटी) होने की संभावना है जबकि घरेलू स्रोतों से विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की प्रक्षेपित उपलब्धता का अनुमान 478 मिलियन टन (सीआईएल 382.35 एमटी, एससीसीएल 29.40 एमटी, कैप्टिव ब्लाक तथा अन्य 65.95 एमटी) लगाया गया है। मानक संयंत्र भार घटक पर विद्युत उत्पादन के लिए गैस की आवश्यकता 2011-12 के दौरान लगभग 69 मिलियन मीट्रिक स्टेण्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन एमएमएससीएमडी है। गैस उपलब्धता परिदृश्य वर्तमान में स्पष्ट नहीं है। यद्यपि कोयले की मांग तथा घरेलू स्रोतों से उसकी पूर्ति के बीच के अंतर को कोयले के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है, किन्तु फिर भी गैस की कमी स्पाट बाजार के माध्यम से समय-समय पर लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) की प्राप्ति तथा रिगैसीफाइड लिक्विफाइड नैचुरल गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति के लिए एनटीपीसी द्वारा की गई फाल बैंक व्यवस्थाओं के माध्यम से पूरी की जा रही है।

इसके अलावा, आने वाले वर्षों में अपने विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कैप्टिव माइनिंग हेतु विद्युत उत्पादकों/यूटिलिटियों को नए कोयला ब्लाकों का आवंटन किया जा रहा है।

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस की उपलब्धता को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही आरंभ की है:-

1. वर्तमान गैस क्षेत्रों/कुओं से प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि करना।
2. नयू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी (एनईएलपी) के अंतर्गत देश के विभिन्न बेसिनों में खोज एवं उत्पादन (ईएण्डपी) गतिविधियों हेतु गैस ब्लाक प्रदान करके घरेलू स्रोतों से गैस की उपलब्धता को बढ़ाना।
3. लिक्वीफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) के रूप में गैस के आयात को प्रोत्साहित करना।

(ड.) कोयले की तुलना में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के लाभ/हानि निम्नवत है-

- प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की ताप विद्युत क्षमता अधिक है (लगभग 43-46 प्रतिशत) जबकि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की क्षमता 35-40 प्रतिशत है।
- कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की तुलना में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की पूंजीगत लागत काफी कम है।
- कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की तुलना में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए भूमि व पानी की आवश्यकता काफी कम है।
- प्राकृतिक गैस राख सृजन में कमी के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है और इसमें ग्रीन हाउस गैस निस्सारण भी कम है।
- प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए निर्माण अवधि कम है अर्थात् लगभग 24-28 माह जबकि इसकी तुलना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए यह अवधि 30-48 माह है।

तथापि युक्तिसंगत कीमतों पर गैस की उपलब्धता का मुद्दा न केवल परियोजनाओं, जो कि चालू होने वाली है के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि देश में विद्यमान गैस आधारित क्षमता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विद्युत क्षमता का उत्पादन 13580 मेगावाट से अधिक है जो कि गैस और तरल ईंधन आधारित है जिसका अधिकांश हिस्सा बेस लोड का निर्माण करता है और संयुक्त साइकिल

प्रचालन के तहत् प्रचालित होता है। ईंधन की कमी के कारण इन संयंत्रों का पीएलएफ लगभग 54% होकर बहुत कम है जबकि इसकी तुलना में वे 90% पीएलएफ पर प्रचालन के योग्य हैं और अप्रैल-नवम्बर, 2006 के दौरान लगभग 18 बिलियन यूनिट उत्पादन हानि हुई थी।

[हिन्दी]

मरुभूमि में बढ़ोतरी

2479. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री हंसराज जी अहीर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में दिनानुदिन मरुभूमि क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) मरुभूमि के ऐसे विस्तार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके पश्चात् कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) इस मंत्रालय की एक परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग, ने वर्ष 2000 में बंजरभूमि संबंधी एटलस (वेस्टलैंड एटलस) प्रकाशित किया गया था और मरुभूमि का क्षेत्रफल लगभग 10.58 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया था। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) ने पुन: वर्ष 2005 में बंजर भूमि संबंधी एटलस प्रकाशित किया है और मरुभूमि का क्षेत्रफल लगभग 8.83 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों आंकड़ों से मरुभूमि के क्षेत्रफल में 1.75 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की कमी आने का पता चलता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के 7 राज्यों में 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में मृदा नमी संरक्षण, जल संसाधन विकास, फसल सुरक्षा, वनीकरण, चारागाह विकास आदि जैसे कार्यकलापों के जरिए मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वर्ष 1995-96 से वाटरशेड पद्धति के आधार पर कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत अभी तक 15746 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 13.37 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 2674 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

[अनुवाद]

बंजर भूमि विकास में निजी भागीदारी

2480. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बंजर भूमि विकास में निजी उद्यमियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने की कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक इस संबंध में कोई परियोजना स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं। योजना आयोग ने बायो-ईंधन के विकास के संबंध में एक समिति (2003) गठित की थी, जिसने वन तथा वनेतर क्षेत्रों, विशेष रूप से बंजर भूमि में जटरोफा करकास के पौधरोपण पर विशेष बल देते हुए बायो-डीजल के संबंध में एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने हेतु सिफारिश की थी। तदनुसार, इस मंत्रालय ने बायो-डीजल मिशन को शुरू करने हेतु कदम उठाए हैं। बंजर भूमि के विकास में निजी उद्यमियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त को देखते हुए, लागू नहीं होता।

विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार

2481. श्री विजय कृष्ण: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं का पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पुनरोद्धार किए जाने हेतु प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्रों के ब्यौरे तथा इनमें प्रत्येक के लिए निर्धारित धनराशि नीचे तालिका के रूप में दर्शाए गए है:-

क्र.सं.	ताप विद्युत केन्द्र का नाम एवं क्षमता	राज्य का नाम	यूनिट	पुनरोद्धार हेतु निर्धारित राशि
1.	मुजफ्फरपुर टीपीएस (2 × 110 मे.वा.) बरौनी टीपीएस (2 × 110 मे.वा.)	बिहार	यूनिट 1 व 2 यूनिट 6 व 7	506 करोड़ रुपये
2.	पतरातु टीपीएस (2 × 110 मे.वा.)	झारखंड	यूनिट 9 व 10	120 करोड़ रुपये*
3.	ओबरा टीपीएस (5 × 40 मे.वा.)	उत्तर प्रदेश	यूनिट 1-5	486 करोड़ रुपये*
4.	बरौनी टीपीएस (2 × 50 मे.वा.)	बिहार	यूनिट 4 व 5	**
5.	चन्द्रपुर टीपीएस (2 × 30 मे.वा.)	झारखंड	यूनिट 1 व 2	**
6.	चन्द्रपुर टीपीएस (3 × 120 मे.वा.)	झारखंड	यूनिट 4-6	**

*अनुमानित राशि

**चूंकि यूनिटों के पुनरोद्धार के लिए कार्यों की विस्तृत गुंजाइश को अंतिम रूप दिया जाना शेष है इस कारण उनके पुनरोद्धार के लिए कोई पृथक निधि आवंटित नहीं की गई है।

(घ) विद्युत संयंत्रों के पुनरोद्धार से होने वाले 11वीं योजना में प्राप्त होंगे। किन्तु लाभों की मात्रा का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सकता है।

भूसंपदा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2482. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री अजेश पाठक:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूसंपदा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अचानक तेजी आयी है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी गई है; और

(ग) भूसंपदा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भूमाफियाओं की गतिविधियों पर कितना अंकुश लगेगा तथा जरुरत मंदों को उचित मूल्य पर आसानी से आवास की उपलब्धता किस हद तक सुनिश्चित हो पाएगी?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां। 2003 से अप्रैल, 2006 तक प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वर्षवार वितरण इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
2003	212.09
2004	641.99
2005	599.76
2006	756.74

(ख) आवास, व्यावसायिक परिसर, रिसार्ट शैक्षणिक संस्थानों, मनोरंजन सुविधाओं, शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की अवस्थापना और उपनगरों आदि सहित निर्माण विकास परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(ग) स्थावर संपदा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि से किफायती कीमतों पर रिहायशी यूनिटों की उपलब्धता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

विज्ञान संबंधी अभिरुचि में गिरता रुझान

2483. श्री राकेश सिंह:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में तीव्र विकास के कारण विज्ञान संबंधी अभिरुचि में गिरावट का रुझान पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि प्रतिभाशाली छात्र अपने अध्ययन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी इंजीनियरी क्षेत्रों, वाणिज्य, व्यापार अर्थशास्त्र आदि जैसे विज्ञान से इतर विषयों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र के इन क्षेत्रकों में उनके लिए जीविका के बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। विशुद्ध विज्ञान के अध्ययन से अलग यह उड़ान प्रारंभिक अवस्था में 10 + 2 के स्तर से ही प्रारंभ हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए राष्ट्रीय अनुपयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार भारत विज्ञान रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि कक्षा VI से VIII के स्तर वाले 22 प्रतिशत छात्र ही शिक्षा के उच्च स्तरों पर विशुद्ध विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं। लेकिन जब यह बात कक्षा XI और XII के छात्रों पर आती है तो विशुद्ध विज्ञान में मात्र 13.4 प्रतिशत ही स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करना चाहते हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने स्कूल और कालेज स्तर से आकर्षक किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्तियां और अनुसंधान स्तर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्तियां, स्वर्णजयन्ती अद्येतावृत्तियां, युवा वैज्ञानिक परियोजनाएं और पुरस्कार जे.सी. बोस और रामानुज अध्येतावृत्तियों के माध्यम से विज्ञान को जीविका के रूप में साधन बनाने के लिए योग्य विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करने हेतु पहले से ही अनेक स्कीमें संस्थापित की हैं। ये सक्रिय अनुसंधानकर्ताओं के लिए आज उपलब्ध अपेक्षाकृत उदार अनुसंधान अनुदान सहायताओं द्वारा सम्पूरित होती हैं। उच्च शैक्षिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार के लिए निधि (फिस्ट) कार्यक्रम के माध्यम से और अनुसंधान सुविधाओं तथा उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना द्वारा सरकार ने हमारे मौलिक विज्ञान अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रतियोगितात्मक अनुसंधान अवसंरचना उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। अभी हाल में कोलकाता, पुणे और चण्डीगढ़ में तीन नये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर) स्थापित किए गए हैं जिनमें अग्रणी और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी अनुसंधान कराने के अलावा एक बहु-विषयी और शैक्षिक रूप से लचीले तथा अनुसंधानोन्मुखी वातावरण में एकीकृत एम एससी कार्यक्रमों को भी चलाया जायेगा।

11वीं योजना में सरकार "इन्सपायर" (इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फार इंस्पायर्ड रिसर्च) नामक एक नई स्कीम प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव कर रही है। प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं होंगी (1) स्कूलों में नवोन्मेष वित्त व्यवस्था (एक मिलियन युवा आविष्कारक); (2) विज्ञान विभूतियों के साथ ग्रीष्म कैंप (उच्च निष्पादकों के लिए); (3) प्रमाणित प्रतिभा बल हेतु सुनिश्चित अवसर की स्कीमें; और (4) सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से सार्वजनिक निधिकृत अनुसंधान में प्रतिभा को बनाए रखना।

[अनुवाद]

कर्नाटक में आवासों का निर्माण

2484. श्री एम. शिवन्ना: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक की सरकार से 34,531 आवासों (आइएसडीपी) के अंतर्गत 23,886 और जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 10,645 का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) कर्नाटक राज्य से शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) के अंतर्गत 8 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (बंगलौर शहर-7 और मैसूर-1) केन्द्रीय संस्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा 123.21 करोड़ रु. के केन्द्रीय अंश के साथ अनुमोदित की गई हैं, इसमें 14,391 रिहायशी ईकाइयां शामिल हैं। आईएचएसडीपी के अंतर्गत 19 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा 4 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को लौटा दिया गया क्योंकि ये स्कीम दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं थी।

जेएनएनयूआरएम

2485. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन से शहरी निर्धनों एवं उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी निर्धनों के अधिकारों का संरक्षण करने और उनकी आजीविका को प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपाय किए गए है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर अपवंचन का पता लगाना

2486. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ पेशेवर लोग कर-अपवंचन का पता लगाने और इससे संबंधित सूचना को एकत्र करने के तरीकों का विकास करने में संलग्न है;

(ख) क्या कर-अपवंचन के लिए जिम्मेदार खामियों को दूर करने और कर-अपवंचन के नए तरीकों को पहचान करने हेतु कोई अध्ययन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेशनल लैंड रिकार्ड्स डेवलपमेंट मिशन

2487. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार नेशनल लैंड रिकार्ड्स डेवलपमेंट मिशन गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) नेशनल लैंड रिकार्ड्स डेवलपमेंट मिशन (एन.एल.आर.डी.एम.) स्थापित करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

2488. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्रधिकरण ने किसानों से सस्ती दरों पर भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन योजनाओं हेतु तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण बाजार दरों पर फ्लैटों/ प्लाटों की बिक्री कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार ने जरूरतमंद लोगों को किफायती दरों पर आवासीय इकाईयां उपलब्ध कराने की अपनी नीति को त्याग दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि वह किसानों से सीधा भूमि अधिग्रहीत नहीं करता। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) का भूमि और भवन विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण से मांग पत्र प्राप्त होने के आधार पर भूमि का अधिग्रहण करता है। मुआवजे की दरें भूमि और भवन विभाग द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा किसानों को इसका भुगतान करने के लिए डीडीए इस प्रकार निर्धारित राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास जमा कराता है।

(ग) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि वह रोहिणी रिहायशी स्कीम 1981 के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को भूखण्ड तथा किसानों/भू-स्वामियों, जिनकी भूमि अधिग्रहित की जाती है, को पूर्व-निर्धारित दरों पर वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नाजूल भुनि का निपटान) नियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार शेष रिहायशी भूखण्डों की नीलामी की जाती है।

पंजीकृत व्यक्तियों को कम्प्यूटरीकृत ड्रा के जरिए प्लैटों का आबंटन किया जाता है। जहां भमि की लागत पूर्व-निर्धारित भूमि दर पर आधारित होती है तथा निर्माण लागत निर्माण की वास्तविक

लागत पर आधारित होती है वहां फ्लैट की कीमत मानक लागत के सिद्धांत पर निकाली जाती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए होस्टल एवं होलीडे होम

2489 **श्री आलोक कुमार मेहता:**
डा. के. धनराजू:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा देश के कई हिस्सों में कई होलीडे होम और होस्टलों का संचालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें कितने कमरे उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को भी उक्त कमरों को आबंटित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का विचार इन होलीडे होम एवं होस्टलों में और अधिक संख्या में कमरे बढ़ाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी हालीडे होम और हास्टल सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हैं।

(ङ) इस समय संपदा निदेशालय में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) नियमित रिहायशी आवास और कार्यालय स्थान उपलब्ध कराये जाने के बाद होलीडे होम और आवास को प्राथमिकता दी जाती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

2490. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य में दूरस्थ गावों के विद्युतीकरण के संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) मंत्रालय ऐसे दूरस्थ गांवों/बस्तियों, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो व्यवहार्य नहीं है या किफायती नहीं है, के अपारंपरिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। ऐसे गांवों/बस्तियों की पहचान का कार्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सौंपा गया है जिन्होंने बिहार में अब तक ऐसे किसी गांव की पहचान नहीं की है। अत: बिहार से दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन और मानव संसाधन परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से ऋण

2491. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा':** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक विश्व बैंक ने गरीबी उपशमन एवं अन्य मानव संसाधन विकास से संबंधित परियोजनाओं हेतु कोई ऋण उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं की संख्या कितनी है और विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक परियोजना हेतु कितना धन आबंटित किए जाने की संभावना है/किया गया है; और

(घ) परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान (आज की तारीख तक)

गरीबी उन्मूलन और मानव संसाधन विकास की सात परियोजनाओं को सहायता देने की वचनबद्धता की है। परियोजनाओं और उनकी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान (आज की तारीख तक) विश्व बैंक द्वारा वचनबद्ध गरीबी उपशमन और मानव संसाधन विकास परियोजाएं

(राशि अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	राज्य/केन्द्र	वित्तीय वर्ष	अनुमोदन की तारीख	वचनबद्ध राशि	कार्यान्वयन एजेंसी
1.	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली	स्वास्थ्य	कर्नाटक	2006-07	22 अगस्त, 2006	141.8	कर्नाटक सरकार
2.	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, द्वितीय चरण	स्वास्थ्य	केन्द्रीय क्षेत्र	2006-07	22 अगस्त, 2006	360.00	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
3.	द्वितीय राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण परियोजना	स्वास्थ्य	केन्द्रीय क्षेत्र	2006-07	22 अगस्त, 2006	170.00	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
4.	तमिलनाडु अधिकारिता और गरीबी उपशमन	गरीबी उपशमन	तमिलनाडु	2005-06	12 जुलाई, 2005	120.00	तमिलनाडु सरकार
5.	सर्वशिक्षा अभियान-1	शिक्षा	केन्द्रीय क्षेत्र	2004-05	20 अप्रैल, 2004	500.00	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
6.	एकीकृत रोग निगरानी परियोजना	स्वास्थ्य	केन्द्रीय क्षेत्र	2004-05	8 जुलाई, 2004	68.00	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
7.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	स्वास्थ्य	तमिलनाडु	2004-05	16 दिसम्बर, 2004	110.80	तमिलनाडु सरकार

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली

2492. श्री मो. ताहिर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण को विभिन्न राज्यों में ऋणी लोगों द्वारा वापस लौटाया जा रहा है;

(ख) गत कुछ वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत दी गई ऋण की धनराशि को नहीं लौटाने वाले चूककर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऋण की वसूली करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वसूली निम्नानुसार थी:-

निम्नांकित अवधि की स्थिति के अनुसार	वसूली-प्रतिशत
मार्च 2004	34.96
मार्च 2005	35.39
मार्च 2006	35.25

तथापि, कुछ राज्यों में वसूली की दर 30% से भी कम है।

(घ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वसूली में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों से लोक ऋण वसूली अधिनियम के अंतर्गत राजस्व के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार योजना ऋण की अतिदेय राशियों को अधिसूचित करने के लिए कहा गया है।

2. सम्बद्ध जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारियों के साथ बैंकों द्वारा संयुक्त वसूली अभियान।

3. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋणों के दुरुपयोग तथा जानबूझकर चूक करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर करना।

4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उन राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त लक्ष्य प्रदान करना जिनका ऋण वसूली कार्य बेहतर है।

5. उन राज्यों को कम लक्ष्यों का आबंटन जहां वसूली 30% से कम है।

डेहरी घाट में विद्युत केन्द्र की स्थापना

2493. चौ. मुनव्वर हसन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में डेहरीघाट में विद्युत केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डेहरीघाट में विद्युत केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना से संबंधित कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) 10.06.2003 को लागू हुई विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता को थर्मल उत्पादन के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि, जल-उत्पादन स्टेशन की स्थापना का इरादा रखने वाली कंपनी को ऐसी योजना तैयार कर सहमति हेतु प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उतना पूंजी व्यय शामिल होगा जितना अधिसूचना द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में देहरी घाट पर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों हेतु योजना

2494. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा की जाएगी और उन्हें उनकी बचत से सुरक्षित निवेश के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ समूह ने इस संबंध में वरिष्ठ नागरिक मुद्रा स्फीति संरक्षण बचत योजना नामक एक नई योजना का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) लघु निवेशकों के हितों की रक्षा करने और उनकी बचतों के सुरक्षित निवेश के लिए नए अवसर संबंधी विशेषज्ञ दल ने अन्य बातों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ की कतिपय वास्तविक दर सुनिश्चित करने के लिए "वरिष्ठ नागरिक मुद्रा स्फीति संरक्षण बचत योजना" नामक एक नई योजना की अनुशंसा की है।

(घ) लगातार सौम्य मुद्रास्फीति परिदृश्य और और मुद्रास्फीति की प्रत्याशा न होने के मद्देनजर ऐसी योजना की कोई आवश्यकता नहीं है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु संयुक्त कोष

2495. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एवं आसियान देश क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु संयुक्त कोष का सृजन करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विनियामक रूपरेखा तैयार करने पर कोई सहमति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) द्वारा नई दिल्ली में 6-7 नवम्बर, 2006 को 12वां प्रौद्योगिकी सम्मेलन और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म 2006 का आयोजन किया गया जिसमें आसियान भी भागीदार था । इस सम्मेलन में भारत-आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर सह-अध्यक्ष के वक्तव्य के एक भाग के रूप में संयुक्त अनुसंधान तथा विकास और जैव प्रौद्योगिकी, भेषज, खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि और उन्नत पदार्थों सहित समान हित के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास शुरू करने पर विचार करने के लिए एक भारत-आसियान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष का सृजन करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में एक विनियामक रूपरेखा तैयार करने के लिए विस्तृत ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य

2496. डा. के. धनराजू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श उपलब्ध कराता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान किए गए अनुसंधान कार्यों और निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरे किये गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) ने 20 अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की थीं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इन अध्ययनों को पूरा करने का निर्धारित समय 31 मार्च, 2006 था। 6 अध्ययनों को निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया, 9 अध्ययनों को निर्धारित समय के बाद पूरा किया गया। शेष 5 परियोजनाएं पूरा होने को हैं।

जैसा कि संलग्न विवरण-II में देखा जा सकता है, वर्ष 2006-07 के दौरान एनआईआरडी द्वारा 38 अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गईं। इन परियोजनाओं को पूरा करने का निर्धारित समय 31.3.2007 है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 के दौरान एनआईआरडी द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	पूरा करने की तारीख
1	2	3
1.	स्व-सहायता द्वारा शारीरिक विषमताओं से जूझना : वेलुगू परियोजना का केस अध्ययन	31.03.2006
2.	ग्रामीण महिलाओं द्वारा आत्महत्या और उससे जूझने के तंत्र	31.03.2006
3.	ग्रामीण युवा का सशक्तिकरण: युवा विकास केन्द्रों का अध्ययन	31.03.2006
4.	ग्रामीण विकास कार्यकर्त्ताओं के बीच उत्साह और अपने कार्य में संतुष्टि दर्शाने वाले सूचक	31.03.2006
5.	जीआरएएमएसएटी पर विशेष अध्ययन - उपयोगिता एवं प्रभाव	31.03.2006
6.	माइक्रो ऋण वित्तपोषण के माध्यम से अल्पसंख्यकों का आर्थिक विकास : एक मूल्यांकन	31.03.2006
7.	तमिलनाडु में पेयजल हेतु वर्षा जल एकत्र करने के लिए सामुदायिक और सरकारी पहलें	अप्रैल, 2006

1	2	3
8.	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर पर अध्ययन	अप्रैल, 2006
9.	'चुनावी राजनीति में सामाजिक आंदोलन की भागीदारी के माध्यम से सहभागितापूर्ण पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन की स्थापना' एक सम्मिलित अध्ययन (टीआईएसएस) मुम्बई के सहयोग से।	अप्रैल, 2006
10.	लघु स्तर पर भारत के लिए जीआईएस आधारित विकास मानचित्र	मई, 2006
11.	सूचना का अधिकार और पंचायती राज संस्थाओं पर एक सम्मिलित अध्ययन	मई, 2006
12.	एसजीआरवाई के अंतर्गत खाद्यान्न सुपुर्दगी तंत्र - दो राज्यों में एक अध्ययन	जून, 2006
13.	सफल आईसीटी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण	जुलाई, 2006
14.	टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन के लिए कोष का उपयोग - तीन राज्यों में डीआरडीए/जेडपी का एक अध्ययन	अगस्त, 2006
15.	विशिष्ट नजरिए से लेखा परीक्षा - जिले और उसके निचले स्तर की ग्रामीण विकास संस्थाओं पर एक अध्ययन	अक्टूबर, 2006
16.	राज्य पहल के माध्यम से गरीबों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा : राज्यों पर एक अध्ययन	31.12.2006
17.	संस्थागत व्यवस्थाओं और कृषि प्रणालियों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन : छोटे और सीमान्त कृषकों के लिए व्यवहारिक विकल्प	31.12.006
18.	परंपरागत प्रसूति परिचारियों (टीबीए) के तौर पर काम करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति	31.01.2007
19.	हरियाली के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं का कार्यान्वयन : चुनिंदा राज्यों में एक अध्ययन : प्रक्रियात्मक अध्ययन	31.12.2006
20.	आईएवाई का क्रियान्वयन : मुद्दे और उपलब्धियां - एक देशव्यापी अध्ययन	31.12.2006

विवरण II

वर्ष 2006-07 के दौरान एनआईआरडी द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाएं

क्र.सं.	अनुसंधान अध्ययन शीर्षक
1	2
1.	प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक जुटाव : जनशाला माडल के दस्तावेजों का अध्ययन
2.	प्रभावित क्षेत्रों में प्रस्तावित पोलावारम परियोजना का जनजातियों के जीवन पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
3.	जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण : कुछ नमूनों का अध्ययन
4.	जनजातीय क्षेत्रों में शासन 1. पीईएसए, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र और शासन 2. भूमि और विकास आधारित संसाधनों का शासन 3. वनों का शासन 4. शासन, विकास और नक्सलवाद
5.	सक्षमता निर्धारण : ग्रामीण विकास कार्यकर्त्ताओं पर एक अध्ययन

1	2
6.	ग्रामीण महिलाओं में उद्यमशीलता का विकास
7.	सामुदायिक रेडियो का ग्रामीण लोगों की संचार आवश्यकताओं पर प्रभाव
8.	स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विशिष्ट संदर्भ में सेवाओं के विकेन्द्रीकृत वितरण में पंचायतों की भूमिका
9.	पर्यावरण संरक्षण में वाटरशेड विकास का प्रभाव : झारखण्ड और मध्य प्रदेश में एक अध्ययन
10.	वन प्रबंधन दृष्टिकोण : जेएफएम और स्व-पहल से वन प्रबंधन के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन
11.	संयुक्त वन प्रबंधन में प्रोत्साहजनक ढांचा : एक केस अध्ययन
12.	वाटरशेड विकास में भागीदारों की भागीदारी : दो राज्यों में अध्ययन
13.	ग्राम पंचायतों में संसाधनों के संवर्धन के लिए की गई पहल - 4 राज्यों में अध्ययन
14.	एसजीएसवाई के अंतर्गत गैर-कृषि क्षेत्र में अच्छी प्रथाएं
15.	जिले के लिए एक व्यापक ग्रामीण विपणन योजना
16.	महिला सशक्तिकरण के लिए पहल
17.	महिलाओं के लिए सम्मिलित लघु उद्यमों के शुरूआती कारक
18.	एसजीएसवाई उत्पादों के विपणन हेतु सहभागिता नीतियां: निजी क्षेत्र संपर्कताओं का एक अध्ययन
19.	एसजीएसवाई और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में सहयोग के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का ऋण वितरण तंत्र
20.	निर्धन ग्रामीणों को ऋण प्रदान करने में लघु - वित्त संस्थाओं की भूमिका
21.	सामान्य सम्पत्ति संसाधनों का प्रबंधन : नागालैण्ड और मेघालय में सामुदायिक वन प्रबंधन का एक तुलनात्मक अध्ययन
22.	आत्म निर्भरता पर स्वैच्छिक कार्य : चित्रकूट लोनी और पेरियार विकास माडल का एक अध्ययन
23.	लघु ऋण वितरण प्रणालियों पर निर्धनों के हित में नीति
24.	समुदाय आधारित मानीटरिंग प्रणाली पर एक अध्ययन - पिछले वर्ष से आस्थगित
25.	स्व-सहायता समूहों के स्थायित्व के लिए संघ की भूमिका और प्रभाव
26.	राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क से निष्कासित जनजाति का पुनर्वास - कर्नाटक में एक अध्ययन
27.	नक्सलवाद से प्रभावित पिछड़े क्षेत्रों में विकास पहल और उपयुक्त विकास पैकेज पर एक अध्ययन
28.	वन निवासियों के स्थायी जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सूचकांक : लघु वन उत्पाद का एक केस
29.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विपणन आपूर्ति श्रृंखला के सुधार के लिए कृषि - बागवानी उत्पादों के मूल्य संवर्धन की समस्याएं और संभावनाएं
30.	सिक्किम में स्वरोजगार के अवसर
31.	शिफ्टिंग कलटिवेशन एरियाज (डब्ल्यूडीपीएससीए) के लिए वाटरशेड विकास परियोजना का प्रभाव, जीआईएस और आरएस तकनीक के प्रयोग से "उमत्रेयक्यू वाटरशेड, रि भोई जिला, मेघालय पर एक अध्ययन
32.	ग्रामीण पूर्वोत्तर में महिला उद्यमियों का अध्ययन
33.	असम के कृषि मौसमी क्षेत्र में स्थानीय कृषि प्रथाओं पर अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण
कार्य अनुसंधान परियोजनाएं	
34.	जीआईएस, जीपीएस, आरएस और लघु मौसम स्टेशन के उपयोग से सटीक कृषि माडल
35.	निजामाबाद और झांसी जिलों में एनआईआरडी कार्य अनुसंधान ग्राम पंचायतों के लिए सहभागी जीआईएस माडल
36.	संपर्कता और सूचना संसाधनों के सम्मिलित प्रयोग पर एसआईआरडी का क्षमता निर्माण
37.	मीडिया/सामाजिक क्षेत्र से डीआरडी एजेंसियों और पंचायती. राज संस्थाओं के बीच संपर्क
38.	समेकित विकास के लिए कमजोर वर्ग के सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण पहलें

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार

2497. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में सुधारों का प्रथम चरण हाल ही में शुरू हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुधारों के प्रथम चरण में भारत के विचार न मानने के क्या कारण हैं; और

(घ) सुधारों का दूसरा चरण कब तक शुरू किया जाएगा तथा ये सुधार किन क्षेत्रों में किए जाने वाले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। पहले चरण में चीन, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको और टर्की के कोटों में संतुलित तदर्थ वृद्धि समविष्ट है।

(ग) पहले चरण के पक्ष में अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कुल वोट क्षमता 85 प्रतिशत से भी अधिक ने वोट दिया था।

(घ) सुधारों का दूसरा चरण तब आरंभ होगा जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वोटिंग क्षमता का बहुमत नए कोटा फार्मूला के पक्ष में वोट देगा, और वर्तमान वोटिंग क्षमता का कम से कम 85 प्रतिशत आधारित वोटों के स्तर में वृद्धि के लिए वोट देगा। सुधारों का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की बदलती हुई सापेक्ष आर्थिक क्षमता के अनुरूप कोटा के आबंटनों को संशोधित करना और उभरते हुए तथा विकासशील देशों के मताधिकार को बढ़ाना है।

फेरी लगाने वाले

2498. श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री रनेन बर्मन:
श्री सुब्रत बोस:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फेरी लगाने वाले के संबंध में एक विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या आधुनिकीकरण अभियान के कारण शहरी फेरी वालों को अपनी आजीविका कमाने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनकी समस्या का उन्मूलन करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) फेरी लगाने वालों के संबंध में कार्य की देख-रेख करना राज्यों का विषय है, इसलिए केंद्रीय सरकार को फेरी लगाने वालों के संबंध में विधान बनाने का अधिकार नहीं है।

(ग) शहरी फेरीवालों के समक्ष स्थानीय तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा बलपूर्वक बेदखली किए जाने, बुनियादी सुविधाओं की कमी, यथा-सार्वजनिक शौचालय, पेयजल, बिजली, कचरा निपटान, उनके माल के लिए भंडारण सुविधा जैसी समस्याएं आती हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि फेरी लगाने वालों के संबंध में कार्य की देख-रेख करना राज्यों का विषय है लेकिन इस मंत्रालय ने जनवरी, 2004 में शहरी फेरी वालों पर राष्ट्रीय नीति बनाई थी ताकि फेरी वालों को जीविका कमाने के लिए एक अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के साथ-साथ भीड़-भाड़ में कमी, तथा सार्वजनिक ,स्थानों व गलियों में साफ-सफाई बनाए रखना सुनिश्चित हो और इस नीति को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनकी स्थानीय स्थितियों के अनुरूप तथा साथ ही न्यायालय के निर्णय, यदि कोई हो, के अनुसरण में समुचित रूप से अपनाने हेतु परिचालित किया गया।। शहरी फेरी वालों पर राष्ट्रीय नीति की खास-खास बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

शहरी फेरीवालों के लिए राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं

इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी आबादी के महत्वपूर्ण घटक शहरी फेरी वालों द्वारा समाज को दिये जाने वाले योगदान को मान्यता मिले और फेरी कार्य को सम्मानपूर्ण जीवन-यापन का साधन बनाने का प्रावधान करना और इसमें सहायता देकर इसे शहरी गरीबी उपशमन के लिए महत्वपूर्ण पहल प्रयास माना जाये। नीति के बुनियादी उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

* संबंधित कानूनों के संशोधन, अधिनियमन, निरसन और कार्यान्वयन द्वारा फेरी वालों को कानूनी हैसियत देना और शहरी विकास/जोनिंग योजनाओं में समुचित फेरी जोन उपलब्ध कराना।
* शहरी विकास/जोनिंग योजनाओं में फेरी जोन के सृजन सहित अभिज्ञात स्थानों के समुचित उपयोग के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

* विवेकाधीन लाइसेंसों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों में फेरी लगाने पर संख्यात्मक सीमाएं बांधने के स्थान पर नाममात्र के शुल्क के आधार पर फेरी लगाने के कार्य को विनियमित करना। यहां बाजार की ताकतें जैसे कीमत, गुणता और मांग फेरी वालों की संख्या निर्धारित करेंगे। ऐसी मांग असीमित नहीं हो सकती।

* फेरी वालों को शहरी वितरण प्रणाली का अभिन्न और उचित अंग मानकर उन्हें शहरी विकास/जोनिंग योजनाओं का विशेष घटक बनाना।

* फेरी वालों के बीच स्व-अनुपालन को प्रोत्साहित करना।

* फेरीवालों की अधिकारिता को सुविधाजनक बनाने के लिए फेरीवालों के संगठनों अर्थात् संघों/सहकारी समितियों/संगठनों के गठन को बढ़ावा देना।

* फेरी वालों के संगठनों, (संघों/सहकारी समितियों/संगठनों), स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय प्राधिकरणों, पुलिस, आवासीय कल्याण संगठन (आरडब्ल्यूए) तथा अन्य के प्रतिनिधित्व से भागीदारी प्रणाली गठित करना ताकि शहरी फेरी कार्यकलापों को सही ढंग से चलाया जा सके।

* बाल फेरीवालों के पुनर्वास और स्कूली शिक्षा के लिए समुचित प्रावधान करके उनके भविष्य को बेहतर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उपाय करना।

* एस.एच.जी./कोआपरेटिवों/संघों/लघु वित्त संस्थानों इत्यादि के गठन को बढ़ावा देकर फेरीवालों को सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा आदि) एवं क्रेडिट सुलभता में सहायता करना तथा इसे प्रोत्साहित करना।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश

2499. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार, सरकार के महत्वाकांक्षी सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम के वित्त पोषण हेतु आंतरिक सृजन बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) से अधिक लाभांश की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को कोई निवेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय ने समर्पित फ्रेट कोरीडोर परियोजना निर्मित करने में मदद हेतु अगले पांच वर्षों के लिए केन्द्र सरकार को लाभांश का भुगतान करने से छूट की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से आशा की जाती है कि वे सरकार को उसी तरह भुगतान करेंगी जैसे कि कोई कंपनी अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करती है। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ कमाने वाली उन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जिन्हें अधिकांश रूप से सरकार द्वारा धारित किया गया है, से अपेक्षा की जाती है कि इक्विटी पर 20 प्रतिशत के न्यूनतम लाभांश (प्रयोज्य लाभों के उपलब्ध होने पर) अथवा कर देने के बाद हुए लाभ के 20 प्रतिशत न्यूनतम लाभांश, इनमें से जो भी अधिक हो, का भुगतान करे। तेल, पेट्रोलियम, रसायन एवं आधारभूत ढांचा कंपनियों के संबंध में न्यूनतम लाभांश कर पश्च लाभ का 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। ऊपर जिनका उल्लेख किया गया है वे केवल दिशा-निर्देश हैं और भारी रोकड़/नि:शुल्क आरक्षित निधि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आशा की जाती है कि वे अपनी क्षमता के अनुरूप अधिक लाभांश का भुगतान करें।

(ग) और (घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान करते हैं, उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को दोहराते हुए हर वर्ष अनुदेश जारी करती है।

(ङ) वित्त मंत्रालय को रेल मंत्रालय से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें सामान्य राजस्वों को लाभांश के भुगतान से छूट मांगी गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीमेट्री स्टेशन

2500. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भौगोलिक परिवर्तनों का अध्ययन/अनुवीक्षण करने के कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस संबंध में टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) देश के विभिन्न भागों में भू-वैज्ञानिक परिवर्तनों का मानीटरन करने से संबंधित अध्ययन मूल रूप से भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और देश के विभिन्न अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग अध्ययन कर रहा है और 'भू-स्खलन, हिमनदीय अध्ययन, चतुर्थांश भू-वैज्ञानिक मानचित्रण, सक्रिय भ्रंश मानचित्र इत्यादि जैसे भू-विज्ञानी परिवर्तन के कुछ पहलुओं का मानीटरन कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग देश में और आस-पास भूकंपीय सक्रियता का मानीटरन करने के कार्य में लगा हुआ है।

(ख) भू-वैज्ञानिक परिवर्तन मूलत: दो प्रकार के होते हैं, अर्थात् बाहरी और आंतरिक। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग इन दोनों पहलुओं पर अध्ययन करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश के विभिन्न भागों में सामयिक और स्थानिक सक्रियता के फैलाव का मॉनीटरन किया जा रहा है, इससे इस क्षेत्र में चल रही भू-वैज्ञानिक/भूकंप-विवर्तनिकी प्रक्रियाओं की भी जानकारी मिलेगी।

(ग) और (घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पहले से ही दिल्ली क्षेत्र के आस-पास भूकंप सक्रियता का गहन मानिटरन करने के लिए 16 फील्ड स्टेशनों को शामिल करते हुए एक उपग्रह आधारित भूकंपीय दूरमिति प्रणाली प्रचालित की हुई है। 24 स्टेशनों को शामिल करके इस दूरमिति प्रणाली का उन्नयन किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इसी प्रकार की दूरमिति प्रणाली उत्तर-पूर्वी भारत में भी स्थापित करने की कार्रवाई कर रहा है। ये दूरमिति प्रणालियां बेहतर विभेदन के साथ समय और स्थान में भूकंपनीयता का गहन मानीटरन कर सकेंगी और इस क्षेत्र में विभिन्न भू-विज्ञानी भ्रंशों के संभावित खतरे का भी मूल्यांकन कर सकेंगी।

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन

2501. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का नई जैव-प्रौद्योगिकी नीति लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार युवा वैज्ञानिकों के लिए कुछ प्रोत्साहनों की भी घोषणा करने वाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) विभिन्न पणधारियों, संबंधित मंत्रालयों और विभागों, गैर-सरकारी संगठनों और पॉलिसी बनाने वालों के साथ विचार-विमर्श करके जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति तैयार की गई है। जैवप्रौद्योगिकी कार्यनीति का आधारभूत लक्ष्य खोज को बढ़ावा देने वाले तथा स्थिर रखने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र की तैयारी को सुविधाजनक करना है।

मानव संसाधन विकास, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने, जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने, विनियामक तंत्र तथा जन जागरूकता, विशिष्ट उप क्षेत्रों के लिए एक कार्य-योजना से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए ड्राफ्ट कार्यनीति एक व्यापक रूपरेखा है। महत्वपूर्ण कार्य-योजना जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्यमयी प्राथमिकताओं तथा कार्यविधियों को निर्देशित करेगी। मसौदा दस्तावेज पर एक व्यापक चर्चा के उपरान्त मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए एक नोट को परिचालित किया गया है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित कार्यनीति के तहत पॉलिसी का उद्देश्य जीव विज्ञान के क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को आकर्षित करने को सुनिश्चित करना है। विशेष भत्ते जैसे कि पीएच.डी और पोस्टडाक्टोरल फैलोशिप, मुख्य क्षेत्रों में विदेशी फैलोशिप की संख्या में वृद्धि, युवा वैज्ञानिकों के लिए विशेष यात्रा अनुदान योजना और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए युवा वैज्ञानिकों को प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान और विकास सहायता देने की भी परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त एक खोजी युवा बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड भी गठित किया गया है ताकि खोजी विचार करने वाले उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों को बढ़ावा मिल सके और उनके अनुसंधान प्रयासों में उन्हें मदद मिल सके।

स्वास्थ्य बीमा

2502. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण का विचार एक अलग स्वास्थ्य इकाई स्थापित करने का है जैसाकि दिनांक 17 नवम्बर, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वास्थ्य बीमा पर कार्य समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) ऐसी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) का स्वास्थ्य बीमा को विशेष महत्व देने के लिए एक कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में, अलग से एक स्वास्थ्य बीमा विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) नवम्बर 2004, में आईआरडीए द्वारा गठित स्वास्थ्य बीमा पर कार्यकारी दल ने डाटा उप-समूह गठित करने की सिफारिश की थी, जिसने बाद में, निम्नलिखित तीन समितियों के गठन के लिए सिफारिश की थी:

1. स्वास्थ्य बीमा डाटा पर डाटा उप-समूह की सिफारिशो पर आगे की कार्रवाई करने के लिए उप समिति।
2. स्वास्थ्य बीमा में नवोत्पाद तथा विशेष रूप से "पहले से विद्यमान बीमारियों" की परिभाषा की जांच हेतु उप समिति।
3. एकल आधार पर काम करने वाली स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के पंजीकरण की जांच करने के लिए उप-समिति।

तीनों उप समितियों ने अपनी रिपोर्ट कार्यकारी दल को प्रस्तुत की । आईआरडीए द्वारा इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

डीआरयूएम के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रशिक्षण

2503. प्रो. एम. रामदास: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिस्ट्रीब्यूशन रिफोर्म्स अपग्रेड्स एण्ड मैनेजमेंट (डीआरयूएम) के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है;

(ख) अब तक कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है;

(ग) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की प्रगति तथा निष्पादन पर ऐसे प्रशिक्षण का क्या प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) सभी कर्मचारियों को कितनी समयावधि में प्रशिक्षण दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय ने वितरण सुधार, उन्नयन एवं प्रबंधन (डीआरयूएम) परियोजना जिसके लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, के अंतर्गत 20,000 यूटीलिटी इंजीनियरों, प्रबंधकों तथा विनियामक आयोगों के स्टाफ कर्मिकों को सितम्बर 2008 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अक्टूबर 2006 के अंत तक कार्यक्रम के अंतर्गत 7563 भागीदारों को पहले की प्रशिक्षित किया जा चुका है।

डीआरयूएम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण गतिविधि क्षेत्रीय रूप में विस्तृत है और ये प्रशिक्षण भौगोलिक दृष्टि से इधर-उधर फैले कई भारतीय संस्थानों के माध्यम से कराये जाते हैं। डीआरयूएम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य विद्युत वितरण प्रणालियों और वाणिज्यि के फ्रेमवर्क की स्थापना संबंधी ज्ञान का प्रसार करना है जो कि त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के लक्ष्य हैं। इस कार्यक्रम से एपीडीआरपी के कार्यान्वयन पर उपयुक्त प्रभाव पड़ा है जिसके तहत वितरण व्यवसाय के सभी पहलुओं में दक्ष और जानकार इंजीनियरों और अधिकारियों का संवर्ग बनाया जाना, उपभोक्ताओं के साथ पारस्परिक क्रिया और वितरण के सभी तकनीकी, वाणिज्यिक और प्रचानात्मक पहलू आदि शामिल हैं।

भूख के कारण हुई मौतें

2504. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के प्रचालन के बावजूद देश में भूख के कारण हुई मौतों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से भुखमरी से मृत्यु की कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बाद राजस्व में बढ़ोत्तरी

2505. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की राजस्व आय बढ़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इसके परिणामस्वरूप केन्द्र तथा राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों में कितनी वृद्धि हुई हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र तथा राज्य स्तर पर ऐसी कितनी बढ़ोत्तरी हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों से राज्यों द्वारा किए जाने वाले राजस्व संग्रहण के आंकड़े वित्त मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। दिनांक 1.3.2005 से प्रभावी पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क यथामूल्य और विशिष्ट दरों का योग है जैसा कि नीचे दिया गया है।

पेट्रोल: 8% + 13 रु. प्रति लिटर

डीजल: 8% + 3.25 रु. प्रति लिटर

पेट्रोल और डीजल से यथा मूल्य और विशिष्ट शुल्क संघटकों के लिए पृथक रूप से उत्पाद शुल्क संग्रहण संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए राजस्व संग्रहण पर मूल्य परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रभाव को दर्शाना संभव नहीं है। वित्त वर्ष 2004-05 और 2005-06 (अस्थाई) के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क क्रमश: 56395 करोड़ रु. और 63144 करोड़ रु. था।

जमाराशि पर ब्याज दर

2506. श्री पंकज चौधरी:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ब्याज से होने वाली आय पर निर्भर लघु बचत खाता धारकों/पेंशनरों को कम लाभ के कारण पेश आ रही समस्याओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) लघु बचत योजनाएं निवेशकों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के मद्देनजर तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में शून्य जोखिम, नियमित आय, कर-छूट और आसानी से पहुंच जैसे कई प्रोत्साहन हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 नामक एक नई बचत योजना 2 अगस्त, 2004 से प्रारंभ की गई है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए निवेश की सुरक्षा, निधियों की नकदी और प्रचालनात्मक सुविधा सहित आय के नियमित प्रवाह की आवश्यकता की पूर्ति हेतु तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की एक समान ब्याज दर तिमाही आधार पर देय है, जो बाजार में किसी अन्य तुलनीय बचत संबंधी लिखत में उपलब्ध ब्याज से कहीं अधिक है।

ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत अनुदान

2507. श्री बापू हरी चौरे:
श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत विद्युत वितरण में घाटे को पूरा करने के लिए विशेष अनुदान प्रदान करने हेतु कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) राज्य सरकारों को कब तक अनुदान जारी किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) मंत्रालय ने त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत अपनी हानि को कम करने के उद्देश्य से अपने विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए राज्यों से

अनुमोदन हेतु 86 परियोजानएं प्राप्त की हैं। त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के कार्यान्वयन हेतु गठित एपीडीआरपी स्टीयरिंग कमेटी ने 1587.62 करोड़ रुपये के परिव्यय के इन प्रस्तावों को "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है। ये अनुमोदन 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार द्वारा एपीडीआरपी जारी रखने के अनुमोदन के अधीन हैं और बशर्ते कि यूटिलिटियां 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एपीडीआरपी के पुनर्गठित फारमेट में शामिल की जाने वाली सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत हों।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

2508. श्रीमती नीता पटैरिया:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अपने हिस्से के विनिवेश के प्रस्तावों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) 6 जुलाई 2006 को, सरकार ने विनिवेश संबंधी सभी निर्णयों तथा प्रस्तावों को आगे पुनरीक्षा किए जाने तक, जो अभी की जानी है, आस्थगित रखने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र का विकास

2509. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश में विद्युत क्षेत्र गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र के विकास में आ रही प्रमुख बाधाओं की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) योजना आयोग के अनुसार, विद्युत की कमी और पहुंच के अभाव, आर्थिक वृद्धि में प्रमुख बाधाएं बने हुए हैं और यह कि विद्युत क्षेत्र में सबसे बड़ी कमजोरी वितरण की ओर से है जो पूरी तरह से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है।

सरकार ने विद्युत क्षेत्र की समस्याओं से निपटने तथा इसे प्रतियोगी और व्यावहारिक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहल की हैं-

* विद्युत मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई और इस बात पर सहमति हुई कि राज्य क्षेत्र में तथा साथ ही प्रतियोगी बोली के माध्यम से नई परियोजनाओं को शुरू करने हेतु तुरंत कार्रवाई की जाए। भूमि, जल, स्वीकृति और ईंधन हेतु गठबंधन के प्रावधान से संबंधित उपयुक्त प्रारंभिक कार्य किया जाना चाहिए। आदेश समय से जारी करने के साथ-साथ परियोजना के निर्माण को सावधानीपूर्वक मानीटर करना चाहिए ताकि लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

* टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली रूट के अंतर्गत लगभग 4000 मेगावाट प्रत्येक के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों का विकास।

* कुछ तकनीकी तथा व्यापारिक हानियों को कम करने, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने, राजस्व एकत्रीकरण में वृद्धि करने, उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) शुरू किया गया है।

* सुधारों की प्रगति के निर्धारण के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीज की आवधिक रेटिंग।

* ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित विद्युतीकरण हेतु स्टैंड एलोन प्रणाली को अनुमति देना।

* गांवों और ग्रामीण घरों के लिए त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण तथा हानियों को कम करने के लिए, बिजली की चोरी को कम करने हेतु उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली आरंभ करना।

* सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीति।

* उत्पादन मदों के बेहतर उपयोग हेतु विद्युत व्यापार को बढ़ावा देना।

* नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नई उत्पादन योजनाओं के माध्यम से क्षमता में वृद्धि में सहायता के लिए त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी)।

* कम पीएलएफ वाले विद्युत केंद्रों की पहचान की गई है और बेहतर परिचालन कार्यों को अपनाने हेतु ''उत्कृष्टता के लिए भागेदारी'' योजना के अंतर्गत इनके बेहतर कार्य निष्पादन वाले केंद्रों के साथ संबद्ध किया गया है।

* अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लिंकों के सुदृढ़ीकरण द्वारा विद्युत के अंतरराज्यीय एवं अंतर-क्षेत्रीय अंतरण में वृद्धि, अंततोगत्वा राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण करना।

* ऊर्जा संरक्षण के उपायों का कार्यान्वयन/ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्थापित किया गया है।

* राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा तैयार किए गए विनियमों के अनुसार चरणबद्ध वितरण में खुली पहुंच।

हडको आवास योजनाएं/परियोजनाएं

2510. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्री जोवाकिम बखला:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा पूर्ण की गई आवास योजनाओं/परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निकट भविष्य में शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्याओं को सुलझाने हेतु हडको द्वारा शुरू की जाने वाली आवास योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हडको सामुदायिक शौचालयों तथा स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु राज्य सरकारों, कार्पोरेट क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों तथा धर्मार्थ ट्रस्टों/संस्थानों को ऋण देता है; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी श्रेणी-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा स्वीकृत आवास ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) हडको, राज्य सरकारों, आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, सहकारी समितियों और विभिन्न अन्य सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र संगठनों को आवास, शहरी अवस्थापना, भूमि अधिग्रहण, स्लम और पर्यावरणीय सुधार स्कीमों आदि के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है।

(घ) पिछले दो वर्षों में श्रेणीवार राज्यवार ऋण स्वीकृति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण I

31.3.2004 की स्थिति अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान श्रेणी-वार स्वीकृत ऋण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	स्कीमों की सं.	आवास परियोजनाएं									
			ईडब्ल्यूएस (आर)	ईडब्ल्यूएस (यू)	एलआईजी	एमआईजी	एचआईजी/ अन्य	भूमि अर्जन	कुल	आईएलसीएस/ आईबीएस	शहरी आवास	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नॉन कॉन: सीजीई, लाभदायी, निजी बिल्डर और कार्यशील पूंजी शामिल												
राज्य												
1.	आंध्र प्रदेश	38	30015.41	0.00	0.00	0.00	19543.70	0.00	49559.11	35321.26	61390.36	146774.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	0.00	0.00	0.00	0.00	763.23	0.00	763.23	0.00	0.00	763.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	10	0.00	555.50	841.50	624.00	1465.00	0.00	3486.00	0.00	1190.00	4676.00
4.	बिहार	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	11	0.00	2420.00	0.00	0.00	1234.00	0.00	3654.00	253.29	2735.00	6642.22
6.	दिल्ली	4	0.00	0.00	0.00	0.00	3817.80	0.00	3817.80	0.00	5200.00	98017.80
7.	गोवा	3	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	13500.00	13700.00
8.	गुजरात	14	0.00	2314.75	0.00	0.00	10751.68	0.00	13066.43	0.00	77548.00	90614.42
9.	हिमाचल प्रदेश	9	0.00	0.00	0.00	0.00	28761.52	761.60	29523.12	0.00	45044.06	74567.16
10.	झारखण्ड	2	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	656.59	4656.59
11.	जम्मू-कश्मीर	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31025.00	31025.00
12.	केरल	7	5512.50	835.50	0.00	0.00	500.13	0.00	6851.13	0.00	18151.34	25002.47
13.	कर्नाटक	57	14356.14	8522.70	6214.70	5662.68	7706.89	0.00	42463.12	0.00	204733.64	247196.83
14.	मेघालय	3	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	10950.00	11240.00
15.	महाराष्ट्र	24	0.00	450.00	0.00	0.00	4330.44	0.00	4780.44	0.00	191637.00	196417.46
16.	मणिपुर	4	0.00	0.00	802.00	198.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00
17.	मध्य प्रदेश	27	0.00	86.00	237.47	131.40	9349.67	3867.71	13672.25	0.00	27180.66	40852.91
18.	मिजोरम	3	0.00	200.00	150.00	151.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00
19.	नगालैंड	16	0.00	5.00	32.00	32.00	2933.14	0.00	3002.14	0.00	1924.00	4926.14
20.	उड़ीसा	13	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	60570.00	63170.00
21.	पंजाब	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1827.59	1827.59
22.	राजस्थान	12	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	54396.00	87396.00
23.	तमिलनाडु	30	6707.29	0.00	0.00	0.00	5366.00	0.00	22073.29	0.00	41511.79	53585.07
24.	त्रिपुरा	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तरांचल	9	0.00	388.60	0.0	0.00	2702.52	13894.00	16985.12	0.00	1700.00	18685.12
26.	उत्तर प्रदेश	23	0.00	526.59	48.74	593.03	41795.40	377.13	43340.69	0.00	49570.72	92911.61
27.	पश्चिम बंगाल	22	0.00	0.00	0.00	0.00	3116.00	0.00	3116.00	0.00	98063.00	101179.00
	संघ शासित प्रदेश											
28.	पांडिचेरी	2	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	150.00
	कुल	364	59091.34	20307.64	8326.50	7542.11	147627.12	18900.44	261795.16	35577.53	1031105.25	1329478.00

इसमें निवल सहित कुल स्वीकृति
ऋण राशि : 1341531.00 लाख

31.3.2005 की स्थिति अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान श्रेणी-वार स्वीकृत ऋण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	स्कीमों की सं.	आवास परियोजनाएं							आईएलसीएस/ आईबीएस	शहरी आवास	कुल
			ईडब्ल्यूएस (आर)	ईडब्ल्यूएस (यू)	एलआईजी	एमआईजी	एचआईजी/ अन्य	भूमि अर्जन	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नॉन कॉन: सीजीई, लाभदायी, निजी बिल्डर और कार्यशील पूंजी शामिल												
राज्य												
1.	आंध्र प्रदेश	24	11700.00	0.00	0.00	0.00	11280.14	0.00	22980.14	0.00	142847.45	165827.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	360.00	550.00
3.	असम	18	0.00	63.40	2002.60	4000.00	1218.00	94.00	7978.00	0.00	1595.37	9373.27
4.	बिहार	2	125000.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	125170.00	0.00	0.00	125170.00
5.	छत्तीसगढ़	10	0.00	0.00	10000.00	0.00	3093.73	0.00	13093.73	0.00	1254.00	14347.73
6.	दिल्ली	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7270.00	7270.00
7.	गोवा	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00
8.	गुजरात	10	0.00	63.06	0.00	0.00	12200.00	0.00	12263.06	0.00	114600.00	126863.06
9.	हिमाचल प्रदेश	5	0.00	0.00	0.00	0.00	404.60	246.61	651.21	0.00	11272.33	11923.54
10.	हरियाणा	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3397.00	0.00	3397.00	0.00	0.00	3397.00
11.	झारखण्ड	3	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	10055.00	60035.00
12.	जम्मू-कश्मीर	4	0.00	0.00	0.00	0.00	995.94	235.71	1231.65	0.00	315.00	1346.63
13.	केरल	5	0.00	0.00	9100.00	0.00	435.00	0.00	9535.00	0.00	5708.00	15243.00
14.	कर्नाटक	30	8300.00	22242.52	0.00	0.00	16025.00	0.00	46567.52	0.00	83475.00	130042.52
15.	मेघालय	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
16.	महाराष्ट्र	38	0.00	0.00	0.00	0.00	6475.00	0.00	6475.00	0.00	324375.00	330830.00
17.	मणिपुर	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	35	0.00	1346.51	0.00	1052.26	1416.92	48.27	3865.98	0.00	123256.62	127122.80
19.	मिजोरम	1	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
20.	नागालैंड	25	0.00	0.00	0.00	0.00	3356.00	0.00	3356.00	0.00	5070.00	8426.00
21.	उड़ीसा	14	5250.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	5910.00	0.00	33293.00	45203.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	राजस्थान	5	0.00	2500.00	0.00	0.00	3000.00	4364.00	9864.00	0.00	10000.00	19664.70
23.	तमिलनाडु	22	0.00	441.35	0.00	0.00	701.60	0.00	1142.95	0.00	46563.41	47706.36
24.	उत्तरांचल	6	0.00	343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	343.92	0.00	3072.00	3415.92
25.	उत्तर प्रदेश	16	0.00	53.51	54.22	744.44	12992.83	3300.00	17145.00	0.00	52316.00	69461.00
26.	पश्चिम बंगाल	27	0.00	0.00	0.00	100.00	14690.00	0.00	14790.00	249.17	31592.59	46631.76
	संघ शासित प्रदेश											
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
28.	पांडिचेरी	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.00	1245.00
	कुल	317	200250.00	27054. 27	21656.82	5896.72	93303.76	8288.59	356450.12	249.17	1021735.94	1378425.12

इसमें निवल खरीद कुल स्वीकृति
ऋण राशि : 1386162.12 लाख

31.3.2006 की स्थिति अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान श्रेणी-वार स्वीकृत ऋण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	स्कीमों की सं.	आवास परियोजनाएं							आईएलसीएस/ आईबीएस	शहरी आवास	कुल
			ईडब्ल्यूएस (आर)	ईडब्ल्यूएस (यू)	एलआईजी	एमआईजी	एचआईजी/ अन्य	भूमि अर्जन	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नॉन कॉर्न: सीजीई, स्वाभदानी, निची बिल्डर और कार्यशील पूंजी शामिल												
	राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	19	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	955.00	0.00	205265.22	206220.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00
3.	असम	10	0.00	0.00	0.00	0.00	5633.00	0.00	5633.00	0.00	354.00	5987.00
4.	बिहार	10	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	406.00	1000.00
5.	छत्तीसगढ़	14	0.00	400.00	2020.00	73.28	2139.13	0.00	4632.41	0.00	35691.00	40323.41
6.	दिल्ली	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	5500.00
7.	गोवा	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	1700.00
8.	गुजरात	12	0.00	0.00	0.00	0.00	38040.00	0.00	38040.00	0.00	72000.00	110040.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	हिमाचल प्रदेश	4	0.00	0.00	0.00	0.00	497.73	0.00	497.73	0.00	53000.00	63497.73
10.	हरियाणा	1	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00
11.	झारखण्ड	6	4800.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	5300.00	0.00	628.92	5929.92
12.	जम्मू-कश्मीर	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00
13.	केरल	5	0.00	3723.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3723.72	0.00	6924.00	10647.72
14.	कर्नाटक	10	0.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	0.00	67159.26	99659.26
15.	मेघालय	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	888.00
16.	महाराष्ट्र	31	0.00	0.00	0.00	0.00	17950.00	0.00	17950.00	0.00	63512.05	81462.08
17.	मणिपुर	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	18	0.00	494.50	0.00	0.00	2106.92	0.00	2603.42	0.00	101327.00	103930.48
19.	मिजोरम	6	0.00	0.00	165.00	835.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	2777.00	3777.00
20.	नगालैंड	21	0.00	0.00	120.00	130.00	2750.00	15.00	3015.00	0.00	4790.00	7305.00
21.	उड़ीसा	5	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	39600.00	39600.00
22.	पंजाब	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	3797.00	3801.16
23.	राजस्थान	4	0.00	0.00	0.00	0.00	9800.00	0.00	9800.00	0.00	55130.45	64930.46
24.	तमिलनाडु	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1806.83	0.00	1806.83	0.00	1200.00	3006.83
25.	त्रिपुरा	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	5400.00
26.	उत्तरांचल	5	0.00	0.00	0.00	0.00	2625.00	0.00	2625.00	0.00	2210.96	4835.96
27.	उत्तर प्रदेश	9	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	8567.00	18567.00	0.00	27113.12	45680.12
28.	पश्चिम बंगाल	14	0.00	0.00	0.0	0.00	9212.00	0.00	9212.00	0.00	12250.00	21462.00
	संघ शासित प्रदेश											
29.	चंडीगढ़	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
30.	पाण्डिचेरी	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55388.00	55388.00
	कुल	224	4800.00	17118.22	2305.00	1036.28	114811.66	8582.00	148655.16	39.16	855343.94	1004038.31

हडको निवेश सहित कुल स्वीकृति

ऋण राशि : 1009919.31 लाख

विवरण II

वर्ष 2005-2006 के दौरान आवास स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत ऋण

(करोड़ रु. में)

राज्य	राज्य सरकारों/आवास बोर्डों/विकास प्राधिकरणों को स्वीकृत ऋण	कारपोरेट/निजी क्षेत्र को स्वीकृत ऋण राशि	गैर-सरकारी संगठनों/धर्मार्थ संस्थानों/न्यासों को स्वीकृत ऋण राशि
आंध्र प्रदेश	0.00	9.55	0.00
असम	50.00	6.33	0.00
बिहार	0.00	11.49	0.00
छत्तीसगढ़	36.04	10.28	0.00
गुजरात	352.00	26.90	2.00
हिमाचल प्रदेश	4.98	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	100.00	0.00
झारखण्ड	48.00	5.00	0.00
कर्नाटक	125.00	0.00	0.00
केरल	37.24	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	4.95	21.50	0.10
महाराष्ट्र	100.00	179.50	0.00
मिजोरम	10.00	0,00	0.00
नागालैंड	25.15	5.00	0.00
उड़ीसा	0.00	2.00	0.00
पंजाब	0.00	0.09	0.35
राजस्थान	0.00	98.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	22.33	0.00
उत्तर प्रदेश	85.67	100.00	0.00
उत्तरांचल	0.00	26.25	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	92.12	0.00
कुल	879.03	716.34	2.45

वर्ष 2004-2005 के दौरान आवास स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत ऋण

(करोड़ रु. में)

राज्य	राज्य सरकारों/आवास बोर्डों/विकास प्राधिकरणों को स्वीकृत ऋण	कारपोरेट/निजी क्षेत्र को स्वीकृत ऋण राशि	गैर-सरकारी संगठनों/धर्मार्थ संस्थानों/न्यासों को स्वीकृत ऋण राशि
आंध्र प्रदेश	117.00	112.80	
अरुणाचल प्रदेश	1.90	0.00	
असम	70.79	8.99	
बिहार	1250.00	1.70	
छत्तीसगढ़	136.07	5.71	
गुजरात	101.21	22.00	
हिमाचल प्रदेश	6.51	0.00	
हरियाणा	0.00	33.97	
झारखण्ड	500.00	0.00	
जम्मू-कश्मीर	12.32	0.00	
कर्नाटक	395.43	70.25	
केरल	111.50	0.00	
मध्य प्रदेश	21.70	17.44	
महाराष्ट्र	0.00	71.75	
मिजोरम	5.00	0.00	
नागालैंड	33.00	0.56	
उड़ीसा	54.10	5.00	
राजस्थान	98.64	0.00	
तमिलनाडु	4.42	7.02	
उत्तर प्रदेश	63.72	107.73	
उत्तरांचल	3.45	0.00	
पश्चिम बंगाल	146.90	1.00	
कुल	3133.66	465.92	0

रसायनों की तस्करी

2511. श्री उदय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल ही में देश में पेंटिंग्स में छुपाकर कई करोड़ रुपये की केटामाइन (डेट ड्रग) तथा अन्य प्रतिबंधित रसायनों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तस्करी गिरोह की कार्य प्रणाली क्या है तथा क्या उससे पूछताछ की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तस्करी गिरोह की कार्य प्रणाली पेंटिंग्स के पैकेटों में छुपाकर कोरियर के माध्यम से देश के बाहर केटामाइन की तस्करी करना था। इस संबंध में अवैध बाजार में 1.40 करोड़ रु. मूल्य के कुल 400 कि.ग्रा. केटामाइन जब्त की गई थी और एक ताईवानी नागरिक को पकड़ा गया है।

(घ) केटामाइन (डेट ड्रग) तथा अन्य प्रतिबंधित रसायनों की देश से बाहर तस्करी को रोकने और समाप्त करने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क और चौकस हैं।

व्यपगत बीमा पालिसी

2512. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रति वर्ष बहुत सी बीमा पालिसियां व्यपगत हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि इसकी प्रतिवर्ष लगभग 5% पालिसियां व्यपगत हो जाती हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यपगत पालिसियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	प्रचलन में औसत कारोबार	वर्ष के दौरान व्यपगत पालिसियों की संख्या	व्यपगत पालिसियों का प्रतिशत
2003-04	14,63,53,011	76,37,200	5.22
2004-05	15,84,36,032	85,33,424	5.39
2005-06	17,12,57,388	95,50,596	5.58

(ग) एलआईसी ने सूचित किया है कि उन्होंने इस संबंध में निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए हैं:-

(i) प्रीमियम की अदायगी के लिए प्रीमियम नोटिस नियत तारीख से एक महीना पहले भेजे जाते हैं।

(ii) नियत तारीख को प्रीमियम अदा नहीं किए जाने की स्थिति में पहला व्यपगत नोटिस तीन महीने के बाद भेजा जाता है।

(iii) इसके बावजूद भी प्रीमियम अदा नहीं किए जाने की स्थिति में, छ: महीने के बाद अंतिम व्यपगत नोटिस जारी किया जाता है।

(iv) विशेष पुन: प्रचलन अभियान कार्यक्रम आयोजित करना।

कोच्ची के लिए मेट्रो रेल

2513. श्री पी.सी. थामस:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोच्ची तथा इसके उपनगरीय इलाकों के लिए मेट्रो रेल हेतु विस्तृत परियोजना अनुमोदन के लिए सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर कोच्ची में एक भूमोपरि हल्की मेट्रो प्रणाली कार्यान्वित

करने का प्रस्ताव है। यह 25.3 कि.मी. लाइन है जो अल्वाई से पेट्टा तक प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत 1966 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने इसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट) आमंत्रित की हैं। इनमें से एक निजी भागीदार को चुना जाना है। राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई है कि वह प्रौद्योगिकी-निष्पक्ष बोली प्रक्रिया अपनाए।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लेने का प्रश्न केवल तभी उठता है जब राज्य सरकार से अपेक्षित व्यवहार्यता कमी सहायता की मात्रा संबंधी औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होता है।

तारापोर समिति की रिपोर्ट का क्रियान्वयन

2514. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई वर्गों ने तारापोर समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों विशेषकर पूंजी खाता पूर्ण-परिवर्तनीयता को लागू करने के संबंध में गहरा विरोध जताया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) 'पूंजी खाता पूर्ण परिवर्तनीयता' संबंधी समिति की रिपोर्ट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक सूचना हेतु उनकी वैबसाइट (www.rbi.org.in) पर रखा गया है लेकिन अभी तक उन्हें समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का कोई भारी विरोध किए जाने के संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर विभिन्न वित्तीय समाचार-पत्रों में इस बाबत कई सम्पादकीय टिप्पणियां/लेख प्रकाशित हुए हैं। कुछ लोगों ने उदारीकरण में तेजी लाने की वकालत की है जबकि अन्य ने सतर्कता की नीति अपनाने का सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

2515. **श्री काशीराम राणा:**
श्री वी.के. ढुम्मर:
डॉ. मुनव्वर हसन:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं से संबंधित लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये प्रस्ताव सरकार को किस तिथि को प्राप्त हुए थे;

(ग) उक्त परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) मंत्रालय के पास गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गायब हो गई कंपनियां

2516. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गायब हुई कंपनियों तथा उनके प्रवर्तकों से जुड़े मुद्दों की जांच करने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रगति की निगरानी हेतु केन्द्रीय समन्वय एवं निगरानी समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी कंपनियों तथा प्रवर्तकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(ग) आज तक उनसे कितनी धनराशि की वसूली की गई है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने लुप्त हुई कंपनियों के रूप में चिन्हित कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

(i) भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406, 403, 415, 418 और 424 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए 102 कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना।

(ii) आज की तारीख में लुप्त कंपनियों के रूप में चिन्हित कुल 114 कंपनियों में से 107 कंपनियों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत अभियोजन दायर करना।

(iii) सेबी ने सेबी अधिनियम की धारा 11ख के अंतर्गत 100 कंपनियों और 378 निदेशकों को पूंजी बाजार से किसी भी रूप में पैसा लेने से पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिबंधित किया है।

(ग) ऊपर वर्णित कार्रवाई किये जाने के अतिरिक्त, दो चुनिंदा लुप्त कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा प्राप्त किये गए सम्पत्ति/धन को वापस प्राप्त करने के लिए इन दो लुप्त कंपनियों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 406 के साथ पठित धारा 397/398/402/408 के अंतर्गत कम्पनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के समक्ष याचिकाएं भी दायर की हैं। कम्पनी विधि बोर्ड ने मैसर्स नुलाईन ग्लासवेयर (इंडिया) लिमिटेड (वर्तमान में मैसर्स पुर ओपेल क्रिएशन्स लिमिटेड के रूप में ज्ञात) के मामले में याचिका निरस्त कर दी है, जिसके विरुद्ध कम्पनी कार्य मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की है। मैसर्स एबीआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड अन्य मामले में सीएलबी द्वारा निर्णय लिया जाना है।

सांसदों के आवासों का रखरखाव

2517. श्री मित्रसेन यादव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सांसदों के आवासों के रखरखाव हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को वार्षिक धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आबंटित धनराशि में से प्रत्येक सांसद के आवास के रखरखाव हेतु निधियों के आबंटन का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सांसदों के आवास के रखरखाव हेतु जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान पहली बार माननीय सांसदों के निवासों के रखरखाव के लिए 17 करोड़ रु. का अलग से नियतन (सामान्य मरम्मत कार्य) किया गया है। पहले के.लो.नि.वि. द्वारा सामान्य अनुरक्षण बजट से अनुरक्षण किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में लागू नहीं।

पेयजल की कमी

2518. श्री अजीत जोगी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में पेयजल की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू-जल स्तर गिरता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली जल बोर्ड (डीजीबी) ने यह सूचित किया है कि जल की समग्र उपलब्धता कुल मिलाकर संतोषजनक है। दिल्ली में पेयजल की कुल आवश्यकता लगभग 900 मिलियन गेलन प्रति दिन (एमजीडी) है जिसकी तुलना में दिल्ली में जल की कुल उपलब्धता लगभग 725 एमजीडी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने यह सूचित किया है कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथार्टी (नोयडा) और ग्रेटर नोयडा में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में पेयजल की कमी है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह बताया है कि संबंधित प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों द्वारा निम्नवत कदम उठाए गए हैं:-

(i) फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) ने अतिरिक्त 40 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 57 नए नलकूप लगाये हैं तथा 32 मौजूदा नलकूपों को बदला है।

(ii) फरीदाबाद नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने दो बरसाती कुंओं और 18 नलकूपों का निर्माण करके फरीदाबाद के लिए जल आपूर्ति बढ़ाने हेतु स्कीम का फेज-I कार्यान्वित किया है।

(iii) फरीदाबाद नगर निगम और हुडा ने 45.4 एमएलडी तक जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दो और बरसाती

कुंओं का निर्माण करके फरीदाबाद में स्कीम का फेज-II शुरू करने का निर्णय लिया है।

(iv) हरियाणा के मेवात क्षेत्र के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 5 कस्बों और 503 गांवों में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 205.91 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक परियोजना अनुमोदित की है।

(v) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने गंगा नदी से 100 क्यूसेक तथा गाजियाबाद और नोयडा की जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए कार्य शुरू किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु अपेक्षित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान" नामक एक संकल्पना रिपोर्ट तैयार की है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मेनुअल/गाइड भेजी है ताकि वे क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के अधीन भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी परामर्शदात्री परिषद भी गठित की गई है।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संबंध है, दिल्ली में 100 वर्ग मीटर और इससे अधिक के भूखण्ड क्षेत्र वाले सभी नए भवनों के लिए वर्षा जल का संग्रहण करने की व्यवस्था करना अनिवार्य बनाया गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रमश: 100 वर्ग मीटर और 500 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक भूखण्ड क्षेत्र वाले भवनों के लिए भी वर्षा जल का संग्रहण अनिवार्य बनाया है। राजस्थान सरकार ने भी अलवर जिले में वर्षा जल का उपयोग करके भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार की है।

[अनुवाद]

सांद्रित दूध पर शुल्क में छूट

2519. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सांद्रित दूध पर उत्पाद शुल्क में छूट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी छूट दिए जाने के बावजूद भी दूध की कीमतें आज भी देश के आम आदमी की पहुंच के बाहर हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) 9 सितम्बर, 2004 से सरकार ने सांद्रित दूध, जिसमें अधिक चीनी अथवा मीठा तत्व नहीं हो, को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा है।

(ग) और (घ) यह सूचित किया गया है कि दूध मुख्य रूप से कच्चा दूध, दूध का पाउडर और सफेद मक्खन से पुन: तैयार होता है। सांद्रित दूध का उपयोग बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, इसलिए दूध की कुल कीमत पर सांद्रित दूध पर उत्पाद शुल्क की छूट का बहुत प्रभाव होता है। दूध सहित किसी भी वस्तु का मूल्य अनेक कारकों पर निर्भर होता है, जैसे, मांग और पूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थिति, मुद्रास्फीति आदि और उत्पाद शुल्क उन तत्वों में से केवल एक तत्व है। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, इसने सांद्रित दूध सहित दूध को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया है और इस प्रकार, उन तत्वों में से एक तत्व को समाप्त कर दिया है जिसके कारण इसकी कीमत बढ़ सकती थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में संशोधन

2520. श्री अधीर चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय को केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में संशोधन के लिए समिति गठित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है तथा आगे क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में अगले वेतन संशोधन के संबंध में समिति गठित किए जाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह समिति केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों

की निम्नलिखित श्रेणियों के वेतन ढांचे, भत्तों, परिलब्धियों और लाभों की जांच करेगी:

(i) बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों;

(ii) बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों (एक्जीक्यूटिव्स);

(iii) अ-यूनियनीकृत पर्यवेक्षकीय कर्मचारी वर्ग।

वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 30.11.2006 को समिति के गठन को अधिसूचित कर दिया है।

गरीबी उपशमन

2521. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री जी.वी. हर्षकुमार:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री हितेन बर्मन:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यवर्ती समीक्षा के अनुसार सरकार गरीबी उपशमन हेतु अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आर्थिक सुधारों, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के विशेष संदर्भ में गरीबी उपशमन एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 20-सूत्री कार्यक्रम का पुनर्गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में विद्यमान गरीबी की वर्तमान स्थिति राज्य-वार क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा उपयोग की गई;

(च) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य अभी प्राप्त किए जाने हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए वर्ष 2007 तक 5 प्रतिशत एवं वर्ष 2021 तक 15 प्रतिशत तक गरीबी कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

शहरी क्षेत्रों में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 01.12.1997 से सम्पूर्ण भारत में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जरिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में प्रथमत: नौवीं कक्षा तक ही पढ़े व्यक्तियों द्वारा स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर तथा द्वितीयत:, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार मुहैया कराके शहरी बेरोजगारों एवं अल्परोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने की संकल्पना की गयी है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत सम्पूर्ण भारत में लघु/समूह उद्यमों की स्थापना के जरिए 4,00,000 शहरी गरीबों को रोजगार अवसर मुहैया कराने तथा 5,00,000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2005-06 तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से दी गयी सूचना के अनुसार संचयी रूप में लघु उपक्रमों की स्थापना के लिए 4,50,949 शहरी गरीबों को सहायता दी गयी है तथा 4,89,737 शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) सरकार ने बीस-सूत्री कार्यक्रम के पुनर्गठन को अनुमोदित किया है तथा इसे बीस-सूत्रीय कार्यक्रम-2006 (टीपीपी-2006) कहा जायेगा। बीस सूत्रों की एक सूची तथा प्रत्येक सूची के अंतर्गत आने वाले मद विवरण-I में हैं।

(घ) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999-2000 में किए गये आकलन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गरीबों की राज्यवार संख्या एवं प्रतिशत विवरण-II में है।

(ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी केन्द्रीय धनराशि तथा व्यय विवरण-III में है।

(च) और (छ) बीस-सूत्री कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना तथा सामान्य आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन लक्ष्यों को हासिल करना सतत प्रक्रिया है। पुनर्गठित बीस-सूत्री कार्यक्रम-2006 दिनांक 1.4.2007 से आरंभ होगा। दिनांक 31.3.2007 तक मौजूदा बीस-सूत्री कार्यक्रम-86 चालू रहेगा।

विवरण I

बीस-सूत्री कार्यक्रम 2006 के तहत मानीटर किए जाने वाले मदों की सूची

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्र/मद का नाम
1	2	3
I		**गरीबी हटाओ (गरीबी उन्मूलन)**
		ग्रामीण क्षेत्र
	1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार सृजन
	2.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
	3.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
	4.	पंचायतों के साथ साझेदारी में ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र
	5.	स्वयं सहायता समूह
		शहरी क्षेत्र
	6.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
II		**जन शक्ति**
	7.	स्थानी स्व-शासन (पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय)
		-कार्य सौंपने के लिए एक्टिविटी मैपिंग
		-धनराशि का बजट प्रवाह
		-कार्यकर्त्ताओं का कार्य-निर्धारण
	8.	तेज एवं सस्ता न्याय- ग्राम न्यायालय एवं न्याय पंचायत
	9.	जिला आयोग समितियां
III		**किसान मित्र**
	10.	जलसंभर विकास एवं सूखी भूमि पर कृषि
	11.	किसानों के लिए विपणन एवं आवस्थापनात्मक सहायता
	12.	कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं (लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई सहित)
	13.	किसानों के लिए क्रेडिट
	14.	भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण
IV		**श्रमिक कल्याण**
	15.	कृषि एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
	16.	न्यूनतम मजदूरी प्रवर्त्तन (फार्म श्रमिक सहित)
	17.	बाल श्रम का निषेध
	18.	महिला श्रमिकों का कल्याण
V		**खाद्य सुरक्षा**
	19.	खाद्य सुरक्षा
		(i) लक्षित जन वितरण प्रणाली
		(ii) अंत्योदय अन्न योजना
		(iii) चिरकालिक खाद्यान्न के अभाव वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न बैंक की स्थापना करना
VI		**सबके लिए आवास**
	20.	ग्रामीण आवास—इंदिरा आवास योजना
	21.	शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास
VII		**शुद्ध पेयजल**
	22.	ग्रामीण क्षेत्र
		-स्वजलधारा
		-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यकलाप
	23.	शहरी क्षेत्र
		-त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम
VIII		**जन जन का स्वास्थ्य**
	24.	बड़ी बीमारियों का नियंत्रण एवं निषेध:
		(क) एचआईवी/एड्स (ख) टीबी (ग) मलेरिया (घ) कुष्ठ रोग (ङ) अंधापन
	25.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
	26.	बच्चों का प्रतिरक्षण

1	2	3
	27.	ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में सफाई कार्यक्रम
	28.	इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी
	29.	नारी भ्रूणहत्या का निषेध
	30.	महिलाओं एवं बच्चों के लिए अनुपूरक पोषण
	31.	दो बच्चों का मानदंड
IX		**सबके लिए शिक्षा**
	32.	सर्व शिक्षा अभियान
	33.	मिड डे मील स्कीम
X		**अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**
	34.	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के परिवार
	35.	मैला ढोने वालों का पुनर्वास
	36.	सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति के परिवार
	37.	वनवासियों के अधिकार—गोंड वन उत्पाद के मालिक
	38.	आदिम जनजाति समूह
	39.	जनजातिय भूमि का हस्तांतरण नहीं करना
	40.	पंचायतों का कार्यान्वयन (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पीईएसए)
	41.	अल्प संख्यकों का कल्याण
	42.	अभी अल्पसंख्यक समुदायों में व्यवसायिक शिक्षा
	43.	-शिक्षा में -रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण
XI		**महिला कल्याण**
	44.	महिला कल्याण के लिए वित्तीय सहायता
	45.	(क) पंचायत (ख) नगरपालिका (ग) राज्य विधान सभा (घ) संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना

1	2	3
XII		**बाल कल्याण**
	46.	आईसीडीएस स्कीम को व्यापक बनाना
	47.	कार्यात्मक आंगनबाड़ी
XIII		**युवा विकास**
	48.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेलकूद
	49.	राष्ट्रीय सद्भावना योजना
	50.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम
XIV		**बस्ती सुधार**
	51.	सात-सूत्री चार्टर नामत: भूमि टेन्योर, किफायती लागत पर आवास, जल, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत सहायता प्राप्त शहरी गरीब परिवारों की संख्या
XV		**पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि**
	52.	वन वृद्धि
		(क) सरकारी एवं वन्य भूमि पर पौधारोपण के लिए ली गई भूमि
		(ख) सरकारी एवं वन्य भूमि पर रोपे गए पौधों की संख्या
	53.	नदियों एवं जलाशयों में प्रदूषण को रोकना
	54.	-ग्रामीण क्षेत्रों में -शहरी क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन
XVI		**सामाजिक सुरक्षा**
	55.	विकलांगों एवं अनाथों का पुनर्वास
	56.	वृद्धों का कल्याण
XVII		**ग्रामीण सड़क**
	57.	ग्रामीण सड़क—पीएमजीएसवाई
XVIII		**ग्रामीण ऊर्जा**
	58.	बायो-डीजल उत्पादन
	59.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1	2	3
	60.	पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा
	61.	अर्जीत करने वाले पम्पसेट
	62.	विद्युत की आपूर्ति
	63.	केरोसीन एवं एलपीजी की आपूर्ति
XIX		**पिछड़ा क्षेत्र विकास**
	64.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष
XX		**ई-शासन**
	65.	केन्द्र एवं राज्य सरकार
	66.	पंचायत एवं नगरपालिका

विवरण *II*

राज्यों में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या एवं प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	शहरी	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का %
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	60.88	26.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	7.47
3.	असम	2.38	7.47
4.	बिहार	49.13	32.91
5.	गोवा	0.59	7.52
6.	गुजरात	28.09	15.59
7.	हरियाणा	5.39	9.99
8.	हिमाचल प्रदेश	0.29	4.63
9.	जम्मू-कश्मीर	0.49	1.98
10.	कर्नाटक	44.49	25.25
11.	केरल	20.07	20.27
12.	मध्य प्रदेश	81.22	38.44
13.	महाराष्ट्र	102.87	26.81
14.	मणिपुर	0.66	7.47
15.	मेघालय	0.34	7.47
16.	मिजोरम	0.45	7.47
17.	नागालैंड	0.28	7.47
18.	उड़ीसा	25.40	42.83
19.	पंजाब	4.29	5.75
20.	राजस्थान	26.78	19.85
21.	सिक्किम	0.04	7.47
22.	तमिलनाडु	49.97	22.11
23.	त्रिपुरा	0.49	7.47
24.	उत्तर प्रदेश	117.88	30.89
25.	पश्चिम बंगाल	33.38	14.86
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0.24	22.11
27.	चंडीगढ़	0.45	5.75
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.03	13.52
29.	दमन और दीव	0.05	7.52
30.	दिल्ली	11.42	9.42
31.	लक्षद्वीप	0.08	20.27
32.	पाण्डिचेरी	1.77	22.11
	समग्र भारत	670.07	23.62

नोटः-

1. असम के गरीबी अनुपात का उपयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा के लिए किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा के व्यय वितरण का उपयोग गोवा के गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए किया जाता है।
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा तथा जम्मू व कश्मीर के व्यय वितरण का उपयोग जम्मू व कश्मीर के गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए किया जाता है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का उपयोग पांडिचेरी एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का उपयोग चंडीगढ़ की शहरी गरीबी के लिए किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा दादर व नगर हवेली के गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए किया जाता है।
7. गोवा के गरीबी अनुपात का उपयोग दमन व दीव के लिए किया गया है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का उपयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया है।

विवरण III

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत गत तीन वर्षों के राज्य-वार जारी केन्द्रीय राशि एवं सूचित व्यय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
		जारी केन्द्रीय राशि	केन्द्रीय राशि में से सूचित व्यय	जारी केन्द्रीय राशि	केन्द्रीय राशि में से सूचित व्यय	जारी केन्द्रीय राशि	केन्द्रीय राशि में से सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	1390.19	1390.19	1116.41	319.86	1526.17	289.97
2	अरुणाचल प्रदेश	7.84	140.34	7.69	26.16	0.00	125.11
3.	असम	0.00	669.94	245.07	405.94	0.00	538.51
4.	बिहार	425.38	425.38	468.09	468.09	681.66	0.00
5.	छत्तीसगढ़	229.65	170.00	119.31	115.06	405.67	146.52
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	260.19	170.04	164.36	283.12	0.00	572.16
8.	हरियाणा	569.95	435.52	668.47	432.66	681.12	673.71
9.	हिमाचल प्रदेश	32.58	60.09	2.17	38.59	45.36	34.45
10.	जम्मू-कश्मीर	30.41	106.20	128.17	72.25	9.06	55.92
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	577.46	985.44	1165.15	796.92	822.99	756.29
13.	केरल	610.50	610.50	554.95	554.95	681.26	117.91
14.	मध्य प्रदेश	818.32	687.70	931.49	886.47	1596.76	1196.69
15.	महाराष्ट्र	322.56	1335.80	1508.66	1835.83	2552.92	2055.94
16.	मणिपुर	0.00	184.45	0.00	0.00	111.39	232.70
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	522.79	522.79	491.04	491.04	351.90	351.90
19.	नागालैंड	1.90	59.67	34.02	34.02	194.51	194.51
20.	उड़ीसा	0.00	291.61	48.91	162.04	469.86	211.92
21.	पंजाब	0.00	199.77	0.00	107.35	39.68	36.65

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	122.96	151.86	256.29	217.68	495.38	497.69
23.	सिक्किम	163.21	34.62	0.00	92.43	0.00	36.26
24.	तमिलनाडु	648.58	648.58	511.69	511.69	924.36	397.61
25.	त्रिपुरा	354.26	146.10	352.18	434.68	0.00	130.49
26.	उत्तरांचल	46.27	41.39	160.31	11.12	309.14	16.08
27.	उत्तर प्रदेश	1571.74	1732.80	2622.61	2811.28	3071.43	3155.45
28.	पश्चिम बंगाल	883.26	739.08	424.02	767.88	617.47	755.29
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0.00	31.97	0.00	58.16	0.00	63.67
30.	चंडीगढ़	278.37	73.90	28.64	49.84	0.00	42.12
31.	दादरा एवं नगर हवेली	14.63	69.29	0.00	7.35	0.00	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	21.09	0.00	25.30	0.00	20.81
34.	पाण्डिचेरी	191.00	55.76	191.00	235.34	0.00	401.59
	कुल	10074.00	12191.87	12200.70	12253.10	15588.09	13107.92

*इस व्यय में पहले के वर्षों में जारी धनराशि में से व्यय की गयी राशि शामिल है क्योंकि एसजेएसआरवाई एक चल रही स्कीम है।

जब्त की गई संपत्तियों का निपटान

2522. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व विभाग ने कर वसूली प्रक्रिया में कई संपत्तियों को जब्त किया है जैसा कि 7 अक्तूबर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन संपत्तियों का निपटान कर दिया है/ किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) महोदय, संपत्तियों की कुर्की तथा उनकी नीलामी आयकर विभाग के कर वसूली तंत्र की एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के अंतर्गत उचित प्राधिकरण द्वारा खरीदी गई संपत्तियां जब्तशुदा/कुर्कशुदा संपत्तियां नहीं हैं क्योंकि उचित प्राधिकरण कर वसूली प्रक्रिया का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है जैसा कि दिनांक 7 अक्तूबर, 2006 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में सूचित किया गया है। अत: विभाग का संपत्तियों की शुफा खरीद का अधिकार कर वसूली से पूर्णत: भिन्न है।

(ख) कुर्कशुदा संपत्तियों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। अपेक्षित सूचना एकत्र करने में समय लगेगा और प्रयास करना होगा जो प्राप्त किए जाने वाले वांछित लक्ष्य के अनुरूप नहीं होगा। जहां तक आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के अंतर्गत बनाई गई संपत्तियों की शुफा खरीद का संबंध है, उचित प्राधिकरण द्वारा खरीदी गई 55 संपत्तियां मुकदमे से मुक्त हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए कुर्कशुदा संपत्तियों के संबंध में प्रश्न नहीं उठता। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के अतंर्गत चालू वित्त वर्ष में उचित प्राधिकरण द्वारा खरीदी गई सात संपत्तियों की नीलामी में बिक्री की गई है।

(ङ) नीलामी में संपत्तियों का निपटान करने अथवा निपटान के अन्य तरीकों द्वारा निपटान करने के लिए समय-समय पर अनुदेश दिए जाते हैं।

एल.आई.सी. अभिकर्त्ता

2523. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एल.आई.सी. अभिकर्त्ताओं को विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 के दायरे में लाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की एल.आई.सी. अभिकर्त्ताओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोई अन्य योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि ऐजेंट नियमावली, 1972 के अनुसार एलआईसी ऐजेंट, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रेच्युटी/मियादी बीमा, वाहनों की खरीद/मरम्मत, कार्यालय उपकरणों, चिकित्सा, पारिवारिक समारोहों, घर की खरीद/मरम्मत के लिए अग्रिम प्राप्त करने के पात्र हैं। उनकी पात्रता के अनुसार, उन्हें विभिन्न खर्चों जैसे कि लेखन सामग्री, बिजली, मनोरंजन, विजिटिंग कार्ड, पत्र-शीर्ष तथा लिफाफा की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, वे ग्रुप मेडीक्लेम स्कीम तथा ग्रुप बीमा स्कीम के तहत लाभों के लिए भी पात्र हैं।

सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की प्रणाली

2524. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:
श्री मनोरंजन भक्त:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की प्रणाली के विकास और इसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी भवनों तथा निजी आवासों पर सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की कितनी प्रणालियां लगाई गई हैं; और

(घ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) देश में सौर जल तापन प्रणालियों के त्वरित विकास और संस्थापना के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सौर जल तापकों के संवर्धन के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत अपफ्रंट ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है ताकि घरेलू उपयोगकर्त्ताओं को 2%, संस्थाओं को 3% और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 5% की प्रभावी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हों। इस योजना के कार्यान्वयन में 26 बैंक और वित्तीय संस्थाएं भाग ले रही हैं। ऋण न लेने वाली पंजीकृत संस्थाओं और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए अपफ्रंट ब्याज सब्सिडी के समतुल्य पूंजीगत सब्सिडी भी उपलब्ध है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सौर जल तापन प्रणालियों के लिए लगभग 7.5 लाख वर्ग मी. के कुल संग्राहक क्षेत्र की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान संस्थागत भवनों, उद्योग तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, लगभग 2.5 लाख घरों को संस्थापनाओं के अंतर्गत लाए जाने का अनुमान है।

(घ) देश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में प्रणाली तथा उद्देश्य अनुप्रयोग पर निर्भर करते हुए पूंजीगत सब्सिडी अथवा ब्याज सब्सिडी के माध्यम से सौर ऊर्जा युक्तियों/प्रणालियों की संस्थापना हेतु वित्तीय सहायता; और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न संवर्धनात्मक उपाय शामिल हैं। यद्यपि, यह योजना शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है, तथापि सौर जल तापक मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय हो रहे हैं। देश के अधिकांश भागों में ग्रामीण क्षेत्रों में जल तापन एक प्राथमिकता वाली आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली मेट्रो परियोजना के लिए ट्रेनों की आवश्यकता

2525. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण में अपेक्षित ट्रेनों का डी.एम.आर.सी. ने अधिग्रहण कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डी.एम.आर.सी. द्वारा अपेक्षित ट्रेनों का विनिर्माण अब देश में भी होने लगा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्तमान में दिल्ली मेट्रो स्वदेश में निर्मित कितनी ट्रेनों का उपयोग कर रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने बताया है कि दिल्ली मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण का कार्य निर्धारित समय-अवधि में पूरा किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा प्रथम चरण के लिए खरीदे जाने के लिए अपेक्षित कुल 60 ट्रेन सेटों का अधिग्रहण किया जा चुका है। विकल्प खण्ड के तहत अतिरिक्त 10 और ट्रेन ली जा रही हैं।

(ङ) से (छ) प्रथम चरण के लिए खरीदे गये 60 ट्रेन सेटों में से 45 ट्रेन सेटों के पुरजे देश में ही जोड़े गये हैं, देश में ही इनका परीक्षण किया गया है तथा इन्हें देश में ही चालू किया गया है। सभी अतिरिक्त ट्रेन सेटों के पुरजे भी देश में ही जोड़े जा रहे हैं।

[हिन्दी]

गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं

2526. श्री रामदास आठवले:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री सुव्रत बोस:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान मलिन क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार तैयार किये गए और क्रियान्वित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार अनुमोदित/संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किये गए कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) सरकार दिनांक 2.12.2001 से वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी स्लम वासियों, जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं है, की दशाओं में सुधार लाया जा सके। वाम्बे स्कीम का प्रारंभिक उद्देश्य रिहायशी इकाइयों का निर्माण और उनका उन्नयन करना तथा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके स्वस्थ्य और अनुकूल शहरी पर्यावरण मुहैया कराना है। वाम्बे को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) कार्यक्रम के साथ 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किए गए समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत हाल ही में शामिल किया गया है। बीएसयूपी 63 मिशन शहरों के लिए लागू है; आईएचएसडीपी में गैर मिशन शहर और कस्बे शामिल हैं। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी दोनों का उद्देश्य गरीबों के लिए स्लम विकास और आवास तथा नागरिक सुविधायें मुहैया कराना है। वर्तमान वर्ष के दौरान बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है।

वाम्बे स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी भारत सरकार सब्सिडी तथा शामिल की गई रिहायशी इकाइयों/सामुदायिक शौचालयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

विवरण I

वाम्बे स्कीमों, जिनके लिए वर्ष 2003-04 के दौरान भारत सरकार सब्सिडी जारी की गई है, का राज्यवार ब्यौरा

(30.9.2006 के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (भारत सरकार सब्सिडी)	जारी भारत सरकारी सब्सिडी			शामिल इकाइयां		वास्तविक प्रगति (30.9.2006 के अनुसार)			
		आवास	शौचालय	कुल	आवास	शौचालय	आवास		शौचालय	
							पूर्ण	कार्य चल रहा है	पूर्ण	कार्य चल रहा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	2320.970	5973.843	0.000	5973.843	27523	0	22375	5148		
अंडमान एवं निकोबार	19.750									
अरुणाचल प्रदेश	14.470									
असम	224.740									
बिहार	1025.470	10.000	0.000	10.000	50	0				
चंडीगढ़	82.280									
छत्तीसगढ़	291.170	369.990	0.000	369.990	1850	0	1850	0		
दादरा और नगर हवेली	1.500									
दमन और दीव	5.360									
दिल्ली	1256.270									
गोवा	44.020									
गुजरात	1326.560									
हरियाणा	388.350	652.600	0.000	652.600	3263	0				
हिमाचल प्रदेश	62.260									
जम्मू-कश्मीर	300.240	99.450	0.000	99.450	442	0	21	128		
झारखण्ड	341.820									
कर्नाटक	685.150	3326.100	618.000	3944.100	14978	3090	14829	37	2490	460
केरल	634.650	1385.200	0.000	1385.200	6926	0	6926	0		
लक्षद्वीप	2.780									
मध्य प्रदेश	787.180	255.220	0.000	255.220	1024	0	913	109		
महाराष्ट्र	4141.820	5286.467	0.000	5286.467	22700	0	20559	429		
मणिपुर	43.670	191.920	0.000	191.920	853	0	853	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मेघालय	44.790									
मिजोरम	44.590									
नागालैंड	23.490	172.350	0.000	172.350	766	0	766	0		
उड़ीसा	432.320	46.400	0.000	46.400	232	0	166	66		
पांडिचेरी	82.090	61.200	0.000	61.200	408	0	334	74		
पंजाब	730.480									
राजस्थान	1259.550	39.505	0.000	39.505	200	0	200	0		
सिक्किम	4.740	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1681.340	2073.000	0.000	2073.000	14684	0	14684	0	0	0
त्रिपुरा	34.450	219.600	0.000	219.600	976	0	540	436		
उत्तर प्रदेश	2825.430	1899.000	0.000	1899.000	8462	0	1496	3669		
उत्तरांचल	148.710	205.200	0.000	205.200	1098	0	101	279		
पश्चिम बंगाल	2537.540	136.920	0.000	136.920	685	0	672	13		
कुल	23850.000	22403.965	618.000	23021.965	107120	3090	87285	10388	2490	460
विभिन्न उप-घटकों के अंतर्गत जारी भारत सरकार धनराशि अर्थात् प्रदर्शन परियोजना, एमआईएस, सूचना का प्रसारण, अनुसंधान और अध्ययन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण				793.600	1040	0	0	224		
कुल योग				23815.565	108160	3090	87285	10612		

विवरण II

वाम्बे स्कीमों, जिनके लिए वर्ष 2004-05 के दौरान भारत सरकार सब्सिडी जारी की गई है, का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (भारत सरकार सब्सिडी)	जारी भारत सरकारी सब्सिडी			शामिल इकाइयां		वास्तविक प्रगति (30.9.2006 के अनुसार)			
		आवास	शौचालय	कुल	आवास	शौचालय	आवास		शौचालय	
							पूर्ण	कार्य चल रहा है	पूर्ण	कार्य चल रहा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	2731.00	3492.490	0.000	3492.490	16148	0	8845	5789		
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.000									
अरुणाचल प्रदेश	17.000	18.000	0.000	18.000	80	0	0	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
असम	264.000									
बिहार	1207.000									
चंडीगढ़	97.000									
छत्तीसगढ़	343.000									
दादरा व नगर हवेली	2.000									
दमन एवं दीव	6.000									
दिल्ली	1477.000									
गोवा	52.000									
गुजरात	1561.000	50.000	401.200	451.200	250	2006			276	180
हरियाणा	457.000									
हिमाचल प्रदेश	73.000									
जम्मू-कश्मीर	353.000	47.250	17.000	64.250	210	85	10	0		
झारखण्ड	402.000	700.800	18.000	718.800	3504	90				
कर्नाटक	806.000	0.000	406.000	406.000	0	2030				
केरल	747.000	200.000	0.000	200.0000	1000	0				
लक्षद्वीप	0.000									
मध्य प्रदेश	926.000	360.000	16.000	376.000	1500	80	0	800		
महाराष्ट्र	4873.000	8968.868	4276.100	13244.968	40915	21394	23608	4236	16721	2734
मणिपुर	51.000									
मेघालय	53.000									
मिजोरम	52.000									
नागालैंड	28.000	0.000	6.200	6.200	0	31	0	0	31	0
उड़ीसा	509.000	16.400	0.000	16.400	82	0	4	0		
पांडिचेरी	97.000	123.600	0.000	123.600	618	0	447	171		
पंजाब	859.000									
राजस्थान	1482.000	650.000	0.000	650.000	2700	0				
सिक्किम	6.000									
तमिलनाडु	1978.000	2895.630	1810.000	4705.630	34519	9050	34067	452	8700	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
त्रिपुरा	41.000									
उत्तर प्रदेश	3324.000	1960.950	31.000	1991.950	8835	155	0	500	0	10
उत्तरांचल	175.000									
पश्चिम बंगाल	2986.000	437.200	33.000	470.200	1782	165	95	454	10	31
कुल	28058.000	19921.188	7014.500	26735.688	112143	35086	67076	12482	25738	3305
उप-घटक-सूचना का प्रसारण के अंतर्गत जारी भारत सरकार धनराशि				5.473	0	0				
कुल योग				26941.161	112143	35086				

विवरण III

वाम्बे स्कीमों, जिनके लिए वर्ष 2005-06 के दौरान भारत सरकार सब्सिडी जारी की गई है, का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (भारत सरकार सब्सिडी)	जारी भारत सरकारी सब्सिडी			शामिल इकाइयां		वास्तविक प्रगति (30.9.2006 के अनुसार)			
		आवास	शौचालय	कुल	आवास	शौचालय	आवास		शौचालय	
							पूर्ण	कार्य चल रहा है	पूर्ण	कार्य चल रहा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	2423.000	7127.410	0.000	7127.410	30618	0	8940	3556		
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21.000									
अरुणाचल प्रदेश	15.000	272.925	0.000	272.925	1213	0				
असम	235.000									
बिहार	1071.000	3.600	0.000	3.600	18	0				
चंडीगढ़	86.000									
छत्तीसगढ़	304.000	916.520	207.800	1124.320	4582	1039	1465	3117	394	645
दादरा व नगर हवेली	2.000									
दमन और दीव	6.000									
दिल्ली	1312.000									
गोवा	46.000									
गुजरात	1385.000	126.700	0.000	126.700	508	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हरियाणा	405.000									
हिमाचल प्रदेश	65.000									
जम्मू-कश्मीर	313.000	40.610	38.200	78.810	180	191	50	0		
झारखण्ड	357.000	696.400	0.000	696.400	3482	0				
कर्नाटक	715.000	1774.100	0.000	1774.100	7992	0	763	0		
केरल	663.000	1336.740	0.000	1336.740	6683	0				
लक्षद्वीप	0.000									
मध्य प्रदेश	822.000	50.000	0.000	50.000	200	0	0	200		
महाराष्ट्र	4325.000	1584.540	38.000	1622.540	7761	190	2929	1354	0	40
मणिपुर	46.000	88.425	0.000	88.425	393	0	124	129		
मेघालय	47.000									
मिजोरम	46.000									
नागालैंड	24.000	113.625	0.000	113.625	505	0	240	0		
उड़ीसा	451.000									
पांडिचेरी	86.000									
पंजाब	763.000									
राजस्थान	1315.000	16.880	0.000	16.880	67	0				
सिक्किम	5.000									
तमिलनाडु	1756.000	1754.200	0.000	1754.200	24546	0	22126	2096		
त्रिपुरा	36.000	48.375	0.000	48.375	215	0	55	0		
उत्तर प्रदेश	2950.000									
उत्तरांचल	155.000									
पश्चिम बंगाल	2649.000	166.770	0.000	166.770	809	0	189	116	0	0
कुल	24900.000	16117.820	284.000	16401.820	89772	1420	36881	10568	394	685

ताप विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना

2527. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य में एन.टी.पी.सी. के अंतर्गत कितनी ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) इससे राज्य-वार कितनी अतिरिक्त विद्युत की वृद्धि होगी; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी परियोजनाएं पूरी होने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) एनटीपीसी की 10 थर्मल विद्युत परियोजनाएं हैं जो वर्तमान में निम्नलिखित राज्यों में निर्माणाधीन हैं-

छत्तीसगढ़

1. सीपत एसटीपीपी स्टेज-I, यू-1, 2, 3 (3×660 मे.वा.)
2. सीपत एसटीपीपी स्टेज-II, यू-4 एवं 5 (2×500 मे.वा.)
3. कोरबा एसटीपीपी स्टेज-III, यू-7 (1×500 मे.वा.)
4. भिलाई विस्तार टीपीपी, यू-1 एवं 2 (2×250 मे.वा.) (सेल के साथ संयुक्त उद्यम)

मध्य प्रदेश

1. विंध्याचल एसटीपीपी, यू-10 (1×500 मे.वा.)

बिहार

1. कहलगांव एसटीपीपी स्टेज-II, फेज-I, यू-5 एवं 6 (2×500 मे.वा.)
2. कहलगांव एसटीपीपी स्टेज-II, फेज-II, यू-7 (1×500 मे.वा.)
3. बाढ़ एसटीपीपी, यू-1, 2 एवं 3 (3×660 मे.वा.)

उत्तर प्रदेश

1. नेशनल कैपिटल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-II, यू-2 (1×490 मे.वा.)

पश्चिम बंगाल

1. फरक्का एसटीपीएस स्टेज-III, यू-1 (1×500 मे.वा.)।

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं से 8950 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत जोड़ी जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में 3980 मेगावाट, मध्य प्रदेश में 500 मेगावाट, बिहार में 3480 मेगावाट, उत्तर प्रदेश में 490 मेगावाट और पश्चिम बंगाल में 500 मेगावाट शामिल है।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, निम्नलिखित थर्मल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है जैसा कि उनके सामने दर्शाया गया है-

क्रमं.	परियोजना का नाम	पूरा करने का समय
1.	सीपत एसटीपीपी स्टेज-II, यू-4 (1×500 मे.वा.)	02/07
2.	विंध्याचल एसटीपीपी, यू-10 (1×500 मे.वा.), मध्य प्रदेश	01/07
3.	कहलगांव एसटीपीपी, स्टेज-II, फेज-I, यू-5 एवं 6 (2×500 मे.वा.), बिहार	02/07, 03/07

[अनुवाद]

मैला ढोने वालों का पुनर्वास

2528. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री हरिन पाठक:
श्री हितेन बर्मन:
श्री रतेन बर्मन:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में नेशनल स्कीम आफ लिबरेशन एण्ड रीहैबिलिटेशन आफ स्कैवैंजर्स के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में हाथों से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) ब्योरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में राज्यों को इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा जारी की गयी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं। इस स्कीम की शुरूआत से इस स्कीम के तहत राज्यों द्वारा उपयोग की गयी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में है।

(ग) मानव द्वारा मल ढोने की प्रथा के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए योजना आयोग ने राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।

विवरण I

मैला ढोने वालों एवं उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम के तहत शामिल लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण*

वर्ष 2002-03

राज्य का नाम	सहायता प्राप्त लाभार्थी	
	प्रशिक्षण	पुनर्वास
1	2	3
असम	855	300
गुजरात	शून्य	1451
हरियाणा	48	153
हिमाचल प्रदेश	807	377
कर्नाटक	678	1809
केरल	शून्य	14
मध्य प्रदेश	1494	5118
महाराष्ट्र	1994	752
उड़ीसा	250	1049
तमिलनाडु	661	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	शून्य	834
पश्चिम बंगाल	359	207
छत्तीसगढ़	शून्य	256
कुल	7146	12320
वर्ष 2003-04		
आंध्र प्रदेश	660	3243
गुजरात	0	844
हिमाचल प्रदेश	591	518
कर्नाटक	355	5780
मध्य प्रदेश	1010	5149
राजस्थान	0	624
तमिलनाडु	33	13
कुल	2649	16171
1	2	3
वर्ष 2004-05		
बिहार	43	126
गुजरात	शून्य	1587
हिमाचल प्रदेश	499	499
कर्नाटक	1262	2694
महाराष्ट्र	3351	1256
उड़ीसा	250	320
उत्तर प्रदेश	शून्य	2876
पश्चिम बंगाल	शून्य	384
मेघालय	80	शून्य
कुल	5485	9742

*राज्य सरकारों द्वारा यथासूचित

विवरण II

मैला ढोने वालों एवं उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम (एनएसएलआरएस) के तहत जारी केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपये)

वर्ष 2002-03	
असम	1.63
गुजरात	3.74
हिमाचल प्रदेश	3.09
मध्य प्रदेश	1.25
उड़ीसा	2.85
उत्तर प्रदेश	5.37
पश्चिम बंगाल	1.60
छत्तीसगढ़	1.89
कुल	21.41
वर्ष 2004-05	
कर्नाटक	12.19
मध्य प्रदेश	1.37
कुल	13.56
वर्ष 2005-06	

इस स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2005-06 के लिए किसी धनराशि का नियतन नहीं किया गया है।

विवरण III

एनएसएलआरएस के तहत जारी धनराशि के उपयोग का राज्य-वार विवरण*

(करोड़ रुपये)
(दिनांक 30.09.2006 की स्थिति)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	संचयी जारी	कुल प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	कुल बकाया उपयोग प्रमाणपत्र
1.	आंध्र प्रदेश	55.78	23.87	31.91
2.	असम	7.50	5.82	1.68
3.	बिहार	11.27	0.00	11.27
4.	दिल्ली	5.28	0.98	4.30
5.	गुजरात	30.61	0.00	30.61
6.	हरियाणा	18.37	10.06	8.31
7.	हिमाचल प्रदेश	8.62	5.51	3.11
8.	जम्मू-कश्मीर	1.03	0.00	1.03
9.	कर्नाटक	41.32	22.80	18.52
10.	केरल	0.55	0.00	0.55
11.	मध्य प्रदेश	119.12	107.16	11.96
12.	महाराष्ट्र	46.22	26.86	19.36
13.	मेघालय	0.03	0.00	0.03
14.	नागालैंड	0.11	0.00	0.11
15.	उड़ीसा	19.61	11.33	8.28
16.	पाण्डिचेरी	0.075	0.0363	0.04
17.	पंजाब	6.63	0.00	6.63
18.	राजस्थान	44.48	8.67	35.81
19.	तमिलनाडु	57.80	24.52	33.28
20.	उत्तर प्रदेश	227.75	205.98	21.77
21.	पश्चिम बंगाल	7.23	3.92	3.31
22.	छत्तीसगढ़	16.89	0.00	16.89
23.	झारखण्ड	10.85	0.00	10.85
24.	उत्तरांचल	10.00	0.00	10.00
	कुल	747.11	457.52	289.59

*वर्ष 1991-92 में इस स्कीम की शुरूआत से जारी धनराशि के लिए राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार

विदेशी मुद्रा भण्डार

2529. श्रीमती अर्चना नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में विदेशी मुद्रा भण्डार का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति क्या रही; और

(ग) विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार (जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में प्रारक्षित स्थिति शामिल है) 24 नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार 172.8 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) विदेशी मुद्रा भण्डार मार्च अंत 2004, मार्च अंत 2005, तथा मार्च अंत 2006 में क्रमश: 113.0 बिलियन अमरीकी डालर, 141.5 बिलियन अमरीकी डालर तथा 151.6 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ग) भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार इस समय सन्तोषजनक स्तर पर माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था की आपातिक जरूरतों को पूरा करने तथा भुगतान संतुलन के चालू खाते की वहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मुद्रा भण्डार के प्रबंधन का मूल्यांकन किया जाता है।

राज्य वित्त निगम

2530. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुप्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य वित्त निगमों को पुनर्गठित/पुन: पंजीकृत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राज्य वित्त निगमों की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए भारत सरकार ने आईडीबीआई के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जी.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने यह सिफारिश की कि 3600 करोड़ रुपए के निवेश की लागत में भारत सरकार (900 करोड़ रुपए), भारतीय रिजर्व बैंक (900 करोड़ रुपए), राज्य सरकारें (900 करोड़ रुपए), आईडीबीआई (450 करोड़ रुपए) तथा सिडबी (450 करोड़ रुपए) की भागीदारी होनी चाहिए। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार राज्य वित्त निगमों में शेयरधारक नहीं हैं, इसलिए भारत सरकार के लिए राज्य वित्त निगम में निधियों का निवेश संभव नहीं था। तथापि, भारत सरकार में सिडबी, राज्य सरकार तथा राज्य वित्त निगमों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अध्यधीन सिडबी के सहयोग से राज्य वित्त निगम की देयताओं के पुनर्गठन के लिए एक पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) बकाया पुनर्वित्त/एलओसी पर ब्याज दर में 2 प्रतिशत तक की कमी।

(ख) नए उधार पर 2 प्रतिशत की छूट।

(ग) पुनर्वित्त के भुगतान पर एक वर्ष का अधिस्थगन।

(घ) 10 वर्ष में पुनर्गठन/पुनर्वित्त की वापसी अदायगी।

राष्ट्रीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति

2531. श्री के.एस. राव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) किसी परियोजना के सामाजिक प्रभाव आकलन और पर्यावरण आकलन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध अथवा तैयार की जाने वाली प्रणाली क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) पुनर्स्थापन और पुनर्वास के संबंध में राष्ट्रीय नीति-2003 (एन.पी.आर.आर.-2003), जो फरवरी, 2004 से लागू है, की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

* यह नीति, उन परियोजनाओं के संबंध में लागू है, जिनसे मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 500 परिवार या उससे अधिक परिवार तथा पहाड़ी क्षेत्रों, मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) वाले खण्डों अथवा भारत के संविधान की अनुसूची-5 या अनुसूची-6 में उल्लेख किए गए क्षेत्रों में 250 परिवार या इससे अधिक परिवार सामूहिक रूप से विस्थापित होते हैं।

* यह नीति सभी संबंधित पक्षों के मार्गदर्शन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों के रूप में है तथा इसमें न्यूनतम

व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जबकि राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अधिक लाभकारी पैकेजों का प्रस्ताव कर सकते हैं।

* यह नीति दस्तावेज, उन परियोजना प्रभावित परिवारों (पी.ए.एफ.) को पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) के लाभ उपलब्ध करवाता है, जिन्होंने अपनी भूमि अथवा घर खो दिया हो। ये लाभ, छोटे और सीमांत किसानों, कृषि और गैर-कृषि श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों/छोटे व्यवसायियों/स्वरोजगार वाले युवकों, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे की (बी.पी.एल.) श्रेणी से अथवा गैर-बी.पी.एल. श्रेणी से संबंध रखते हों, को भी उपलब्ध होंगे।

* परियोजना प्रभावित परिवारों की उपर्युक्त श्रेणियां गृह-स्थलों के आबंटन, घर और पशुशाला के निर्माण के लिए अनुदान, भूमि विकास और कृषि-उत्पादन के लिए अनुदान, ग्रामीण दस्तकारों के लिए दुकान/कार्य-शाला के निर्माण हेतु अनुदान तथा परियोजना प्रभावित परिवारों को मासिक निर्वाह-भत्ता देने के लिए अनुदान जैसे पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) लाभों को प्राप्त करने की पात्र हैं।

* जनजातीय परियोजना प्रभावित परिवार, पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) संबंधी अन्य लाभों के अलावा मौद्रिक रूप में 25% अधिक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभ प्राप्त करते हैं।

* परियोजना स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तथा विभिन्न पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एंड आर) परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना होता है।

(ख) किसी परियोजना के संबंध में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति, 2006 (एन.आर.पी.-2006) के प्रारूप में निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रस्ताव किया गया है:-

(i) परियोजनाओं के लिए अथवा किसी भी कारण से भूमि का अर्जन किए जाने के परिणामस्वरूप मैदानी क्षेत्रों में 400 अथवा अधिक परिवारों के सामूहिक रूप से या जनजातीय अथवा पहाड़ी क्षेत्रों, डी.डी.पी. खण्डों या भारत के संविधान की अनुसूची-V या अनुसूची-VI में उल्लिखित क्षेत्रों में 200 या अधिक परिवारों के सामूहिक रूप से किसी भी वास्तविक विस्थापन के संबंध में जिन मामलों में मौजूदा कानूनों, नियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरणी प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) किया जाना अपेक्षित है, वहां पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) रिपोर्ट के साथ-साथ निर्धारित प्रोफार्मा में एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) के संबंध में निर्धारित की गई एजेंसी को प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) उन मामलों में जिनके लिए उपरोक्त प्रक्रिया लागू होती है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) रिपोर्ट पर विचार करने वाले एक बहु-विधा विशेषज्ञ समूह द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) रिपोर्ट की भी जांच की जाएगी।

(iii) जिन मामलों में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) के संबंध में स्वीकृति (क्लीयरेंस) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उन मामलों में संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन वाली परियोजनाओं में और अन्य मामलों में यदि विस्थापन किया जाता है, तो अधिग्रहण निकाय द्वारा गठित किए गए बहु-विधा विशेषज्ञ समूह के समक्ष सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उपरोक्त विशेषज्ञ समूह सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच करेगा तथा प्रक्रिया के अनुसार और समय-सीमा के भीतर स्वीकृति प्रदान करेगा।

(iv) जिन मामलों में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन दोनों ही किए जाते हैं, उनमें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) के संबंध में परियोजना प्रभावित क्षेत्र में जन-सुनवाई (राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जानी होती है) की जाती है, जिसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) से संबंधित मामले भी शामिल किए जाएंगे। जिन मामलों में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, उनमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट विशेषज्ञ समूह के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले जन-सुनवाई हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर. एंड आर.) योजना को तैयार करते समय तथा कार्यान्वित करते समय प्रशासक द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) संबंधी क्लीयरेन्स के दौरान निर्धारित की गई शर्तों को विधिवत् रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों की नियुक्ति

2532. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने जनसंख्या के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी, हां।

(ख) विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि प्रति दस लाख की जनसंख्या पर विद्यमान 10.5 न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि करके इसे 50 न्यायाधीश प्रति दस लाख जनसंख्या किया जाए।

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या का अंतिम त्रैवार्षिक पुनर्विलोकन वर्ष 2003 में किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप यह विनिश्चय किया गया था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की 655 की विद्यमान न्यायाधीश पदसंख्या को बढ़ाकर 749 किया जाए। अधीनस्थ न्यायपालिका के संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत और अन्य के मामले में अपने 21 मार्च, 2002 के निर्णय में यह निदेश दिया था कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 10.5 या 13 की विद्यमान न्यायाधीश पदसंख्या को बढ़ाकर प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश किया जाए और इसे संघ के विधि मंत्री द्वारा अवधारित और निदेशित की जाने वाली चरणबद्ध रीति में पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रभावी तथा कार्यान्वित किया जाए। केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय से यह प्रार्थना करते हुए एक शपथ पत्र फाइल किया है कि संघ राज्य क्षेत्रों में, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि को कार्यभार और लंबित मामलों के आधार पर अनुज्ञात किया जाए। यह विषय न्यायाधीन है।

सभी राज्य सरकारें इस मामले में पक्षकार हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार में निहित होता है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

आई.ए.वाई. के अंतर्गत धनराशियों की द्वितीय किस्त में कटौती

2533. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के लिए इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) की द्वितीय किस्त में कटौतियां की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बी.पी.एल. जनगणना कार्य के पूरा न होने की वजह से इंदिरा आवास योजना की द्वितीय किस्त में कोई छूट नहीं दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निधियों के वार्षिक आबंटन में कटौती तब की जाती है जब 10% की अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में पिछले वर्ष से निधियां आगे लाई जाती हैं, राज्य अंश रिलीज नहीं किए जाते हैं अथवा आवेदन देर से प्रस्तुत किए जाते हैं। अधिक मात्रा में निधियां आगे ले जाने के कारण निम्नलिखित राज्यों को चालू वर्ष के दौरान अब तक रिलीज की गई दूसरी किस्त में से कटौती की गई है:-

1.	केरल	–	0.87 लाख रु.
2.	मध्य प्रदेश	–	1.96 लाख रु.
3.	उत्तर प्रदेश	–	2.69 लाख रु.
4.	पश्चिम बंगाल	–	542.73 लाख रु.

(ग) और (घ) स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा-सूची तैयार करने की शर्त को अब चालू वर्ष के लिए शिथिल कर दिया गया है। तथापि, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां 31.3.2007 को या इससे पहले इस आशय का प्रमाण-पत्र भेजेंगी कि स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा-सूची तैयार कर ली गई है।

बैंकों द्वारा आउटसोर्सिंग

2534. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में कार्यरत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों द्वारा आउटसोर्स किये गए क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आउटसोर्सिंग से बैंक-वार प्रचालन लागत में कितनी कटौती हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वभर के बैंक लागत घटाने और आंतरिक रूप से अनुपलब्ध विशेषज्ञ निपुणता प्राप्त करने के उद्देश्य से "आउटसोर्सिंग" का उत्तरोत्तर उपयोग कर रहे हैं। विशेषरूप से आउटसोर्स की गई वित्तीय सेवाओं में आवेदनों पर कार्रवाई (ऋण प्रवर्तन, क्रेडिटकार्ड) कागजातों पर कार्रवाई, विपणन और अनुसंधान, ऋणों का पर्यवेक्षण, डाटा प्रोसेसिंग, बैंक आफिस से जुड़े क्रियाकलाप आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 03.11.2006 को बैंकों द्वारा "वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता" के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। उक्त मार्गनिर्देश बढ़ते आउटसोर्सिंग क्रियाकलाप के वातावरण में बैंकों को पेश आने वाले जोखिमों का समाधान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि संबंधित बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक की सेवाप्रदाताओं के पास उपलब्ध सभी बहियों, रिकार्डों और जानकारियों तक पहुंच हो। इन मार्गनिर्देशों में ग्राहक के हितों की रक्षा से संबंधित मामले भी शामिल है। तथापि, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग को अपनाने वाले बैंक आंतरिक लेखा परीक्षा, अनुपालन कार्य तथा जमाखाते खोलने संबंधी अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण, ऋणों (खुदरा ऋण सहित) के लिए मंजूरी देने तथा निवेश पोर्टफोलियों के प्रबंधन जैसे निर्णयन कार्य सहित कोर प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान सूचना प्रणाली से अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक सुविधाओं पर सेवा कर

2535. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग के लिए उपयोगकर्त्ताओं पर सेवा कर न लगाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सुविधाओं की परिभाषा के दायरे में शामिल सुविधाओं/सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) कराधेय सेवाओं को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। उपर्युक्त धारा के अंतर्गत जन सुविधाओं को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत मंत्रियों की बैठक

2536. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
डा. के. धनराजू:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2006 में राज्यों के विद्युत मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम निकले?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् हैं-

(i) 43000 मे.वा. से अधिक क्षमता की परियोजनाओं जो कि निर्माणाधीन है और जो मार्च 2010 तक चालू किये जाने हेतु निर्धारित हैं के लिए सभी संबंधितों द्वारा अधिकतम सम्भावित मानीटरिंग की जायेगी।

(ii) अब कल्पित उच्च जीडीपी विकास दर पर विचार करते हुए 11वीं योजना के उत्तरार्ध में लाभ के लिए नई परियोजनाओं के लिए परियोजना की तैयारी और आदेश देने की कार्रवाई आरंभ करना ताकि सभी को विद्युत प्रदान की जा सके।

(iii) उपस्कर आपूर्ति और परियोजना कार्यान्वयन हेतु क्षमताओं में समनुरूप वृद्धि।

(iv) विद्युत मंत्रालय कोयला लिंकेज/कोयला ब्लाक और पर्यावरण स्वीकृति के प्रावधान को सुविधाजनक बनायेगा।

(v) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण स्थलों की पहचान करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगा।

(vi) पावर फाईनेंस कारपोरेशन भूमि, जल और ईंधन इत्यादि सुनिश्चित करने के साथ शैल कंपनियों के माध्यम से टैरिफ की प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये नई परियोजनाओं के विकास में राज्यों की सहायता करेगा।

[अनुवाद]

सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा प्रणाली

2537. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की सभी सरकारी इमारतों की सभी विद्युत प्रणालियों को सौर ऊर्जा से चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इससे राजकोष में अनुमानत: कितनी बचत होगी; और

(घ) यह परियोजना कब तक प्रचालन योग्य होने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि का अतिक्रमण

2538. श्री विजय कृष्ण: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर किए गए अतिक्रमण का ब्यौरा क्या है और यह अतिक्रमण किन-किन स्थानों पर किया गया है तथा अतिक्रमण किस प्रकार किया गया है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अथवा विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भूमि पर अंशत: अथवा पूर्णत: स्थित अवैध/अनधिकृत कालोनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि से अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि उसके द्वारा अधिग्रहीत लगभग 1400 एकड़ भूमि में अतिक्रमण है। अतिक्रमित भूमि विभिन्न राजस्व गांवों के भीतर स्थित है। अतिक्रमण की किस्म मुख्यत: झुग्गी-झोपड़ी समूह, अनधिकृत कालोनियां, वाणिज्यिक और धार्मिक ढांचों के रूप में है।

(ख) डीडीए ने सूचित किया है कि विकास क्षेत्र में 228 अनधिकृत कालोनियां और विकास क्षेत्र से बाहर 128 अनधिकृत कालोनियां पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से डीडीए भूमि पर स्थित हैं।

(ग) डीडीए अपनी भूमि वापस लेने के लिए वर्ष भर प्रत्येक माह में डिमोलिशन कार्यक्रम निर्धारित करता है। इसके अलावा अतिक्रमणाधीन भूमि संबंधी न्यायालय मामलों में स्थगनादेश को निरस्त करने के लिए सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

विद्युत एक्सचेंजों की स्थापना

2539. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत एक्सचेंजों की स्थापना करने के लिए कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के अंतर्गत निर्धारित जिम्मेवारी के अनुरूप केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 20.07.2006 को विद्युत व्यापार हेतु विद्युत विनिमय के लिए एक प्रारूप स्टाफ परामर्श-पत्र जारी किया और सभी स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां एवं सुझाव मांगे।

भू-सीमाशुल्क केन्द्र की स्थापना

2540. श्री कैलाश बैठा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भू-सीमाशुल्क केन्द्र स्थापित करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर बाल्मीकिनगर में भू-सीमाशुल्क केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उत्तरी बिहार में कुल कितने भू-सीमाशुल्क केंद्र हैं और ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भू-सीमाशुल्क स्टेशनों को, वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य संबद्ध विभागों/मंत्रालयों जैसे कि राजस्व आसूचना निदेशालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श कर क्रमशः तस्करी-रोधी, सुरक्षा, आधार संरचनाओं की उपलब्धता तथा सीमा के दूसरी ओर समकक्ष भू-सीमाशुल्क स्टेशनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर अधिसूचित किया जाता है।

(ख) भारत-नेपाल सीमा पर बिहार में बाल्मीकिनगर में किसी भू-सीमा शुल्क स्टेशन की स्थापना हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तरी बिहार में नौ भू-सीमाशुल्क स्टेशन हैं जो भारत-नेपाल सीमा पर रक्सोल, जोबगनी, गलगलिया, भीमनगर, जयनगर, सोनबर्सा, भिटामोर, बेरगनिया तथा कुनाली पर स्थित हैं।

[अनुवाद]

अतिरिक्त पूंजी जुटाना

2541. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को उनकी अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से धन जुटाने के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई.पी.ओ.) लाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिन विद्युत क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को अनुमति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से कितना धन जुटाए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) सरकार ने पावर फाइनेंस कारपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन और पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से धन जुटाने के लिए आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाने संबंधी प्रस्तावों को अनुमति प्रदान कर दी है।

(ग) आईपीओ के माध्यम से एकत्र की जाने वाली निधियों की राशि की जानकारी पेशेवर एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त होगी, जिसके लिए आवश्यक कार्य शुरू होना बाकी है। अतः इस समय इस संबंध में अनुमान बताना संभव नहीं है।

विदेशी देनदारियां

2542. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्यिक बैंकों पर प्रतिवर्ष विदेशी देनदारियां बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। मार्च, 2004, 2005 एवं 2006 की समाप्ति के अनुसार भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की बकाया कुल अंतर्राष्ट्रीय देयताएं क्रमशः 1,76,694 करोड़ रुपये, 2,06,852 करोड़ रुपये एवं 2,45,533 करोड़ रुपये थीं। अंतर्राष्ट्रीय देयताएं मुख्यतया विदेशी मुद्रा उधारराशियों में वृद्धि, एडीआर/जीडीआर के मामले तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी के कारण बढ़ रही है।

(ग) वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधि समीक्षा में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकृत डीलर बैंकों द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं एवं सम्पर्की बैंकों (अपने प्रधान कार्यालय/विदेशी बैंकों में हमारा खाता (नोस्ट्रो एकाउंट) से निर्यात ऋण के वित्तपोषण के लिए उधारराशियों, ईसीबी तथा ओवरड्राफ्ट सहित) से 25 प्रतिशत की पूर्व समग्र सीमा (निर्यात ऋण के वित्तपोषण के लिए उधारराशियों को छोड़कर) के मुकाबले अपनी अक्षत टीयर-I पूंजी की 50 प्रतिशत सीमा तक अथवा 10 मिलियन अमरीकी डालर की निधियां उधार लेने के लिए मानदंडों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, एक वर्ष अथवा इससे कम की अवधि तक के लिए अल्पावधि

उधारराशियां 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर अक्षय टीयर-I पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिएं।

विद्युत क्षेत्र हेतु कर छूट

2543. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री आलोक कुमार मेहता:
डा. के. धनराजू:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय की विद्युत मंत्रालय से विद्युत क्षेत्र के लिए उपकरणों और ईंधन पर कर से छूट देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को विद्युत मंत्रालय से विद्युत क्षेत्र को कर छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव मिले हैं। ऐसे प्रस्तावों पर बजट बनाने के दौरान विचार किया जाता है तथा सरकार का निर्णय वित्त विधेयक में दिखाई देता है।

बंबई स्टाक एक्सचेंज और लंदन स्टाक एक्सचेंज के बीच गठबंधन

2544. **श्रीमती नीता पटैरिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंबई स्टाक एक्सचेंज और लंदन स्टाक एक्सचेंज संभावित गठबंधन के लिए वार्ता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे किसी गठबंधन के सभी गुणावगुणों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) दि बंबई स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड ने सूचित किया है कि वे अनुकूल साझेदारों को शामिल करने के लिए उपयुक्त कंपनियों का पता लगाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लंदन स्टाक एक्सचेंज सहित अनेकानेक अग्रणी एक्सचेंजों ने इस संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए उनसे संपर्क किया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई भी गठबंधन प्रतिभूति कानूनों, कारपोरेट कानूनों और विदेश निवेश नीति के अनुसार होना चाहिए, जिनका निर्माण सार्वजनिक हित के मद्देनजर किया गया है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट

2545. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में और अधिक फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उच्च न्यायालयों में लंबे समय से लम्बित मामलों के भार को कम करने में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट किस सीमा तक सहायक सिद्ध होंगे?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) सेशन स्तर पर काफी लंबे समय से लंबित मामलों पर कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार द्वारा त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन किया गया है। सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा स्थापित 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों को, जो 31.3.2005 को कार्य कर रहे थे, वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम को पांच वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित किया है। स्कीम के अधीन त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है। 31.10.2006 तक इन त्वरित निपटान न्यायालयों ने, उन्हें अंतरित 18,22,684 मामलों में से 10,43,022 मामले निपटा दिए थे।

ग्रामीण बीमा

2546. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धन शोधन निवारण विनियम से ग्रामीण बीमा प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण बीमा की सरल और सुगम प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) "धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002" का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा बीमाकर्त्ताओं को धन शोधन निवारण दिशा-निर्देश जारी किए गए थे (जीवन बीमा कंपनियों के मामले में 1 अगस्त, 2006 से तथा गैर-जीवन बीमा कंपनियों के मामले में 1 जनवरी, 2007 से प्रभावी रूप से)। ये दिशा-निर्देश एकल आधारित चिकित्सा/स्वास्थ्य बीमा उत्पादों, समूह बीमा कारोबार तथा मियादी जीवन बीमा संविदाओं जैसे, दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से दिए गए छूट प्रदत्त उत्पादों को छोड़कर, जीवन एवं साधारण बीमा उद्योग दोनों के सभी उत्पादों पर लागू हैं। आईआरडीए ने आगे यह भी सूचित किया है कि ग्रामीण बीमा पर इन दिशा-निर्देशों के प्रभाव के संबंध में उन्हें कोई फीड बैक प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आईआरडीए ग्रामीण बीमा पर इन दिशा-निर्देशों के किसी प्रतिकूल प्रभाव की परिकल्पना नहीं करता है।

केरल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत परियोजना का क्रियान्वयन

2547. श्री पी.सी. थामस: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने फ्रेन्चाइजियों को सम्मिलित करते हुए टर्नकी आधार पर राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु राज्य के बचे हुए जिलों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने आरईसी से परियोजना को टर्न-की आधार पर निष्पादित किए जाने के बजाय विभागीय तौर पर निष्पादित किए जाने तथा केरल पर फ्रेचाईजी सिस्टम लागू नहीं किए जाने हेतु भी अनुरोध किया है।

(ख) उपर्युक्त मामले को सुलझाने हेतु बुलाई गई बैठक में केरल सरकार, आरईसी तथा विद्युत मंत्रालय की सहमति हुई कि-

1. चूंकि आरजीजीवीआई के अंतर्गत फ्रेंचाईजिंग अनिवार्य है तता त्रिपक्षीय करार का एक भाग है, अत: केएसईबी को फ्रेंचाईजी सिस्टम को कार्यान्वित करना होगा, जिसे केएसईबी द्वारा मान लिया गया।
2. केएसईबी द्वारा नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा केरल के एक या दो जिलों में आरजीजीवीवाई को कार्यान्वित करने हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) की सेवाएं ली जाएंगी।
3. केएसईबी इडुक्की जिले के लिए न्यूनतम बोलीदाता को टर्नकी आधार पर परियोजना सौंपेगा।

(ग) और (घ) आरईसी ने केरल के 14 जिलों के लिए 14 परियोजनाएं प्राप्त की हैं। अब तक 221.75 करोड़ रुपये की लागत पर 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। शेष 7 परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, ताकि टेंडरिंग तक प्रारंभिक कार्य शुरू किए जा सकें और अनुमोदन प्राप्त होने तक परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु तैयार हो सकें।

जल विद्युत परियोजनाओं की निगरानी

2548. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी तक जितनी भी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है उन सभी के समय और लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे विलम्ब और लागत में हुई वृद्धि के कारणों की गहन जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के परियोजना क्रियान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए एक कृतिक बल गठित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में समय और लागत निर्धारित से अधिक आई है।

(ख) और (ग) किसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसयू) द्वारा कार्यान्वित जल विद्युत परियोजना में निर्धारित से अधिक समय और लागत आने के कारणों की जांच करने और इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक स्थायी समिति गठित की गई है। निर्धारित से अधिक समय और लागत आने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

1. जल विद्युत परियोजनाओं का कठिन एवं दुर्गम स्थलों पर होना।
2. भूमि के अधिग्रहण में आयी समस्याएं और परियोजना प्राधिकारियों को भूमि हस्तांतरित करने में देरी।
3. पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की समस्याएं।
4. कठिन हिमालय क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण में सामने आने वाली भू-वैज्ञानिक चुनौतियां/अप्रत्याशित घटनाएं।
5. कानून-व्यवस्था और श्रम संबंधी समस्याएं।
6. बाढ़, भू-स्खलन जैसे प्राकृतिक संकट।

(घ) जी, नहीं। सीपीएसयू की तिमाही समीक्षा के दौरान तथा किसी विशिष्ट परियोजना में देरी होने की स्थिति में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है।

(ङ) और (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

दिल्ली का सौंदर्यीकरण

2549. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण सरकार द्वारा पहले ही सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में असमर्थ रहा है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली को सुन्दर और साफ नहीं बनाया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार दिल्ली के विकास को बढ़ाना तथा सुनिश्चित करना तथा ऐसे विकास के लिए आवश्यक एवं समयोजित कोई भी कार्य करना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के नियोजित विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि-अधिग्रहण, आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों के विकास के साथ-साथ हरित क्षेत्र एवं खेल परिसरों के विकास का कार्य किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं। रिहायशी एवं व्यवसायिक परिसरों को विकसित करने के बाद नागरिक सेवाओं के अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए उन्हें स्थानीय निकाय को हस्तांतरित कर दिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित हरित क्षेत्रों का रखरखाव दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

आवास हेतु ऋण देने वाली कंपनियां

2550. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवास हेतु ऋण देने वाली कंपनियों का विनियमन करने की कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में इन कंपनियों द्वारा किए गए कपट/छल के मामले आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा ग्राहकों से किए गए कपट/छल को रोकने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) आवास वित्त कंपनियों का विनियमन राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा किया जाता है।

(ग) एनएचजी ने सूचित किया है कि एक आवास वित्त कंपनी को उसे जारी किए गये पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सीओआर) का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करते हुए पाया गया था। अब एनएचबी ने कंपनी को जारी सीओआर रद्द कर दिया है और सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। चूंकि कंपनी

को सीओआर के मामले में जालसाजी करते हुए पाया गया था, अत: एनएचबी ने उस पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया है और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी को बंद करने के लिए एनएचबी द्वारा कार्रवाई भी की गई है।

(घ) एनएचबी ने देश में जमाकर्त्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने और आवास वित्त कंपनियों के तीव्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में निदेश जारी किए हैं। कंपनियों की वित्तीय स्थिति का पता करने के उद्देश्य से स्थलेत्तर निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करना और आवधिक रूप से स्थल पर निरीक्षण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आवास वित्त कंपनियों के विरुद्ध धोखाधड़ी आदि के संबंध में कोई शिकायत मिलने पर एनएचबी उसकी जांच एवं छानबीन करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठकों में, जिनमें राज्य पुलिस भी भाग लेती है, धोखाधड़ी के स्तर, आदि की निगरानी की जाती है।

एन.टी.पी.सी. द्वारा एल.एन.जी. का आयात

2551. **श्री मित्रसेन यादव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के आयात के लिए नाईजीरिया के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाईजीरिया इस समझौते के अंतर्गत "तटवर्ती गैस ब्लाक" आबंटित करने पर सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वहां से कुल कितनी मात्रा में गैस का आयात किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) जी नहीं। तथापि, एनटीपीसी ने नाईजीरिया में एक 500 मे.वा. कोयला आधारित और एक 700 मे.वा. गैस आधारित संयुक्त साईकिल विद्युत स्टेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। एनटीपीसी ने नाईजीरिया विद्युत क्षेत्र में उसके विद्युत संयंत्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करके और उसके प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एवं एम) कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करके भी सहायता देने का प्रस्ताव किया है। इसके बदले में नाईजीरिया की संघीय सरकार एनटीपीसी को 3 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) तक के गैस ब्लाक/गैस संसाधन आवंटित करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि एनटीपीसी भारत को एलएनजी निर्यात करने के लिए एक एलएनजी संयंत्र स्थापित कर सके। वर्तमान में एनटीपीसी नाईजीरिया की संघीय सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

[अनुवाद]

बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना

2552. **श्री एल. राजगोपाल:**
श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितने बायो-गैस तथा बायो-मास संयंत्र चल रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितना अनुदान/राजसहायता प्रदान तथा उपयोग की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बायो-गैस तथा बायो-मास के प्रोत्साहन हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करके ऐसे और संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत वर्ष 1981-82 से वर्ष 2006-07 (अप्रैल से अक्तूबर, 2006) के दौरान स्थापित पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है जो बायोमास फीड स्टाक के मुख्य स्रोत के रूप में मवेशी गोबर पर आधारित है। संयंत्रों के निर्माण और उचित प्रचालन एवं रखरखाव की गुणवत्ता सहित विभिन्न कारणों से संयंत्रों की कार्यशीलता भिन्न-भिन्न राज्यों व क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा पहले ही एनबीएमएमपी का कार्यान्वयन किया जा रहा है और वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा एजेंसियों को लगभग 100,000 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य आबंटित किया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत वर्ष 1981-82 से 2006-07 (अप्रैल-अक्तूबर, 2006) के दौरान स्थापित किए गए पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की संचयी कुल संख्या

राज्य	स्थापित किए गए संयंत्रों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	408716
अरुणाचल प्रदेश	2210
असम	58723
बिहार	124967
छत्तीसगढ़	17824
दिल्ली	677
गोवा	3708
गुजरात	381410
हरियाणा	49721
हिमाचल प्रदेश	44884
जम्मू-कश्मीर	2122
झारखण्ड	2174
कर्नाटक	392621
केरल	110096
मध्य प्रदेश	249583
महाराष्ट्र	724257
मणिपुर	2128
मेघालय	4306
मिजोरम	3470
नागालैंड	2626
उड़ीसा	224397
पंजाब	81912
राजस्थान	66950
सिक्किम	5682
तमिलनाडु	210871
त्रिपुरा	2442
उत्तरांचल	6862
उत्तर प्रदेश	409200
पश्चिम बंगाल	267469
कुल	3862008

विवरण II

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत पिछले तीन प्रत्येक वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान कुल मिलाकर जारी और उपयोग की गई निधियां

राज्य/एजेंसी	जारी की गई निधियां (करोड़ रु. में)		
	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5.75	2.41	4.32
अरुणाचल प्रदेश	0.13	0.51	0.33
छत्तीसगढ़	-	0.39	1.24

1	2	3	4
गुजरात	2.32	1.19	1.98
हरियाणा	0.47	0.21	0.12
हिमाचल प्रदेश	0.15	0.07	0.06
कर्नाटक	2.36	-	-
केरल	0.93	0.80	0.17
मध्य प्रदेश	1.86	1.47	3.66
महाराष्ट्र	1.24	2.66	2.64
मणिपुर	0.11	0.27	0.18
मेघालय	0.37	0.12	0.16
मिजोरम	0.24	0.28	0.06
नागालैंड	0.18	-	0.06
उड़ीसा	4.73	1.68	2.25
पंजाब	-	0.22	0.18
राजस्थान	0.06	0.02	-
सिक्किम	0.25	0.62	0.26
तमिलनाडु	0.63	0.31	0.36
त्रिपुरा	0.71	-	-
उत्तरांचल	0.08	-	0.26
उत्तर प्रदेश	1.55	1.47	0.40
पश्चिम बंगाल	6.07	2.41	5.03
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	3.85	3.50	3.19

निवेश प्रस्ताव

2553. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेश आयोग ने ऐसे कई निवेश प्रस्तावों की पहचान की है, जोकि विभिन्न राज्य सरकारों, भारतीय भागीदारों अथवा कारपोरेट निकायों द्वारा कार्रवाई न करने के कारण लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें तेजी लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) निवेश आयोग द्वारा अभिचिह्नांकित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) निवेश आयोग की अनुशंसाओं को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

विवरण

निवेश आयोग द्वारा अभिचिह्नांकित परियोजनाओं के ब्यौरे

श्रेणी/क्षेत्रक	परियोजना/प्रस्ताव	अनुमानित निवेश (परियोजना लागत)
अवसंरचना क्षेत्रक		
विद्युत	उड़ीसा में ओपीजीसी क्षमता 500 मेगावाट बढ़ाने के लिए एईएस योजनाएं	400-500 मिलियन डालर
विद्युत	छत्तीसगढ़ में एईएस 1000 मेगावाट उत्पादन परियोजना	1 बिलियन डालर
विद्युत	उड़ीसा में रिलायंस ऊर्जा 10,000 मेगावाट हिरमा विद्युत परियोजना	12 बिलियन डालर
पत्तन	गुजरात पिपावाव पत्तन लिमिटेड (जीपीपीएल) माएर्स्क संचालित परियोजना	220 मिलियन डालर
दूरसंचार	आइडिया सेल्युलर में एसटीटी सहायता संघ निवेश	130 मिलियन डालर (इक्विटी निवेश)
विनिर्माण		
धातु-इस्पात	उड़ीसा में पोस्को 12 एमएमटी इस्पात परियोजना	10 बिलियन डालर
इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर	एलजी मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण	800 मिलियन डालर
सेमी कंडक्टर विनिर्माण	इंटेल-चिप (आईसी) एसेम्बली परीक्षण सुविधा	250 मिलियन डालर (फेस-1)
रसायन	डीओडब्ल्यू	महत्वपूर्ण (अनुमानित 10 बिलियन डालर)
सेवाएं		
बैंकिंग	सिटी ग्रुप, बर्कलेस, रायल बैंक आफ नोवा स्कोटिया	2 से 3 बिलियन डालर (इक्विटी निवेश)
बैंकिंग	कामनवेल्थ बैंक एंड मैक्वारी बैंक	
व्यापार-कैश एंड कैरी होलसेल	मेट्रो कैश एंड कैरी	400 मिलियन डालर
खुदरा	वाल-मार्ट टिस्को	200 मिलियन डालर
स्थावर सम्पदा एवं निर्माण	त्रिकोना कैपिटल, एमएसआरईएफ, रोथस्थाइल्ड एंडी गेटी ट्रस्ट	300-500 मिलियन डालर इक्विटी निवेश (1 बिलियन डालर उत्तोलन सहित +)
मीडिया	स्पेस टीवी लिमिटेड	650 मिलियन डालर
प्राकृतिक संसाधन		
खनन	सीमेंट संयंत्र के लिए लाफार्ज इंडिया माइनिंग लीज	200 मिलियन डालर

लुटियन जोन में बंगले

2554. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लुटियन जोन में अधिकांश बंगलों ने अपनी आयु पूरी कर ली है तथा उनका रखरखाव करना कई गुना महंगा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान लुटियन जोन में बंगलों की रखरखाव की औसत वार्षिक लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान बंगलों को गिराकर तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए डुपलेक्स मकानों के परिसर का निर्माण कर लुटियन जोन का चेहरा बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां। बंगलों और फ्लैटों की सामान्य आयु पूरी हो चुकी है और अत्यधिक पुराने होने के कारण उनका रखरखाव काफी महंगा होता जा रहा है।

(ख) प्रति बंगला अनुरक्षण व्यय इस प्रकार है:-

	बंगला	फ्लैट
2004-05	3.46 लाख रु.	0.75 लाख रु.
2005-06	3.57 लाख रु.	0.65 लाख रु.

(ग) लुटियन बंगलो जोन (एलबीजैड) का स्वरूप बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय एलबीजैड में अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) के लिए डुप्लेक्स मकानों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में लागू नहीं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र का वित्तपोषण

2555. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विशेष आर्थिक क्षेत्र के वित्तपोषण को रीयल एस्टेट के समान रखने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंकों द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्तमान बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 20 सितम्बर, 2006 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें वाणिज्य बैंकों से कहा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करना अथवा एसईजेड में इकाईयों के अधिग्रहण के लिए, जिसमें स्थावर संपदा शामिल है, के लिए कंपनियों को बैंकों द्वारा ऋण को तत्काल प्रभाव से वाणिज्य स्थावर सम्पदा क्षेत्र का ऋण माना जाएगा तथा बैंकों को विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे ऋण जोखिम के लिए प्रावधान करना होगा साथ ही उपयुक्त जोखिम भार निर्धारित करना होगा। बैंकों से अपेक्षित है कि वे आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।

चेरिटेबल कंपनियां

2556. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बढ़ते औद्योगिकीकरण के मद्देनजर सरकार ने चेरिटेबल कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, नहीं, बढ़ते औद्योगिकीकरण के मद्देनजर केन्द्र सरकार के पास चेरिटेबल कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव/योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शेयर बाजार

2557. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थित शेयर बाजारों का ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां हैं;

(ख) सूचीबद्ध किए गए शेयरों का शेयर बाजार-वार ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितना व्यापार हुआ;

(ग) शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए तथा शेयरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को शेयर बाजारों के कार्यकरण में सुधार के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) सेबी का अधिदेश प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन करना और उसका विनियमन करना है। सेबी द्वारा किए गए विनियामक और प्रवर्तन उपायों का लक्ष्य निवेशक संरक्षण है। इस संबंध में सेबी द्वारा हाल में किए गए उपायों में सार्वजनिक निर्गमों की वैकल्पिक ग्रेडिंग, कारपोरेट अभिशासन मानक, डिमैट प्रभारों में कमी, पूंजी संरक्षण निधि की पुर:स्थापना आदि शामिल हैं। इसने एक व्यापक शिक्षा अभियान भी शुरू किया है, जिसका नाम है-"प्रतिभूति बाजार जागरूकता अभियान" (एसएमएसी), यह प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के लिए लक्षित है।

(घ) और (ङ) सेबी ने सूचित किया है कि स्टाक एक्सचेंजों के सुधार के लिए इसे कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण I

1.	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	फिरोज जीजोभाय टावर्स, 26वां तल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001
2.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड आफ इंडिया	एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट सं. सी/1, जी ब्लाक, बांद्रा कुरला परिसर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
3.	अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	कामधेनु परिसर, शाहजहां नंद कालेज के सामने, पंजरपोल अहमदाबाद-380015
4.	कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड	7, लायंस रेंज, कोलकाता-700001
5.	मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	एक्सचेंज बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स सं. 183, 30, सैकेंड लाईन बीच, चेन्नई-600001
6.	दि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड	डीएसई हाऊस, 3/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
7.	हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	6-3-654, ईरामंजिल बस स्टाप के साथ, सोमाजी गुडा, हैदराबाद-500082
8.	लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड	फिरोज गांधी मार्केट लुधियाना-141001
9.	मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	"पालिका प्लाजा" फेज-II, 201, द्वितीय तल, एमटीएच, कम्पाऊंड, इंदौर-452001
10.	बंगलौर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	स्टॉक एक्सचेंज टावर्स, 51, फर्स्ट क्रास, जे सी रोड, बंगलौर-560027
11.	कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	एमईएस डा. पी.के. अब्दुल गफूर, मेमोरियल कल्चरल काम्पलेक्स, 36/1565, चौथा तल, जज एवेन्यू कलूर, कोचीन-682017
12.	दि उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड	पदम टावर्स, 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001
13.	पुणे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	"शिवलीला चैम्बर्स", 752, सदाशिव पेठ आर.बी. कुमथेकर मार्ग, पुणे-411030

14.	गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	सर्राफ बिल्डिंग, एनेक्स ए टी रोड, गुवाहाटी-781001
15.	मगध स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	9वां तल, आशियाना प्लाजा, बुद्ध मार्ग, पटना-80001
16.	जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर-302017
17.	भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	छठा तल, आईडीसीओ टावर्स, नेताजी सुभाष मार्ग, जनपथ, भुवनेश्वर-751022
18.	सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	पोपट भाई सोराथिया भवन, सदर बाजार, राजकोट-360001
19.	ओटीसी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	92, मेकर टावर्स "एफ", कफ परेड, मुंबई-400005
20.	वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	फार्चून टावर, सायाजी गंज, वडोदरा-390005
21.	कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग 683-686 त्रिची रोड, कोयम्बटूर-641005
22.	इंटर-कनेक्टिड स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड	इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, टावर 7, 5वां तल, सैक्टर 30 वाशी, नवी मुंबई-400703

विवरण II

क्र.सं.	स्टॉक एक्सचेंज	सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या (31.10.06 की स्थिति के अनुसार)	लेनदेनों का मूल्य (एक पक्ष का) करोड़ रुपए नकद खंड			लेनदेनों का मूल्य (एक पक्ष का) करोड़ रुपए नकद खंड		
			2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	4790	5,02,618	8,16,074	6,64,467	12,452	16,112	9
2.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड	1127	10,99,534	11,40,072	15,69,558	21,30,649	25,47,053	48,24,250
3.	अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	2576	4,544	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4.	कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड	2960	1,928	2,800	2,602	उ.न.	उ.न.	उ.न.
5.	मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	1391	101	27	5	उ.न.	उ.न.	उ.न.
6.	दि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड	2941	3	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
7.	हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	785	2	14	89	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8.	लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड	344	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
9.	मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	343	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
10.	बंगलौर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	370	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
11.	कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	201	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	दि उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड	710	11,751	5,343	1,486	उ.न.	उ.न.	उ.न.
13.	पुणे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	248	शून्य	0.3	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
14.	गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	259	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
15.	मगध स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	158	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
16.	जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	786	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
17.	भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	59	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
18.	सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	206	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
19.	ओटीसी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	103	16	0.01	0.01	उ.न.	उ.न.	उ.न.
20.	वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	502	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
21.	कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	174	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
22.	इंटर-कनेक्टिड स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड	10	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	कुल		16,20,497	16,66,896	23,90,103	21,43,101	25,63,165	48,24,259

[अनुवाद]

स्व-सहायता समूहों को लघु ऋण

2558. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु ऋण आधारित स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) जाति आधारित है जैसाकि दिनांक 9 नवंबर, 2006 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा हाल ही में कराए गए अध्ययन से पता चला है कि कुछ राज्यों में स्व-सहायता समूहों में अल्पसंख्यकों का हिस्सा 7% से भी कम है तथा कुछ राज्यों में तो यह शून्य है; और

(घ) यदि हां, तो स्व-सहायता समूहों में अल्पसंख्यकों का हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, नहीं। नाबार्ड द्वारा बैंकों के माध्यम से सुकर बनाया गया स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय पहुंच को औपचारिक ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली तक बढ़ाना है। निर्धनों में जाति, पंथ या धर्म के पूर्वाग्रह के बिना सीमान्त किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, छोटे किसानों और कमजोर वर्गों के अन्य व्यक्ति शामिल हैं। स्व-सहायता समूह समरूप सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और सामान्य हित के आधार पर स्व-सहायता समूह एजेंसियों द्वारा संगठित किए जाते हैं और ये जाति के आधार पर नहीं चलाए जाते हैं।

ये कार्यक्रम देश में अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में भी व्यापक रूप से चलाए गये हैं। 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक बहुलता वाले 11 राज्यों के 44 जिलों में ऋण से जुड़े स्व-सहायता समूहों की संचयी संख्या 33,698 स्व-सहायता समूहों से बढ़कर मार्च, 2006 को 1,93,573 स्व-सहायता समूह हो गई, इस प्रकार इसमें चौगुनी वृद्धि हुई है।

प्रौद्योगिकी भागीदारी

2559. श्रीमती अर्चना नायक: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने भारतीय उद्योगों, भारत तथा विदेशों में संस्थानों के बीच प्रौद्योगिकी

भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में ग्लोबल इनोवेशन टेक्नालाजी एलाइंस की क्या भूमिका है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच नई दिल्ली में दिनांक 6 नवम्बर, 2006 को "ग्लोबल इनोवेशन एण्ड टेक्नालाजी एलाइंस (जीआईटीए)" पर एक करार किया गया। इस करार में सीआईआई और डीएसटी द्वारा भारतीय उद्योग एवं अन्य संगठनों के लाभार्थ अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भागीदारी के संवर्धन और सुविधा से संबंधित संयुक्त क्रियाकलापों को और सुदृढ़ करने तथा चलाने का प्रावधान है।

(ख) जीआईटीए का व्यापक उद्देश्य भारतीय संगठनों की प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी और भारतीय उद्योग/संस्थानों के बीच प्रौद्योगिकी भागीदारी का संवर्धन करना तथा इसे सुविधाजनक बनाना है। ऐसी प्रौद्योगिकी भागीदारियां राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से होंगी।

1. संयुक्त विकास।
2. प्रौद्योगिकी अंतरण/लाइसेंसिंग आदि।
3. संयुक्त उद्योग/सहयोग।
4. कोई अन्य पद्धति।

(ग) जीआईटीए भारतीय उद्योग और अन्य संगठनों के लाभार्थ विभिन्न तंत्रों के माध्यम से नये प्रौद्योगिकी अवसरों का सृजन करने का प्रयास करेगा। ये तंत्र अन्य बातों के साथ-साथ भारत और विदेश दोनों में समय-समय पर प्रौद्योगिकी/डिजायन/बौद्धिक सम्पदा अधिकार शिखर सम्मेलनों और प्रस्तुतिकरणों/प्रदर्शनियों का आयोजन करेंगे।

[हिन्दी]

आईडीएसएमटी योजना

2560. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के दमोह जिले में आईडीएसएमटी योजना संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में तेंदूखेडा की आईडीएसएमटी योजना के बारे में कोई राशि देय है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) छोटे एवं मझोले कस्बों का समेकित विकास स्कीम के तहत दमोह जिले में तीन कस्बे नामत: हट्टा, दमोह एवं तेंदूखेड़ा को शामिल किया गया है।

केवलहट्टा कस्बे के लिए 45 लाख रुपए की अंतिम/बकाया केन्द्रीय सहायता जारी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

तेंदूखेड़ा कस्बे को 48 लाख रुपए की पूरी केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। इसलिए इस कस्बे को जारी करने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता बाकी नहीं है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

2561. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने तलाक हेतु आधार जोड़ने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन किसी विवाह का असुधार्य रूप से टूट जाना विवाह-विच्छेद का कोई आधार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली जे.टी. 2006 (3) एस.सी. 491 में यह अभिनिर्धारित किया था कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण तथा ऐसे मामलों की, जहां विवाह वस्तुत: समाप्त हो चुका है, बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए और जब तक कि इस अवधारणा को लागू नहीं किया जाता, विवाह-विच्छेद मंजूर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह और संप्रेक्षण किया कि हमारी सुविचारित राय में विधानमंडल को हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन विवाह-विच्छेद की मंजूरी के लिए विवाह के असुधार्य रूप से टूट जाने को एक आधार के रूप में रखने के लिए विचार करना चाहिए। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

में प्रस्तावित संशोधन करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों/निकायों से परामर्श करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्ताव

2562. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 1.12.2006 की स्थिति के अनुसार 53 एफडीआई के प्रस्ताव लंबित हैं। ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) में प्राप्त विदेशी निवेश प्रस्तावों को, यदि वे सब दृष्टियों से पूर्ण हों, सामान्यत: उनकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और सभी मामलों में सरकार का निर्णय समयबद्ध तरीके से संसूचित किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	आवेदक का नाम	कार्यकलाप
1	2	3
1.	मैसर्स आकार इंफो-मीडिया प्रा.लि., अहमदाबाद	प्रिंट मीडिया क्षेत्र
2.	मैसर्स बार्कलेज कैपिटल सिक्युरिटी एशिया लि., हांगकांग	परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण
3.	मैसर्स अंकर इंडिया स्पेशल सिच्वेशन लि., मारीशस	परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण
4.	मैसर्स प्रोजोन इंटरप्राइजेज प्रा.लि., मुम्बई	निर्माण/विकास कार्यकलापों में माल प्रबंधन सेवा और अनुप्रवाह निवेश
5.	मैसर्स पेरी मुर्रे एंड कंपनी लि., यूके	कपड़ा उत्पादनों में व्यापार
6.	मैसर्स द न्यूंसी ग्रुप एजी, स्विटजरलैंड	शुल्क मुक्त दुकानें
7.	मैसर्स बेल्जरगर लेकी हैंडल्सजेसेल्शाफ्ट एमबीएच जर्मनी	उच्च गुणवत्ता के विशेषीकृत औद्योगिक कोटिंग और पेंट्स का निर्माण
8.	मैसर्स इर्मिनेगिल्डो जेंग्ना हाल्डिटल एसपीए	एकल ब्रांड झेंगा फुटकर स्टोर स्थापित करना
9.	मैसर्स डेस्नेट बालेस्ट्रा रोजडाउंस इंडिया (प्रा.) लि.	तेल मिल मशीनरी-मैकेनिकल प्रैस और कलपुर्जों का निर्माण
10.	मैसर्स जी न्यूज लि., नोएडा	समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनल को जोड़ना
11.	मैसर्स वायर एंड वायरलैस (इंडिया) लिमिटेड, मुम्बई	केबल नेटवर्क
12.	मैसर्स डेल्टा प्लस इंडिया प्रा.लि., कोलकाता	औद्योगिक सुरक्षा उत्पादों का भांडागारण और निर्यात करना
13.	मैसर्स ब्लूमिंगडल होटल्स प्रा.लि., बंगलौर	हैरिटेज पर्यटन रिजार्ट
14.	मैसर्स हेमार्केट मीडिया (इंडिया) प्रा.लि.	विशेषज्ञ पत्रिका का प्रकाशन
15.	मैसर्स त्रिवेद फाइन आर्ट्स प्रा.लि., नई दिल्ली	चित्रकलाओं, कलाकृतियों और संबंधित मदों का व्यापार

1	2	3
16.	मैसर्स डेविंसी लैदर (प्रा.) लि., चेन्नई	चर्मजूता के ऊपरी भाग का निर्माण
17.	मैसर्स यूएफओ मूवीज प्रा.लि., नई दिल्ली	फिल्मों और अन्य प्रचार माध्यम तत्वों के वितरण में संलग्न कंपनियों में निवेश
18.	श्री पूरन मल्टीमीडिया लि., कानपुर	एफ एम रेडियो का प्रसारण और संबंधित सेवाएं
19.	मैसर्स एटीसी टावर कंपनी आफ इंडिया प्रा.लि., नई दिल्ली	अवसंरचना प्रदाता (आईपी-I)
20.	मैसर्स इंडिपेंडेंट मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर मारीशस लि.	अवसंरचना प्रदाता (आईपी-I)
21.	मैसर्स फेडरल एक्सप्रेस यूरोप इंक, यूएसए	कूरियर सेवाएं
22.	मैसर्स नोकिया नेटवर्क इंडिया प्रा.लि., दिल्ली	दूरसंचार उपकरणों का निर्माण और व्यापार
23.	मैसर्स सिंसर वाच लि., सिंगापुर	शुल्क मुक्त दुकानें
24.	मैसर्स डियरिम इंटरप्राइज कं. लि., कोरिया	आटो पार्ट्स और आटो क्षेत्र के लिए अन्य संबंधित उत्पादों का व्यवसाय
25.	मैसर्स इंटरफेस यूरोप बीवी, नीदरलैंड	तकनीकी और मार्केटिंग सेवा, बल्क निर्यात अथवा पूर्व-आबद्ध भांडागारण बिक्री
26.	मैसर्स बिटजर कल्मास्विनेंबाऊ, जीएमएच एंड कं. होल्डिंग केजी, जर्मनी	कैश और कैरी थोक व्यापार
27.	मैसर्स स्पर्टम कालेज आफ एयरोनाटिक्स एंड टेक्नालाजी इंडिया प्रा.लि., नई दिल्ली	वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरिंग स्कूलों की स्थापना
28.	मैसर्स आइडिया सेलुलर लि., गांधीनगर	सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा
29.	मैसर्स डी.ई. शॉ कंपोजिट इन्वेस्टमेंट (मारीशस) लि., मारीशस	समाचार-पत्र का मुद्रण
30.	मैसर्स डी.ई. शॉ कंपोजिट इन्वेस्टमेंट (मारीशस) लि., मारीशस	समाचार-पत्र का प्रकाशन
31.	मैसर्स वियोलिया ट्रांसपोर्ट, फ्रांस	अवसंरचना परिवहन
32.	मैसर्स न्यू कोलकाता इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रा.लि., कोलकाता	समन्वित अवसंरचना विकास परियोजना
33.	मैसर्स युनिवर्सल सक्सेस इंटरप्राइजेज लि.	सम्मेलन केन्द्र के विकास में अनुप्रवाह निवेश
34.	मैसर्स युनिवर्सल सक्सेस इंटरप्राइजेज लि.	सम्मेलन केन्द्र के विकास में अनुप्रवाह निवेश
35.	मैसर्स युनिवर्सल सक्सेस इंटरप्राइजेज लि.	सम्मेलन केन्द्र पर्यटन और टाउनशिप के विकास में अनुप्रवाह निवेश
36.	मैसर्स आनट्रैक सिस्टम्स	सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी समर्थित सेवाएं
37.	मैसर्स डीओटीज ट्रस्टीज लि., मारीशस	न्यास की स्थापना
38.	मैसर्स मिशन बायो-फ्यूल्स इंडिया (पी.) लि.	बीजों के विकास में अनुप्रवाह निवेश
39.	मैसर्स ओजेड मैनेजमेंट एलएलसी, न्यूयार्क	परिसंपत्ति पुनर्निर्माण

1	2	3
40.	मैसर्स रेथियोन स्पैक्ट्रम होल्डिंग्स एलएलसी, यूएसए	पर्यावरणीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए भू-केन्द्र की स्थापना
41.	मैसर्स केबल एंड वायरलैस ग्लोबल (इंडिया) प्रा.लि., मुम्बई	समन्वित दूरसंचार और आईटी अवसंरचना परियोजनाएं
42.	मैसर्स टाकटा कार्पोरेशन, जापान	आटोमेटिव एयरबैग माड्यूल्स और स्टीयरिंग व्हील्स का निर्माण
43.	मैसर्स कैडमस हांगकांग लि.	पैकेजिंग उत्पादों के निर्यात का व्यापार
44.	मैसर्स कोर्टेक इलैक्ट्रानिक (इंडिया) प्रा.लि., नोएडा	इलैक्ट्रानिक सामान का विपणन और व्यापार तथा रेस्टोरेंट्स की स्थापना
45.	मैसर्स राज टेलिविजन नेटवर्क लि., चेन्नई	टीवी चैनलों का प्रसारण और समाचार तथा समसामयिक मामलों को संबद्ध करना
46.	मैसर्स बैंक मस्कट (एसएओजी) यूएई	बैंकिंग व्यवसाय
47.	मैसर्स ओल्ड लेन एल.पी. न्यूयार्क	क्रेडिट वृद्धि सेवाएं
48.	मैसर्स हिल्टन इंटरनेशनल कं. यूएसए	होटल व्यवसाय
49.	मैसर्स पेनिंसुला रियल्टी फंड, मुम्बई	रियल्टी फंड की स्थापना
50.	मैसर्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर लि., मुम्बई	शहरी अवसंरचना क्षेत्र का विकास
51.	मैसर्स जेएम फाइनेंशियल ट्रस्टी कम्पनी लि., मुम्बई	आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं, विनिर्माण फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल तथा प्रचार माध्यम के क्षेत्रों में निजी इक्विटी निवेश करना
52.	मैसर्स एईएस (इंडिया) प्रा.लि.	कोयला आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना करना
53.	मैसर्स वीजा काम्ट्रेड लिमिटेड, कोलकाता	हाई सी सेल्स, खनिजों का थोक कैश एवं कैरी

उत्तर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

2563. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का उत्तर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर भारत में एक भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सरकार देश भर में वैज्ञानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विभिन्न संस्थाओं में बाहरी अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) की वित्त व्यवस्था करते हुए देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान को प्रोन्नत करती आ रही है। इस संदर्भ में, उत्तरी भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा अनुसंधान में पीछे नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने मौलिक अनुसंधान में और तेजी लाने के लिए मोहाली, पंजाब में भारतीय विज्ञान शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना का निर्णय लिया है।

बेघर लोगों के लिए आश्रय-स्थल

2564. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में महानगरीय शहरों में बेघर लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनको यथेष्ट आश्रय-स्थल प्रदान करने के लिए कोई समयबद्ध योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) वर्ष 1991 तथा 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत सरकार के महापंजीयक के अनुसार दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में बेघर लोगों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) भारत सरकार ने "शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं" (बीएसयूपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 63 शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवासीय और अवस्थापनात्मक सुविधाओं हेतु शहरों व कस्बों की सहायता करने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया है। गैर-मिशन शहरों के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य विस्थापितों सहित स्लम वासियों को पर्याप्त आश्रय और बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराकर एक स्वस्थ एवं समर्थकारी वातावरण के साथ समग्र रूप से स्लमों का विकास करना है। ये दोनों कार्यक्रम अर्थात् शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम (बीएसयूपी), और स्वीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम दिसम्बर, 2005 से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की अवधि 2005-06 से शुरू होकर सात वर्षों की होगी।

(ग) इन स्कीमों के अंतर्गत प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेघर लोगों की संख्या 1991 तथा 2001 की जनगणना

क्र.सं.	शहर का नाम	बेघर 2001	आबादी 1991
1	2	3	4
1.	ग्रेटर मुम्बई (नगर निगम)	39,074	38,763
2.	डीएमसी (यू) (नगर निगम)	21,895	17,671
3.	कोलकाता (नगर निगम)	67,676	33,204
4.	चेन्नै (नगर निगम)	27,329	19,044
5.	बंगलौर (नगर निगम)	12,104	8,163
6.	हैदराबाद (नगर निगम)	13,638	12,260
7.	अहमदाबाद (नगर निगम)	7,787	2,723
8.	कानपुर (नगर निगम)	26,305	12,347
9.	पुणे (नगर निगम)	2,565	3,847
10.	सूरत (नगर निगम)	22,307	4,898

1	2	3	4
11.	लखनऊ (नगर निगम)	7,469	11,813
12.	नागपुर (नगर निगम)	2,225	2,752
13.	जयपुर (नगर निगम)	8,529	3,552
14.	इंदौर (नगर निगम)	4,885	4,501
15.	भोपाल (नगर निगम)	5,895	4,288
16.	लुधियाना (नगर निगम)	4,590	110
17.	पटना (नगर निगम)	5,624	3,762
18.	वडोदरा (नगर निगम)	7,638	21,951
19.	आगरा (नगर निगम)	1,942	लागू नहीं
20.	थाणे (नगर निगम)	2,610	4,753
21.	कल्याण-डोम्बीवली (नगर निगम)	2,751	2,752
22.	वाराणसी (नगर निगम)	1,711	3,262
23.	नासिक (नगर निगम)	2,995	लागू नहीं
24.	मेरठ (नगर निगम)	3,427	लागू नहीं
25.	फरीदाबाद (नगर निगम)	1,446	लागू नहीं
26.	पिम्परी चिंचवाड (नगर निगम)	548	1,040
27.	हावड़ा (नगर निगम)	2,443	4,524

विवरण II

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं के अंतर्गत प्रगति

(30.11.06 की संचित स्थिति)

(करोड़ रु. में)

अनुमोदित परियोजनाएं				वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	
अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	प्रथम किस्त (केन्द्रीय अंश की 25%)	2005-06	2006-07
66	4047.63	2127.90	528.13	72.1442	180.5124

एकीकृत आवास और स्लम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति

(30.11.06 की संचित स्थिति)

(करोड़ रु. में)

परियोजना की सं.	अनुमोदित परियोजनाएं कुल अनुमोदित लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त
76	823.43	606.89	303.45

[हिन्दी]

विदेशी बैंक

2565. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री वी.के. दुम्मर:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत विदेशी बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में कार्यरत विदेशी बैंकों से आय अर्जित करती है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक बैंक से अर्जित की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 30 सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रहे 29 विदेशी बैंकों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04 और 2004-05 में भारत में स्थित विदेशी बैंकों द्वारा भारत सरकार को भेजे गए करों की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है। वर्ष 2005-06 के लिए ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और यथा उपलब्ध ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण I

30 सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों की देश-वार सूची

क्र.सं.	बैंक का नाम	जिस देश में निगमित है	भारत में शाखाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	एबीएन-आमरो बैंक एन.वी.	नीदरलैण्ड	24
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	यूएई	2
3.	अरब बंग्लादेश बैंक लि.	बंग्लादेश	1
4.	अमेरिकन एक्सप्रैस बैंक लि.	यूएसए	7
5.	एंटवर्प डायमण्ड बैंक एन.वी.	बेल्जियम	1
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	1
7.	बैंक आफ अमेरिका	यूएसए	5

1	2	3	4
8.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	बहरीन	2
9.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	कनाडा	5
10.	बैंक आफ टोक्यो-मित्सुबिसी यूएफजे लि.	जापान	3
11.	बीएनपी पारिबास	फ्रांस	8
12.	बैंक आफ सिलोन	श्रीलंका	1
13.	बारकलेज बैंक पीएलसी	यूके	1
14.	सिलोन बैंक	फ्रांस	5
15.	सिटी बैंक एन.ए.	यूएसए	39
16.	सिनहन बैंक	साऊथ कोरिया	1
17.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	ताइवान	1
18.	ड्यूश बैंक	जर्मनी	8
19.	डीबीएस बैंक लि.	सिंगापुर	2
20.	एचएसबीसी	हांगकांग	45
21.	जेपी मोरगन चेज बैंक एन.ए.	यूएसए	1
22.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लि.	थाईलैण्ड	1
23.	मिजूहो कार्पोरेट बैंक लि.	जापान	2
24.	महरेकबैंक पीएससी	यूएई	2
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	ओमान सल्तनत	2
26.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी)	यूके	81
27.	सोनाली बैंक	बंग्लादेश	2
28.	सोसिएट जनरेल	फ्रांस	2
29.	स्टेट बैंक आफ मारीशस	मारीशस	3
		कुल	258

विवरण II

भारत में शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों द्वारा भारत सरकार को दिए जाने वाले कर का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	2003-04	टिप्पणी	2004-05	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	एबीएन-आमरो बैंक एन.वी.	130.00		134.00	
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	36.80	$#	2.52	$##
3.	अमेरिकन एक्सप्रैस बैंक लि.	18.83	*	13.03	**
4.	एंटवर्प डायमण्ड बैंक एन.वी.	4.81		5.73	
5.	अरब-बंग्लादेश बैंक लि.	2.17		1.89	
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	0.00		0.00	
7.	बैंक आफ अमेरिका एन.ए.	45.00		61.00	
8.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत	2.82		0.84	
9.	बैंक आफ सिलोन	2.49		2.83	सेवा कर-0.07
10.	बारक्लेज बैंक पीएलसी	51.03		38.50	
11.	बीएनपी पारिबास	8.29		14.38	
12.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	1.30	सेवा कर-शून्य	0.30	सेवा कर-0.05
13.	चो हुंग बैंक	3.94		4.88	
14.	सिटी बैंक एन.ए.	433.75	सेवा कर-39.31	429.00	सेवा कर-70.36
15.	कैल्योन बैंक	33.00		12.80	
16.	ड्यूश बैंक एजी	211.03		118.20	
17.	जेपी मोरगन चेज बैंक	12.45		39.70	
18.	क्रूंग थाई बैंक पी.सी.एल.	0.07		0.07	
19.	मशरेक बैंक पीएससी	5.98		0.42	
20.	मिजुहो कार्पोरेट बैंक लि.	1.71		4.15	
21.	ओमान इंटरनेशनल बैंक	0.00		0.00	
22.	सोसिएट जनरेल	0.99		0.69	
23.	सोनाली बैंक	0.99		1.00	

1	2	3	4	5	6
24.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	410.26		336.97	
25.	स्टेट बैंक आफ मारीशस लि.	2.20		3.20	
26.	दि बैंक आफ नोवा स्कोटिया	26.78		17.94	
27.	दि बैंक आफ टोक्यो-मित्सुबिसी	8.75		5.92	
28.	डीबीएस बैंक लि.	4.90		7.56	
29.	दि हांग एंड शंघाई बैंकिंग	298.77	सेवा कर-17.02	367.47	सेवा कर-28.04
30.	यूएफजे बैंक लि.	0.001		0.60	

$ स्रोत पर काटा गया कर

1.75 करोड़ रुपए के प्रतिलाभ के अनुसार कर देयता (शेष राशि आय कर विभाग द्वारा लौटाई जानी है।)

कर देयता - शून्य

* पूर्व वर्षों के लिए 49.88 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया।

** पूर्व वर्षों के लिए 39.22 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

2566. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एम. अप्पादुरई:
श्री रविन्दर कुमार राणा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री विजय कृष्ण:
श्री ए.के. मूर्ति:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विद्युत उत्पादन की क्षमता वृद्धि विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है जैसाकि दिनांक 17 नवम्बर, 2006 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय 36955 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के आधार पर 30,641 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि व्यवहार्य पाई गई है।

10वीं योजना में निर्धारित क्षमता अभिवृद्धि नहीं होने के मुख्य कारण हैं—परियोजना प्रारंभिक कार्य, स्वीकृतियों तथा निवेश निर्णयों में विलंब। गैस की अनुपलब्धता से कुछ परियोजनाओं का काम बंद हो गया है। संविदात्मक प्रतिबद्धता के संदर्भ में आपूर्ति में कुछ महीनों के विलंब की सूचना मिली है।

राज्य के विद्युत मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी और यह सहमति हुई कि राज्य क्षेत्र में तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए नई परियोजनाओं के लिए त्वरित रूप से कार्य शुरू किया जाए। भूमि, जल, स्वीकृतियों एवं ईंधन संबंधी समझौते के लिए प्रावधान के संबंध में पर्याप्त प्रारंभिक कार्य शुरू किए जाने चाहिए। आदेश को समय पर जारी करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन की

गहनता से मानीटरिंग की जानी चाहिए ताकि लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

[हिन्दी]

बकाया आयकर पर ब्याज

2567. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयकर और उत्पाद शुल्क की बकाया राशि पर ब्याज प्रभारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ब्याज की प्रस्तावित दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जहां तक आयकर का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220, निर्धारित समय के भीतर आयकर मांग, यदि कोई है, का भुगतान नहीं किये जाने पर ब्याज लेने का प्रावधान करती है। इस संबंध में प्रभार्य ब्याज की दर, प्रत्येक माह के लिए एक प्रतिशत या विलम्ब की अवधि सहित एक माह का भाग होती है।

जहां तक उत्पाद शुल्क की बकाया राशि पर ब्याज लेने का संबंध है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11कख केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशि पर ब्याज सरकार द्वारा नियत की गई दर पर ब्याज लेने का प्रावधान करती है। इस समय, सरकार द्वारा ब्याज की दर 13 प्रतिशत वार्षिक नियत की गई है।

[अनुवाद]

एल.आई.सी. की वृद्धि

2568. श्री एल. राजगोपाल:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा उद्योग ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में गत वर्ष की तुलना में उच्च वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) पालिसियों की वृद्धि में जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) का हिस्सा कितना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में एल.आई.सी. द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान एल.आई.सी. द्वारा कौन से नए उत्पाद (प्रोडक्ट) आरम्भ किए गए हैं/आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम, (एलआईसी) ने सूचित किया है कि उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में चालू राजकोषीय वर्ष में पालिसियों में 2.13 और प्रथम वर्ष प्रीमियम आय (एफपीआई) में 139.20 की वृद्धि दर दर्शायी है। यह वृद्धि फील्ड स्टाफ को दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण, नए उत्पादों की प्रस्तुति, उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने वाली उत्कृष्ट सेवाओं आदि के परिणामस्वरूप हैं।

(ग) जैसाकि एलआईसी द्वारा सूचित किया गया है कि एलआईसी को पालिसियों का मार्केट शेयर, दिनांक 30.09.2006 की स्थिति के अनुसार 80.09 था।

(घ) बीमांकिक मूल्यांकन के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान एलआईसी द्वारा प्रकट किए गए अधिशेष इस प्रकार हैं:-

वर्ष	अधिशेष (करोड़ रुपए में)
2003-04	10935.08
2004-05	13904.21
2005-06	12404.82

(ङ) चालू वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तावित नए उत्पाद इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	प्रस्तुत उत्पाद	प्रस्तावित उत्पाद
1.	मार्केट प्लस	दो बाल योजनाएं
2.	न्यू बीमा गोल्ड	यूनिट लिंक्ड एश्योरेंस प्लान
3.	जीवन मधुर	

प्रतिकर नीति

2569. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंकों द्वारा दी गई खराब सेवा के कारण ग्राहकों को प्रतिकर देने संबंधी नीति के बारे में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि चैक संग्रहण नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय बैंक संघ ने माडल पालिसी दस्तावेज तैयार करने के लिए कार्य दल का गठन किया है जिसमें प्रतिपूर्ति नीति सहित बैंक ग्राहक संबंध से जुड़े कतिपय क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवम्बर, 2004 के अपने मार्गनिर्देशों के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से बोर्ड अनुमोदित व्यापक एवं पारदर्शी नीति तैयार करने के लिए कहा है जिसमें (1) स्थानी/बाहर के चैकों को तत्काल नामे डालने, (2) स्थानीय/बाहर के चैकों के समाहरण की समय-सीमा, और (3) देरी से संग्रह के लिए ब्याज भुगतान से संबंधित मामले शामिल हैं। अपनी नीतियां तैयार करते समय बैंकों से समाशोधन व्यवस्थाओं और तदनुरूपियों के माध्यम से एकत्र करने की अन्य आंतरिक व्यवस्थाओं के लिए अपनी प्रौद्योगिक क्षमताओं, अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है।

वैवाहिक विवाद न्यायाधिकरणों की स्थापना

2570. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पृथक् वैवाहिक विवाद न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अनुसार कोई राज्य सरकार, विवाह और कुटुम्ब संबंधी मामलों से संबंधित विवादों में सुलह का संवर्धन करने तथा शीघ्र समाधान करने के विचार से उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालयों को स्थापित कर सकेगी, जिसके लिए न्याय विभाग द्वारा 50-50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में सरकार का पृथक विवाह संबंधी विवाद अधिकरणों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च

2571. श्रीमती अर्चना नायक: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना किए जाने हेतु कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई में जन परिवहन परियोजनाएं

2572. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल एवं वहनीय जन परिवहन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित निवेश एवं समयावधि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) शहरी परिवहन राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों को अपने-अपने शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए समुचित प्रस्ताव तैयार करना होता है। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत भारत सरकार संभावित मांग तथा अन्य तकनीकी व आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए समुचित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए जनपरिवहन प्रणालियों के लिए नगर विशेष परियोजनाएं विकसित करने के लिए सभी बड़े शहरों को प्रोत्साहित करती है। सरकार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन इक्विटी या व्यवहार्यता अन्तर वित्तपोषण के रूप में वित्तीय सहायता भी देती है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 चरणों में कार्यान्वित किये जाने हेतु 146.5 कि.मी. की लम्बाई वाले 9 कारीडोरों में मेट्रो रेल प्रणाली चलाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अध्ययन की लागत के 40% का वहन भारत सरकार द्वारा किया गया था।

(ख) प्रत्येक परियोजना में निवेश की मात्रा तथा समय सीमा अलग-अलग होती है। प्रथम चरण की पहली दो लाइनों के संबंध में ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

	अनुमानित निवेश (करोड़ रु. में)	प्रस्तावित समय सीमा
वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर	2356	4 वर्ष
कोलाबा-माहिम-चारकोप	8825	6 वर्ष

विद्युत की आपूर्ति

2573. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से विद्युत की वास्तविक आवश्यकता कितनी है और कितनी आपूर्ति की जा रही है;

(ख) उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनसे तमिलनाडु को विद्युत की आपूर्ति की जाती है;

(ग) क्या तमिलनाडु ने हाल ही में राज्य में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विद्युत के अतिरिक्त कोटे के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) वर्तमान वर्ष (अप्रैल अक्तूबर 2006) के दौरान तमिलनाडु की विद्युत की वास्तविक आवश्यकता 36,457 मिलियन यूनिट (एमयू) थी जिसमें से 11,752 एम यू की आपूर्ति केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएमयू) से की गई थी।

(ख) तमिलनाडु को विद्युत की आपूर्ति तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड, न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड से की जाती है।

(ग) और (घ) राज्य में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु अतिरिक्त आबंटन के लिए तमिलनाडु सरकार से हाल ही में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया गया है। हालांकि, तमिनालडु विद्युत बोर्ड ने उनके द्वारा कायमकुलम सीसीजीटी की क्षमता में 50% हिस्सा बरकरार रखने के लिए 31 मार्च 2007 के बाद पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों से 180 मेगावाट विद्युत के विशेष आबंटन को जारी रखने का अनुरोध किया है।

उधारों को नियंत्रित करने के लिए उपाय

2574. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विकास को बढ़ावा देने के लिए उधारों को नियंत्रित करने हेतु कतिपय उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 और इसके तहत बनाई गई नियमावली में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार राजकोषीय समेकन हासिल करने और इस प्रकार केन्द्र सरकार के उधारों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक नीति का अनुसरण कर रही है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च, 2009 तक की समयावधि के अंतर्गत राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने तथा सरकारी ऋण की वृद्धि को स.घ.उ. के अनुपात में नियंत्रित करने के लिए एक विधिक तथा संस्थागत ढांचे की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

चुनावी व्यय

2575. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में चुनाव के लिए व्यय की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले आम चुनाव के दौरान लोक सभा तथा विधान सभा चुनावों का औसत व्यय कितना था;

(घ) क्या भारत में चुनावी व्यय में वृद्धि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में संसदीय/विधान

सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्वाचन व्ययों की विहित विद्यमान अधिकतम सीमा संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2004 में 14वीं लोक सभा के निर्वाचनों के संचालन पर उपगत व्यय, अनन्तिम प्राक्कलन के अनुसार लगभग 1093,06,81,319 रुपए है। इसके अतिरिक्त, सरकार राज्यों में विधान सभा निर्वाचनों के व्ययों के संबंध में अवगत नहीं है।

(घ) और (ङ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्वाचन संबंधी व्यय की लागत में वृद्धि, साधारण रूप से बढ़ती कीमतों, निर्वाचन लड़ने वाले और मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप मतदान केन्द्रों और अन्य निर्वाचन सामग्री संबंधी व्यय में वृद्धि हुई है।

विवरण

[1]*[सारणी*

क्र.सं.	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित में निर्वाचन व्ययों की अधिकतम सीमा	
		संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	सभा निर्वाचन क्षेत्र
1	2	3	4
I. राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	25,00,000	10,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	17,00,000	6,00,000
3.	असम	25,00,000	10,00,000
4.	बिहार	25,00,000	10,00,000
5.	गोवा	14,00,000	5,00,000
6.	गुजरात	25,00,000	10,00,000
7.	हरियाणा	25,00,000	10,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	25,00,000	7,00,000
9.	जम्मू-कश्मीर	25,00,000	–
10.	कर्नाटक	25,00,000	10,00,000
11.	केरल	25,00,000	10,00,000
12.	मध्य प्रदेश	25,00,000	10,00,000
13.	महाराष्ट्र	25,00,000	10,00,000
14.	मणिपुर	22,00,000	5,00,000
15.	मेघालय	22,00,000	5,00,000
16.	मिजोरम	20,00,000	5,00,000
17.	नागालैंड	25,00,000	5,00,000

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	25,00,000	10,00,000
19.	पंजाब	25,00,000	10,00,000
20.	राजस्थान	25,00,000	10,00,000
21.	सिक्किम	17,00,000	5,00,000
22.	तमिलनाडु	25,00,000	10,00,000
23.	त्रिपुरा	25,00,000	5,00,000
24.	उत्तर प्रदेश	25,00,000	10,00,000
25.	पश्चिम बंगाल	25,00,000	10,00,000
26.	छत्तीसगढ़	25,00,000	10,00,000
27.	उत्तरांचल	25,00,000	7,00,000
28.	झारखण्ड	25,00,000	10,00,000
II. संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17,00,000	–
2.	चंडीगढ़	14,00,000	–
3.	दादरा और नगर हवेली	10,00,000	–
4.	दमन और दीव	10,00,000	–
5.	दिल्ली	25,00,000	9,00,000
6.	लक्षद्वीप	10,00,000	–
7.	पाण्डिचेरी	20,00,000	5,00,000

[1]अधिसूचना संख्या का.आ. 1232(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई.

2576. श्री एल. राजगोपाल:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निवेश के दायरे में वृद्धि करने है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश के कारण घरेलू बीमा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 (7क) (ख) में,

भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी संयुक्त उद्यम भागीदारी के लिए 26% तक इक्विटी स्टाक धारित करने का प्रावधान है। बीमा क्षेत्र के खोले जाने के परिणामस्वरूप जीवन तथा गैर-जीवन क्षेत्र में क्रमश: 15 और 9 कंपनियों ने प्रवेश किया।

(ख) और (ग) एफडीआई सीमा को 26% से 49% तक बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) संयुक्त उद्यम भागीदारों के साथ नई बीमा कंपनियों के प्रवेश से बीमा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। बीमा क्षेत्र को खोले जाने से होने वाले लाभ में, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्धित बीमा व्यापन, प्रीमियम हामीदारी में वृद्धि, नवोत्पाद तथा रोजगार निर्माण के अवसर भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुविधाएं

2577. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली से सटे हुए राज्यों में कितने क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आते हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में दिल्ली के समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (1483 वर्ग कि.मी.)
* हरियाणा उप क्षेत्र : 8 जिले नामत: फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, झज्जर, मेवात तथा पानीपत (13413 वर्ग कि.मी.)
* राजस्थान उप क्षेत्र : अलवर जिला (7829 वर्ग कि.मी.)
* उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र : 5 जिले नामत: मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलन्दशहर तथा बागपत (10853 वर्ग कि.मी.)।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करता है। क्षेत्रीय योजना-2021 दिनांक 17.9.2005 को अधिसूचित की गई थी। बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना परियोजनाओं सहित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए घटक राज्यों/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण सहायता भी देता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 1985 से क्षेत्र में 167 अवस्थापना परियोजनाओं के लिए 2292.58 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। ये परियोजनाएं भूमि विकास, जल आपूर्ति, बिजली, परिवहन, सीवरेज तथा जल निकास और अन्य अवस्थापना परियोजनाओं से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

हेरोइन की जब्ती

2578. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल ही में करोड़ों रुपये की हेरोइन जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गतिविधियों में विदेशी नागरिक शामिल थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। हाल में जब्त हेरोइन का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की सं.	जब्त मात्र (कि.ग्रा. में)	मूल्य करोड़ रु. में (अंतर्राष्ट्रीय मूल्य)
1.	2005-06	16	130.722	130
2.	2006-07 (अक्तूबर, 2006 तक)	11	138.104	138

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	शामिल विदेशी नागरिकों की सं.	राष्ट्रीयता
1.	2005-06	10	सभी नाइजीरियाई
2.	2006-07 (अक्तूबर, 2006 तक)	05	फिलिपिन-1 दक्षिण अफ्रीकी-1 जाम्बियाई-2 इंडोनेशियाई-1

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में व्यावहारिक आसूचना प्राप्त करने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

बड़ी तेल कंपनियों से शुल्क

2579. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2001-02 में भुगतान किये गये 5318 करोड़ रुपये के बिक्री कर की तुलना में वर्ष 2005-06 में 8812 करोड़ रुपये के बिक्री कर का भुगतान किया है जो कि 3494 करोड़ रुपये अधिक है;

(ख) यदि हां, तो एच.पी.सी.एल. द्वारा राज्य सरकारों को बढ़ते हुए बिक्री कर के भुगतान तथा कर भार को कम नहीं करने का क्या कारण है;

(ग) लेखा वर्ष 2001-02 तथा 2005-06 के दौरान सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक तेल कंपनियों द्वारा कुल कितने बिक्री कर का भुगतान किया गया;

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान इन कंपनियों को तेल राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(ङ) क्या सरकार तेल कंपनियों को राजसहायता देना बंद करने पर विचार करेगी क्योंकि उक्त राजसहायता का उपयोग राज्य सरकारों को करों का भुगतान करने में किया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

गरीबी उन्मूलन

2580. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में देश में भुखमरी के कारण राज्य-वार कितने व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली/दर्ज की गई है; और

(ख) गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) भुखमरी के कारण शहरी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना नहीं है।

(ख) देश में शहरी गरीबों की जीवन-दशा में सुधार करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त स्लमों तथा गंदे क्षेत्रों में रहने वाले शहरी गरीबों की आवास एवं बुनियादी सेवा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन दिसंबर, 2005 से चुनिन्दा 63 मिशन शहरों में शुरू किया गया है। मिशन शहरों को छोड़कर अन्य कस्बों/शहरों में शहरी गरीबों को आवास एवं बुनियादी सेवायें मुहैया कराने के लिए दिसंबर, 2005 से समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ऋण की सीमा

2581. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक ऋण लेने के लिए केन्द्र सरकार की सहमति प्राप्त करने की शर्त के बदले अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत कुल ऋण की सीमा के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) वर्ष 2006-2007 के लिए प्रत्येक राज्य हेतु कुल ऋण की क्या सीमा तय की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऋण की स्रोत आधारित सीमा को समाप्त करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों की अपने राज्य की परियोजनाओं के लिए बैंकों से ऋण लेने की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप, भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निवल ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

(ख) वर्ष 2006-07 के लिए प्रत्येक राज्य की ऋण सीमा संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2006-07 के लिए राज्यों की ऋण सीमा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	ऋण सीमा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9230
2.	अरुणाचल प्रदेश	355
3.	असम	2180
4.	बिहार	1957
5.	छत्तीसगढ़	1492
6.	गोवा	870
7.	गुजरात	9654
8.	हरियाणा	1312
9.	हिमाचल प्रदेश	1634
10.	जम्मू-कश्मीर	1510
11.	झारखण्ड	3405
12.	कर्नाटक	4946
13.	केरल	4672
14.	मध्य प्रदेश	6305
15.	महाराष्ट्र	20986
16.	मणिपुर	396
17.	मेघालय	341
18.	मिजोरम	249
19.	नागालैंड	212
20.	उड़ीसा	1677
21.	पंजाब	4320
22.	राजस्थान	6759
23.	सिक्किम	195
24.	तमिलनाडु	6988
25.	त्रिपुरा	544
26.	उत्तर प्रदेश	14710
27.	उत्तरांचल	1904
28.	पश्चिम बंगाल	11546

[अनुवाद]

औषधि कानून प्रवर्तन अधिकरणों को सुदृढ़ करना

2582. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के लिए स्वापक औषधियों को जब्त किए जाने और गुप्त रूप से हेरोइन/मार्फीन बनाने वाली प्रयोगशालाओं को बंद कराने के संदर्भ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में नशीली दवाओं के बढ़ते हुए अवैध कारोबार का सामना करने के लिए विद्यमान औषधि कानून प्रवर्तन अधिकरणों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। स्वापक औषधियों की जब्ती और गुप्त रूप से हेरोइन/मोरफिन उत्पादक प्रयोगशालाओं/सुविधाओं को बंद करने के दृष्टिकोण से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के निष्पादन की सरकार द्वारा निरन्तर मानीटरिंग की जाती है।

विगत तीन वर्षों (2006 का अर्थ अक्तूबर, 2006 तक है) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा की गई जब्ती निम्न प्रकार है:

(सभी आंकड़े कि.ग्रा. में)

क्र.सं.	औषधि	2004	2005	2006 (अक्तूबर तक)
1.	अफीम	20	0	920
2.	हेरोइन	468	260	235
3.	गांजा	10520	5572	14900
4.	हशीश	394	430	880
5.	कोकीन	3	1	200

देश में विभिन्न औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाए गए/नष्ट किए गए गुप्त रूप से हेरोइन/मोरफिन उत्पादक प्रयोगशालाओं/सुविधाओं की संख्या निम्न प्रकार है:

औषधि	2004	2005	2006
हेरोइन	3	1	0
मोरफिन	0	1	1

(ग) वर्तमान औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) पात्र राज्यों को अपनी स्वापक इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए वार्षिक रूप से दी गई वित्तीय सहायता।

(ii) स्वापक सहित विभिन्न अपराधों को रोकने के लिए सभी तटीय राज्यों में तटीय पुलिस स्टेशनों का सृजन।

(iii) विभिन्न क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच आसूचना को समन्वित करने और उसका आदान-प्रदान करने के लिए प्रमुख आसूचना एजेंसियों के रूप में कतिपय एजेंसियों की घोषणा।

सोल्वेंसी मार्जिन

2583. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सोल्वेंसी मार्जिन के लक्ष्य को पूरा करने में किस सीमा तक समर्थ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार सोल्वेंसी मार्जिन और अन्य देनदारियों को पूरा करने हेतु स्वयं अपने भंडार का सृजन करने हेतु अधिकार प्रदान के लिए जीवन बीमा निगम अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा यथा अधिदेशित, 150% की तुलना में 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार उन्होंने 130% का शोधक्षमता मार्जिन प्रदान किया है।

(ख) और (ग) एलआईसी ने आरक्षित निधि के निर्माण के लिए एलआईसी अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

कंपनियों द्वारा ई-फाइलिंग

2584. श्री रशीद मसूद: क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी कंपनियों के लिए ई-फाइलिंग करना अनिवार्य कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 के परिणामस्वरूप और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 610ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में कम्पनी (दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करना और अधिप्रमाणन) नियम, 2006 को केन्द्र सरकार द्वारा सभी कम्पनियों के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 2006 से संवैधानिक दस्तावेजों की ई-फाइलिंग अनिवार्य करने हेतु अधिसूचित किया है।

[अनुवाद]

निजी सहकारी समितियां

2585. श्री रनेन बर्मन:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे भूखण्डों पर मकान बनाने के लिए निजी सहकारी समितियों अथवा अन्य एजेंसियों को प्रोत्साहन देने और सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि सहकारी समितियां दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 तथा उनके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती है। सहकारी समूह आवासीय समितियों (सीजीएचएस) द्वारा जिन भूखंडों पर फ्लैटों का निर्माण किया जा सकता है उनका न्यूनतम आकार 3000 वर्ग मी. है। भूखंड के आकार को कम करने तथा निजी सहकारी समिति अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा छोटे भूखंडों पर फ्लैटों का निर्माण करने की अनुमति दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि उसने सहकारी समूह आवासीय समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) प्रमुख अखबारों में प्रमुख विज्ञापनों के जरिए समितियों में रिक्तियां घोषित करना तथा सदस्यता मंजूरी संबंधी प्रस्तावों के लिए आपत्तियां आमंत्रित करना अनिवार्य बना दिया गया है।

(ii) समितियों द्वारा सदस्यता के अंतरण और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को युक्ति-युक्त बना दिया गया है।

(iii) वास्तविकता सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए समूह आवास समितियों के सभी सदस्यों के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन) बैंक लेखा संख्या का ब्यौरा देना, सदस्य के फोटो तथा हस्ताक्षर या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य बना दिया गया है।

(iv) दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 1973 के नियम 24(2) में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया है कि नए सदस्य का नामांकन पारदर्शी और उचित ढंग से किया जाए।

(v) निष्क्रिय सहकारी समूह आवास समितियों को बहाल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

[हिन्दी]

व्यवहार्यता अन्तर वित्त पोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग)

2586. श्री संजय धोत्रे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवसंरचना के क्षेत्र में सरकारी निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली परियोजनाओं का व्यवहार्यता अन्तर वित्त पोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके आरम्भ होने से परियोजना-वार राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। अब तक 17 प्रस्तावों को "सिद्धान्ततः अनुमोदन" प्रदान किया गया है। ये सभी 17 प्रस्ताव सड़क क्षेत्र से हैं, जिसमें से 3 परियोजनाएं गुजरात से, 2 परियोजनाएं महाराष्ट्र से, 5 परियोजनाएं मध्य प्रदेश से और 7 परियोजनाएं राजस्थान से हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को ऋण

2587. श्री संतोष गंगवार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चुनिन्दा जिलों को सहायता/ऋण प्रदान किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कार्य-वार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने बताया है कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 13 जिलों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 5 काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों में अवस्थापना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऋण दिया है। दिनांक 30 नवंबर, 2006 तक बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 167 अवस्थापना परियोजनाओं के लिए 2313.11 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	परियोजना की लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण
(I) पूरी की जा चुकी परियोजनाएं				
विद्युत	1	16	12	12
भूमि विकास	79	2969.9433	949	871
जल आपूर्ति	7	142.01	78.5359	34.2859
परिवहन	13	135.417	92.4075	87.1625
सीवरेज/सफाई/कचरा प्रबंधन	6	18.23	13.68	8.75
अन्य	1	2.45	1.83	1.83
कुल	107	3284.050	1148.046	1015.218
(II) चालू परियोजनाएं				
विद्युत	7	487.8376	365.8515	213.0526
भूमि विकास	15	1328.4796	563.064	477.4294
जल आपूर्ति	16	730.3981	547.8235	165.4335
परिवहन	4	160.7838	115.955	99.735
सीवरेज/सफाई/कचरा प्रबंधन	13	326.6284	259.0507	145.687
अन्य	5	552.7076	334.1114	196.5514
कुल	60	3586.835	2185.856	1297.889
सकल योग I + II	167	6870.885	3333.902	2313.107 अर्थात् 2313.11

[अनुवाद]

निगमों द्वारा शुल्क अपवंचन

2588. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने निगमों को गत तीन वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अपवंचन के लिए 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों में कितना राजस्व शामिल है;

(घ) क्या सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलनिमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निजी बिल्डर्स

2589. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए आरक्षित बहुत बड़े भूमि क्षेत्र को निजी बिल्डर्स को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों तथा उसके बाद का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) आवासों तथा दुकानों की दिल्ली में कमी को दिल्ली विकास प्राधिकरण किस प्रकार पूरा करेगा तथा इस समय कितने मकानों और दुकानों की कमी है; और

(घ) कब तक उक्त कमी पूरी कर ली जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रारूप में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021 तक अनुमानित आबादी के लिए अतिरिक्त 24 लाख रिहायशी यूनिटों की जरूरत होगी। इसमें 2001 की जनगणना अनुसार 4 लाख रिहायशी यूनिटों का बैकलाग शामिल है, जिसमें एक लाख की निवल आवासीय कमी तथा शेष जीर्णशीर्ण व कच्चे ढांचों को परिवर्तित करने के लिए है। आवासीय स्टाक की कुल आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रारूप में मौजूदा आवासीय स्टाक का सुधार/व्यवस्थित बसाव करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अतिरिक्त आवासी निर्माण करने तथा साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी अतिरिक्त आवासीय स्टाक बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, अपेक्षित वाणिज्यिक स्थल को एकीकृत ढंग से समायोजित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रारूप में सभी कार्यस्थलों तथा परिवहन केन्द्रों में अपेक्षित स्तर की खुदरा दुकानों के प्रावधान के अलावा वाणिज्यिक क्रियाकलापों की पांच-स्तरीय प्रणाली, यथा सुविधाजनक शापिंग सेन्टर, स्थानीय शापिंग सेंटर, समुदाय केन्द्र, जिला केन्द्र तथा मैट्रोपोलिटन सिटी सेन्टर की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, नान-हाईरर्किकल कमर्शियल सेन्टर, अनौपचारिक यथा सुविधाजनक सेक्टर तथा एमआरटीएस कारिडोर के साथ-साथ चुनिन्दा क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग के संघटकों का भी प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों में अनधिकृत निर्माण

2590. चौ. मुनव्वर हसन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कालोनियों में अनधिकृत निर्माण तथा आवंटियों द्वारा क्वार्टर किराये पर देने का मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में दर्ज की गई तत्संबंधी संख्या क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली सरकार को सौंपा जाना

2591. श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली सरकार के नियंत्रण में देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक उक्त निर्णय ले लिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय

2592. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन अवस्थित हैं तथा तत्संबंधी मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) क्या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में विशेषकर तमिलनाडु में ग्राम आधारित नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर अवस्थित हैं:-

(1) चंडीगढ़

(2) अहमदाबाद

(3) लखनऊ

(4) गुवाहाटी

(5) भोपाल

(6) हैदराबाद

(7) भुवनेश्वर

(8) चैन्नई, और

(9) पटना।

इन क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य कार्य मानीटरिंग कार्यकलाप में सुविधा प्रदान करने के अलावा राज्य सरकार/विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना है। तथापि, अधिकांश राज्यों में राज्य नोडल एजेंसियों की स्थापना से क्षेत्रीय कार्यालयों की उपयोगिता कम हो गई है। मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी संगठनात्मक संरचना का युक्तीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है।

(घ) तमिलनाडु सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की संस्थापना हेतु कई संवर्धनात्मक योजनाएं/कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल हैं—पारिवारिक और सामुदायिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र, बायोमास गैसीकरण प्रणालियां और सौर कुकर/शुष्कक कार्यक्रम तथा दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, जो उन गांवों के लिए है जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टिविटी प्राप्त होने की संभावना है। तमिलनाडु सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए रियायती शुल्क और करों से राहत शामिल हैं। प्रिंट, पोस्टल तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के प्रयोग के संबंध में प्रचार और जागरूकता का सृजन भी किया जाता है और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस जैसे विशेष समारोह भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन को सुगम बनाने के लिए राज्यों में जिला स्तरीय सलाहकार समितियां भी गठित की गई हैं।

[हिन्दी]

शिकायत निवारण प्रणाली

2593. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कंपनी पंजीयक के दिल्ली स्थित मुख्यालय और कंपनी कार्य विभाग में शेयरधारकों और नागरिकों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका निवारण किया जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में लंबित शिकायतों, प्राप्त हुई शिकायतों और जिन शिकायतों का निवारण किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में शिकायतों के धीमे निवारण के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु शिकायत निवारण प्रणाली को सरल बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) कम्पनी कार्य मंत्रालय के निवेशक संरक्षण सैल एवं क्षेत्रीय निदेशकों तथा कम्पनी रजिस्ट्रारों (आरओसी) के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में नामित नोडल अधिकारियों को प्राप्त कंपनियों के निवेशकों/शेयरधारकों की शिकायतों को निवारण तथा जहां उचित हो कानूनी कार्रवाई शुरू करने हेतु कम्पनी के साथ उठाया जाता है।

(ख) वर्ष 2005-2006 के दौरान आरओसी दिल्ली एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में 2440 शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा इन सभी शिकायतों पर कार्यवाही की गई थी एवं इनके त्वरित निवारण के लिए इन्हें संबंधित कम्पनियों को अग्रेषित किया गया था और जहां आवश्यक था अनुस्मारक भी भेजे गए थे। इनमें से 150 शिकायतों का कम्पनियों द्वारा संतोषप्रद ढंग से निवारण कर दिया गया था। चालू वर्ष में 1640 शिकायतें प्राप्त हुईं एवं 1634 शिकायतों को निवारण हेतु तुरंत संबंधित कंपनियों को अग्रेषित कर दिया गया। कम्पनियों ने 262 शिकायतों का निवारण कर दिया है। छः शिकायतों पर कार्यवाही चल रही है।

(ग) से (ङ) इसके संबंध में सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) निवेशकों एवं जमाकर्त्ताओं को अपनी शिकायतें डाक द्वारा लिखित रूप में भेजने के बजाय कम्पनी कार्य मंत्रालय के निवेशक संरक्षण सैल में इंटरनेट के माध्यम से आनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने की प्रणाली की शुरूआत की गई है।

(2) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के अंतर्गत कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित वेबसाइटों को प्रायोजित किया गया तथा जोड़ा गया है:-

(क) आर्थिक अपराधों/चूकों इत्यादि के लिए विभिन्न नियामक निकायों द्वारा अभ्यारोपित कम्पनियों के बारे में निवेशकों को सूचित करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.वाचआउटइन्वेस्टर्स.काम तथा

(ख) निवेशक जागरूकता सृजन हेतु एक तंत्र प्रदान करने तथा अपनी शिकायतों के निःशुल्क निवारण में निवेशकों को सहयोग प्रदान करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इन्वेस्टरहेल्पलाइन.इन।

[अनुवाद]

लघु जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना

2594. श्री विजय कृष्ण:
श्री रशीद मसूद:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली बिजली सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन निजी कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें देश में ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) अक्षय स्रोतों से उपलब्ध ऊर्जा स्वरूपों में लघु पनबिजली (एसएचपी) के अपने लाभ और जोखिम संबंधी कारक हैं, जो स्थान और स्थल विशिष्ट होते हैं।

(ख) और (ग) लघु पनबिजली परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 16 राज्यों ने नीतियों की घोषणा कर दी है। राज्य सरकारों द्वारा निजी कंपनियों को उनके सामर्थ्य एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर वर्तमान नीतियों के अनुरूप मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी बिडिंग के माध्यम से एसएचपी स्थलों का आबंटन किया जाता है।

आवासीय संपत्तियों से व्यवसाय करना

2595. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में वकीलों, चिकित्सकों, वास्तुकारों और सनदी लेखाकारों को आवासीय सम्पत्तियों से अपना व्यवसाय करने की अनुमति दी है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस सूची में और अधिक व्यवसायों को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) मिश्रित उपयोग विनियमन के संबंध में दिनांक 7.9.06 को जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्लाटयुक्त विकास तथा ग्रुप हाउसिंग वाले रिहायशी परिसरों में व्यावसायिक कार्यकलाप चलाने की अनुमति दी गई है:-

(i) व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति तब दी जायेगी जब वह कार्य निवासी द्वारा स्वयं किया जा रहा हो।

(ii) व्यावसायिक कार्यकलापों का अभिप्राय चिकित्सक, वकील, आर्किटेक्ट तथा चार्टड एकाउंटेन्ट जैसे व्यावसायिक कार्यों पर आधारित सेवाओं से है।

(iii) व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति किसी भी तल पर दी जायेगी बशर्ते वह कार्य प्रत्येक आवास के अनुमेय या स्वीकृत फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) इनमें से जो भी कम हो, के अधिकतम 50%, हिस्से में चल रहा हो।

(iv) एकल आवास वाले प्लाटयुक्त विकास के मामले में व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति केवल किसी एक तल पर दी जायेगी परन्तु यह उस प्लाट पर अनुमेय या स्वीकृत (एफएआर) इनमें से जो भी कम हो, के 50% से कम, हिस्से तक सीमित रहेगी।

(ख) और (ग) व्यावसायिक कार्यकलापों के बारे में मिश्रित उपयोग विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच करने के लिए दिनांक 31.10.2006 को गठित समिति की रिपोर्ट हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

किसानों के लिए विशेष पैकेज

2596. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विशेष पैकेज की घोषणा किए जाने के बावजूद बैंकों द्वारा किसानों के ऋणों पर ब्याज माफ नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के सहकारी बैंक किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना का विरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में तथा विशेष पैकेज के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) देश के चार राज्यों में पहचाने गए 31 ऋणग्रस्त जिलों के लिए कृषि ऋण के संबंध में राहत उपायों के विशेष पैकेज के अनुसार, बैंकों द्वारा 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों पर पूरा ब्याज माफ किया जाएगा तथा किसानों पर उस तारीख के अनुसार कोई पुराना ब्याज भार नहीं होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रभावित जिलों में कार्यरत सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पहले से दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। बैंकों द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के छः ऋणग्रस्त जिलों में 604.79 करोड़ रुपये की सीमा तक के ब्याज से माफ किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल इन तीनों राज्यों के शेष 25 जिलों के संबंध में पैकेज के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया पहले से प्रारम्भ कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विदर्भ क्षेत्र के लिए घोषित राहत पैकेज के अनुसार, भारत सरकार ब्याज छूट का 50 भार उठाएगी। सरकार इस क्षेत्र के सहकारी बैंकों को संवितरण हेतु ब्याज छूट के अपने अंश के रूप में 125 करोड़ रुपये पहले से जारी कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंकों को 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार देने के लिए समर्थ बनाने हेतु, भारत सरकार ने नाबार्ड से रियायती ब्याज दर पर सभी सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने तथा अपने स्वयं के संसाधनों से संवितरित राशि पर उन्हें 2% की ब्याज सहायता देने का निर्णय भी लिया है।

पीएमआरवाई के अंतर्गत ऋण प्रदान किए जाने में विलम्ब

2597. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान करने में बैंक बहुत विलम्ब करते हैं अथवा इसके लिए लम्बी प्रतीक्षा के बाद उन्हें खाली हाथ लौटा देते हैं;

(ख) क्या योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु किसी समय-सीमा का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार और बैंक-वार समय सीमा के भीतर निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के पूर्ण कार्यान्वयन के संबंध में जिला उद्योग केन्द्रों और बैंकों की जवाबदेही की त्रैमासिक समीक्षा करने का प्रावधान बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण संबंधी आवेदनों पर कृतिक बल की संवीक्षा के बाद कार्रवाई की जाती है जिसमें जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी), संबंधित सरकारी विभाग और बैंकों के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात्, उम्मीदवारों के साक्षात्कार पर आधारित आवेदनों को डीआईसी द्वारा बैंक शाखाओं को कृतिक बल द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तत्पश्चात् बैंक शाखाएं आवेदनों की व्यापक समीक्षा करती हैं। अलग-अलग बैंकों के लक्ष्यों पर विचार करते हुए पात्र आवेदकों को बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किए जाते हैं। इसलिए, मामलों पर कार्रवाई करने में कुछ समय लग सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा न करने वाले आवेदकों को ऋण मंजूर नहीं किए जाते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदनों को दो सप्ताह के भीतर और 2 लाख रुपए (योजना के अधीन सीमा) तक के ऋण आवेदनों को 4 सप्ताह के भीतर निपटाने का अनुदेश दिया है, बशर्ते ऋण आवेदन विधिवत रूप से पूर्ण हों और "चैक लिस्ट" उसके साथ लगी हो। उस क्षेत्र के अन्य बैंकों से "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्राप्त करने में आवेदकों को होने वाली अनावश्यक देरी और परेशानी से बचाने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि 15 दिन के भीतर संदर्भिक बैंक से इसके प्राप्त न होने पर इस पर जोर नहीं दिया जाएगा और यह माना जाएगा कि आवेदक के संबंधित बैंक को कोई राशि नहीं देनी है।

(घ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान पीएमआरवाई के अंतर्गत संवितरित आवेदनों की कुल संख्या का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, II में दिया गया है।

(ङ) और (च) जिला स्तर पर जिला अधिकारी/उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पीएमआरवाई समिति इस योजना की समीक्षा और निगरानी करती है।

विवरण I

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान पीएमआरवाई के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित आवेदनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संवितरित आवेदनों की सं.		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	अ.उ.	7755	9372
2.	हिमाचल प्रदेश	7277	2853	2919
3.	जम्मू-कश्मीर	2862	639	286
4.	पंजाब	656	8372	7849
5.	राजस्थान	7558	12919	13635
6.	चंडीगढ़	12769	206	84
7.	दिल्ली	68	819	669
8.	असम	अ.उ.	8256	5119
9.	मणिपुर	5844	387	355

1	2	3	4	5
10.	मेघालय	520	568	551
11.	नागालैंड	403	109	1936
12.	त्रिपुरा	53	1747	2016
13.	अरुणाचल प्रदेश	2043	440	423
14.	मिजोरम	668	142	414
15.	बिहार	अ.उ.	10396	11541
16.	झारखण्ड	9860	4804	4526
17.	उड़ीसा	4774	11339	11753
18.	पश्चिम बंगाल	8779	3796	3995
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2822	142	103
20.	सिक्किम	182	32	28
21.	छत्तीसगढ़	अ.उ.	3276	3158
22.	मध्य प्रदेश	3275	20642	19591
23.	उत्तर प्रदेश	19748	42534	39030
24.	उत्तरांचल	5361	6637	7366
25.	गुजरात	अ.उ.	6406	6297
26.	महाराष्ट्र	6755	21819	23371
27.	दमन और दीव	17230	4	14
28.	गोवा	3	45	43
29.	दादरा और नगर हवेली	116	22	24
30.	आंध्र प्रदेश	अ.उ.	22542	17820
31.	कर्नाटक	17729	13931	15165
32.	केरल	11929	16553	21404
33.	तमिलनाडु	14024	16902	19374
34.	लक्षद्वीप	12738	4	5
35.	पाण्डिचेरी	17	329	407
	विनिर्दिष्ट नहीं	294	897	1397
	अखिल भारतीय	176357	248264	252040

टिप्पणी : अ.उ. - अनुपलब्ध

विवरण II

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान पीएमआरवाई के अंतर्गत संवितरित आवेदनों की बैंक-वार संख्या

क्र.सं.	बैंकों के नाम	संवितरित आवेदनों की सं.		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक				
1.	भारतीय स्टेट बैंक	55680	58105	53236
2	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर	4402	4921	5565
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	5122	6931	6018
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	3765	1923	2449
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	2433	1595	711
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3129	3235	3686
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	742	612	619
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	3875	3524	4934
9.	इलाहाबाद बैंक	9034	9475	10106
10.	आंध्रा बैंक	3546	7256	4747
11.	बैंक आफ बड़ौदा	14731	15132	14828
12.	बैंक आफ इंडिया	11321	12990	13458
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	5194	6100	6975
14.	केनरा बैंक	8251	14664	15441
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	10089	16452	12404
16.	कार्पोरेशन बैंक	1731	2138	2132
17.	देना बैंक	2423	3432	3299
18.	इंडियन बैंक	4817	5743	6799
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	अ.उ.	4247	6284
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4830	5220	5783
21.	पंजाब नैशनल बैंक	19632	21067	22202
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2095	2536	2164
23.	सिंडिकेट बैंक	8101	8387	8417

1	2	3	4	5
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	10360	10774	11490
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2582	4434	5641
26.	यूको बैंक	7254	3078	3533
27.	विजया बैंक	3090	3475	3837
	कुल	208229	237446	236758
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक				
1.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	539	250	1376
2.	बैंक आफ राजस्थान लि.	699	421	758
3.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	96	126	160
4.	कैथलिक सिरियन बैंक लि.	863	966	1290
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	4981	660	611
6.	फेडरल बैंक लि.	1467	1315	2375
7.	जे. एंड के. बैंक लि.	808	841	786
8.	कर्नाटक बैंक लि.	697	332	786
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	674	726	880
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	530	450	589
11.	रत्नाकर बैंक लि.	180	217	181
12.	सांगली बैंक लि.	89	56	29
13.	साउथ इंडियन बैंक लि.	1033	1339	1602
14.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	492	542	666
15.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	604	514	767
16.	वैश्य बैंक लि.	956	1112	1187
17.	नैनीताल बैंक लि.	378	368	469
18.	सिटी यूनियन बैंक लि.	392	426	512
19.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	220	157	258
	कुल गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	11215	10818	15282
	कुल सभी बैंक	219444	248264	252040

टिप्पणी : अ.उ. - अनुपलब्ध

[अनुवाद]

मताधिकार

2598. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मताधिकार को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अनिवार्य बनाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) मताधिकार को अनिवार्य बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस मुद्दे पर निर्वाचन सुधार संबंधी समिति, 1990 (दिनेश गोस्वामी समिति) द्वारा और साथ ही 1998 में आयोजित सभी राजनीतिक दलों की बैठक में भी विचार किया गया था। तथापि, इस उपाय को, इसके कार्यान्वयन में अंतर्वलित व्यवहार्य कठिनाइयों के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

2599. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितना विनिवेश किया जाएगा;

(ख) राष्ट्रीय निवेश निधि में अब तक कितनी धनराशि जमा की गई है तथा दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु इस संबंध में क्या रणनीति बनाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2002-03 से अब तक किए गए विनिवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 23 नवम्बर, 2005 को गठित किए गए राष्ट्रीय निवेश कोष में अब तक कोई उपार्जन नहीं हुआ है। 10वीं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष में उपार्जन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-03 से अब तक सामरिक बिक्री से प्राप्त धनराशि

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	विनिवेश का प्रकार	भारत सरकार की धारिता में से कम्पनी की बेची गई इक्विटी की प्रतिशतता	जुटाई गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
2002-03				
1.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	सामरिक बिक्री	26%	445.00
2.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सामरिक बिक्री	26%	1,490.84
3.	भारत पर्यटन विकास निगम लि.			
	(i) कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट	सामरिक बिक्री	89.97%	40.38
	(ii) मनाली अशोक	सामरिक बिक्री	89.97%	3.66
	(iii) खजुराहो अशोक	सामरिक बिक्री	89.97%	2.19

1	2	3	4	5
	(iv) वाराणसी अशोक	सामरिक बिक्री	89.97%	8.38
	(v) औरंगाबाद अशोक	सामरिक बिक्री	89.97%	16.50
	(vi) कनिष्का, नई दिल्ली	सामरिक बिक्री	89.97%	92.38
	(vii) इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली	सामरिक बिक्री	89.97%	43.38
	(viii) चण्डीगढ़, परियोजना	सामरिक बिक्री	100%	17.27
	(ix) होटल रणजीत, नई दिल्ली	सामरिक बिक्री	89.97%	29.28
	(x) होटल एयरपोर्ट, कोलकाता	सामरिक बिक्री	89.97%	19.39
4.	मार्डन फूड्स इण्डस्ट्रीज (इंडिया लि.)	सामरिक भागीदार हिन्दुस्तान लीवर लि. को अवशिष्ट शेयरों की बिक्री (विक्रय विकल्प)	25.995%	44.07
		उप-योग		2,252.72
2003-04				
1.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	सामरिक भागीदार स्टरलाइट अपर्चुनिटीज एण्ड वेंचर्स लि. को अवशिष्ट शेयरों की बिक्री (क्रय विकल्प)	18.92%	323.88
		उप-योग		323.88
		कुल योग		2,576.60

वर्ष 2002-03 से अब तक सामरिक बिक्री संबंधी सौदों से प्राप्त धनराशि

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	विनिवेश का प्रकार	भारत सरकार की धारिता में से कम्पनी की बेची गई इक्विटी की प्रतिशतता	जुटाई गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
2002-03				
1.	मारुति उद्योग लि.	राइट्स पेशकश के परित्याग के लिए सुजुकी मोटर्स कार्पोरेशन द्वारा नियंत्रण प्रीमियम के प्रति भुगतान किया गया	–	1,000.00

1	2	3	4	5
2.	होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.)	सामरिक बिक्री	100%	*83.00
	(i) सूंतर होटल एयरपोर्ट, मुंबई*			
3.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	कर्मचारी शेयर खरीद योजना	1.46%	6.19
4.	सीएमसी लि.	कर्मचारी शेयर खरीद योजना	6.06%	6.07
		उप जोड़		1,095.26
2003-04				
1.	जैसप एण्ड कंपनी लि.**	सामरिक बिक्री	72%	**18.18
		उप जोड़		18.18
2004-05				
1.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	कर्मचारी शेयर खरीद योजना	4.58%	64.81
		उप जोड़		64.81
	कुल जोड़			1178.25

* अर्थागम एयर इंडिया को गया

** राशि, धारक कंपनी बीबीयूएनएल द्वारा प्राप्त की गई।

वर्ष 2002-03 से अब तक सरकारी इक्विटी आदि के छोटे हिस्सों की बिक्री से प्राप्त अर्थागम

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	विनिवेश का प्रकार	भारत सरकार की धारिता में से कम्पनी की बेची गई इक्विटी की प्रतिशतता	जुटाई गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
2003-04				
1.	मारुति उद्योग लि.	आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश	27.51	993.34
2.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि.	बिक्री की पेशकश	28.95	1,202.85
3.	आईबीपी कंपनी लि.	बिक्री की पेशकश	26.00	350.66
4.	सीएमसी लि.	बिक्री की पेशकश	26.25	190.44

1	2	3	4	5
5.	ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	बिक्री की पेशकश	20.00	221.20
6.	गेल (इंडिया) लि.	बिक्री की पेशकश	10.00	1,627.36
7.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	बिक्री की पेशकश	10.00	*10,558.40
8.	आईसीआई लि.	बिक्री की पेशकश	9.2	77.10
		उप-योग		15,221.35
2004-05				
	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश	5.25	2,684.07
		उप-योग		2,684.07
2005-06				
	मारुति उद्योग लि.	अन्तरीय मूल्य निर्धारण पद्धति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बिक्री और मारुति उद्योग लि. के इच्छुक कर्मचारियों को प्रत्येक कर्मचारी 20 शेयर	8.01	1,569.68
		उप-योग		1,569.68
	कुल योग			19,475.10

* इसमें वर्ष 2004-05 में वास्तविक रूप से प्राप्त की गई 15.99 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है।

[हिन्दी]

सेवा कर

2600. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यापारियों द्वारा सेवा कर से संबंधित मांगों के बारे में हो रही समस्याओं की जानकारी है, जैसाकि दिनांक 7 नवम्बर, 2006 की ''दैनिक राजस्थान पत्रिका'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनकी समस्या के समाधान हेतु और क्या तंत्र उपलब्ध हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) 7 नवम्बर, 2006 की 'राजस्थान पत्रिका' में यह समाचार छपा था कि:

(1) व्यापारियों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:-

* फोटोग्राफी और रंगीन प्रयोगशालाओं को जारी मांग नोटिस के कारण उनके सामने समस्या आ रही है;

* सेवा कर की जानकारी के अभाव के कारण उनके सामने समस्याएं आ रही हैं। सेवा कर के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए विभाग को सेमिनारों का आयोजन करना चाहिए।

(2) सहायक आयुक्त ने व्यापारी को सूचित किया है कि यह एक नीतिगत मामला है और मुद्दे को वरिष्ठ अधिकारियों की सूचना में लाया जाएगा।

(ग)(1) मांग नोटिस पर कानून के प्रावधानों के दृष्टिकोण से न्याय-निर्णयन किया जाएगा।

(2) क्षेत्रीय कार्यालय निर्धारितियों को उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता कर रहा है। इसके लिए व्यापार और उद्योग संघ के परिसरों से सहायता केन्द्र कार्य कर रहे हैं। विभाग सेमिनारों, व्यापार जागरूकता कैम्पों, व्यापार प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय सलाहकार समिति और जन शिकायत निवारण समिति की बैठकों का भी आयोजन कर रहा है तथा सेवा करदाताओं को सुशिक्षित करने के लिए मीडिया में प्रचार भी शुरू कर रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन तथा प्रचालन) विनियम, 2006 जो 22 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 502/70/सीईए/डीपी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (कार्य संव्यवहार की प्रक्रिया) विनियम, 2006 जो 22 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीईए/5-28/सेक्रे./2006 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) मणिपुर और मिजोरम संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें) नियम, 2006 जो 14 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अपील प्राधिकारी को अपील (संशोधन) नियम, 2006 जो 7 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 537(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (संशोधन) नियम, 2006 जो 12 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 629(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विद्युत (संशोधन) नियम, 2006 जो 26 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 667(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी—5238/2006]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एल/68(84)/2006-सीईआरसी जो 28 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी—5239/2006]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट लिमिटेड, टिहरी का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी—5240/2006]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी—5241/2006]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1571(अ) जो 19 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 519 के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1743(अ) जो 10 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक को समवर्ती रूप में किसी अन्य कर निर्धारण अधिकारी अथवा कर निर्धारण अधिकारियों के साथ अपने अधीनस्थ सभी कर निर्धारण अधिकारी अथवा कर निर्धारण अधिकारियों के साथ अपने अधीनस्थ सभी कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अधिकारों के प्रयोग तथा कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2006 जो 19 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1796(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2006 जो 9 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1938(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1977(अ) जो 16 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एक निकाय के रूप में, पत्तन राज्य नियंत्रण संबंधी हिन्द महासागरीय समझौता ज्ञापन सचिवालय को बैंककारी कंपनी के पास निक्षेपों पर ब्याज के रूप में उक्त सचिवालय को उद्भूत होने वाली किसी आय को जिसको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट आय के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है, को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी—5242/2006]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 2006 जो 21 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1994(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी—5243/2006]

(2) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल सेंटर फार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5244/2006]

(3) आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1605(अ) जो 26 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006 के बारे में राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी—5245/2006]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल एकेडमी आफ साइंसिज, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी आफ साइंसिज, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5246/2006]

(2) (एक) सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलोर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलोर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5247/2006]

(3) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5248/2006]

(4) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5249/2006]

(5) (एक) नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5250/2006]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5251/2006]

(7) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटालर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स (एआरसीआई),

हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटालर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स (एआरसीआई), हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी—5252/2006]

(8) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पैलेबाटनी, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पैलेबाटनी, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी—5253/2006]

(9) (एक) कंसलटेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसलटेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी—5254/2006]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी—5255/2006]

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सा.का.नि. 546(अ) जो 9 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित कंपनियों को निधि का दर्जा प्रदान किया गया है।

(2) सा.का.नि. 517(अ) जो 31 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 मई, 1963 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 978 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी—5256/2006]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेन्टर फार विंड एनर्जी टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार विंड एनर्जी टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी—5257/2006]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एलटी—5258/2006]

(3) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एलटी—5259/2006]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल कोआपरेटिव हाऊसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव हाऊसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव हाऊसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एलटी—5260/2006]

(2) (एक) बिल्डिंग मेटेरियल्स एण्ड टेक्नोलाजी प्रमोशन काऊंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मेटेरियल्स एण्ड टेक्नोलाजी प्रमोशन काऊंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एलटी—5261/2006]

(3) (एक) सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज वेलफेयर हाऊसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज वेलफेयर हाऊसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एलटी—5262/2006]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5263/2006]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5264/2006]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:)-

(1) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (मान्यताप्राप्त स्टाक बाजारों में सार्वजनिक शेयरधारिता में वृद्धि तथा उसे बनाए रखने की रीति) विनियम, 2006 जो 13 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1950(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी—5265/2006]

(2) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बंध पत्रों का निर्गम और प्रबंधन) संशोधन विनियम, 2006 जो 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 1965/आरएमडी बाण्ड्स में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी—5266/2006]

(3) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1885(अ) जो 2 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बोलनगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक, कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक और कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक के विघटन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1886(अ) जो 2 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चंद्रपुर गढ़चिरौली ग्रामीण बैंक और भंडारा ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1887(अ) जो 2 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधियमन तथा वल्लालर ग्राम बैंक के विघटन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1888(अ) जो 2 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अवध, बाराबंकी तथा फरूखाबाद ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एलटी—5267/2006]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एशिया-प्रशांत व्यापार करार, (जिसे पहले बैंकाक करार के नाम से जाना जाता था) नियम, 2006 के अंतर्गत माल के उद्भव का निर्धारण नियम जो 31 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1390(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1397(अ) जो 2 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 1537(अ) जो 15 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1646(अ) 1 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1765(अ) 16 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1859(अ) 31 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 519(अ) 31 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 528(अ) जो 1 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अप्रैल, 2006 में विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के अंतर्गत शुरू की गई 'फोकस मार्केट स्कीम' को प्रचालन में लाए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 529(अ) जो 1 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अप्रैल, 2006 में विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के अंतर्गत शुरू की गई 'फोकस मार्केट स्कीम' को प्रचालन में लाए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एलटी—5268/2006]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 638(अ) जो 13 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 जून, 2006 को अधिसूचना संख्या 34/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 607(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) दि सेनवेट क्रेडिट (छठा संशोधन) नियम, 2006 जो 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 608(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 609(अ) जो 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.10.2006 से बंगलौर में पहले बड़े करदाता एकक का प्रयोग आरंभ करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 610(अ) जो 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के.उ.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 611(अ) जो 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 38/2002-के.उ.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी—5269/2006]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 630(अ) जो 12 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा माल के उत्पादन तथा निकासी तथा अन्य संगत विवरण और सेनवेट क्रेडिट के लिए मासिक/त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने के लिए प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी—5270/2006]

(7) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2006, जो 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 612(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी—5271/2006]

(8) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) संशोधन नियम, 2006 जो 26 अक्तूबर, 2006

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 668(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 2006 जो 26 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 669(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एलटी—5272/2006]

(9) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2006, जो 19 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1794(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एलटी—5273/2006]

(10) (एक) प्रतीची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रतीची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5274/2006]

(11) (एक) सेंटर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5275/2006]

(12) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट इकोनामिक, दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट इकोनामिक, दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5276/2006]

(13) (एक) इंस्टिट्यूट आफ सोशल एण्ड इकोनामिक चेन्ज, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ सोशल एण्ड इकोनामिक चेन्ज, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5277/2006]

(14) (एक) इंस्टिट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5278/2006]

(15) (एक) नेशनल काउंसिल फार एप्लायड इकोनामिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फार एप्लायड इकोनामिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5279/2006]

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पालिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पालिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी—5280/2006]

(17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टेमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टेमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी—5281/2006]

(ख) (एक) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी—5282/2006]

(18) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 29 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/एचआरडी/आईआरपी/2006-07/386 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 16 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006, जो 20 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/स्टाफ/ओएसआर/2006/पीएसबी/स्टाफ/ओएसआर/1982/5 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आंध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 28 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/ए1/1441 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 8 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीडी/एमआर/पीओएल/91 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 10 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एडमिन.1/04608(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 16 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 02 में प्रकाशित हुए थे।

(19) उपर्युक्त (18) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी—5283/2006]

(20) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमन, 2006 जो 25 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एपीजीयूपी/पर/ए/06-07 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडी-01/2006-2007/ 2326 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राजस्थान ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 76 में प्रकाशित हुए थे।

(21) उपर्युक्त (20) की मद संख्या (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी—5284/2006]

अपराह्न 12.01 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, फेज-एक के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य*

(एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 156वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)**: महोदय, मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II द्वारा जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश सं. 73ए के अनुसरण में दे रहा हूं ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के एक सौ छप्पनवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सम्मानित सदन को अवगत करा सकूं। यह प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की अनुदान मांग पर विचार करने से संबंधित है। इस समिति ने डीएसआईआर द्वारा संदर्भाधीन अवधि के दौरान की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदान मांग (2006-2007) पर विस्तारपूर्वक विचार किया।

इस समिति ने डीएसआईआर की कार्य-प्रणाली की समीक्षा और विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते हुए इस विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में इन अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और तत्संबंधी एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन दिनांक 18 मई, 2006 को सदन में प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में बारह संस्तुतियां हैं जिनमें से कुछ सलाहस्वरूप हैं। अन्य संस्तुतियां मुख्यत: निम्नवत से संबंधित हैं:-

* मानव संसाधन प्रशिक्षण और पेटेंट योग्य नवोन्मेषों के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण;
* सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं में विशेष प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ का गठन;
* अंततोगत्वा बौद्धिक सम्पदा द्वारा बाजार में सर्जित स्कूल स्तर से लेकर विपुल स्तरीय लाभांशों तक समृद्ध मानव संसाधनों की उपलब्धता;
* जमीनी नमोन्मेषों पर जोर;
* जोखिमों और पुरस्कारों दोनों के वितरण हेतु अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में बेहतर ट्रैक रिकार्ड वाले उद्योगों की अधिकाधिक सहभागिता;
* नई पीढ़ी के ईंधन;
* सरकार के अन्य विभागों के साथ उत्तरदायित्व वहन करते हुए औषधियों की लागत को कम करने हेतु नवोन्मेषी साधन;
* हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना ऐसे स्थान पर करना जहां सभी प्रकार की जैव विविधता का दोहन किया जा सके; और
* आईआईसीबी द्वारा कैंसर के उपचार हेतु पान अणु का विकास।

*सभा पटल पर भी रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5285/2006

[श्री कपिल सिब्बल]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा इस समिति की इन सभी बारह संस्तुतियों पर विचार किया गया है। यह विभाग इन संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई विषयक विस्तृत रिपोर्ट इस समिति के समक्ष अगस्त, 2006 में प्रस्तुत कर चुका है। इस समिति द्वारा आगे और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। विभाग ने सितंबर, 2006 में इन टिप्पणियों का उत्तर दे दिया है। की गई कार्रवाई विषयक ताजा स्थिति का विस्तृत ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है और इसे सभा पटल पर रखा गया है।

अपराह्न 12.02 बजे

(दो) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार):** महोदय, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के द्वारा निदेश 73ए के अनुसरण में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 13वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में, यह वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं।

1. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की 13वीं रिपोर्ट दिनांक 22 मई, 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट वर्ष 2006-07 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच के संबंध में है।

2. समिति की 13वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों/अवलोकनों पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

3. उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 17 सिफारिशें की गई हैं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी है। इन सिफारिशों का संबंध मुख्यतया बजटीय संसाधनों को बढ़ाने जैसे मुद्दों और विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों से है।

4. समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है। सभा के बहुमूल्य समय की बचत की दृष्टि से, मैं इस अनुलग्नक को नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पठित मान लिया जाए।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5286/2006

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 11 सितम्बर, 2006, सोमवार से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:

(1) आज के आदेश पत्र से निपटान हेतु शेष रही सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित मांगों पर चर्चा तथा मतदान और संबंधित विनियोग विधेयकों का पुर:स्थापन, विचार और पारित करना:

(क) अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), वर्ष 2006-2007; और

(ख) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), वर्ष 2004-2005 के लिए।

(3) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार तथा पारित करना।

(4) अलभिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006 पर विचार तथा पारित करना।

(5) राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना:

(क) सिक्किम विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

(ख) त्रिपुरा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

(ग) राजीव गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, अगला हफ्ता इस सत्र का अंतिम हफ्ता है।

[हिन्दी]

अगले हफ्ते वूमैन रिजर्वेशन बिल लाएंगे या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जवाब इन्हें देना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं उन विधेयकों तथा अन्य कार्यों को प्रतिवेदित कर रहा हूं जिनके लिए कार्यमंत्रणा समिति ने समय आबंटित किया है। यदि अन्य कोई महत्वपूर्ण विधेयक होगा तो उसके बारे में मैं तत्काल सभा को सूचित करूंगा।

कृपया चिंता न करें, हमारी सं.प्र.ग. सरकार के सभी कार्य पूरे किए जाएंगे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): अगले सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:-

(एक) केरल के प्रसिद्ध तीर्थस्थल सबरीमाला जहां देश-विदेश से हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं-को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल के रूप में मानते हुए वहां अवसंरचनात्मक विकास हेतु केन्द्र की ओर से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। इसके आसपास के उप क्षेत्रीय तीर्थस्थानों, यथा इकमेली, रान्नी, पत्तनमथिट्टा, चाट्टोनिकारा, आदि को भी केंद्र विशेष सहायता देकर विकसित करे।

(दो) धर्म और धार्मिक आचारों के विरुद्ध कुत्सा और भ्रामक तथा गलत अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए विधान लाए जाने की आवश्यकता है। पंथनिरपेक्ष भारत में जहां प्रत्येक को अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं का अविलम्बन करने की स्वतंत्रता है, इन आचारों के विरुद्ध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भ्रामक प्रचार करना कानूनन निषिद्ध किया जाए।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): मेरा निवेदन है कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

(1) स्व-सहायता समूहों को, उनकी श्रेणी पर ध्यान देते हुए, आसान शर्तों पर ऋण प्रदान की आवश्यकता।

(2) आप्रवासी भारतीयों के विवाहों के संरक्षण हेतु उपयुक्त विधान बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मेरा माननीय अध्यक्ष महदोय से अनुरोध है कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

(1) ग्रामीण कृषि ऋण का जो भार संचित हो गया है वह देश भर में किसानों द्वारा आत्महत्या करने का प्रमुख कारण है। यह एक गंभीर मामला है, इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

(2) हाल के उप-चुनावों ने चुनावी-सुधारों की आवश्यकता को निर्विवाद रूप से प्रमाणित किया है। इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करें:-

1. उत्तर गुजरात के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र बनासकांठा में भीषण पेयजल समस्या, बढ़ते मरुस्थल को रोकने, गरीबी उन्मूलन एवं गरीब लोगों के आवास निर्माण हेतु केन्द्र स्तर पर विशेष पैकेज जारी किए जाने का कार्य,

2. पिछले साल सरसों की खरीद में हुई अनियमितताओं की जांच एवं इस वर्ष सरसों के अधिक उत्पादन होने के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक किसानों से सरसों की खरीद का कार्य।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): निम्नलिखित मदों को कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में लिया जाए:

(एक) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मार्गनिदेशों/मानदंडों में संशोधन या रियायत।

(दो) गैस की लागत को सप्लाई के स्थान की दूरी के अनुपात में तय करना।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सभा की मर्यादा का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: क्या प्रश्न है?

मोहम्मद सलीम: अभी हम मद सं. 15 ले रहे हैं जो सभा के अगले सप्ताह की कार्यसूची के विषय में है। संसदीय कार्य मंत्री ने इसके संबंध में अभी वक्तव्य दिया और माननीय सदस्यगण अपने-अपने निवेदन कर रहे हैं। परन्तु संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित नहीं है, यह सभा की मर्यादा से जुड़ा प्रश्न बनता है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय राज्य मंत्री तो यहां उपस्थित हैं और वे सक्षम व्यक्ति हैं। जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री स्वयं उपस्थित रहते तो अच्छा होता, परन्तु मैं इसे सभा की अवहेलना नहीं मान सकता।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को चर्चा हेतु शामिल किया जाए:-

1. भारत सरकार का सर्वशिक्षा अभियान अपने तमाम दावों के बावजूद लक्ष्य पूर्ति में असफल रहा है। यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट 15/2006 से स्पष्ट है। अत: इस पर चर्चा;
2. भारतवर्ष में जैविक खेती का विस्तार हो रहा है। अत: उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, निर्यात संवर्धन के लिए एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इन विषयों पर संसद के माध्यम से कानून बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को जोड़ा जाए:

1. सतना जिले में सन् 1940 में पैट्रोलियम डिपो स्थापित था, जिसे इंडियन आयल ने बन्द कर दिया है, अब सतना सहित 5 अन्य जिलों को सागर (350 किलोमीटर) तथा जबलपुर (250 किलोमीटर) दूरी से तेल की आपूर्ति टैंकरों से की जा रही है, जिससे भयंकर मिलावट सम्भावित रहती है।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग सात पर मैहर शहर में रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने की स्वीकृति दी जाये।

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को जोड़ा जाए:

1. भेड़ी जनपद हमीरपुर, पथरैटा जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश राजमार्ग पर बेतवा नदी पर पुल निर्माण में वन विभाग द्वारा अचानक अवरोध पैदा करने के कारण पुल का निर्माण कार्य रूका हुआ है। वन विभाग के अवरोध को तुरन्त दूर करने की आवश्यकता है।
2. उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड को विदर्भ की भांति विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने की तुरन्त आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. डा. सर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने हेतु आने वाले बजट में स्वीकृति दिलाने हेतु व्यवस्था की जाये।
2. बीना रिफाइनरी में कार्य प्रारम्भ हो गया है, उसके निर्माण कार्य में लगने वाले तकनीकी कर्मचारियों एवं मजदूरों में स्थानीय शिक्षित युवाओं को तथा मजदूरों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें।

अपराह्न 12.12 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आंध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटूर और प्रकाशम जिलों में चक्रवात और मूसलाधार वर्षा के कारण हाल ही में आई बाढ़ से हुई जान-माल की हानि से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री बाडिगा रामकृष्णा (मछलीपत्तनम): महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:-

"आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा, गुंटूर और प्रकाशम जिलों में चक्रवात और मूसलाधार वर्षा के कारण हाल ही में आई बाढ़ से हुई जान-माल की हानि से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गए कदम।"

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, वर्ष 2006 के दौरान आंध्र प्रदेश में तीन बार चक्रवाती तूफान/भारी वर्षा आई जिसके कारण राज्य के कई भागों में बाढ़ आ गई। भारी वर्षा की पहली घटना जुलाई-अगस्त, 2006 में घटित हुई जिससे राज्य में 16 जिले प्रभावित हुए। राज्य में दूसरी घटना 15 से 22 सितंबर, 2006 की अवधि के दौरान हुई जिसमें 15 जिलों में बहुत भारी वर्षा हुई। 28 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 2006 के दौरान आए "ओग्नी" (ओ.जी.एन.आई.) नामक चक्रवाती तूफान से भारी वर्षा का तीसरा दौर आया जिससे 6 जिले प्रभावित हुए।

इन चक्रवाती तूफानों/भारी वर्षा से 247 लोगों की मौत हो गई, कुक्कुट पक्षियों सहित 3.66 लाख मवेशियों की जानें गईं और 3.22 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा 8.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसल को नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न सेक्टरों के तहत आधारभूत ढांचे को अत्यधिक नुकसान पहुंचने की रिपोर्टें मिली हैं।

भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के मद्देनजर मैंने पहले 9 अगस्त को और फिर 7 नवम्बर, 2006 को स्थिति की समीक्षा करने के लिए कुछ प्रभावित क्षेत्रों का स्वयं दौरा किया। भारत सरकार ने 24 अगस्त, 2006 को 400.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी जिसमें आपदा राहत निधि (सीआरएफ) के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 200.00 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से ''लेखागत'' 200.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 के लिए सीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से की पहली किश्त के रूप में 135.48 करोड़ रुपए पहले ही 2 जून, 2006 को जारी कर दिए गए थे। जारी की गई इन राशियों और सीआरएफ के 90.32 करोड़ रुपए के राज्य के हिस्से को मिला कर बचाव और राहत कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार के पास 625.80 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध थी।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अब तक वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 589.59 करोड़ रु. का व्यय किया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ चक्रवात/भारी वर्षा के प्रबंधन पर खर्च किए गए 489.93 करोड़ रुपए, सूखे पर खर्च किए गए, 76.43 करोड़ रु., भूकंप/सुनामी पर खर्च किए गए, 0.42 करोड़ रुपए तथा ओलावृष्टि पर खर्च किए गए 5.17 करोड़ रु. शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से आप इसे सभा पटल पर रख दें। काफी लम्बा वक्तव्य है।

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि सदस्य महोदय संतुष्ट हों, तो मैं रख देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामकृष्णा, मेरे विचार से आपके पास इसकी प्रति तो होगी।

श्री बाडिगा रामकृष्णा: महोदय, मेरे पास इसकी प्रति है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं अपने वक्तव्य* का शेष भाग सभा पटल पर रखता हूं:

— गृह मंत्रालय ने स्थिति का लगातार प्रबोधन किया और बचाव और राहत अभियानों के लिए राज्य को उपलब्ध कराई गई संभारिकी सहायता के प्रावधान के समन्वयन का कार्य किया। इसमें नौसेना से 5 हेलिकाप्टर, 38 नेवेल डाइविंग टीम और 10 बीएयूटीएस और 10 ओबीएम सहित सेना का एक इंजीनियरिंग कार्य बल शामिल है। भारतीय वायुसेना ने भी इन अभियानों के लिए 182 उड़ानें भरीं।

— आंध्र प्रदेश सरकार ने आधारभूत सभी आवश्यक, बचाव एवं राहत उपाय किए जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, राहत शिविर लगाना, अनिवार्य वस्तुओं का वितरण करना तथा बाढ़ के बाद होने वाली किसी भी महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई संबंधी उपाय करना शामिल है।

— जुलाई-अगस्त, 2006 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़ के कारण हुई क्षति और धनराशि की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने 17-20 अगस्त, 2006 के दौरान राज्य का दौरा किया था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अंतर-मंत्रालयी समूह की सिफारिशों सहित केन्द्रीय दल की रिपोर्ट को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ और एनसीसीएफ से धनराशि के अनुमोदन के लिए रखा जा रहा है।

— सितम्बर, 2006 और अक्तूबर-नवम्बर, 2006 की भारी वर्षा/बाढ़ से हुई क्षति और धनराशि की आवश्यकता के आकलन के लिए एक अन्य केन्द्रीय दल ने 9-11 नवम्बर, 2006 के दौरान राज्य का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है, जिस पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विचार किया जा रहा है।

— मैं, माननीय सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आंध्र प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगी। इन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे का दीर्घावधिक पुनर्निर्माण करने के लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उचित केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।*

श्री बाडिगा रामकृष्णा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें तेलुगु भाषा में कहना चाहता हूं। इसके लिए मैंने आपकी अनुमति ले ली है।

*माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान 'ओग्नी' के कारण हुई तबाही की

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5287/2006

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बाडिगा रामकृष्णा]

ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि कृष्णा, गुंटूर और प्रकाशम के तटीय जिले चक्रवाती तूफान 'ओग्नी' से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तथापि, पश्चिम गोदावरी जिले में इसकी प्रचंडता कम थी। जो वर्षा एक वर्ष में हुआ करती थी, वह 2-3 दिन में हुई। हाल ही में ऐसी भारी वर्षा कभी नहीं हुई। अनेक वृद्ध लोगों को याद नहीं है कि पिछले 70-80 वर्षों में ऐसी भारी वर्षा हुई हो। महोदय, किसान राष्ट्र के अन्नदाता हैं। उन्होंने कभी भी बड़ी मांग नहीं की है। वे प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह से प्रभावित होने पर ही सहायता मांगते हैं। वे हमारे राष्ट्र का मुख्य आधार है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनका भाग्य बहुत खराब है और उन्हें बार-बार प्रकृति के अभूतपूर्व विषमताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में उनका भरण-पोषण कठिन हो जाता है। वस्तुत:, वे पूर्णत मानसून पर निर्भर करते हैं। अनेक कठिनाइयों और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वे कृषि को एक पवित्र व्यवसाय मानते हैं। लाखों किसानों की स्थिति दयनीय है। यही स्थिति बुनकरों और कारीगरों की है, जिनका आश्रय और जीविका छीन गई है। उन्हें गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा है।

महोदय, महिलाएं, बच्चे तथा अन्य कमजोर वर्ग समाज के सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग हैं। विगत में कृषक समुदाय ने अनेक राष्ट्रीय आपदाओं का बहादुरी से सामना किया है। लेकिन इस आपदा से हुई तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वस्तुत: उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उनके पास अपने पशुओं के खिलाने के लिए चारा भी नहीं है। महोदय, उनकी समस्याओं पर अत्यधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हमारी राज्य सरकार ने हजारों लोगों को वहां से निकाल कर सुरिक्षत स्थानों पर पहुंचाकर समय पर कार्यवाही की है। इस तरह उसने उनका जीवन बचाया है। हमारे मुख्य मंत्री ने स्थिति की समीक्षा करने तथा राहत उपायों के बारे में निदेश देने के लिए प्रभावित स्थानों का स्वयं दौरा किया है। उन्होंने उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है। स्थिति की समीक्षा करने के लिए माननीय गृह मंत्री, श्री शिवराज पाटील, श्रीमती सोनिया गांधी जी तथा उनके साथ गए अधिकारियों ने इन स्थानों का दौरा किया। स्थिति का जायजा लेने के लिए मैंने स्वयं उन स्थानों का दौरा किया था। इन स्थानों पर राहत उपाय किए जाने के बावजूद कुछ गांव मुख्य भाग से अलग-थलग हो गए हैं। माननीय मंत्री जी ने इस आपदा से हुए नुकसान का जिक्र किया है। मैं पुन: उन आंकड़ों को नहीं दोहराऊंगा। केन्द्र सरकार को ऐसी अभूतपूर्व आपदाओं का सामना करने के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करनी चाहिए।

राज्य सरकार ने वास्तविक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता मांगी है। इस संदर्भ में मैं आपसे पीड़ित परिवारों को विशेष सहायता देने का आग्रह करता हूं। मौजूदा ऋणों को माफ किया जाए। किसानों को बीजों और उर्वरकों का वितरण किया जाए तथा उन्हें न्यूनतम ब्याज दरों पर नया ऋण दिए जाएं। बुनकरों और कारीगरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। महोदय, यह बहुत जरूरी है कि फसल के नुकसान का आकलन मंडल स्तर पर नहीं बल्कि ग्राम स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित किसान अपने फसल बीमा का दावा कर सकें। किसान और खेतिहर मजदूर अगले 4-6 माह तक अपनी जीविका अर्जन की स्थिति में नहीं है, इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब तक वे अपनी जीविका अर्जन की स्थिति में नहीं आते, तब तक सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। इसी प्रकार, इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया जाए।

अंत में, मैं अपनी बात इस लोकप्रिय कहावत के साथ समाप्त करता हूं, "प्रार्थना करने वाली जबान से सहायता करने वाले हाथ बेहतर हैं।"

महोदय, सहायता करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाली जबान से अधिक शक्तिशाली है। महोदय, हम सहायता करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सभा और माननीय मंत्री जी से तत्काल राहत पैकेज पर विचार करने तथा मंडल स्तर पर नहीं बल्कि ग्राम स्तर पर बीमा पहलू पर विचार करने की अपील करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रायापति सांबासिवा राव-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार, क्या आप इस बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि समय-समय पर इस सदन में चर्चा हुई है कि इस प्रकार की तमाम जगहों पर चक्रवात, बाढ़ और सूखे की स्थिति है और यह हर सांसद के क्षेत्र में आता है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, हर जगह इस प्रकार की दैवी आपदाएं आती रहती हैं। जब हम क्षेत्र का दौरा करते हैं तो चाहते हुए भी गरीब, निरीह और पीड़ित लोगों की मदद नहीं कर पाते। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एमपीलैड की राशि से हम डायरैक्ट मदद कर सकें, क्या आप ऐसा कोई प्रावधान कराने की व्यवस्था करवाएंगे?

[अनुवाद]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): महोदय, मैं भी उनकी बात का समर्थन करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उनका समर्थन करते हैं?

श्रीमती जयाप्रदा: जी हां।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, माननीय सदस्य, श्री रामकृष्णा जी ने अभूतपूर्व बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए आंध्र प्रदेश के किसानों की दुर्दशा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। केन्द्र सरकार ने थोड़ी सहायता दी थी। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई सहायता तथा केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि के बीच काफी अंतर है। केन्द्र सरकार ने धनराशि स्वीकृत करने में बहुत समय लिया और यह सहायता आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई सहायता का 20 प्रतिशत भी नहीं है और अभूतपूर्व बाढ़ तथा दूसरी ओर सूखे के कारण आंध्र प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आंध्र प्रदेश के और अधिक धनराशि देने संबंधी विशेष अनुरोध पर विचार करने को तैयार है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, राज्य में वास्तव में जो कुछ हुआ हमें उसे देखने का मौका मिला है। यह सच है कि अनेक लोगों को नुकसान हुआ है, उनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनकी जमीन को भी नुकसान पहुंचा है। हमारे लिए उनकी सहायता करना आवश्यक है।

भारत सरकार राज्य सरकारों की सहायता करती आ रही है और वहां के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधि दे रही है। जिस निधि का उपयोग किया जाता है, उसे आपदा राहत कोष कहते हैं। चूंकि इसे राहत कोष कहते हैं, अत: लोगों को यह राहत दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए जिस दूसरी निधि का उपयोग किया जाता है, उसे राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष कहते हैं। यदि पहले कोष के अंतर्गत लोगों की मांगें पूरी करना संभव नहीं होता, तो उन्हें राहत देने के लिए दूसरे कोष का उपयोग किया जाता है। जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, भारत सरकार ने 625.80 करोड़ रुपये दिए हैं और यह धनराशि तत्काल राहत देने के लिए दी जाती है। यदि लोगों को बर्तनों, दवाइयों की आवश्यकता होती है और यदि उन्हें कुछ दिनों के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है और उसने बहुत बेहतर तरीके से लोगों की सहायता की है। उसने वास्तव में 589.59 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है जो उन्हें राहत देने के लिए दी गई हैं। जब श्रीमती सोनिया गांधी और मैं वहां गए थे, तो माननीय मुख्य मंत्री जी तथा अन्य लोगों ने एक बात यह कही थी कि वे नहरों का पुनर्निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण करवाना चाहते हैं। उन्होंने हमें बताया था कि इस प्रयोजन के लिए उन्हें काफी धनराशि की आवश्यकता होगी।

ब्रिटिश सरकार ने बहुत पहले गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा पर नहर प्रणाली का निर्माण किया था। वह क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा राज्य सरकार इसकी मरम्मत के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग कर रही है। उस द्वारा मांगी गई धनराशि बहुत ज्यादा है। वह लगभग 10,000 करोड़ रुपये की मांग कर रही हैं। यह बहुत बड़ी राशि है और इसके साथ ही हमारे लिए नहर प्रणाली का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसीलिए हमने राज्य सरकार से इंजीनियरों तथा अन्य लोगों की सहायता से एक वैज्ञानिक योजना तैयार करने का अनुरोध किया। हमें अब यह जानना है कि कितने समय के भीतर वह उस नहर प्रणाली का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण कर पाएगी। जब इस तरह की योजना केन्द्र सरकार के पास भेजी जाएगी तो योजना आयोग द्वारा इसकी जांच की जाएगी और मामला केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाएगा और इस बात पर विचार किया जा सकता है कि उसे किस तरह की सहायता दी जा सकती है। स्थिति यह है। हम इस समस्या का स्थायी हल ढूंढ़ने के लिए कदम उठाएंगे। यह हल ज्ञापन अथवा पत्र के आधार पर नहीं किया जाएगा। यह तैयार की गई योजना तथा आंध्र प्रदेश सरकार को हमारे द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार भी योजना तैयार कर रही है और एक बार योजना प्राप्त होने पर हम निश्चित रूप से उस योजना पर विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे संसदीय कार्य मंत्री से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध मद संख्या 20, 21 और 22 जो कि सांविधिक संकल्प, भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 तथा भारतीय राइफल्स (निरसन) विधेयक, 2006 से संबंधित है को आज लिया जाए और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा से पूर्व इनका निपटान किया जाए और यदि आवश्यक हो तो मध्याह्न भोजनावकाश को स्थगित किया जाए।

[अध्यक्ष महोदय]

यदि सभा सहमत हो तो हम अपराह्न 1.00 बजे सांविधिक संकल्प तथा सरकारी विधायी कार्य ले सकते हैं और इन मदों का निपटान मध्याह्न भोजनावकाश के दौरान बैठकर अपराह्न 3.30 बजे से पूर्व कर सकते हैं।

मेरे विचार से सभा इस प्रस्ताव से सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य: जी, महोदय।

अपराह्न 12.28 बजे

सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) बालक अधिकार संरक्षण योजना (संशोधन) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 12.29 बजे

(दो) राष्ट्रीय जलमार्ग (नदियों का तलचर-धामरा खंड, पूर्वी तट नहर का गोंखली-चरबतिया खंड, माताई नदी और महानदी डेल्टा नदियों का चरबतिया-धामरा खंड) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि ब्रह्मनी-खरसुआ-धामरा नदियों का तलचर-धामरा खंड, पूर्वी तट नहर का गोंखली-चरबतिया खंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्यों में मंगलगढ़ी और पाराद्वीप के बीच माताई नदी और महानदी डेल्टा नदियों का चरबतिया-धामरा खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का उपबंध करने और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजन के लिये नदियों और नहरों के उक्त खंड के विनियमन और विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि ब्रह्मनी-खरसुआ-धामरा नदियों का तलचर-धामरा खंड, पूर्वी तट नहर का गोंखली-चरबतिया खंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्यों में मंगलगढ़ी और पाराद्वीप के बीच माताई नदी और महानदी डेल्टा नदियों का चरबतिया-धामरा खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का उपबंध करने और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजन के लिये नदियों और नहरों के उक्त खंड के विनियमन और विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी.आर. बालू: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.29½ बजे

(तीन) राष्ट्रीय जलमार्ग (नहरों और कालूवेली जलाशय का काकीनाडा-पांडिचेरी खंड, गोदावरी नदी का भद्राचलम-राजामुंदरी खंड और कृष्णा नदी का वजीराबाद-विजयवाड़ा खंड) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में, उन नहरों के, जिनमें काकीनाडा नहर, ईलुरु नहर, कामामूर नहर, बकिंघम नहर और कालूवेली जलाशय समाविष्ट हैं, काकीनाडा-पांडिचेरी खंड, गोदावरी नदी के भद्राचलम-राजामुंदरी खंड और कृष्णा नदी के वजीराबाद-

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 2 दिनांक 8.12.2006 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 2 दिनांक 8.12.2006 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

विजयवाड़ा खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का उपबंध करने और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजन के लिए नदियों और नहरों के उक्त खंड के विनियमन और विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में, उन नहरों के, जिनमें काकीनाडा नहर, ईलूरु नहर, कामामूर नहर, बकिंघम नहर और कालूवेली जलाशय समाविष्ट हैं, काकीनाडा-पांडिचेरी खंड, गोदावरी नदी के भद्राचलम-राजामुंदरी खंड और कृष्णा नदी के वजीराबाद-विजयवाड़ा खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का उपबंध करने और उक्त जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजन के लिए नदियों और नहरों के उक्त खंड के विनियमन और विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी.आर. बालू: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अब अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करेगी।

श्रीमती जयप्रदा।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महदोय, मैं सम्माननीय सभा और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। हमारे देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में लाखों बीड़ी मजदूर हैं। जहां के मजदूर इस पेशे पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों बीड़ी मजदूर हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40,000 से अधिक बीड़ी मजदूर हैं जो इस पेशे पर निर्भर हैं।

[हिन्दी]

उनमें से कुछ कार्ड होल्डर हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड हैं। एक्चुअली सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो सैंक्शन है, हाउसिंग के लिए जो योजना दी है, उसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक का नाम है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। खास तौर पर मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रामपुर हैं, वहां इस प्रोफेशन पर निर्भर बहुत से लोग रहते हैं और महिलाएं भी उसमें काम करती हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि इस तरह का सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें एक मुद्दा उठाने की अनुमति दी गयी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, प्लानिंग कमीशन ने एक लाख हाउसेज देने के लिए प्रोविजन किया है। ये हाउसिंग प्रोविजन उनके लिए है जिनके पास भूमि उपलब्ध है। जिनके पास जमीन उपलब्ध होती है, उनके लिए हाउस एलाटमेंट हो सकता है।

महोदय, ये लोग अगर एक दिन में एक हजार बीड़ी बनाते हैं तो उसके लिए उनको लगभग 30 रुपए ही मिलते हैं और वे लोग डेलीवेजेज पर निर्भर रहते हैं। एक तरफ उन्हें अपने बच्चों को पालना है और दूसरी तरफ बीड़ी भी बनानी है। अगर वे एक हजार से कम बीड़ी बनाते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाप्रदा जी, कृपया अपनी मांगों का उल्लेख करें।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा: यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने आपको यह विषय उठाने का अवसर दिया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा: मैं इस विषय को स्पष्ट करना चाहती हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: परन्तु इस पर बहस नहीं हो सकती।

...(व्यवधान)

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा: मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने उनको घर बनाने के लिए 40 हजार रुपए का प्रोविजन किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि उसको बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाए ताकि उनके लिए एक ठीक ढंग का घर बन सके। उनका प्राफेशन ऐसा है, उनका पेशा ऐसा है, जो काम वे लोग करते हैं, वह ऐसा है कि उसमें उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। वे लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बच्चों के पढ़ने के लिए वहां पर ठीक ढंग के स्कूल नहीं हैं। बीड़ी के लिए पत्ते बनाते-बनाते उनके हाथ गल जाते हैं, उनके लंग्स में इंफेक्शन हो रहा है, उनको टीबी हो रही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए कोई स्पेशल हास्पिटल नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जयाप्रदा जी, आपको सोचना चाहिए, पूरी बहस कैसे हो सकती है, आप अहम मुद्दा उठाइए।

[अनुवाद]

यदि आप व्यापक चर्चा करना चाहते हैं तो एक नोटिस दीजिए। मैं इस मुद्दे पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा: मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह इसे गम्भीरता से ले। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों पर होने वाली चर्चा में भाग ले सकती हैं।

श्रीमती जयाप्रदा: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि एक पैकेज दिया जाए जिससे कि अस्पताल

[हिन्दी]

भी बनें, स्कूल्स भी बनें और उनके लिए कालोनीज भी बनाई जाएं। इनके लिए एक पैकेज सरकार द्वारा घोषित करके उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा एक तरफ तो गेहूं का आयात किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो राज्य अधिकाधिक गेहूं पैदा करते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दी जा रही है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। वहां जो बिजली दी जाती है, उसमें 250 मेगावाट की कमी की जा रही है। इससे किसानों पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके साथ ही गेहूं और अन्य कृषि व उद्योग उत्पादों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशंस को जो कोयला दिया जाता है, वह अच्छी किस्म न होकर सामान्य किस्म का दिया जा रहा है। इस वजह से मध्य प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशंस भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह तत्काल बिजली कटौती को वापस ले और थर्मल पावर स्टेशंस को अधिकाधिक और अच्छी क्वालिटी का कोयला सप्लाई करे।

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदय, मैं सरकार का ध्यान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के तटीय और अपतटीय गांवों में रह रहे मछुआरों की दयनीय स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। दो वर्ष पूर्व उनका जीवन भीषण सुनामी लहरों से तबाह हो चुका था और अब सरकार द्वारा राहत उपायों का धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने के कारण उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं जैसे समुद्र में बहुधा आने वाले ज्वार-भाटा, मौसमी तुफानों के कारण हुई हानियों के लिए पर्याप्त राहत नहीं दी जा रही है। उन्हें सरकार द्वारा राहत के रूप में घोषित वित्तीय सहायता भी नहीं दी जा रही है।

सरकार से अनुरोध है कि मछुआरों को कम से कम तीन माह के लिए, जब उन्हें मछली पकड़ने के मौसम में समुद्र में जाने से रोका जाता है, निर्वाह भत्ता दिया जाए। यह भत्ता उन्हें उन मछुआरों को दिया जाना चाहिए जिन्हें प्राकृतिक गड़बड़ी की वजह से समुद्र में जाने से रोका जाता है। इस प्रकार का भत्ता महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए जो केवल मछली पकड़ने के व्यवसाय पर ही निर्भर है तथा वे लोग जो अपतटीय गांवों में रह रहे हैं तथा उनका जीवन यापन समुद्री उत्पादों पर निर्भर है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि सुनामी से प्रभावी मछुआरों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण को भी माफ किया जाना चाहिए। सुनामी प्रभावित ग्रामीणों के कानूनी वारिसों के लिए 1 लाख रुपये की केन्द्रीय राहत घोषित की जानी चाहिए। इसे उन शेष वारिसों को दिया जाना चाहिए, जिन्हें अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

अपराह्न 12.37 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) व्यापारियों के लिए ई.सी. बॉड फार्म की अनुपलब्धता के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष जी, एक तरफ तो लोग चाहते हैं कि सरकारी उपक्रमों में पैसा इंवैस्ट करें। लेकिन

मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि लोग इनमें पैसा इंवैस्ट करें।

[अनुवाद]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अनुसार दीर्घकालीन, पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त पूंजीगत आय को उस सीमा तक कर पर प्रभारित नहीं किया जाएगा जिसमें इस प्रकार की आय को इस प्रकार के अंतरण की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर दीर्घकालीन विशिष्ट आस्तियों में निवेश किया जाना है।

[हिन्दी]

इसमें पहले यह था कि नाबार्ड, एनएचएआई, आरईसी आदि कई उपक्रम रखे गए थे। उसमें एक संशोधन लाकर केवल नेशनल हाईवे अथोरिटी और आरईसी इन दो को ही रखा गया है। इन्होंने कहा है कि ये उपक्रम पब्लिक इश्यू निकालेंगे, लेकिन आज तक इनके पब्लिक इश्यू बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार की केपिटल गेन की प्रापर्टी को ट्रांसफर किया था, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि वे सिर्फ 1500 करोड़ रुपए और 4500 करोड़ रुपए का इश्यू लाएंगे। यह काफी छोटी रकम है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जितनी प्रापर्टी ट्रांसफर होगी, वह पूरे देश में 60000 करोड़ रुपए तक होगी। इतनी छोटी अमाउंट से कैसे काम चलेगा, फिर भी जुलाई में इनका जो इश्यू निकलना था, वह आज तक नहीं निकला है और बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह कहा गया कि इसकी तारीख बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2006 कर दी गई है। जिन लोगों ने ऐसी प्रापर्टी ट्रांसफर की हो 1 जून, 2006 से 30 जून, 2006 तक, उनके लिए 31 दिसम्बर, 2006 तक की तारीख तो तय कर दी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार से अपनी असेट्स बेची है और जो इंवैस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी पैदा हो रही है, क्योंकि बाजार में इनके फार्म्स उपलब्ध नहीं हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वे इस ओर भी ध्यान दें और ऐसी सहूलियतें दें जिससे वे आरबीआई में इंवैस्ट कर सकें। इस प्रकार की सहूलियतें मिल जाती हैं तो भी ठीक रहेगा।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि दो प्रकार की सहूलियतें दी गई थी। उनके अंतर्गत 6000 करोड़ की राशि प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसके लिए अधिक आवेदन किया गया। इसलिए, मैं अब न केवल समय-सीमा बढ़ाने बल्कि एक अतिरिक्त राहत प्रदान करने पर विचार कर रहा हूं ताकि इन लोगों को भी उस सहूलियत का लाभ मिल सकें। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन: 31 दिसम्बर तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी, क्या आप समय-सीमा बढ़ाने जा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे समय-सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: इस समय सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। *...(व्यवधान)* दोनों कार्य किए जाएंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या कार्य उपलब्ध होंगे अथवा नहीं *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छी बात है। आपने निर्णय ले लिया है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: आपका हमेशा स्वागत है।

अपराह्न 12.41 बजे

(दो) एड्स का सामना करने हेतु एक विधान लाए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दे उठाना चाहती हूं।

यह वास्तव में एक आश्चर्य की बात है कि विश्व में सर्वाधिक एड्स प्रभावित लोग भारत में हैं। भारत में लगभग 39 एड्स रोगी महिलाएं हैं। युवा महिलाएं, युवा पुरुषों की तुलना में एड्स से अधिक प्रभावित हैं। पुरुष वर्ग में 15 से 24 वर्ष के 0.22 प्रतिशत लोग एड्स संपीड़ित हैं जबकि महिला वर्ग में इसी समूह की 0.46 प्रतिशत महिलाएं इस रोग से ग्रस्त हैं।

[श्रीमती अर्चना नायक]

समाज में लिंग असमानता से लड़कियों एवं युवा महिलाओं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से नुकसान तो हुआ ही है साथ ही उनमें इस बीमारी से प्रभावित होने की संभावनाएं भी बढ़ा दी है। सेक्स के मुद्दे पर चुप्पी साधने की संस्कृति ने उन्हें इस बीमारी के फैलने एवं इससे बचाव के तरीकों से अनभिज्ञ बना दिया है। सामाजिक बन्धनों ने बचाव सेवाओं तक उनकी पहुंच को भी सीमित कर दिया है। जल्दी शादी करने से भी युवा महिलाओं को जोखिम है। इसलिए भी यह तर्कसंगत है कि उनमें से 50 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो गया है। भारत में एचआईवी संक्रमण का एक बड़ा भाग विवाहित महिलाओं में असुरक्षित यौन संबंध के कारण हुआ है।

इसलिए मैं सरकार से शीघ्रातिशीघ्र एक प्रभावी विधान लाने का अनुरोध करता हूं ताकि एड्स को फैलने से रोका जा सके, ग्रामीण लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा की जा सके और देश में एड्स रोगियों के प्रति भेदभाव को रोका जा सके।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, कल ही मंत्रिमंडल ने समूचे कार्यक्रम के लिए एक बड़े पैकेज की मजूंरी दी है। जैसाकि माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि केवल कुछ सौ करोड़ से ज्यादा की राशि एड्स निधि के लिए आबंटित की गई है तथा इस राशि का पूरी तरह से इस देश तथा इस कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्रीमती के. रानी (रासीपुरम): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे निमाक्कल में निर्यात विकास केन्द्र स्थापित करने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

महोदय, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि तमिलनाडु में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निमाक्कल का अंडा कुक्कुट उत्पादों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। निमाक्कल में निर्यात विकास केन्द्र स्थापित करने तथा दुबई को अंडों का निर्यात करने के लिए, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री कमल नाथ से मिला था। उन्होंने शिष्टमंडल को दुबई भेज कर मेरी बात का पूरी तरह समर्थन किया। बाद में, हमसे 'बर्ड फ्लू रहित जोन' की घोषणा करने को कहा गया। यह कार्य हमने सितम्बर में किया। इसके बाद भी वे निमाक्कल से अंडे खरीदने को तैयार नहीं है। तथा हमें उनसे इस संबंध में कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमें इस संबंध में मौजूदा स्थिति से अवगत कराएं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग अपने ही प्रयासों से अंडों का निर्यात कर रहे हैं। अंडों का आगे और अधिक निर्यात करने तथा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए मैं सरकार से निमाक्कल में एक ऐसे निर्यात विकास केन्द्र को मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं जिसमें विशेषरूप से अंडों एवं कुक्कुट उत्पादों के निर्यात पर ही ध्यान दिया जाए। अंडा एवं कुक्कुट उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। यदि सरकार इस बात से सिद्धांततः सहमत होती है तो इसके बारे में औपचारिकताओं को बाद में पूरा किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि वाणिज्य मंत्री इस मामले में ठोस कार्यवाही करें।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, महिला सशक्तिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, जिसे हमने संसद सहित समिति में भी लागू किया। भारत में अनेक महिलाएं, महिला प्रधान तथा डाक एवं राष्ट्रीय बचत क्षेत्रों में नियोजित हैं। इन महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कमीशन अत्यंत कम है। यद्यपि राष्ट्रीय बचत के कुछ मामलों में ब्याज दर को बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ अन्य मामलों में यह बहुत कम है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डाकघरों में, उन्हें निक्षेपों, जो कि उन्हें करना पड़ता है, के माध्यम से भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डाकघरों में नियोजित कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। इसलिए इन डाकघरों में कार्य करने एवं धन राशि जमा करने के लिए विशेष काउंटर खोले जाने की आवश्यकता है। कुछ निक्षेपों के मामले में एक सीमा निर्धारित की गई है। यह सीमा बहुत वर्ष पहले निर्धारित की गई थी। उदाहरणस्वरूप एक एजेंट एक दिन के हिसाब से एक स्कीम के अंतर्गत 10,000 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। यह बहुत कम है क्योंकि उनमें से अनेक अधिक राशि संग्रहण कर सकते हैं। ऐसी अन्य अनेक समस्याएं हैं। मैंने एकाध समस्या का ही जिक्र किया है। इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूं कि इन समस्याओं पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, देश में लगभग 50 हजार करोड़ रुपए की फल और सब्जियां संरक्षण में कमी और अपर्याप्त वितरण व्यवस्था की वजह से बर्बाद होती हैं। देश में आलू सहित अन्य सब्जियां एवं फल शीतगृहों में संरक्षित किए जाते हैं। किसानों की आलू की फसल का इंश्योरेंस तो कम्पनियां करती हैं, लेकिन अन्य फल और सब्जियों का इंश्योरेंस नहीं किया जाता। देश के कतिपय शीतगृहों में सब्जियों के सड़ने और इंश्योरेंस न होने की वजह से किसानों को मुआवजा या क्लेम नहीं मिलने की शिकायतें आती रही हैं। ऐसी जगहों पर भंडारण के बजाय औने-पौने दाम पर सब्जी उत्पादक अपने उत्पाद

को बेच देते हैं और इस कारण उनके द्वारा लगाई गई पूंजी भी उन्हें प्रदान नहीं होती है। अत: सरकार से मांग करता हूं कि इंश्योरेंस कम्पनियों को निर्देश जारी करे कि आलू के अलावा भी अन्य फल और सब्जियों पर, जो शीतगृह में संरक्षित की जाती हैं, बीमा का प्रावधान करे।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष गंगवार। आप किसी अन्य सदस्य का स्थान ग्रहण किए हुए हैं। बहुत अच्छा, मैं आपको भी अनुमति दूंगा। आप अपने स्थान पर नहीं हैं।

श्री संतोष गंगवार: महोदय, मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

श्री संतोष गंगवार: महोदय, मुझे अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के विज्ञापन पोस्ट काडों पर निकालने शुरू किए हैं। यह बहुत अच्छी परम्परा और प्रक्रिया है। यह भी बहुत अच्छी बात है कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, इससे क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलता है।

महोदय, इस संबध में मैं कहना चाहता हूं कि दो समस्याएं हैं। पहली-पोस्टकार्डों पर बहुत छोटे शब्दों में विज्ञापन छापे गए हैं, जो पढ़ने में नहीं आते हैं। दूसरा-मेरा आग्रह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन निकाले जाएं, तो उचित होगा। यदि दिल्ली में छापे गए पोस्टकार्ड हों, तो हिन्दी और अंग्रेजी में विज्ञापन छापे जाएं। मैं आपके माध्यम से संचार मंत्रालय को बहुत बधाई देता हूं और चाहता हूं कि यह प्रक्रिया जारी रहे और पूरे देश के अंदर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े और इसके लिए हम सब मिलकर काम करें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, माननीय औद्योगिक विकास बैंक शुरू से ही भारतीय रिजर्व बैंक के अभिन्न अंग के रूप में औद्योगिक वित्त विभाग के नाम से कार्य कर रहा था। वर्ष 1977 में आईडीबीआई को औपचारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया तथा एक शीर्षस्थ वित्तीय संस्थान के रूप में पूर्णत: सरकारी स्वामित्व वाले संस्थान का दर्जा दिया गया।

वर्ष 2003 में आईडीबीआई अधिनियम का निरसन कर दिया गया। बैंकिंग दायित्व के साथ-साथ इसे बैंकिंग कारोबार करने के लिए एक मानित बैंकिंग कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया। जब इस निरसन विधेयक पर चर्चा हुई थी तो हमने कतिपय प्रश्न उठाये थे कि इसके बैंकिंग कम्पनी में परिवर्तन होने के पश्चात् कर्मचारियों, उनकी सेवा शर्तों तथा वेतन का क्या होगा।

महोदय, आप भली-भांति जानते हैं कि इस मामले पर इस सभा में बहस की गई थी और उस बहस का जवाब देते हुए पूर्व वित्त मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि बैंककारी कम्पनी बन जाने के बाद भी आईडीबीआई वित्त विकास संस्थान का स्वरूप बना रहेगा। कर्मचारियों की सेवा शर्तों और अन्य मामलों के संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी तथा नई व्यवस्था में भी उन्हें उन्हीं की सेवा शर्तों का लाभ मिलता रहेगा।

महोदय, छह माह पूर्व आई.डी.बी.आई. कर्मचारी संघ तथा आई.डी.बी.आई. प्रबन्धन के बीच एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया है और वह अभी भी वित्त मंत्रालय के पास पड़ा है। वित्त मंत्रालय ने आपत्ति उठायी है कि जब तक समझौते में से संयोजन संबंधी खंड नहीं हटाया जाएगा, तब तक वह इसकी स्वीकृति नहीं देगा। अब तक आई.डी.बी.आई. के कर्मचारी भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के बराबर वेतन पा रहे हैं। अचानक, अब यह शर्त लगायी जा रही है कि संयोजन संबंधी खंड को हटाया जाए, तभी इसे स्वीकृति दी जाएगी।

आई.डी.बी.आई. के कर्मचारियों को चार या पांच दिन भूख-हड़ताल करनी पड़ी और अब वे 13 और 14 जनवरी, 2007 को हड़ताल करेंगे। अत: मैं मांग करता हूं कि पूर्व वित्त मंत्री महोदय द्वारा इस सभा में कर्मचारियों की सेवा शर्तों और उनके हितों की सुरक्षा के संबंध में दिये गये आश्वासन को पूरा किया जाए। वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आईडीबीआई प्रबन्धन और उसके कर्मचारियों के बीच हुए वेतन समझौते को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए और उन्हें अगले माह दो दिन की हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य न किया जाए। वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित है। उन्हें अब इस बात का जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अफसोस है कि वे यहां उपस्थित हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह एक अत्यंत गम्भीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात बहुत अच्छी तरह कह दी है। आपको इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, छह महीने से यह समझौता वित्त मंत्रालय के पास पड़ा है। वित्त मंत्रालय को इसे शीघ्र स्वीकृति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह बात बड़े जोरदार तरीके से कही है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत छोटी सी बात कहने जा रहा हूं। ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के कुल छ: जिलों में प्रारंभ की गई है। राजस्थान सबसे गरीब प्रदेश है।

अध्यक्ष महोदय: यह छोटी नहीं, बहुत अहम बात है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: राजस्थान में इसके अंतर्गत प्रथम चरण में देश के लगभग 600 जिलों में से 200 जिले शामिल किए गए हैं। राजस्थान की जनसंख्या अधिक नहीं है। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है और प्रति व्यक्ति आय कम है। वहां कृषि उत्पादन भी कम है, कृषि मजदूरी भी कम है। राजस्थान में जनता को हर प्रकार की परिस्थिति में हिंदुस्तान का केवल एक परसेंट पानी उपलब्ध होता है। राजस्थान की स्थिति अजीब प्रकार की है, आज भी पश्चिम राजस्थान के सब जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाड़मेर और जैसलमेर में बाढ़ आई हुई है। राजस्थान में और जिले भी समस्याग्रस्त हैं। वहां पानी को निकालने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास कर लिया है लेकिन राज्य सरकार के प्रयास करने के बाद भी पानी निकल नहीं पाया है।

मुझे माननीय मंत्री जी से इतनी बात कहनी है कि उन्होंने और प्रातों के साथ न्याय किया है। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या 29.8 प्रतिशत है जबकि आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में यह अनुपात क्रमश: 22.8 प्रतिशत एवं 19.1 प्रतिशत है। राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय 2003-04 में 15,485 रुपया थी जबकि आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र की प्रतिव्यक्ति आय क्रमश: 20,757 रुपया तथा 29,204 रुपया थी। इसके बावजूद भी जहां राजस्थान के 32 जिलों में से मात्र 6 जिलों का ही इस योजना के प्रथम चरण में चयन किया गया है। आंध्र प्रदेश के 23 में से 13 जिले इसके अंतर्गत लिए गए हैं और महाराष्ट्र के 35 में से 12 जिले लिए गए हैं जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है।

मैं समझता हूं कि राजस्थान के सीमित जल साधन एवं विशाल रेगिस्तान क्षेत्र के कारण उद्योगों की स्थापना एवं कृषि के विस्तार की सीमित संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में जीवनयापन हेतु रोजगार की मांग अधिक है। राज्य में चयनित मात्र 6 जिलों में 12.47 लाख व्यक्तियों द्वारा रोजगार की मांग की गई है। इस प्रकार प्रति जिले 2.08 लाख रोजगार की मांग देश में सर्वाधिक है। तुलनात्मक आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में रोजगार की औसत मांग 1.63 लाख एवं महाराष्ट्र के 12 जिलों में औसत मांग 0.33 लाख है। बिहार में जहां 38 जिलों में से 28 का इस योजना के प्रथम चरण में चयन किया गया है, प्रति जिले रोजगार की औसत मांग 0.31 लाख है। झारखण्ड के 22 जिलों में से 20 का इस योजना के प्रथम चरण में चयन किया गया है। झारखंड के प्रति जिला रोजगार की औसत मांग 0.32 लाख है। राज्य का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा रेगिस्तानी है, परन्तु इस क्षेत्र के एक भी जिले को इस योजना में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री मापदंड में परिवर्तन करें ताकि इसमें दस जिले और लिए जाएं, इससे सोलह जिले हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी मापदंड में परिवर्तन करके कम से कम दस जिलों को जोड़ें ताकि राजस्थान में ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का लाभ मिल सके। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि इस योजना का विस्तार कर अतिरिक्त जिले शामिल किए जाएं। यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के विस्तार के समय राज्य के जिलों को कार्यक्रम के उद्देश्य एवं मानदण्ड के अनुसार शामिल कर वर्तमान विसंगति को दूर किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने सुबह कहा है कि इसे प्लानिंग कमीशन देखेगा।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा उठाये गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं सरकार विशेषकर वित्त मंत्री महोदय का ध्यान भविष्य निधि योजना की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें यहां होने का अफसोस हो रहा है।

श्री पी. करूणाकरन: महोदय, जब कर्मचारी सेवारत होते हैं, तो उनसे संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाता है और उन पर ध्यान दिया जाता है। परन्तु जब वे सेवारत नहीं होते हैं तो उनके मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कर्मचारी भविष्य-निधि पेंशन योजना अधिनियम, 1995 के अंतर्गत इस योजना में महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं था। परन्तु इसके साथ ही पेंशनभोगियों

को वार्षिक आधार पर राहत प्रदान की जाती थी ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके। दुर्भाग्य से अप्रैल 2004 से इसे बन्द कर दिया गया है।

महोदय, श्रम मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने भविष्य निधि पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करने की जोरदार सिफारिश की है। यद्यपि, संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है, फिर भी सरकार ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया है।

एक अन्य मुद्दा यह है कि संसद में दिये गए आश्वासन के अनुसार वर्ष 1995 की योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को न्यूनतम 5000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गयी थी। यह आश्वासन संसद द्वारा दिया गया था। परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से बिना किसी औचित्य या कारण के यह योजना समाप्त कर दी गयी है और वर्ष 1996 में यह न्यूनतम पेंशन घटाकर मात्र 265 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है।

महोदय, बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि किसी व्यक्ति को मात्र 265 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस मुद्दे को गम्भीरतापूर्वक लेने का आग्रह करता हूं।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं। बिना किसी अंतरिम राहत के उनमें से कई पेंशन भोगियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इस बात को बड़ी कुशलता से रखा है।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस मुद्दे पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि वे प्रत्येक मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। मैंने पाया है कि वे आप सबकी बात सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कोलकाता से दिल्ली मुख्य मार्ग बन रहा था, जिसमें बारून और डेहरी आन सोन के बीच एक पुल का निर्माण भी हो रहा था। वह पुल एक हफ्ते के अंदर देश और देश की जनता को समर्पित करना था। लेकिन छः तारीख को पुल का एक भाग ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होने के बाद मेरी वहां के स्थानीय लोगों से दूरभाष पर जो बात हुई, उसके अनुसार 31 से ज्यादा मजदूर उसमें दबे हुए हैं और तीन लोगों की लाशें वहां पर कल निकाली गई हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि यह एक मानवीय भूल है। हम लोग एन.एच.ए.आई. पर बहुत गर्व करते हैं कि वह देश में अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इस तरह की घटना से एन.एच.ए.आई. भी संदेह के घेरे में आ गया है। वहां जो कम्पनी काम कर रही है, निश्चित तौर पर हम जानबूझकर नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि उसने लापरवाही से काम किया, जिसका परिणाम यह निकला है।

हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो मजदूर उसमें दबकर मर गये हैं, उनके परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये और जो लोग उसमें घायल हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके परिवारों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और जो लोग इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जांच कराकर उन पर मुकदमा किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए, यही हमारी सरकार से मांग है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अजीत कुमार सिंह को इस मामले से एसोसिएट किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, प्रशुल्क नीति, ओपन एक्सेस रेगुलेशन और राज्य विनियामक आयोगों की स्थापना जैसे विभिन्न उपबंधों के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 के देश में विद्युत उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम हुए हैं। केन्द्र की ए.पी.डी.आर.पी., आर.जी.जी.वी.वाई. जैसी परियोजनाएं वृहत विद्युत परियोजनाएं, अत्यधिक बड़ी (अल्ट्रा मेगा) परियोजनाएं इस नए अधिनियम के अनुसार बनायी जा रही हैं।

इस अधिनियम के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों को बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और उसकी खरीद फरोख्त करने संबंधी विभिन्न कम्पनियों के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। इनके पुनर्गठित होने तक राज्य विद्युत बोर्डों को राज्य पारेषण प्रयोक्ता (यूटिलिटी) और लाइसेंसधारक के रूप में 9 दिसम्बर 2006 तक अपना कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस अधिनियम में यह उपबंध भी किया गया है कि बोर्डों की परिसम्पत्तियों का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें इन नई कम्पनियों को सौंप दिया जाएगा और प्रशुल्क को इस तरह निर्धारित किया जाएगा कि पूंजी निवेश पर 14 प्रतिशत लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार प्रशुल्क में बढ़ोत्तरी आम उपभोक्ताओं के लिए वहन योग्य नहीं है। इस नीति की समीक्षा आवश्यक हो गयी है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वह राज्य पारेषण प्रयोक्ता एवं लाइसेंसधारक के रूप में विद्युत बोर्डों, विशेषतया केरल राज्य

विद्युत बोर्ड की अवधि में 9 दिसम्बर, 2006 से बढ़ाकर 9 दिसम्बर 2007 कर दे।

अपराह्न 1.00 बजे

दूसरे, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश के संघीय ढांचे के मद्देनजर वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से इन विद्युत बोर्डों के कार्यसंचालन और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाने का कार्य जारी रखने की अनुमति दे।

तीसरे, मैं सरकार से विद्युत वितरण के क्षेत्र में निजी कम्पनियों हेतु अनिवार्य की गई 'ओपन एक्सेस रेगुलेशन नीति, जिसके लिए बोर्ड की पारेषण सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है, को समाप्त करने का आग्रह करता हूं क्योंकि यह हमारे समाज के निम्न आय वर्गों के हितों के लिए हानिकर होगा।

चौथे, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले वर्गों के उपभोक्ताओं को प्रति-राजसहायता तथा वितरण के क्षेत्र मे 14 प्रतिशत सुनिश्चित लाभ के अनुबंध के संबंध में नीति की समीक्षा करे।

पांचवें, वृहत परियोजनाओं और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की समीक्षा की जाए तथा केरल के लिए वर्तमान में स्वीकृत 200 मेगावाट के बजाय 1200 मेगावाट की स्वीकृति प्रदान करे।

अंत में, मैं सरकार से विद्युत अधिनियम, 2003 में सुधार करने का आग्रह करता हूं, जैसा कि संप्रग सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वायदा किया गया था।

श्री पी. करूणाकरन: मैं स्वयं को उनके साथ सम्बद्ध करता हूं। यह केरल का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

माननीय सदस्यों, हम अविलम्बनीय लोक महत्व के 15 मामले पहले ही उठा चुके हैं। अन्य मामले भी हैं, परन्तु हमने निर्णय लिया है कि अपराह्न एक बजे उन्हें चर्चा हेतु लिया जाएगा। आज मध्याह्न भोजन का अवकाश नहीं होगा। भारतीय तार (संशोधन) विधेयक से संबंधित एक मुद्दा है, परन्तु मुझे बताया गया है कि भारतीय राइफल्स (निरसन) विधेयक पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी हां।

अपराह्न 1.01 बजे

भारतीय राइफल्स (निरसन) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, शीघ्र निपटान हेतु मद संख्या 22 ली जाए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): श्री शिवराज पाटील की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारतीय राइफल्स अधिनियम, 1920 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक भारतीय राइफल्स अधिनियम, 1920 एक बहुत पुराने अधिनियम का निरसन करने हेतु लाया गया है। इसे राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था और वहां 30 नवम्बर, 2006 को इसे ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पारित किया गया था इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार हैं?

इस अधिनियम को भारतीय राइफल्स अधिनियम, 1920 के नाम से पुकारा जा सकता है। किसी भी स्थानीय, प्रादेशिक पुलिस या राइफल्स अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत भर्ती सभी पुलिस अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा प्रदान करते समय ऐसे अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुशासन और जुर्माने के अधीन कार्य करेंगे।

स्वतंत्रता-पूर्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान लागू विभिन्न क्षेत्रीय अधिनियमों के अंतर्गत भर्ती सेना पुलिस या राइफल बटालियनों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों में बेहतर अनुशासन का उपबंध करने हेतु भारतीय राइफल्स अधिनियम, 1920 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम इस समय प्रासंगिक था, क्योंकि तब भारत-विभाजन से पूर्व यहां बहुत-सी देशी रियासतें थीं। वर्तमान में पुलिस बल या तो राज्य विशेष या संघ राज्य क्षेत्र पुलिस अधिनियम या भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 या केन्द्रीय पुलिस बल को शासित करने वाले अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं।

इस प्रकार अब भारतीय राइफल्स अधिनियम, 1920 अप्रचलित हो चुका है। अत:, अब इस अधिनियम से संविधि पुस्तक में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को इस सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय राइफल्स अधिनियम, 1920 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाएगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने इस विषय पर बोलने के लिये अपना नाम दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: राइफल बिल में नाम नहीं है।

[अनुवाद]

अब सभा इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.04 बजे

भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब, मद संख्या 20 और 21, श्री प्रबोध पाण्डा।

अपराह्न 1.04$^{1}/_{4}$ बजे

[**श्री मोहन सिंह** *पीठासीन हुए*]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 अक्तूबर, 2006 को प्रख्यापित भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी जिससे कि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय और उचित मूल्यों पर मूलभूत तार सेवाएं प्रदान करने के मूलभूत उद्देश्य को हासिल किया जा सके।

भारत में गत कुछ वर्षों के दौरान दूरसंचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण दूरसंचार सघनता मार्च, 2000 के 2.9 से बढ़कर अक्तूबर, 2006 में 15.70 हो गई है। जहां शहरी दूरसंचार सघनता पांच गुना से अधिक बढ़कर 8.2 से 44.05 हो गई है। वहीं ग्रामीण दूरसंचार सघनता 0.7 से बढ़कर 1.86 तक ही पहुंच पाई है।

फिक्स्ड लाइन की तुलना में मोबाइल सेवा प्रदान करना सस्ता है। और इस पर संचालन लागत भी कम है। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण, दूर-दराज के और दुर्गम क्षेत्रों में परस्पर सहभागिता के आधार पर अवसंरचना का सृजन करने और मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करने के लिए प्रदाताओं द्वारा करने हेतु सहायता देने हेतु एक निर्णय लिया गया था।

जब इस योजना की संकल्पना की गई थी, तो यह इंगित किया गया था कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खण्ड (1क) में यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन की परिभाषा में 'मूल (बेसिक)' शब्द को सम्मिलित किया जाए। यद्यपि, इस अधिनियम में 'मूल (बेसिक)' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई थी तथापि व्यवहार में 'मूल (बेसिक)' शब्द के तात्पर्य 'वायर लाइन' और 'फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल' लिया गया। यह महसूस किया गया कि 'मूल (बेसिक)' शब्द की इस मान ली गई व्याख्या के

[श्री दयानिधि मारन]

कारण 'यूनिवर्सल' सर्विस आब्लिगेशन फंड से मोबाइल अवसंरचनागत कार्यों को सहायता प्रदान करना संभव नहीं होगा। विधि विभाग की यह राय थी कि एक समुचित संशोधन द्वारा 'मूल (बेसिक)' शब्द का लोप कर देना आवश्यक है। दूरसंचार विभाग भी सम्भावित मुकदमेबाजी से स्वयं को बचा रहा है।

संसद में हुई बहुत-सी बहसों में, माननीय संसद सदस्यों ने भी यह अनुरोध किया है कि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान किए जाने पर भी सहमति है। यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 में यह संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: प्रस्ताव है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 30 अक्तूबर, 2006 को प्रख्यापित भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री प्रबोध पाण्डा।

श्री प्रबोध पाण्डा: माननीय सभापति महोदय, वस्तुत: मैं इस विधेयक की विषय-वस्तु के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु इसके लिए जिस मार्ग, इस अध्यादेश का प्रख्यापित करना, का उपयोग किया गया है मैं उसका विरोध अवश्य करता हूं। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह संतोषजनक नहीं है और न ही औचित्यपूर्ण है।

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सभा में 19 मई, 2006 को पुर:स्थापित किया गया था। इस प्रतिष्ठित सभा में इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के पश्चात् इसे सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। स्थायी समिति ने भी सिफारिश की और उस सिफारिश को भी यहां रखा गया परंतु इस विधेयक पर इस सभा में चर्चा नहीं की गई है। इसी दौरान, यह अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया गया है, इसका निम्न कारण दिया गया है:

"कारण यह था कि दूर-संचार विभाग की यह राय थी कि अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक है, क्योंकि संसद के समक्ष पहले से ही प्रस्तुत इस विधेयक को पूरी प्रक्रिया से गुजारने की प्रतीक्षा में बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाएगा जिससे कि इस योजना को शुरू करने में कई महीनों का विलम्ब हो जाएगा।"

महोदय, यह अध्यादेश 30 अक्तूबर, 2006 को प्रख्यापित किया गया था। इस सभा का शीतकालीन सत्र 22 नवम्बर, 2006 को आरंभ हुआ। अत: यह कहने का क्या कारण है कि इससे कई महीने की देरी हो जाएगी? इसके पीछे क्या कारण है? बल्कि इस प्रकार के शब्द के उपयोग से सभा भ्रमित हो रही है और उसे गलत सूचना दी जा रही है। अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित करना बहुत अनुचित, अतार्किक और अनावश्यक है।

महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को याद दिला दूं कि जब वे पिछली लोक सभा में विपक्ष में बैठे थे, तो वे हर बार अध्यादेश लाने की प्रक्रिया और तरीके का विरोध किया करते थे। लेकिन, अब इसी सरकार द्वारा वही बात दोहरायी जा रही है।

इसीलिए मैं इस अध्यादेश का निरनुमोदन करने हेतु यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे विचार से इस पर विचार किया जाएगा और माननीय मंत्री जी इसका कोई संतोषजनक उत्तर देंगे। मैं इसकी विषय-वस्तु का विरोध नहीं कर रहा हूं। यही मेरा विचार है।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसा कि अभी मेरे विद्वान मित्र ने बताया है जिस संशोधन पर चर्चा हो रही है, वह एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। अध्यादेश लाए जाने के बजाए इस तरह के संशोधन को संसद के समक्ष लाया जाना चाहिए, ताकि माननीय सदस्यगण इस पर विस्तार से चर्चा कर सकें और इसे संसद द्वारा पारित किया जा सके। लेकिन सं.प्र.ग. सरकार ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया बना लिया है कि वह ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन अध्यादेशों के माध्यम से लाती है जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, इस संशोधन प्रस्ताव में सेलुलर मोबाइल सेवाओं को मूलभूत तार सेवाओं के अतिरिक्त 'यूनिवर्सल आब्लिगेशन फंड' से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने हेतु सहायता देने की संकल्पना की गई है।

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 को 19 मई, 2006 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था और बाद में उसे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था, जिसने 31 जुलाई, 2006 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था।

महोदय, वर्ष 1999 की नई दूरसंचार नीति के अंतर्गत, रा.ज.ग. सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 तक 'मांग पर टेलीफोन प्रदान करने तथा ग्रामीण टेलीफोन सघनता को 0.4 के स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2010 तक चार करने का लक्ष्य प्राप्त करने की संकल्पना की गई थी।

30 अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार जबकि शहरी क्षेत्रों की टेलीफोन सघनता, जिसमें बड़ा योगदान मोबाइल फोनों का है, मार्च, 2003 के 14.3 के स्तर से बढ़कर 40.65 के स्तर तक पहुंच गई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सघनता मार्च, 2003 के 1.05 के स्तर से थोड़ा बढ़ाकर 1.86 के स्तर तक पहुंची है।

इससे यह साबित होता है कि सेलुलर मोबाइल सेवाओं, जिन्होंने शहरी क्षेत्रों में क्रान्ति ला दी है, को दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जा सकता है और वह भी वहनीय और उचित मूल्यों पर।

जैसा कि आप जानते हैं, कि हमारे देश में बहुत से दूर-दराज के क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी सेलुलर मोबाइल सेवाएं नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मैं कच्छ जिले से चुनकर आता हूं। यह हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। यहां खादिर नाम का एक स्थान है जो कच्छ के रन से घिरा हुआ है और यह बहुत दूर स्थित है। वहां 20 से अधिक बस्तियां हैं और वहां कोई टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं है। पूरे प्रयासों के बाद धोलागीरा नामक गांव में एक टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किया गया था। लेकिन अन्य क्षेत्रों में कोई टेलीफोन कनैक्शन नहीं है। ताल्लुका मुख्यालय से उस क्षेत्र की दूरी 200 किलोमीटर है। इसी प्रकार के अन्य अनेक क्षेत्र हैं, जहां टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यह एक बहुत अच्छी बात है कि आप लगभग सभी स्थानों पर सेलुलर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यहां, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे खादिर के दूर-दराज के क्षेत्रों व अन्य दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सेलुलर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराएं। मैंने इस संबंध में पहले भी अनुरोध किया था।

महोदय, यह भी स्पष्ट है कि क्षेत्र की कठिनाइयों और तांबे की केबल, ओ.एफ.सी. यदि बिछाने का लागत को ध्यान में रखते हुए लैंडलाइन सेवाएं एक महंगा विकल्प हैं। हम यह जानते हैं कि यह कठिन कार्य है। लैंडलाइन टेलीफोन महंगे हो गए हैं।

अत:, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में वृद्धि करने हेतु यह अत्यावश्यक हो जाता है कि नई बेतार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाए, जो कि सस्ती भी हैं और उन्हें शीघ्रतापूर्वक आरंभ भी किया जा सकता है। नई प्रौद्योगिकियों के आने से मोबाइल हैंडसैटों के मूल्य भी कम हो गए हैं। अत:, इस प्रकार का विस्तार होना एक स्वागत योग्य बात है।

अब, वर्तमान संशोधन की आवश्यकता, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है, इसलिए है क्योंकि, "भारतीय तार अधिनियम, 1885 के खण्ड 9-क में 'यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड' की स्थापना का उपबंध किया गया है। उक्त अधिनियम के खण्ड 3 की धारा (1क) के अनुसार 'यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन' का अर्थ है ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय और उचित मूल्यों पर मूलभूत तार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।"

विभाग के मतानुसार, वर्तमान में यू.एस.ओ. कोष केवल मूलभूत तार सेवाएं अर्थात् तार वाली लाइनें और नियत वायरलैस टर्मिनल, उपलब्ध कराने के लिए ही उपयोग में लाया जा रहा है। लेकिन यूएसओ कोष का उपयोग सेलुलर मोबाइल सेवाओं के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने हेतु नई बेतार प्रौद्योगिकियों को समर्थन देना आवश्यक समझा गया, जिन्हें शीघ्रतापूर्वक शुरू भी किया जा सकता है।

तदनुसार, ऐसे क्षेत्रों में सेलुलर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु यू.एस.ओ. कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

यू.एस.ओ. कोष की स्थापना 1 अप्रैल, 2002 को की गई थी। विभिन्न दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारी सरकार को समायोजित सकल राजस्व (ए.जी.आर.) का 6 से 10 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान कर रहे हैं। इस लाइसेंस शुल्क में से ए.जी.आर. का पांच प्रतिशत अंशदान यू.एस.ओ. कोष में दे दिया जाता है।

इस प्रकार, 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन कोष में 10,787 करोड़ रुपये एकत्रित हो गए हैं। इनमें से केवल 3581.43 करोड़ रुपये की राशि आबंटित और वितरित की गई है तथा 7,206.42 करोड़ रुपये की राशि अभी तक जारी नहीं की गई है। दूरसंचार विभाग ने यह बताया है कि सेवा प्रदाताओं को आवंटित की गई राशि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्णतया अपर्याप्त है। स्थायी समिति ने भी यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन को पूरा करने हेतु यू.एस.ओ. कोष में से जारी की गई अपर्याप्त राशि के संबंध में असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने दूरसंचार विभाग द्वारा व्यक्त किए गए इस मत का पूर्णतया

[श्री पी.एस. गढ़वी]

समर्थन किया है कि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में मूलभूत टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक धनराशि जारी न करने से यू.एस.ओ. कोष स्थापित करने का मूल उद्देश्य ही असफल हो जाता है।

इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की थी कि यू.एस.ओ. कोष की सारी धनराशि जारी करने हेतु पूरे प्रयास किए जाने चाहिएं, जिससे कि दूरसंचार विभाग यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन के अंतर्गत निहित कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके।

महोदय, यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को यू.एस.ओ. कोष उपलब्ध कराने का लक्ष्य अच्छी तरह प्राप्त किया जा सकता था और इसके लिए भारतीय तार अधिनियम की धारा 3 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता भी नहीं थी परन्तु इसके लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत समुचित समर्थकारी उपबंध संशोधन किए जाने की आवश्यकता थी यदि आप नियमों में संशोधन कर सकते हैं, तो इसे हासिल किया जा सकता था। आप इतनी लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करने के बजाए इस लक्ष्य को हासिल कर सकते थे। इसमें संशोधन करना आवश्यक नहीं था। संशोधन करना और 'मूल (बेसिक)' शब्द का लोप करना ही इसका एकमात्र समाधान नहीं है। 'मूल (बेसिक)' शब्द का लोप किए बिना भी यदि आप नियमों में समुचित संशोधन कर देते तो भी आप इस लक्ष्य को हासिल कर सकते थे। तथापि, आप यह संशोधन लाए हैं। यह अच्छी बात है। अन्यथा, यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता था। अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इससे विलंब ही हुआ है। इसीलिए स्थायी समिति द्वारा भी यही मत व्यक्त किया गया था।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अधिनियमों में संशोधन करने हेतु अध्यादेश का सहारा लेने से बचना चाहिए। मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि सरकार को यथासंभव अध्यादेश का सहारा लेने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि सरकार इस लक्ष्य के प्रति गंभीर होती तो वह इस संशोधन को लाने के उद्देश्य को भलीभांति हासिल कर सकती था। वह भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में समुचित समर्थकारी उपबंध इस लक्ष्य को हासिल कर सकती थी।

यह एक अच्छी बात है। अत:, मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारे देश में जहां भी दूर-दराज के और पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां टेलीफोन होने ही चाहिएं। आजकल, टेलीफोन कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। यह एक आवश्यकता है। अब, पूरे देश में दिन-प्रतिदिन मोबाइल सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। अत: मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): माननीय सभापति महोदय, मुझे भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर मिलने और इसका समर्थन करने पर बहुत खुशी हो रही है।

महोदय, मैं थिरू दयानिधि मारन, माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी को इस सभा में यह विधेयक लाने पर बधाई देता हूं। वे एक युवा मंत्री हैं और छोटी सी अवधि में ही उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में भारी परिवर्तन किए हैं। मैंने हमेशा इनके नवीन विचारों, साहसी पहल और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखने की क्षमता की प्रशंसा की है। यह सभा और यह देश एक युवा मंत्री से यही आशा करता है।

महोदय, यह विधेयक बहुत संक्षिप्त है और इसकी विषयवस्तु सरल हैं। इसमें 'मूल (बेसिक)' शब्द को 1885 के मूल अधिनियम की धारा 3 खंड 1(क) से हटाने का प्रावधान किया गया है। तथापि इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी किसी विधेयक में से किसी एक शब्द को हटाने या जोड़ने के बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। यह ऐसा ही एक विधेयक है।

सं.प्र.ग. सरकार ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की अपनी प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में ग्रामीण आवास, रोजगार, शिक्षा, विद्युत आपूर्ति और सड़कों व संचार के अन्य साधनों के माध्यम से बेहतर सम्पर्क प्रदान करने हेतु अनेक योजनाएं शुरू की हैं। वर्तमान विधेयक उसी कड़ी का एक हिस्सा है। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य हमारे देश के दूर-दराज के और ग्रामीण क्षेत्रों में सेलुलर सेवाएं प्रदान करने हेतु 'यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड' नामक कोष में से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कोष की स्थापना 1885 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी परन्तु इसका उपयोग केवल तार वाली लाइनों और 'फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनलों' के लिए ही किया जा सकता था।

गत दो वर्षों के दौरान हमने दूरसंचार के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। सं.प्र.ग. सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश के प्रत्येक गांव को टेलीफोन सुविधा से जोड़ा जाएगा। अब, हमें बड़े पैमाने पर इस सुविधा का विस्तार करना होगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन सघनता के अंतर को कम करना होगा। शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह लगभग 50 लाख नए टेलीफोन कनैक्शन दिए जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र इस मामले में पिछड़ रहे हैं। हमें न केवल इस अंतर को दूर करना है बल्कि हमें हमारे गांव वालों को बहुत उचित मूल्य या टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं, जिससे कि लोग आसानी से इसका खर्च उठा सकें। यहां तक कि यदि हमें शुरू में इस पर कुछ राज सहायता भी देनी पड़े तो हमें वह देनी चाहिए।

यह बताया गया है कि सरकार का दिसम्बर, 2007 तक 250 मिलियन कनैक्शन प्रदान करने और अगले तीन वर्षों में 50 मिलियन से अधिक ग्रामीण कनैक्शन प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और हमारे युवा मंत्री श्री थिरू मारन की सक्रियता से यह लक्ष्य प्राप्त करना हमारे लिए असंभव नहीं होगा।

मैं मोबाइल टेलीफोन सेवाओं पर जोर दूंगा जो कि फिक्स लाइनों से कहीं सस्ता है। सेवा प्रदाताओं को जो भी समर्थन दिया जाना आवश्यक है वह ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थायी अवसंरचना के निर्माण हेतु दिया जाना चाहिए। एक बार जब यह अवसंरचना निर्मित हो जाएगी तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे और वहां कार्य कर रहे लोगों की जीवनशैली को बदल देगी। उन्हें जिस जानकारी की भी आवश्यकता होगी वह उन्हें घर बैठे मिल जाएगी। इससे लोगों के शहरों की ओर पलायन रोकने में भी सहायता मिलेगी।

महोदय, मैं दो सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, जब हम ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना बना रहे हैं तो यह भी आवश्यक है कि हम सेवा केन्द्र भी गांवों के निकट ही बनाएं। कृपया इन केन्द्रों में इन क्षेत्रों के लोगों को ही नियुक्त करें जिससे कि उन्हें लाभदायक रोजगार मिलेगा।

भारतीय तार अधिनियम 1885 में पारित किया गया था। अब तो एक शताब्दी से भी अधिक का समय हो चुका है। अब तो लगभग हर चीज बदल गई है। यही समय है कि सरकार इस अधिनियम पर एक नई दृष्टि डाले और नवीनतम सम्पन्न तथा भावी विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप इसमें सुधार करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन और सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं। मैं यह कामना करता हूं कि श्री थिरू मारन और डा. शकील अहमद को अपने प्रयासों में सफलता मिले।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, इस विधेयक को इस सभा में पुर:स्थापित किया गया था और इसे स्थायी समिति को अग्रेषित कर दिया गया था। स्थायी समिति में इस विधेयक पर गहन विचार-विमर्श हुआ और इसमें कुछ असहमति के स्वर भी उभरे। असहमति व्यक्त करने वाले में मैं भी शामिल था।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें स्थायी समिति की सिफारिशों या उसमें हुआ विचार-विमर्श सम्मिलित नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सभा में इस विधेयक को लिए जाने से पूर्व ही इस पर अध्यादेश आ चुका था। मंत्रालय को इस मुद्दे पर स्थायी समिति में हुए गहन विचार-विमर्श की भावना को ध्यान में रखना होगा। मैं सचमुच माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में उठ रहे विभिन्न मुद्दों को निपटाने हेतु प्रयास किए हैं।

भारतीय तार अधिनियम 1885 में ब्रिटिश राज के दौरान पारित किया गया था। दूरसंचार मंत्रालय इस अधिनियम में कई बार संशोधन कर चुका है। अब, एक नया संशोधन आया है और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे विचार से मुख्य मुद्दा यही है। मूल अधिनियम में 'मूल (बेसिक)' शब्द का उपयोग किया गया था इस अधिनियम का उद्देश्य 'मूल (बेसिक)' शब्द का लोप करना है। लेकिन मूल अधिनियम में भी 'मूल (बेसिक)' शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन ऐसा मान लिया गया है कि 'मूल (बेसिक)' शब्द से तात्पर्य लैंडलाइन और फिक्स्ड बेतार लाइन से है।

मेरे विचार से यह सत्य है कि बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. बहुत सा कार्य कर रहे हैं और जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा। मैं विशेषकर बी.एस.एन.एल. के कार्यकरण की बात कर रहा हूं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि कोई निजी कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है। इसलिए, हमने इसी मुद्दे पर अपना विमत व्यक्त किया था।

हम टेलीफोनों की बढ़ती संख्या पर चर्चा कर रहे हैं। दूरसंचार क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुए हैं, जिनका हमारे माननीय मंत्री जी ने भी उल्लेख किया है। भारत में टेल-घनत्व वर्ष 2000 के 2.5 से बढ़कर 2006 में 14.10 हो गया है। शहरी क्षेत्रों में पहले के 8.22 की तुलना में 44.05 का बढ़ा परिवर्तन हुआ है। यह भी सत्य है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अर्थात् 0.7 से बढ़कर 1.86 हो गया है।

शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष कम से कम 5000 नए कनैक्शन दिए जा रहे हैं। मैं भी यह समझता हूं कि इस मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में ही सरकार यह संशोधन लाई है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा बाध्यता [यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यू.एस.ओ.)] का उपयोग करना है। इसका उपयोग लैंडलाइन के लिए होता था और विभाग ने अब इसका उपयोग मोबाइल सेवाओं के लिए भी करने का निर्णय लिया है। यदि यह संशोधन किया जाता है तो मेरी यह आशंका है कि इससे बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल., जो कि वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, के यू.एस.ओ. कोष में कमी आएगी। इससे निजी कंपनियों को और अधिक यू.एस.ओ. कोष का उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

[श्री पी. करूणाकरन]

मैं सरकार द्वारा लोक सभा में दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तरों पर ध्यान देना चाहूंगा। 5 दिसंबर 2004 को प्रश्न संख्या 2281 के उत्तर में सरकार ने बी.एस.एन.एल. द्वारा गांवों में टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने पर हुई संचालनगत हानि के आंकड़े दिए थे। उस उत्तर में यह बताया गया था कि वर्ष 2001 में 2587.79 करोड़ रुपये की हानि हुई।

वर्ष 2001-02 में हानि की यह राशि 6913.16 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2002-03 में यह 7880.80 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2004-05 में यह हानि 9528.88 करोड़ रुपये की थी। कुल हानि लगभग 26,000 करोड़ रुपये की थी। इस अवधि के दौरान उन्हें इस कोष से केवल 6,000 करोड़ रुपये या 7,000 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। इसका अर्थ यह है कि बी.एस.एन.एल. को लगभग 20,000 करोड़ रुपये की हानि हुई। लेकिन आप देखिए की कोई भी निजी कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में कनैक्सन देने के लिए आगे नहीं आई है। साथ ही वे शहरी क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को बढ़ा रही हैं क्योंकि यह उनके लिए लाभदायक है और इन क्षेत्रों में कोई जोखिम नहीं है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो हम वहां भौगोलिक कठिनाइयां और असमान विकास पाते हैं। अत: निजी कम्पनियां वहां नहीं जाती।

मैंने असहमति इसलिए व्यक्त की थी कि आजकल मोबाइल सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मोबाइल सेवाओं में वैज्ञानिक प्रगति काफी हुई है। अत: मोबाइल सेवाएं प्रदान करने में बहुत अधिक व्यय या हानि नहीं होती। लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन सेवाओं को देखते हैं तो स्थिति इसके एकदम विपरीत हो जाती है। कोई भी कंपनी उन क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम इस यूनिवर्सल सर्विस ओबलिगेशन फंड, जो कि मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के लाभार्थ बनाया गया है, को निजी कंपनियों को दे देते हैं और यदि ये संशोधन किए जाते हैं तो ऐसा ही होगा, तो यह सत्य है कि निजी कंपनियों को इस कोष में से हिस्सा तो मिल जाएगा। परन्तु दूसरी ओर इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हिस्से में कमी आएगी। इसीलिए, मैंने यह आशंका व्यक्त की थी। महोदय, यदि आप 2000 से 2006 के वर्षों में आंकड़े देखें तो पाएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों को भारी हानि उठानी पड़ी और वह भी केवल इसलिए कि इन्होंने ही ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने की शर्त को पूरा किया और कोई अन्य कम्पनी ऐसा करने के लिए आगे नहीं आई।

जबकि मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरा यह सुझाव है कि वर्ष 2006 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुए घाटे को सरकार द्वारा पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का यही औचित्य है। यह सरकार का ही कर्त्तव्य है। वहां जो भी अवसंरचना निर्मित की गई है वह केवल सरकार, बी.एस.एन.एल. अथवा एम.टी.एन.एल. ने प्रदान की है, किसी निजी कम्पनी ने नहीं। भूमण्डलीकरण के दौर में भी हमें कुछ सहायता की आवश्यकता है और बी.एस.एन.एल. को हुए घाटे की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, जबकि मैं इस विधेयक की भावना और स्वयं इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं तथापि, मैं थोड़ा सा इस तथ्य को लेकर आश्चर्यचकित हूं कि सरकार को यह सुन्दर विचार केवल उस समय आया जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। मुझे यह समझ में नहीं आता कि सरकार की बुद्धि केवल तभी क्यों कार्य करने लगती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। यदि ऐसी कोई चीज लाई जानी थी, तो मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि इसके लिए कोई अध्यादेश लाए जाने की आवश्यकता है, जबकि सभी राजनैतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए, अब यह एक प्रकार की परंपरा सी बन गई है कि पहले अध्यादेश ले आएंगे और फिर संसद को यह बता देंगे कि हमने यह अध्यादेश ले आए हैं और आप इसका समर्थन क्यों नहीं करते? मेरे विचार से यह एक अच्छा विचार है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में एक ऐसे मंत्री, जो कि न केवल कार्यकुशल है अपितु बहुत सक्रिय भी हैं, संसद को अधिक गंभीरतापूर्वक लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हम संसद के बाहर विधान न बनाएंगे बल्कि संसद के माध्यम से विधान बनाएंगे।

अपराह्न 1.35 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन* हुए]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। वस्तुत: हमारे देश में शहरी-ग्रामीण के बीच का अंतर ही स्वयं में एक चुनौती है। जबकि भारत लगातार लगभग नौ प्रतिशत विकास दर के साथ प्रगति कर रहा है, वहीं यहां ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां विकास दर नकारात्मक है।

अब, ऐसे गांव जो शहरों से दूर हैं उन्हें हमेशा समृद्ध शहरों का चचेरा भाई कहा जाता है। लेकिन अब हमें यह कहना पड़ेगा कि हम उन्हें चचेरा भाई नहीं कह सकते क्योंकि वे बहुत दूर दिखाई देते हैं। इसलिए, अब वह समय आ गया है जब हमें इस अंतर को पाटने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा करने के श्रेष्ठ तरीकों में से एक है दूरसंचार। इसलिए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसीलिए, यू.एस.ओ. कोष की स्थापना की गई थी। इसलिए, अब

यू.एस.ओ. कोष का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया जाना चाहिए। इसीलिए सरकार यह विधान पुर:स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसलिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके साथ मैं माननीय मंत्री से हमें यह बताने का अनुरोध करूंगा कि विधान में संशोधन करके–और जिससे केवल कतिपय प्रयोजनों के लिए वित्त का प्रकारान्तर से उपयोग करने की ही सुविधा होगी जो पहले इस प्रकार से नहीं मिल रही थी–क्या ऐसी गारंटी मिल जाएगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं पूरी तरह से हल हो पाएं? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 93 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है, 1200 के लगभग गांव हैं, 6000–7000 से अधिक पुरवे हैं जिनमें से प्रत्येक गांव की ही तरह हैं। हो यह रहा है कि आपका कहना है कि अमुक-अमुक अवधि तक यह मांग पूरी कर दी जाएगी। पर आप वास्तव में मांग का आकलन करेंगे कैसे? हमने देखा है कि दूरसंचार विभाग तब तक आवेदन स्वीकार नहीं करती है जब तक 150–200 लोग आकर न कहें कि वे उसका उत्पाद खरीदना चाहते हैं। मुझे एक भी ऐसे गांव या पुरवे का नाम बताइए जहां आबादी का घनत्व कम है और फिर भी आप वहां दूरसंचार घनत्व बढ़ाना चाहते हों? भारत के उन क्षेत्रों का क्या होगा जहां जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं है? आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम मांग दर्ज हो तो? यदि यही नहीं हो सकता तो भला आप उसे पूरा कैसे करेंगे? पूर्ति तो तभी होगी, जबकि मांग का पता हो। लेकिन आप तो वास्तविक मांग का अनुमान ही नहीं कर पा रहे। अत: मंत्री जी से मेरी पहली दरख्वास्त तो यही है कि यदि आप कोई सार्वभौम सेवा देना चाहते हैं तो सार्वभौमता यह अपेक्षा करती है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को एक सक्षम ग्राहक के रूप में दर्ज कराने का अधिकार मिले। यदि यह नहीं होगा तो यू.एस.ओ. निधि से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। सर्वप्रथम तो मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें कि वे नीति में परिवर्तन करके यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्वयं को सक्षम उपभोक्ता के तौर पर दर्ज करा सकता है। यदि वे ऐसा कर सके तभी सार्वभौमता की अवधारणा वास्तविक रूप से कार्यान्वित हो पाएगी। यही मेरा प्रथम अनुरोध है।

दूसरी बात, हम कह रहे हैं और 'ट्राई' का भी कहना है कि वर्ष 2010 तक चार प्रतिशत से अधिक दूरसंचार-घनत्व कर पाना संभव नहीं होगा। यदि राज्य स्तर पर आपके मित्र उदारभाव से आपको 30,000 करोड़ रु. दे दी दें-मुझे उम्मीद है कि वे जरूर ऐसा करेंगे-पर आप उस तरह की बजटीय सहायता उपलब्ध न कराएं और पुरानी और नई मांगों की पूर्ति के लिए आपको मात्र यू.एस.ओ. निधि पर ही निर्भर रहना पड़े तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप भला किस तरह से यह लक्ष्य हासिल करेंगे। अतएव, दूरसंचार सेवाओं के सार्वभौमिकीकरण के आपके लक्ष्य यह विधान ऐसी कोई अड़चन पैदा नहीं कर रहा है। यह बात विधान कुछ हटकर है। आपको सभा का समर्थन प्राप्त है। परन्तु मैं संचार मंत्री और वित्त मंत्री दोनों से एक साथ यह जानना चाहूंगा–चूंकि संगमन के इस युग में मैं यह आशा करता हूं कि वे दोनों अल्पतम समय में यह सुनिश्चित करें कि दूरसंचार सेवाओं की पहुंच सभी उपभोक्ताओं तक हो जाए–कि यदि यू.एस.ओ. निधि का पैसा पूरा न पड़ा तो आप वित्त कहां से लाएंगे? आपका क्या अनुमान है कि यह पूर्ति कब तक हो जाएगी क्योंकि 'ट्राई' तो एक चेतावनी दे चुका है? उसका कहना है कि इस तरह से नहीं हो पाएगा।

तीसरा मुद्दा, जो मैं उठाने की कोशिश करूंगा, वह यह है कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि दूरसंचार क्षेत्र में विनियमन वास्तव में कितना सफल हुआ है और क्यों सफल हुआ है? सफलता का पैमाना क्या है? क्या शुल्क-दरें गिरी हैं? यदि ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है परन्तु यदि उपभोक्ता को इसका पता ही न हो और यह क्षेत्र वृद्धि कर रहा हो, तो फिर कहीं कोई गंभीर खामी है। यदि इस क्षेत्र में उपभोक्ता को लाभ हो रहा है और, बेशक, दूरसंचार विभाग को भी लाभ हो रहा हो–तो भला क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन क्या आप इस ओर सोच रहे हैं–मैं बस मुद्दा उठा रहा हूं जिस पर आपके विचार जानना चाहता हूं-कि ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करके इस वास्ते एक अलग विनियामक-तंत्र बनाया जाए? मैं इस पर अभी इसीलिए बात कर रहा हूं कि आप इस ओर दोहरी रियायत जैसा कुछ नहीं सोच रहे। यू.एस.ओ. निधि तो एक पृथक कोष है जिसे पृथकतर प्रयोजनों या पृथक संस्थाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। फिर आप इस ओर क्या सोच रहे हैं? मैं यह इसीलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आप एक उदासीन आधार संरचना बनाना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं वह यह बात है: भविष्य में और अधिक दूरसंचार टावर बनाने की बजाय, एक ही टावर से एक से अधिक सेवा प्रदाता कार्य संचालित करेंगे। विचार अच्छा है। अमरीका में ऐसा होता है; इससे लागत कम की जा सकेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक कठोर नियम की आवश्यकता होगी। यदि टावर था, कहें कि उदासीन की ऐसी आधार संरचना, बनाने वाले व्यक्ति को ठीक तरह से विनियमित न किया जाएगा तो फिर ऐसा ही नहीं किया। फिर, पर्याप्त प्रोत्साहक उपाय किए बिना भी ऐसा संभव न होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि एक से अधिक कंपनियां एक ही सेवा का उपयोग करेंगी तो ऐसा किस आधार पर होगा-यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं?

महोदय, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, आपको कुछ और समय मुझे देना होगा। ग्रामीण परिवेश के आदमी को बोलने का अधिक अवसर नहीं मिलता, आप भी तो ग्रामीण इलाके के हैं।

सभापति महोदय: पर ग्रामीण लोग शहर में बस रहे हैं-यह भी एक मुद्दा है। ठीक है, कृपया अब समाप्त करें। आपने दस मिनट से अधिक का समय ले लिया।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, मंत्री जी शहरी आदमी हैं, जरा मैं उन्हें ग्रामीण इलाके का भान कराऊं।

सभापति महोदय: हरेक आदमी की हमदर्दी ग्रामीण क्षेत्र के साथ है लेकिन फिर भी वहां बदहाली है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, एक सक्षमकारी प्रावधान है। यह एक नया संशोधन है जिसके व्यापक दायरे में विभिन्न सेवाएं लाई जा सकती हैं। क्या मंत्री जी यू.एस.ओ. का उपयोग करने की सोच रहे हैं? वाकई इसकी जरूरत है। अभी हमने संगमन की बात की। कृपया इसे यह कहकर केवल ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित न कीजिए कि इससे मोबाइल फोन की सुविधा मिल जाएगी। इंटरनेट भी जरूरी है, वैसे तो फिर मल्टी-मीडिया भी जरूरी है, क्योंकि केवल आवाज सुनने से ही अब काम नहीं चलता। पर फिर भी आवाज तो आती है क्योंकि प्रेषण-तंत्र तो है पर हम ही नहीं सुन पाते। लेकिन, इसके साथ डाटा-प्रेषण की भी सुविधा मिले तो अच्छा हो।

क्या मंत्री जी मल्टीमीडिया, इंटरनेट और अन्य संयोजनों को ध्यान में रखकर यू.एस.ओ. निधि के उपयोग का विचार कर रहे हैं? इसकी क्या जरूरत है? मैं क्यों यह सब कह रहा हूं? इसीलिए, क्योंकि एक बार यह अवसंरचना बन जाने के बाद फिर बहुत सुविधा हो जाएगी और यह सुनिश्चित भी हो सकेगा कि ये सारे मुद्दे ठीक ढंग से सुलझे।

मुझे आशा है कि मंत्री जी साफ शब्दों में अब यह कहेंगे कि भविष्य में चाहे जितने भी उपभोक्ता अपनी मांग दर्ज कराने आएं, उनकी बात वाकई सुनी जाएगी। उनसे मेरा यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। कई सम्मानित सदस्यों के विचार और सुझाव इस बिल के संबंध में आए हैं। यह बिल वर्ष 1885 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। जहां तक देखा जाए तो आज भी ग्रामीण स्तर पर टेलीफोन संचार व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। इसके पहले ग्रामीण स्तर पर डब्ल्यूएलएल के टावर लगाकर गांवों को संचार व्यवस्था से जोड़ने की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन उसके पर्याप्त मात्रा में काम न करने के कारण दूरसंचार विभाग को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और वह व्यवस्था ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में कारगर नहीं हुई। जहां तक मोबाइल फोन को देखा जाए तो आज भी लैण्डलाइन फोन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक अच्छे साबित हुए हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता और ज्यादा दिनों तक अच्छी सर्विस देने की बहुत अच्छी सुविधा लैण्डलाइन फोन में है। टेलीफोन मोबाइल फोन की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कारगर हुए हैं। आज अगर देखा जाए तो लोग लैण्डलाइन टेलीफोन लेना पसन्द नहीं करते, बल्कि मोबाइल फोन लेना पसन्द कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर के जो कमजोर और मध्यमवर्गीय किसान या मजदूर हैं, अगर वे थोड़ा-बहुत सक्षम हैं तो वे इससे कहीं भी जाकर बात कर सकते हैं। आज दूरसंचार के माध्यम से हमें ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुदृढ़ करनी पड़ेगी, अच्छी बनानी पड़ेगी। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है और देखा जाए तो आज भी ग्रामीण स्तर पर कई ऐसे दैवी आपदाएं आती रहती हैं, चक्रवात है, बाढ़ है, सूखा है या कहीं पर कोई अप्रिय घटना हो जाती है। कहीं पर आग लग जाती है तो फौरन हमें इन दैवीय आपदाओं से बचने के लिए पुलिस, तहसील और फायर ब्रिगेड आदि संस्थाओं को सूचना देनी होती है। दूर संचार की व्यवस्था न होने पर वहां इस प्रकार की कई अप्रिय घटना घटित होती रहती हैं, जिनसे जानमाल का भी नुकसान होता है।

जहां तक टेलीफोन के नेटवर्क की बात है, तो हम देखते हैं कि शहरों में तो नेटवर्क की प्राब्लम नहीं है, लेकिन गांवों में है। इसलिए हमें वहां नेटवर्क को सुदृढ़ करना होगा। आप कहीं पर भी रहें, दूर-सुदूर इलाकों में, शहरों में तो हम लैंड लाइन टेलीफोन से, मोबाइल फोन से पीसीओ में जाकर बात कर लेंगे, लेकिन इन इलाकों में नेटवर्क की समस्या से लोग आज भी परेशान हैं। इसलिए वहां दूर संचार के नेटवर्क को दुरूस्त करने के लिए इन दूर-सुदूर इलाकों में पैसा खर्च करने की जरूरत है। आज भी बीएसएनएल की अपेक्षा निजी कम्पनीज के नेटवर्क ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहे हैं। उनके नेटवर्क हर जगह अच्छी तरह से काम करते हैं और सर्विस भी अच्छी होती है। आज प्रतिस्पर्धा का युग है। इसलिए सरकारी दूर संचार की कम्पनीज को अपने देश की निजी कम्पनीज और बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के साथ मुकाबला करना होगा। अत: दूर संचार की प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष ध्यान देना होगा।

मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले इसके बारे में अध्यादेश लाया गया और वह भी 30 अक्तूबर, 2006 को लाया गया, जबकि 22 नवम्बर से संसद का सत्र शुरू होना था। इन 22 दिनों के अंदर ऐसा क्या हो रहा था जो मंत्री जी ने लिखा है कि आप सर्विस से पीछे रह जाते। मैं समझता हूं कि इसके पीछे कारण दूसरा है। 19 मई, 2006 को यह बिल संसद में प्रस्तुत हुआ था। उसके बाद संसद की स्थाई समिति में गया। इस बिल में बेसिक शब्द को हटाने की बात थी। टेलीग्राफ से केवल फिक्स्ड लाइन करने का मतलब था, वह करना था, लेकिन संसद की स्थाई समिति ने उस पर अपने विचार व्यक्त करके रिपोर्ट दी। उस कमेटी ने 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। उसके बाद 30 अक्तूबर को आप अध्यादेश लेकर आए। इस बीच मानसून सैशन भी चला गया, उसमें भी आप यह बिल ला सकते थे। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। मैं मारन साहब से प्रार्थना करूंगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में अध्यादेश तभी लाया जाता है जब कोई अपरिहार्य कारण हो, विशेष परिस्थिति हो। हम हमेशा इस बात को संसद में कहते रहे हैं।

गांवों में टेलीफोन सेवा आवश्यक सेवा बन गई है और मोबाइल सेवा भी आवश्यक हो गई है। लेकिन हमने देखा है कि यह सेवा शहरों तक ही सीमित होकर रह गई है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पांच साल हो गए, सात साल हो गए 1000 रुपए जमा कराए, लेकिन अभी तक लैंड लाइन कनेक्शन नहीं मिला। मेरे अपने सांसद कोटे से 100 में से 25 फोन अभी तक नहीं लगे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): आपको तो टेलीफोन के लिए कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज ही इतनी अच्छी है कि बिना उसके गूंजती है।

प्रो. रासा सिंह रावत: गांवों में टेलीफोन के संबंध में काफी परेशानी हो रही है। आप शहर में रहते हैं इसलिए आपको नहीं लगती। हमारे क्षेत्र में गांवों के लोग हमसे कहते हैं कि आप संसद में जाते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या एक टेलीफोन नहीं लगा सकते। इसके अलावा वे यह भी कहते हैं कि जब हम टेलीफोन विभाग के अधिकारी के पास जाते हैं और टेलीफोन कनेक्शन न मिलने की बात कहते हैं, तो वे कहते हैं कि अपने पैसे वापस ले लो। भले ही वह लैंड लाइन टेलीफोन की बात हो या मोबाइल फोन की बात हो। शहरों में तो रिक्शा चलाने वाले और सब्जी बेचने वालों तक के पास मोबाइल फोन है। लेकिन जो लोग दुर्गम स्थलों में रहते हैं, पहाड़ी और जंगल एरिया में रहते हैं, वहां दूर संचार की काफी दिक्कत है। वहां के लोग अपने परिवार से बात नहीं कर पाते। आपने वैसे तो ऐसी कई जगहों पर सैल्युलर सर्विस शुरू की है और वीपीटी लगा दिए हैं तथा नेशनल टेलीकाम पालिसी बना दी है, लेकिन उसका अधिक फायदा नहीं हुआ है। पहले गांवों के लिए 'मार' सिस्टम लगाया था, लेकिन उसे भी मार दिया गया और वह अभी तक नहीं बदला गया।

ग्राम पंचायतों के अंदर जहां पर पुराना मार-सिस्टम वीपीटी लगे हुए थे वे कई जगह बदलने थे, वे भी नहीं बदले। कई गांवों में प्रतीक्षा सूची बाकी है। हमारे अजमेर जिले में बताया गया है कि 7000 लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर रेगिस्तानी, पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं, हम विभाग से कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूएल लगा दो, तो कहते हैं कि जितनी मशीनें आनी चाहिएं थीं वे नहीं आई, 31 मार्च तक आयेंगी। लेकिन 31 मार्च भी निकल जाता है लेकिन वे मशीनें नहीं आती हैं। हाई-पावर मोबाइल टावर्स ऊंच-ऊंचे पहाड़ों पर लगने चाहिए जिससे 25 किलोमीटर तक के क्षेत्र को वे कवर कर सकें। आंधी-तुफान आने पर भी वे काम कर सकें। मान्यवर, यह हमारी पीड़ी है। सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। प्राइवेट सैक्टर की कंपनियां विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार करती हैं। बीएसएनएल, एमटीएनएल ये घाटा सहकर भी गांवों के अंदर सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। आपने यूएसओएफ लगाया, उससे आप उनको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्राइवेट कंपनियों ने लाखों रुपये का जुर्माना दे दिया लेकिन गांवों में जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा नहीं किया। चाहे टाटा हो, हच हो या रिलाइंस हो, ये कंपनियां गांवों के अंदर नहीं गयी हैं। इसलिए उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए थी जिससे भारत सरकार की जो कंपनियां हैं वे घाटे में न जाएं। वे विज्ञापन निकालते हैं कि आजीवन सस्ती सेवा लेकिन आपने लाइसेंस तो उन्हें एक साल का दिया है तो वे आजीवन सेवा कैसे दे सकती हैं? लोगों को ये प्राइवेट कंपनियां ठग रही हैं लेकिन उस ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। वे विज्ञापन देती हैं कि उपभोक्ता को इनकमिंग का कुछ नहीं देना पड़ेगा, आउट-गोइंग का कुछ नहीं देना पड़ेगा। उससे उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। बीएसएनएल की मानसिकता में परिवर्तन आना चाहिए। बीएसएनएल के हम बहुत आभारी हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वे सेवा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आप स्पष्ट उत्तर दें कि प्रतीक्षा सूची कब तक पूरी हो जाएगी। जैसे शहरों में है कि आज टेलीफोन मांगा और मिल जाता है इसी प्रकार गांवों में भी होना चाहिए। सेनाओं में काम करने वाले अधिकतर लोग गांवों में ही रहते हैं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं इस अध्यादेश को मंजूरी न दिए जाने के पक्ष में हूं। यह विधेयक अध्यादेश के बदले में ही लाया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत यदि किसी समय केवल संसद के दोनों सदनों के सत्र में होने के समय को छोड़कर, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हों कि परिस्थितियां उसके द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने मांग करती है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है।

लेकिन यहां मामला यह है कि यह विधेयक 19 मई, 2006 को ही इस सदन में पुर:स्थापित किया गया था। उसी दिन यह विधेयक परिचालित कर दिया गया। इसका उल्लेख भी किया गया कि राष्ट्रपति को भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 की विषयवस्तु की जानकारी है और उन्होंने अनुच्छेद 117 के अधीन इस विधेयक वे पुर:स्थापन और विचारण की सिफारिश की है। अत: यह विधेयक राष्ट्रपति की संस्तुति पर इस सदन में पुर:स्थापित और परिचालित किया गया है। फिर उस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा गया और समिति ने कुछ सिफारिशें की। विधिक भाषण में सभा को इस मामले की जानकारी है। हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं। जब सभा ने विधेयक को संज्ञान में ले लिया है तो इस प्रकार के मामले में राष्ट्रपति अध्यादेश कैसे जारी कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)* मैं इस अध्यादेश को स्वीकृत किए जाने की बात कह रहा हूं। जब राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर संसद द्वारा विचार किए जाने की सिफारिश कर दी हो तो फिर क्या वह सभा के सत्र में न होने के समय उस पर कोई अध्यादेश जारी कर सकता है?

सभापति महोदय: आप यहां राष्ट्रपति के अधिकार पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री वरकला राधाकृष्णन: तो फिर मेरी बात समाप्त हो जाती है।

सभापति महोदय: मैं केवल इस पर आपत्ति कर रहा हूं कि आप यहां राष्ट्रपति के अधिकार पर बात नहीं कर सकते। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप तो वकील हैं, आपको पता होगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने इस अध्यादेश को स्वीकृति न दिए जाने के लिए पहले ही एक संकल्प प्रस्तुत किया है और मैं उसी आधार पर बोल रहा हूं। मैं स्वयं द्वारा प्रस्तुत संकल्प के आधार पर बोल रहा हूं।

मैं सभा का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आपको विदित होगा कि अध्यादेश एक सुबद्ध विधान होता है। सभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि कार्यकारिणी कुछ मुद्दों को पहले ही तय कर चुकी है, इसलिए इन्हें पारित करना ही होगा क्योंकि उनमें कोई संशोधन नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि सभा की शक्तियों में कटौती की गई है। यह कमोबेश सामान्य तरीके से बच्चे के जन्म होने के बजाए उसे सीजेरियन विधि से जन्म देने के समान है। मेरा यही विनम्र निवेदन है। सभा को इसके अधिकारों से ही वंचित कर दिया गया है। सभा एक विषय पर विचार कर रही है तो एक अध्यादेश जारी करना संविधान के साथ धोखा है। जब सभा ने विधेयक स्थायी समिति को भेज दिया हो तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति पहले ही सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की है और हमने इस विधेयक पर विचार किया है। और बाद में विधेयक को स्थायी समिति को भेज दिया गया। इसी दौरान कार्यकारिणी को हमें सूचित करना चाहिए कि इसके लिए इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता थी। यह स्वीकार करते हुए भी कि राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश पहले ही जारी कर दिया है, उन्हें सभा को इसकी तात्कालिकता के बारे में अवगत करना चाहिए। विधेयक पर गौर करने के बाद हमें यह पता चलेगा कि 1985 में सार्वभौमिक सेवा वाह्यता कोष (यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड) स्थापित करके तार अधिनियम पारित किया गया था। यह कोष वर्षों से कार्यरत है। फिर ऐसी स्थिति में इस कोष जो कोष 1985 से ही मंजूर है, के उपयोग के लिए अध्यादेश जारी करने की जरूरत क्या थी? सार्वभौमिक सेवा वाह्यता कोष पहले से कार्यरत है। उस कोष, जो 1985 में ही अस्तित्व में आ चुका था के उपयोग के लिए अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी?

विधेयक को सामान्य रूप से पुर:स्थापित किया गया था। हमने इस पर विचार भी किया है और इस पर चर्चा भी हो रही है। मेरा विनम्र निवेदन है कि चूंकि इसमें तात्कालिकता जैसी कोई बात है, इसलिए सरकार को आपात स्थिति जैसे प्रावधान का सहारा नहीं लेना चाहिए था। वे इसे सामान्य रूप से भी ला सकते थे। आखिरकार इन मोबाइल फोनों का ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्या थी? अध्यक्षपीठ से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मामले में विधेयक को सामान्य रीति से लाना चाहिए था। विधेयक पर सभा में चर्चा भी हो सकती थी और उसे पारित भी किया जा सकता था। दुर्भाग्यवश, ऐसा किये बिना ही उन्होंने संविधान के आपातकालीन प्रावधान का सहारा लिया है। वे इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह एक सामान्य कार्य है। इस आधार पर मैं अध्यादेश के मुद्दे का तीव्र विरोध करता हूं। विधेयक के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अपराह्न 2.00 बजे

विधेयक पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह अध्यादेश लाया गया है उस पर मुझे आपत्ति है। यदि विधेयक को पुरःस्थापित किया गया होता तो मैं उसका विरोध नहीं करता। इस मामले में यदि विधेयक लाया गया होता तो मैं सामान्य रूप से इसका समर्थन करता। लेकिन अध्यादेश का सहारा लेना अच्छी बात नहीं है। सभा के सदस्य के रूप में इस विधेयक में संशोधन करने का मुझे अधिकार प्राप्त है। लेकिन अध्यादेश जारी करके मेरा अधिकार छीन लिया गया है। यही कारण है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मैं विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं अध्यादेश जारी करने के तरीके का विरोध कर रहा हूं।

सभापति महोदयः धन्यवाद। आपने अच्छा किया।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक हमें 1999 की राष्ट्रीय नीति की याद दिलाता है। इसके अंतर्गत 2002 में ग्रामीण दूरसंचार घनत्व के लक्ष्य 0.4 की तुलना में 2010 तक 4.00 प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। हमें बताया गया है कि वर्ष 2005 तक ग्रामीण दूरसंचार घनत्व बढ़कर 1.77 हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार के प्रसार को सुगम बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने सेल्यूलर मोबाइल फोन का विस्तार करने के लिए यू.एस.ओ. कोष का उपयोग करने के सरल तरीके को अपनाया है। इसके समर्थन में यह तर्क दिया गया है कि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कम और उचित मूल्य पर टेलीफोन सुविधा का तेजी से विस्तार करने के लिए सेल्यूलर मोबाइल सेवा को अपनाया जा सकता है।

यह संशोधन "बेसिक" शब्द का लोप करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ऊपरी तौर पर यह संशोधन बहुत ही सरल लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्थायी समिति द्वारा आपत्ति करने के बावजूद सरकार इस संशोधन को पारित करना चाहती है। मैं सिर्फ यही उल्लेख करना चाहता हूं कि सेल्यूलर फोन और बेसिक फोन की परिभाषा में अंतर केवल 1994 में ही सामने आया। हम 1885 के अधिनियम, तार अधिनियम पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 खंड (1कक) के अनुसार तार से तात्पर्यः

> "उपस्कर, उपकरण, सामग्री अथवा यंत्र से है जो संकेत, सिग्नल के पारेषण अथवा अभिग्रहण, प्रतिकृति अनुलेखन तथा किसी भी प्रकार के स्वर को तार द्वारा भेजने, दृश्य अथवा इलेक्ट्रो-मेग्नेटिक उत्सर्जन, रेडियो तरंग अथवा हर्त्ज तरंग, गेल्वेनिक, विद्युत अथवा चुम्बकीय साधनों का उपयोग करने में सक्षम हों। चूंकि परिभाषा में वायर के साथ-साथ रेडियो तरंगें तथा इलेक्ट्रो-मेग्नेटिक उत्सर्जन की बात है अतः यह वायर तथा वायरलेस सेवा दोनों को कवर करता है।"

मैं यह समझना चाहता हूं कि सभा में विधेयक को पुरः स्थापित करते समय मंत्री महोदय ने यह क्यों कहा है कि विधि विभाग ने इसके लिए आग्रह किया था। विधि विभाग भी स्थायी समिति से मिला था। फिर भी, स्थायी समिति ने कहा, 'हम आश्वस्त नहीं हैं।' हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इसके लिए ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी है। 1994 में किए गए संशोधन और परिभाषा को इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। यह तो सिर्फ हमें यह समझाने के लिए है कि सेल्यूलर और बेसिक टेलीफोन में अंतर किया गया है। लेकिन जब आप 'बेसिक' शब्द को हटा रहे हैं तो उस संशोधन में कई व्यापक अर्थ छिपे हुए है। यही मेरी चिंता है और मैं समझता हूं कि श्री वरकला राधाकृष्णन या कोई भी जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी भी यही चिंता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि 'बेसिक' शब्द का लोप करने के पीछे रहस्य क्या है। उसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव यह होगा कि इसका अन्यत्र उपयोग होगा तथा सेल्यूलर मोबाइल पर अधिक दबाव पड़ेगा। मेरा मानना है कि बुनियादी टेलीफोन सुविधा पर जोर दिया जाना चाहिए। मोबाइल फोन धनी लोगों के लिए है और जिसकी आय ज्यादा है वे मोबाइल फोन पसंद करते हैं। *...(व्यवधान)*

इस देश में छह लाख गांव हैं और 50,000-60,000 गांव अभी ऐसे हैं जहां एक भी फोन नहीं है। इसका मतलब है कि देश के 10 प्रतिशत गांवों में अभी भी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करानी है। *...(व्यवधान)* मैं उन पात्र गांवों के बारे में बात कर रहा हूं जिनकी आबादी एक निश्चित संख्या अर्थात् 300 या 500 लोग से अधिक है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताबः जब इस देश में टेलीफोन सुविधा के विस्तार करने के लिए इस प्रकार के बड़े कदम उठाए गए है तो

[श्री भर्तृहरि महताब]

इसमें कई गुना वृद्धि हुई है। आप्टिकल फाइबर के आने के बाद इनकी संख्या और बढ़ी है। लेकिन वस्तुत: बुनियादी टेलीफोन सुविधा मुहैया कराने के लिए आप्टिकल फाइबर डालने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। लेकिन सरकार सेल्यूलर और बी.एस.एन.एल. को अपना रही है जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और उसे कुछ निश्चित लक्ष्य पूरा करने का कार्य सौंपा गया है। लेकिन अब उसके साथ साझेदारी की जा रही है। पहले एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को फोन सस्ते दर पर मिलता था। अब उसे उपकरण खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। उपकरण की कीमत 3,000-4,000 हो सकती है। ...*(व्यवधान)* लेकिन इस प्रकार टेलीफोन को समाज के एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित किया जा रहा है। समाज के एक बड़े वर्ग को, जो निश्चित रूप से गरीब है, खासकर उड़ीसा जैसे राज्य में जहां 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे है गांवों में फोन कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? उनको मोबाइल फोन कैसे दिया जाएगा? मेरे लिए यही चिंता की बात है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में आश्वासन चाहता हूं। निश्चित रूप से इस संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई दल ग्रामीण क्षेत्र में सेल्यूलर मोबाइल फोन उपलब्ध कराये जाने के पक्ष में है।

महोदय, मेरी संख्या कम है। मुझे इस बात की जानकारी है। लेकिन मेरी एक मात्र चिंता है कि माननीय मंत्री जी और सरकार इस संबंध में मुझे आश्वासन दे। यू.एस.ओ. से धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाए इसका कुछ भाग तो बुनियादी टेलीफोन सुविधा के लिए बचा कर रखा जाए। यह एक नीतिगत फैसला है और इस पर निर्णय लिया जा रहा है लेकिन मौजूदा नीति में बदलाव हुआ है। 'बेसिक' शब्द को हटाकर मौजूदा नीति में परिवर्तन किया गया है। लेकिन जिस प्रकार इस विधेयक को लाया जा रहा है उससे मैं वास्तव में आशांवित हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे अनुमोदन मिल जाएगा। लेकिन मेरी चिंता है-जिसे मैं रिकार्ड कराना चाहता हूं-कि सुविधाओं से वंचित लोगों को इस सेवा से वंचित किया जा रहा है जबकि दूरसंचार नीति में उन्हें यह सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मुझे लगभग वही बात कहनी है, जो मुझसे पहले कई माननीय सदस्य कह चुके हैं। माननीय मंत्री जी आपने स्वयं माना है कि गांवों में जो टेलीफोन लगने चाहिए, उनका घनत्व कम है। आपने 14 दिसम्बर को संसद में यह बात कही थी। आप एक अच्छा बिल लाये हैं और आप दस हजार मोबाइल टेलीफोन सेवा गांवों में और देना चाहते हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। अध्यादेश के बारे में जो हमारे माननीय अध्यक्ष रहे हैं, वह कह चुके हैं कि अध्यादेश नहीं आना चाहिए था।

मैं समझता हूं कि दो-तीन महीने का गैप होता और फिर आप अध्यादेश लाते तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिए अध्यादेश का तो मैं विरोध करता हूं। बाकी आप अच्छा बिल लाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज भी गांवों में टावर खड़े हुए हैं लेकिन वे टावर खराब पड़े हुए हैं। भाई राजेश जी, जो हमारे पूर्व में संचार मंत्री रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांवों को उन्होंने शहरों से जोड़ दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि मोबाइल सेवा बहुत अच्छी सेवा है लेकिन आखिरकार जगह-जगह बोर्ड लगे हुए हैं, कोई कम पैसे में कनैक्शन दे रहा है, कोई मुफ्त में दे रहा है और कोई कह रहा है कि एक बार पैसा जमा करा दो और फिर आपको जिन्दगी भर पैसा जमा नहीं कराना पड़ेगा। इस संबंध में भी आप विचार करें और जो टावर खराब पड़े हुए हैं और पहाड़ी क्षेत्र में टावर की खराबी के कारण से ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, इस ओर भी आपको ध्यान देना नितांत आवश्यक है। अब कई कंपनियां आ गई हैं और सबने अलग-अलग सुविधाएं देने वाली बात कही है। आप अच्छा बिल लाए हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन अध्यादेश नहीं लाना चाहिए था, इसका मैं विरोध तो नहीं कर रहा हूं लेकिन टावर वाले सिस्टम को आप ठीक करेंगे और गांव भी मोबाइल टेलीफोन सेवा से जुड़ जाएं, यह अच्छी बात है। इसलिए इस बिल का मैं स्वागत करता हूं कि बिल अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: भार्गव जी, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर): सभापति जी, धन्यवाद। भारतीय तार (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तार टेलीफोन के मामले में इस देश ने पिछले दशक में काफी प्रगति की है। इसलिए हम मंत्रालय को और खासतौर से माननीय मंत्री जी को भी बधाई देते हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सन् 2002 में पूरे देश में प्रदेश में लैंडलाइन टेलीफोन के लिए बहुत सारे फार्म जमा कराये गये थे लेकिन उनका पैसा भी आज तक पड़ा हुआ है और उनका कनैक्शन आज तक नहीं दिया गया है। गांवों की जनता के बीच में जो एक संदेश देना था कि हम गांवों को टेलीफोन से जोड़ रहे हैं और हर गांव को टेलीफोन सुविधा से

जोड़ रहे हैं, हर गांव को जितनी आवश्यकता है, उतना कनैक्शन हम उपलब्ध कराएंगे लेकिन यह पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। इससे विभाग की खामी उजागर होती है। टेलीफोन के मामले में देश में उन्नति की है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था, टेलीफोन और टी.वी. को बढ़ावा देने की उनकी सोच थी और उसी के आधार पर उन्होंने कृषि और मजदूरी, बागवानी मात्स्यिकी उद्योग को बढ़ाने की बजाए इस टेलीफोन और टी.वी. के लिए ज्यादा जोर दिया था। उसका परिणाम है कि आज देश ने इसमें उन्नति की है। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि हमारे लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर अकबरपुर में बी.टी.एस. टावर लगे हुए हैं लेकिन उनका नैटवर्किंग खराब है। आज जब पूरे देश में तमाम टाटा मोबाइल्स, रिलाएंस, एयरटेल और बहुत सारी कम्पीटीटिव कंपनियां आ गई हैं, ऐसी स्थिति में गांवों में आज भी एम.टी.एन.एल. के लिए क्रेज है इसलिए मेरी यह मांग है कि हमारे लोक सभा क्षेत्र में जो बी.टी.एस. टावर लगे हुए हैं, उनको ठीक से संचालित कराया जाए और उनकी जो नैटवर्किंग की समस्या है, उसको दूर किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। श्री खारबेल स्वाईं। कृपया दो मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं संक्षेप में कहूंगा। आरंभ में, मैं कहना चाहता हूं कि वैसे मैं भी इस विधेयक के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन विरोधाभासी स्थिति पहले ही उत्पन्न हो गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोग फिक्स टेलीफोन लाइन के लिए प्रतीक्षा की सूची में हैं। उड़ीसा में मेरे जिले बालासोर में ही प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों की संख्या सबसे अधिक है। दूरभाष विभाग प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को आश्वासन देते रहते हैं कि प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो पाया है। पिछले कई वर्षों में हम माननीय मंत्री जी से बात कर रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि ग्लोबल निविदा के रद्द होने के कारण बीएसएनएल उपकरणों को प्राप्त नहीं कर सका है। इसी कारण बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार टेलीफोन लगाने में असमर्थ हैं।

मंत्री महोदय, यह कहा जाता है कि आप समर्थ व्यक्ति है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आप समर्थवान है।

महोदय, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें अपना सामर्थ्य अपने वायदों को पूरा करके दिखाना चाहिए। उन्होंने इस सभा में कई बार कहा है कि मांग होने पर टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि वह ऐसा करेंगे क्योंकि लोग हमारे पास अपनी मांग के साथ आ रहे हैं कि उन्हें टेलीफोन प्रदान किया जाना चाहिए। हम उनसे कह रहे हैं कि आपको तीन-चार महीनों में टेलीफोन मिल जाएगा लेकिन यह नहीं हो पाया है और हमें इसके लिए दोषी ठहराया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विरोधाभासी स्थिति है जब इतनी लम्बी प्रतीक्षा सूची है कि तीन लाख लोगों ने अपने लैंडलाइन टेलीफोन वापस कर दिए हैं और अधिक लोग इसे वापस कर रहे हैं। वे इसे क्यों वापस कर रहे हैं? अभी-अभी मैंने समाचार पत्र में देखा है कि बीएसएनएल के चेयरमैन उन लोगों को जो कि अपने फिक्स्ड लाईन फोन वापस कर रहे हैं पत्र लिखे जा रहे हैं कि वे ऐसा न करें और लाइनमैन भी अभी सेल्समैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी इसके बारे में क्या करने वाले हैं? वे अपने टेलीफोन क्यों लौटा रहे हैं? कहीं इसका कारण गुणवत्ता सेवा प्रदान करने में अक्षमता तो नहीं है? क्या मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ करने वाले हैं ताकि वे लोग अपने लैंडलाइन टेलीफोन वापस न करे?

महोदय, आइए उदाहरण के लिए मोबाइल सेवा को लेते हैं। मैंने देखा है कि काफी लोग है जो बीएसएनएल से अब निजी मोबाइल सेवा प्रदान करने वालों की तरफ जा रहे हैं। इसके क्या कारण हैं? इसके मुख्य कारणों में से एक कारण यह है कि बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क में काफी संकुलन है और घंटों-घंटों हमें सिग्नल नहीं मिलता है। मंत्री महोदय इस स्थिति से किस प्रकार निपटेंगे हमें भारत सरकार से लगाव है हमें बीएसएनएल से लगाव है हमारे पास बीएसएनएल मोबाइल फोन हैं लेकिन जब हमें यह समस्या होती है तो हमें इसके बारे में बहुत खेद होता है। अत: मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि इस समस्या को दूर करने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए।

अन्त में, मैं पूछना चाहता हूं क्या सरकार के पास आप्टिकल फाइबर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को ब्राडबैंड सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। अधिकतर सदस्यों ने, मैं तो कहूंगा सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है लेकिन सभी सदस्यों ने उस तरीके से इसका समर्थन नहीं किया है जिस तरीके से इसे लाया गया है।

महोदय, स्थायी समिति ने 31.7.2006 को लोक सभा में प्रस्तुत किए 34वें प्रतिवेदन में ग्रामीण क्षेत्रों को मोबाइल सेवा प्रदान करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया था और प्रतिवेदन के भाग दो में निम्नलिखित टिप्पणी की थी। मैं उद्धृत करता हूं:-

[श्री दयानिधि मारन]

"इसलिए समिति को विश्वास है कि जिन मोबाइल सेवाओं की वजह से शहरी क्षेत्रों में क्रांति आई है, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में भी उनका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है और वह लोगों की अपनी सामर्थ्य के भीतर और उचित मूल्यों पर किया जा सकता है। समिति, इसलिए, उस प्रस्ताव की पूर्णत: पुष्टि करती है कि ग्रामीण, दूरदराज और अगम्य क्षेत्रों में भी सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि से उपलब्ध सहायता को बढ़ाकर सेल्यूलर सेवाओं की व्यवस्था की जा सके। तथापि समिति 'बुनियादी तार सेवाएं' अभिव्यक्ति से "बुनियादी" शब्द को हटाकर भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 3 के खण्ड (1क) में संशोधन करने संबंधी भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 से सहमत नहीं है। समिति का विचार है कि अभी भी सेल्यूलर मोबाइल सेवा को राज सहायता प्रदान करना प्रतिबंधित नहीं है क्योंकि शब्द 'बुनियादी' के अपने आप में कोई मायने नहीं है और कुछ हमेशा अगले शब्द को विशेषित करता है। तार की परिभाषा व्यापक है और यह किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है।"

लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया कि अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके इसे ठीक किया जा सकता है। हमने इस पर कानूनी राय मांगी है। जब हम गांवों में रहने वालों के स्थान पर शहरों में सेल्युलर सेवाएं प्रदान करने में सफल होने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर हम कोई कानूनी विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? विधायी विभाग ने कहा है कि हमें संशोधन लाना चाहिए और हमें आगे आना चाहिए और "मूल दूरभाष सेवाओं" में से "मूल" शब्द को हटाना चाहिए।

तत्पश्चात्, अधिकतर सदस्यों ने पछा कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की क्या आवश्यकता थी। संसद का मानसून सत्र 25 अगस्त 2006 को समाप्त हुआ था। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेल्यूलर सेवाओं के लिए अवसंरचना जुटाने की योजना के आरंभिक कार्य की प्रगति काफी आगे बढ़ गयी थी। यदि हम विधेयक पारित होने की प्रतीक्षा करते तो योजना कई माह पीछे रह जाती। योजना शुरू करने में विलम्ब से न केवल 'वायस टेलीफोनी' के प्रावधान ही प्रभावित होता बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्राड बैंड कनेक्टीविटी का विस्तार करने संबंधी प्रयास पर भी असर पड़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं पहुंचने की तत्काल आवश्यकता के बारे में स्थायी समिति परामर्शदात्री समिति और संसद में वाद-विवादों में व्यक्त की गई ठोस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि अध्यादेश के प्रख्यापन से योजना को शीघ्र प्रारम्भ करने में मदद मिलेगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अध्यादेश जारी करने के पश्चात दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर एक प्रारम्भ योजना डाल दी गई है और निविदाएं आमंत्रित करते हुए एक सूचना दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में जारी की जाएगी।

महोदय, हमने भारत में दूरसंचार को देखा है। मैं और अधिकांश वरिष्ठ सदस्य भी उन पुराने दिनों के साक्षी हैं जब हमें टेलीफोन के लिए फार्म भरना पड़ता था और वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। 1980 में हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी भारत में दूरसंचार क्रांति लेकर आए और हमने सभी गांवों में एसटीडी बूथों की भरमार देखी जिससे फिक्स्ड लाइन सेवा में दूरसंचार क्रांति आई थी।

किंतु प्रौद्योगिकी बदल गई है। आज, हमारे पास मोबाइल सेवाएं हैं। मोबाइल सेवाओं को बहुत पहले वर्ष 1994 में शुरू किया गया था। जब 1994 में यह सेवा आरंभ की गई तो इसकी प्रति मिनट लागत 16.80 रुपए थी। हमें दोनों ओर से भुगतान करना पड़ता था यानी काल करने वाले और काल सुनने वाले दोनों को भुगतान करना पड़ता था। हमें बहुत महंगे बिलों का भुगतान करना पड़ता था। इसलिए, मोबाइल के बारे में यह समझा जाता था जैसेकि यह धनी और संभ्रांत वर्ग के लिए ही है। आम आदमी मोबाइल का प्रयोग करने का पात्र भी नहीं था। मोबाइल फोन की कीमत 50,000 रुपए के लगभग थी। यह सेवा भी इतनी अनन्य थी और केवल शहरों तक ही सीमित थी। जब इस संप्रग सरकार ने कार्यभार संभाला तो हमारे यहां 75 मिलियन उपभोक्ता थे। आज हमारे यहां 180 मिलियन उपभोक्ता हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस जनवरी में हमारी वृद्धि पांच मिलियन है। पांच मिलियन नए उपभोक्ता थे। वस्तुत: मुझे फिनलैंड के प्रधान मंत्री से मिलने का अवसर मिला था। उन्होंने मुझसे पूछा कि भारत में दूरसंचार का विकास कैसा है। मैंने उन्हें मजाक में कहा कि हम भारत में आपकी आबादी के बराबर नए उपभोक्ता जोड़ रहे हैं। आज हमारे पास इतने उपभोक्ता हैं। पिछले माह 6.2 मिलियन उपभोक्ता थे। इससे पूर्व माह में 6.8 मिलियन उपभोक्ता थे। हम सात मिलियन उपभोक्ता तक पहुंच रहे हैं।

आज मोबाइल फोन धनी लोगों की ही सम्पत्ति नहीं है। यह तो जन साधारण के लिए है। आज, मोबाइल फोन इतना आम हो गया है कि आज एक रिक्का वाला, भाजी वाला, किसान, हरेक आदमी मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है। इसने हमारे व्यापार करने के तरीके को बदल दिया है।

इस संप्रग सरकार की नीतियों के कारण ही हमने लम्बी दूरी के लाइसेंस शुल्क को कम कर दिया है, हमने लम्बी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस शुल्क को 100 करोड़ रुपए से कम करके

2.5 करोड़ रुपए कर दिया है। महोदय, आज क्या कोई भारत के किसी भाग से, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1 रुपए की लागत में बात करने के बारे में सोच सकता था। यह भारत में हो रहा है। आज हमारे यहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम शुल्क है।

सभापति महोदय: हम आपको बधाई देते हैं।

श्री दयानिधि मारन: यह दूरसंचार क्षेत्र में भी वृद्धि कर रहा है। गत दो वर्षों में संप्रग सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् हमने दूरसंचार शुल्क में कमी देखी है। हम ऐसा कर रहे हैं। हम कभी चुप नहीं बैठे। आज हमने विकास का लाभ उठाया है और कहा है कि हम अपने देश में प्रयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों का आयात नहीं करेंगे। आज हम देख सकते हैं कि नोकिया, मोटोरोला इत्यादि सभी अपने संयंत्र भारत में लगा रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे भारतीयों की आपूर्ति हेतु उन्हें भारत में ही बना सकें, उनका भारत में विनिर्माण कर रहे हैं। हमारे यहां यही विकास हो रहा है।

सभापति महोदय: इससे हमारे देश का मान बढ़ा है।

श्री दयानिधि मारन: यह विकास हुआ है और यह इस फोन प्रौद्योगिकी के कारण ही है। हमें इस विकास का लाभ उठाना चाहिए।

हां, यह एक विरोधाभास है जैसा कि श्री स्वाईं ने कहा है। हमने देखा है कि शहरों में दूरसंचार घनत्व 48 प्रतिशत है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो यह खराब है। हमने एक सही निर्णय लिया है, इस सभा ने दूरसंचार विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र का एकक बनाने संबंधी सही निर्णय लिया है। हमने अब भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को निजी कम्पनियों की तरह कार्य करने के लिए तैयार किया है। जब हम चाहते हैं कि वे प्रतिस्पर्धा करें तो हमें उन्हें प्रतिस्पर्धा करने देनी चाहिए। हम दूरसंचार विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र का एकक बनाने के पश्चात यह नहीं कह सकते कि उन्हें वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वे भारत सरकार के रूप में थे।

सबसे पहले, हमने दूरसंचार क्षेत्र को खोल दिया है। हमारे यहां बहुत सारे निजी आपरेटर हैं और हरेक प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहा है। स्वाभाविक है कि पूंजी बाजार में वे ऐसा करते हैं कि वे उन सभी शहरों में जाते हैं जहां वे लाभ कमा सकते हैं और यही हुआ भी है। सभी दूरसंचार कंपनियां अधिकांशत: दिल्ली, मुम्बई और शहरों में ही हैं। किंतु वे जा रहे हैं आज यदि किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता को जाना पड़ता है तो उसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ेगा।

हम भी आगे बढ़े हैं। हमारे पास 'यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड' है। यह वह फंड है जो संचालकों के लाइसेंस शुल्क से एकत्र किया जाता है। इसलिए पांच प्रतिशत लाइसेंस शुल्क उनसे एकत्र किया जाता है। हमने भी अब लगभग 10,800 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। वित्त मंत्री जी की कृपा से इसमें से हम 3600 करोड़ रुपए आवंटित कर पाए हैं और अभी भी हमारे पास 7,200 करोड़ रुपए हैं। यह राशि बढ़ती जा रही है। हम भिन्न-भिन्न योजनाओं को आजमाते हैं।

एक माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे पास एमएआरआर हैं, इतने सारे उपकरण आए पर उन्होंने काम नहीं किया। एक सफल चीज है, मोबाइल, चाहे वह जीएसएम हो या सीडीएमए हो। यह सफल रहा है। हम इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं। हम उन्हें प्रोत्साहन कैसे देते हैं? हमारे पास यूएसओ फंड है। हम उन्हें दिल्ली या मुम्बई या चेन्नै में टावर बनाने के लिए यह फंड नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें दूरस्थ गांवों में जाने के लिए कह रहे हैं जहां कोई टावर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री दयानिधि मारन: मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह ग्रामीण क्षेत्रों की बात पर आ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अपनी बात आगे कहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री उत्तर देने में सक्षम हैं। मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दयानिधि मारन: मैंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। मुझे पूरा करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए और यदि आप संतुष्ट न हो तो फिर आप कुछ कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री दयानिधि मारन: एक माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि कितने एमएआरआर बदले गए हैं। बदले जाने वाले 1,86,872 एमएआरआर में से 31.10.2006 तक हमने 1,63,436 एमएआरआर पहले ही बदल दिए हैं। शेष एमएआरआर वर्ष 2007 तक बदल दिए जाएंगे। वस्तुत:, हमें यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेसन फंड का उपयोग शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में और दुर्गम क्षेत्रों में जहां आप चाहें, टावर लगाने में करना चाहते हैं। यही भारत सरकार करना चाहती है। हम इन टावरों को उन क्षेत्रों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं जहां जनसंख्या 2000 से अधिक है। हम इस प्रक्रिया को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, 8000 टावर बनने जा रहे हैं। ये टावर देश के उस क्षेत्र को कवर करेंगे जहां किसी भी आपरेटर ने टावर नहीं बनाए हैं। क्या आप यही नहीं चाहते हैं? जिस सेल्यूलर क्रांति से भारत गुजर रहा है, हम उसे अपने ग्रामीण उपभोक्ताओं तक, अपने गांवों तक ले जाना चाहते हैं। मैं तमिलनाडु का हूं। हालांकि मैं चेन्नै से निर्वाचित हूं परन्तु मैं सभी ग्रामीण समस्याओं से परिचित हूं। हम यह महसूस करते हैं कि आपरेटर जाना नहीं चाहते। हमें उनको प्रोत्साहन यह है कि हम निष्क्रिय अवसंरचना की लागत में छूट देन का प्रयास कर रहे हैं। हम टावर लागत, डीजल, शेल्टर और आवश्यक स्विचों में छूट दे रहे हैं। हम उनका केवल वायस के लिए ही प्रयोग नहीं करेंगे। हम उनका प्रयोग ब्राडबैंड के लिए भी करना चाहते हैं। वस्तुत:, हम पांच वर्षों के लिए छूट देन जा रहे हैं ताकि हमें लगे कि पांच वर्ष के समय में यह आपरेटरों के लिए लाभकारी हो जाएगा; यह बीएसएनएल हो सकता है, टाटा हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है। हम इसमें अधिकतम तीन लोगों को नियत करने और उन टावरों में हिस्सेदारी करने की अनुमति दे रहे हैं ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सेवाएं प्रदान कर सकें।

अगले वर्ष के अंत तक हमारे यहां 250 मिलियन फोन हो जाएंगे। जिस गति से हम जा रहे हैं, उससे हम यह लक्ष्य और अधिक तेजी से हासिल कर लेंगे। हमने यह भी महसूस किया है कि 2006 में हमें लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। पहली बार दूरसंचार विभाग लक्ष्य तय कर रहा है। इस प्रकार के लक्ष्य को हमारे यहां कितने लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन होने चाहिए अथवा दूरसंचार घनत्व कितना होना चाहिए। पहले हमने कभी ऐसा नहीं किया। पिछले दो वर्षों में ही संप्रग सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ही हम लक्ष्य तय कर रहे हैं और लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और हम निश्चय ही लक्ष्यों से आगे बढ़ जाएंगे। वर्ष 2010 तक हमारे पास 500 मिलियन मोबाइल फोन होंगे। आज मैं कह सकता हूं कि हम सौ मिलियन मोबाइल प्रयोक्ताओं के सम्भ्रांत क्लब में शामिल हो गए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, अनेक बार इन्होंने कहा है कि इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं परन्तु वे हासिल नहीं किए जा सके। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए. मंत्री जी द्वारा अपना उत्तर पूरा करने के पश्चात मैं आपको एक या दो प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

अब मंत्री महोदय आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री दयानिधि मारन: महोदय, भारत में छह लाख गांव हैं। केवल 66,822 गांवों को कवर किया जाना था। इन 66,822 गांवों में से हमने 36,014 गांवों को पहले ही कवर कर लिया है। शेष गांवों को नवम्बर 2007 तक कवर कर लिया जाएगा। महोदय, यह एक सतत प्रक्रिया है।

श्री स्वाईं ने पूछा है कि हम फिक्स्ड लाइन की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं और कहा है कि हमें उसमें निवेश करना चाहिए। हमने कभी भी यह नहीं कहा कि हम यूएसओ फंड का फिक्स्ड लाइन के लिए उपयोग करने से बचेंगे। जहां भी व्यवहार्य होगा, निश्चय ही ऐसा किया जाएगा।

श्री स्वाईं जानना चाहते थे कि लोग फिक्स्ड लाइन वापस क्यों कर रहे हैं? यह एक अच्छा प्रश्न है। आज हरेक व्यक्ति मोबाइल चाहता है। पति मोबाइल फोन रखता है; पत्नी मोबाइल फोन रखती है; पुत्र या पुत्री मोबाइल फोन रखती है और वे महसूस करते हैं कि जब उन्हें इन सभी मोबाइल फोन के लिए किराया देना पड़ता है तो वे लैंडलाइन के लिए भुगतान नहीं करना चाहते। इसी कारण से लोग स्थायी टेलीफोन कनेक्शन वापस कर रहे हैं। महोदय, हमने बीएसएनएल के अंतर्गत लागत में कमी की है ताकि उनका बिल कम हो सके। आज हर व्यक्ति पहले की अपेक्षा कम भुगतान कर रहा है।

महोदय, नया फार्मूला बनेगा। जब चीजें बदल रही हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताएं भी बदलनी होंगी। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि भारत सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जो कुछ भी हम मोबाइल के लिए कर रहे हैं सही रास्ते पर कर रहे हैं। हम इस सफलता को गांवों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, गांवों को जोड़ने और टेलीफोन संपर्क, ब्राडबैंड और अन्य नई प्रौद्योगिकियां गांवों तक ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज विश्व में वाइमैक्स प्रौद्योगिकी पर बात की जा रही है। दो वर्ष पहले हमने भारत में वाइमैक्स अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया और विश्व हमसे वैसी प्रौद्योगिकी इजाद करने की अपेक्षा कर रहा है। हम वैसी प्रौद्योगिकी इजाद करेंगे। आज हम सबसे पहले वाइमैक्स प्रौद्योगिकी इजाद करेंगे और हम इस दिशा

में अग्रणी हो जाएंगे। हम नई प्रौद्योगिकी लाएंगे। जब भी हम कुछ हासिल करेंगे तो प्रौद्योगिकी हमेशा हमें आगे ले जाएगी।

हम जो भी जानते हैं हमें वह करना चाहिए। हम मोबाइल सफलता को गांवों तक ले जाएं। हम वैसा करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पारित कराने हेतु इस सभा के सभी वर्गों का समर्थन चाहता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: मंत्री महोदय, क्या आप हमें वह तिथि बता सकते हैं जब तक प्रतीक्षा सूची का निपटान कर दिया जाएगा? यदि आप हम लोगों को तिथि बता दें तो हम अपने यहां जनता को बता सकते हैं कि माननीय मंत्री जी ने सभा में वादा किया है कि इस तिथि तक प्रतीक्षा सूची के सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जाएगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, श्री चन्द्रपन्न जी कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन द्वारा कही गयी बातों के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, पहले सभी को सवाल कर लेने दीजिए। उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं।

अब श्री सी.के. चन्द्रप्पन बोलेंगे।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, टेलीफोन क्षेत्र में कई सराहनीय बातें हुई हैं और इसकी सराहना करते हैं। हमें खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है जहां डब्ल्यूएलएल कनेक्शन दिया जा रहा है। शिकायत बराबर मिलती है। लोग इस डब्ल्यूएलएल कनेक्शन वापस करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पाते लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या उपाय सुझा रहे हैं। क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम है जिससे इस समस्या का हल आप निकाल पाएंगे?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): मैं इस अवसर पर मंत्रालय में हुए सभी तीव्र गति के विकास के लिए मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा। समस्या यह है। उन्होंने उसका उल्लेख पहले ही कर दिया है। मुझे इसको रेखांकित भर करना है। मैं पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग कनेक्शन पाने के लिए करीब 9 से 10 वर्ष से इंतजार करते रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना सवाल कीजिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, उन्हें समस्या को समझना है। टावर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कोष का उपयोग होने जा रहा है। मेरा यह सुझाव है कि पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कारण यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बने टावर प्रमुख क्षेत्रों को कवर नहीं कर पाते हैं वे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण 20 किलोमीटर तक कवर नहीं कर पाते। अब जो हो रहा है वह डब्ल्यूएलएल और मोबाइल के अंतर्गत कवरेज के कारण हो रहा है, लैंडलाइन फोन नहीं दिया जा रहा है, नए एक्सचेंज नहीं बनाए जा रहे हैं और नई लैंडलाइन नहीं बिछाई जा रही है। परिणामस्वरूप, लोग नया कनेक्शन लेने के लिए करीब 05 से 10 वर्षों तक का लंबा इंतजार करते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जार्ज, आपकी बात पहले ही ध्यान में लायी जा चुकी है। कृपया अब स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: इसलिए महोदय, उन क्षेत्रों पर जोर दिया जाना चाहिए। नए क्षेत्र भी हैं जहां इसके बाद ध्यान दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: एकदम सटीक प्रश्न स्पष्ट रूप से कीजिए। विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा, आपकी बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: केवल एक मिनट मुझे और बोलने दीजिए।

मैं माननीय मंत्री जी से ऐसे नए गौड़ क्षेत्र बनाने का अनुरोध कर रहा हूं जिस पर इसके बाद ध्यान दिया जा सके क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन जिले और लक्षद्वीप शामिल हैं। वहां विकास कार्य मंथर गति से चल रहा है। इसलिए, ऐसे नए गौड़ क्षेत्र भी बनाए जाने होंगे जिन पर ध्यान दिया जा सके। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब श्री प्रभु अपनी बात रखेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र भी है। कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दें। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मैं जानता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भी है। कृपया अब श्री प्रभु को बोलने दीजिए। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं आपको श्री प्रभु के बाद बोलने का मौका दूंगा।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): अब तक जो भी उपलब्धि हासिल हुई है उस पर किसी को संदेह नहीं। माननीय मंत्री जी सभा को आश्वासन दें। जिस पर भी हम विचार कर रहे हैं वहन तो दलीय मुद्दा है, विपक्ष का मुद्दा है और न ही सरकार का मुद्दा है बल्कि हम ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण टेलीफोन मुद्दे पर विचार कर रहे हैं जिनका समुचित समाधान किया जाना चाहिए। तीन संभावनाएं हैं।

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं। स्थायी लाईनें हैं, डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) है और सेल्युलर फोन है। हां, मल्टीमीडिया भी है। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत स्पष्ट रूप से यह बताने का अनुरोध करूंगा। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। ये सारी सुविधाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। कृपया आप केवल स्थायी लाइन या सेल्युलर की ही बात न करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को स्थायी टेलीफोन सेल्युलर और वायरलेस इन लोकल लूप में से अपनी पसंद की सेवा चुनने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। उपभोक्ता मांग का पंजीयन कराना चाहते हैं। बीएसएनएल को यह निर्देश अवश्य दिया जाना चाहिए कि सभी मांगों का पंजीकरण हो, हो सकता है कि पंजीकरण कराने वाला कोई व्यक्ति ग्रामीण हो। कारण यह है कि आज यह हो रहा है कि बीएसएनएल के कई अधिकारी यह कहते हुए उनकी मांगों का पंजीकरण करने से इन्कार कर रहे हैं कि कम से कम 150 मांगें होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया सहयोग करें। अब श्री रिजीजू अपनी बात रखेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मुझे भी एक या दो बातें पूछने दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री महताब, आप अपनी बात कह चुके हैं। वह वाद-विवाद में भी अपनी बात नहीं रख पाए हैं। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: मैं अब वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री किरेन रिजीजू: मंत्री महोदय, कृपया अपने बयान पर गौर करें। आपने कहा कि आप लक्ष्य से आगे बढ़ चुके हैं। हमने आपको पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संसद-सदस्यों के साथ बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था जहां दुर्भाग्यवश आप आ नहीं पाए. आपके सचिव आए। वहां किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों की बात करे। मोबाइल की बात तो भूल ही जाइए वहां कोई लैंडलाइन कनेक्शन भी नहीं है।

मंत्री जी, मैं आपसे केवल एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप मेरे राज्य कब आ रहे हैं और आप उन क्षेत्रों के लिए क्या करने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने कहा था कि वहां कनेक्शन देना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होगा। यदि आप हर बात को आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कल्याणकारी राज्य होने का क्या मतलब रहा? बीएसएनएल को अपने प्रमुख दृष्टिकोण में कल्याण को भी शामिल करना चाहिए। धन्यवाद

सभापति महोदय: अब, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: क्या मैं एक विशेष प्रश्न कर सकता हूं?

सभापति महोदय: कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री भर्तृहरि महताब: जी हां, महोदय।

नवम्बर, 2004 तक के आंकड़े के अनुसार लगभग 66,000 गांवों को अभी भी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना शेष था। दिसम्बर, 2005 तक की स्थिति के अनुसार 12 महीने में 17,000 गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। आप सेलुलर मोबाइल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से पैसा दे रहे हैं। अभी भी 49,000 गांवों को कवर किया जाना है। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता था और मुझे अभी भी आश्वासन मिलना शेष है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मेहताब जी, यह बात हो गयी। उन्होंने इस बारे में काफी रिप्लाइ दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: क्या उन गांवों में चरणबद्ध तरीके से लैंडलाइन टेलीफोन ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन सेवा के विस्तार के लिए यूएसओ कोष दिया जाएगा? आश्वासन तो यह दिया गया कि 2007 तक सभी गांवों को कवर कर लिया जाएगा।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री जी बोलें। आप संक्षिप्त और सारर्भित ढंग से अपनी बात कहें वरना यह चर्चा कभी समाप्त ही नहीं होगी।

श्री दयानिधि मारन: महोदय, सभी सदस्यगण प्रतीक्षा-सूची के बारे में जानना चाह रहे थे। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, क्या मैं एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महोदय, मेरा प्रश्न *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रावत जी, आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रो. रावत, आप प्रश्न पूछ चुके हैं और उन्होंने उत्तर भी दिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यह प्रश्न काल नहीं है। हरेक अपने मन की तो कर नहीं सकता। आप अपनी बात रख चुके हैं। माननीय मंत्री ने आपकी बातें नोट कर ली हैं और बीच-बीच में कुछ का उत्तर भी दिया है।

कृपया माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री दयानिधि मारन: महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। माननीय सदस्यगण समझते हैं और मैं भी समझता हूं कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कई प्रश्नों का सामना करना पड़ता है।

हम एक प्रक्रिया से चलते हैं। माननीय सदस्यगण इस बात को समझे कि कैसे, आज की स्थिति में उड़ीसा में 20,777 लोगों की प्रतीक्षा सूची है। लेकिन होता यह है कि इस प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के दौरान ही नए लोग इसमें जुड़ते जाते हैं। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैं कह सकता हूं कि आज हम 90 से 95 प्रतिशत लोगों को मांग पर मोबाइल कनेक्शन देने की स्थिति में हैं। मैंने कहा 'मोबाइल कनेक्शन'। जी हां, यह अब मांग पर उपलब्ध है।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। हम देख-भालकर ही इसका फैसला करेंगे। वैसे हम अभी इसके लिए निविदाएं लेने की प्रक्रिया में हैं, अत:, इसमें कई तरह की चीजें आएंगी। हम इसके टावरों के लिए बेतार-व्यवस्था चाहिए होती है, आप चाहे वह सी.डी.एम.ए. तकनीक हो या फिर जी.एस.एम. तकनीक। यह नई चीजों का बुद्धिमत्तापूर्ण मिश्रण होगा हम तीन लोगों को बोली लगाने की अनुमति दे रहे है। अत: यह इस पर निर्भर करता है कि कौन बोली जीतता है और कौन वहां आना चाहता है और यह काम करना चाहता है। अत:, हम यह करने का प्रयास कर रहे है।

जहां तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र का संबंध है, मुझे विश्वास है कि हम उत्तर-पूर्व पर बराबर नजर रखे रहे हैं। मुझे इस समय यह कहना है, जैसाकि बात कर रहे थे कि हमने वहां व्यस्तता की समस्या का अनुभव पहले ही कर लिया है। बीएसएनएल की केबल वहां बिछायी जा रही है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में केबल बार-बार कटती रहती है। वहां यह आम बात है। उत्तर-पूर्व से सम्पर्क जोड़ने के लिए हम वहां सेटेलाइट माध्यम का उपयोग कर रहे हैं लेकिन वहां व्यस्तता (ट्रैफिक) बहुत अधिक है। जैसाकि मैंने कहा है, हमने वहां पहले ही 64 एसटीएम प्रणाली लगाई है जिसका वाइस और डाटा, दोनों के लिए बैण्डविड्थ में सुधार करने हेतु विस्तार किया जा रहा है। जैसाकि मैंने कहा है कि इस संसद सत्र के समाप्त होने के पश्चात् मैं अपने सहयोगी डा. शकील अहमद को भेजूंगा। *...(व्यवधान)* क्या आप नहीं चाहते कि राज्य मंत्री को वहां भेजा जाए? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। सदस्यों को सम्बोधित मत कीजिए।

श्री दयानिधि मारन: मैं राज्य मंत्री को वहां भेजूंगा ताकि वे वहां जाकर समस्या का मूल्यांकन कर सकें। लेकिन मैं यह भी कह सकता हूं कि चूंकि आप सभी चाहते हैं कि बीएसएनएल कल्याणकारी कार्य करें, तो हमने इसे मान लिया है। लेकिन ऐसा होने से पूर्व ही हमने यह कर दिया है क्योंकि बीएसएनएल ने मुझे आश्वस्त किया है कि यह वर्ष 2007 को उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए कल्याणकारी वर्ष के रूप में ले रहा है।

कश्मीर में भी हम यह सुनिश्चित कर रहे है कि वहां हम अपनी उपस्थिति में वृद्धि दर्ज कराएं। हम उत्तर-पूर्व और कश्मीर

[श्री दयानिधि मारन]

दोनों जगह पर अपनी क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? वह जवाब दे रहे है। मैं क्या कर सकता हूं?

प्रो. रासा सिंह रावत: मैंने राजस्थान के बारे में बताया था। ...*(व्यवधान)*

श्री दयानिधि मारन: मैं बहुत हैरान हूं। हमारे देश में केरल के लोग सबसे भाग्यशाली है। उनके राज्य में सबसे अधिक टेलीफोन हैं और कवरेज भी वहीं सबसे अधिक है फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं। वे और अधिक सुविधाएं चाहते हैं और हम तैयार है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या आप राजस्थान के संबंध में जवाब देना चाहते हैं?

श्री दयानिधि मारन: मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2010 तक इस योजना के अधीन, इन 8000 टावरों से हम 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वे पहाड़ी क्षेत्र पात्र है तो हम उन्हें भी जरूर कवर करेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। यह प्रश्न काल नहीं हैं। मैं मंत्री जी को अपनी या आपकी मर्जी से उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब श्री प्रबोध पाण्डा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मंत्री महोदय के पास प्रतिनिधिमण्डल के रूप में जाए और उनके साथ बात करें। वह आपको आश्वासन देंगे और कार्य पूरा किया जाएगा। यही एक मंच नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री प्रबोध पाण्डा के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को उनके उत्साहवर्द्धक उत्तर देने और इस सम्माननीय सदन को दिए गए आश्वासन के लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन, इसके साथ ही मुझे इस अध्यादेश के प्रख्यापन से संबंधित उनके उत्तर से काफी निराशा हुई है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तथापि, इस विधेयक के महत्व को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने सांविधिक संकल्प पर दबाव नहीं दे रहा हूं। महोदय, मैं इस सांविधिक संकल्प को वापस लेता हूं।

सभापति महोदय: क्या सभा श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा रखे गए संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय तार अधिनियम 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जाएगा।

खंड 2
धारा 3 का संशोधन

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

"भारतीय तार अधिनियम, 1885" के पश्चात् "(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है)" *अंत:स्थापित* किया जाए। (2)

(श्री दयानिधि मारन)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(1) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री दयानिधि मारन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से

सुसंगत होगा, भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 3
निरसन और व्यावृत्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए–

2006 का अध्यादेश 3

''3. (1) भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।''। (3)

(श्री दयानिधि मारन)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नया खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रस्थापित* किया जाए–

''1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह 30 अक्तूबर, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।''। (1)

(श्री दयानिधि मारन)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री दयानिधि मारन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.48 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

पंचायतों की स्थिति-मध्यावधि समीक्षा एवं आंकलन-2006 संबंधी प्रतिवेदन—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 23 पर विचार करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मेरा निवेदन है कि पंचायती राज मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन-2006 पर चर्चा, जो कि पूरी नहीं हुई थी, अब पूरी कराई जाए। चूंकि उस दिन कुछ वक्ता रह गए थे, वे अब बोल सकते हैं। तत्पश्चात्, मंत्री जी उत्तर देंगे।

सभापति महोदय: ठीक है। श्री खारबेल स्वाईं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, क्या मैं इस स्थान से बोल सकता हूं?

सभापति महोदय: जी हां, मैं आपको उस स्थान से बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को इस विषय को इस सभा में चर्चा के लिए लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पंचायतों की स्थिति पर तीन पुस्तकें पहले ही तैयार करके परिचालित भी कर दी हैं। हालांकि, मैं मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो भी मुझे लगता है कि काफी कुछ चर्चा पहले ही हो चुकी है और आज अधिक समय नहीं बचा है। इसलिए, मैं इस पर विस्तृत भाषण नहीं दूंगा। परन्तु मैं इस पंचायती राज व्यवस्था, जो कि किसी विशेष राजनैतिक दल से संबंधित न होकर पूरे देश से संबंधित है, के संबंध में कुछ बुनियादी बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

मुझे बहुत खुशी है कि इससे सामाजिक क्रांति आ गई है जैसाकि माननीय मंत्री जी ने अपनी पुस्तक में पहले ही कहा है। पंचायती राज से सामाजिक क्रांति लाने के उनके विचार से मैं पूर्णतया सहमत हूं। वे अपनी पुस्तक में पहले ही यह कह चुके हैं कि स्व. राजीव गांधी सामाजिक क्रांति ही चाहते थे। ऐसा होने में कम से कम एक पूरी पीढ़ी लग जाएगी। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं।

माननीय मंत्री जी दिशा में सुधार चाहते थे और मेरा लगभग 10 मिनट का भाषण मूल रूप से दिशा में सुधार पर केन्द्रित रहेगा। मैं जन प्रतिनिधि के तौर पर और अपने जिले की सतर्कता और निगरानी समिति के चेयरमैन के तौर पर पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। मैं इसे प्रस्तुत करता हूं और मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वे इन पर विचार करें। इसमें कठिनाई कहां है? हमें इस दिशा में सुधार करने की कहां आवश्यकता है। पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशा में सुधार की आवश्यकता है।

पंचायती राज व्यवस्था की पहली जरूरत है कि लोग अपना निर्णय स्वयं लें। एक ग्राम सभा होगी और लोग अपनी बजट के बारे में धन के बारे में जो कि उनके पास उपलब्ध है, अथवा जो विकास कार्य वे भविष्य में करना चाहते हैं, इत्यादि के बारे में निर्णय लेने हेतु ग्राम सभा में एकत्रित होंगे। ग्राम सभा बुलाने का यह मूल कारण है। किंतु मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताते हुए बहुत अफसोस है कि अधिकांशत: ग्राम सभा सरपंच सभा में बदल जाती है। मुझे अन्य राज्यों के बारे में तो नहीं पता परन्तु मेरे राज्य उड़ीसा में यही स्थिति है। अधिकांश समय यह ठेकेदार की सभा में बदल जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठेकेदार ही अधिकांशत: बैठक बुलाता है न कि सरपंच। इसके अतिरिक्त, वहां ग्राम सभा में अन्य निर्णय लेने की बजाय केवल उसी व्यक्ति के संबंध में निर्णय लिया जाता है जिसे काम का आर्डर मिलेगा। वहां केवल इसी मुद्दे पर निर्णय लिया जा रहा है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश ठेकेदार अपने वाहनों की मदद से और धन देकर ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को इन बैठकों में लाते हैं। *...(व्यवधान)*

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह हर जगह हो रहा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह अपने राज्य के बारे में बात कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यदि आप समझते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की ओर इशारा कर रहा हूं तो मैंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल दिशा में सुधार की बात कर रहा हूं। यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं भी आपको कुछ बताना नहीं चाहता। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सभा के कार्य को आगे बढ़ाएं और अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मुझे उनका यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें तो समस्या आसान हो सकती है। कृपया अपना भाषण आगे बढ़ाएं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: यदि आप मुझे इसी तरह बाधा पहुंचाते रहे तो संबंधित मंत्री आज इस चर्चा का उत्तर नहीं दे सकेंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: अन्यथा, मैं भी अपना भाषण पूरा करने में बहुत समय लूंगा और और आपको अच्छी तरह पता है कि मैं उतनी आसानी से नहीं बैठूंगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी तरफ से इस विषय पर बोलने के लिए केवल पांच वक्ता बचे हैं। कृपया उन्हें भी खुलकर बोलने दें। कृपया अपना भाषण आगे बढ़ाएं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: मेरा सुझाव है कि पूरे भारत में ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए एक नियत तारीख होनी चाहिए। संभवत: यह दो माह या एक माह अथवा तीन माह के अंतराल पर बुलाई जा सकती है किंतु इसके लिए एक निश्चित तारीख होनी चाहिए और इसका एक निश्चित स्थान होना चाहिए। यह खंड विकास अधिकारी (वीडीओ) अथवा खंड (ब्लाक) कार्यालय द्वारा घोषित या अधिसूचित की जानी चाहिए। इससे हरेक व्यक्ति को पता चल सकेगा कि ग्राम सभा अमुक तारीख, समय और स्थान पर होगी। इससे लोग वहां आ सकेंगे और वे पंचायतों, मुखियाओं और सरपंचों इत्यादि की दया पर निर्भर नहीं रहेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सतर्कता और निगरानी समिति के चेयरमैन के तौर पर मैंने पाया है कि कुछ मामले में सरपंच ग्राम सभा बुलाना नहीं चाहता और वह कई महीनों से ग्राम सभा नहीं बुला रहा है। इसलिए, धन खर्च नहीं हो पाता क्योंकि कोई कार्य योजना नहीं होती जिस पर वे कार्य कर सकें।

वर्षों तक धन खर्च नहीं किया जाता और जिला मजिस्ट्रेट उस सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाता जो जानबूझकर ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता।

पहले जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हम उड़ीसा में कलैक्टर कहते हैं, के पास सरपंच को निलम्बित करने की शक्ति होती थी परन्तु अब उसके पास यह शक्ति नहीं है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को न्यायालय में जाना पड़ेगा। ऐसे मामलों में क्या होगा? इस बारे में हम असहाय हैं कि ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। इसलिए मेरी माननीय मंत्री से अपील है कि वह ऐसा नियम बनाएं कि यदि सरपंच ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता तो वीडीओ को उनकी ओर से ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अनुमति दी जाए। यदि वीडीओ को यह शक्ति दी जाती है तो सरपंच द्वारा अनेक स्मारकों के बावजूद बैठक न बुलाने के बाद भी ग्राम सभा की बैठक हो सकती है।

कार्यादेश जारी करने के संबंध में, मैंने अभी कहा है कि ग्राम सभाओं को ठेकेदार की सभाएं बना दिया गया है। ठेकेदार ही ग्राम सभा में एक दूसरे से लड़ते हैं और अधिकतर मामलों में इससे हिंसा और कटुता बढ़ती है। इसलिए, मेरी माननीय मंत्री जी से अपील है कि पात्र ठेकेदारों की एक सूची तैयार की जाए और इसे क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। जैसे-जैसे कार्य आते जायें, ठेकेदारों की सूची में उनके क्रमांक के अनुसार कार्य दिए जाने चाहिएं ताकि हर बार व्यक्ति को कार्य के लिए, और किसे कार्य मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा जैसे मुद्दों पर ग्राम सभा में लड़ना न पड़े।

मुझे अत्यंत खुशी है कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने अब आदेश जारी कर दिए हैं। वे सम्भवत: मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं, अगले पांच वर्षों के लिए सूची तैयार करने के बारे में नियम बनाने हेतु उनका धन्यवाद करता हूं। *...(व्यवधान)* श्री उदय सिंह कहते हैं कि यह उनका विचार था तथा इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इसे कार्यान्वित करने के लिए मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करता हूं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, यह एक अत्यंत अच्छा विचार है कि एक पक्की सूची तैयार की जाए। महोदय, लेकिन उनके लिए भी कुछ करें जो वृद्धावस्था पेंशन स्कीम तथा विधवा पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थियों का चयन करते हैं यह एक अन्य समस्या है। अब तक, यह सब सरपंच अथवा मुखिया की दया पर निर्भर है चूंकि सिर्फ वे ही निर्णय लेते हैं। कौन कहता है कि ग्राम सभा में इसका निर्णय लिया जाता है? प्राय:, यह इस तरह नहीं होता। जब आपने अगले पांच वर्षों के लिए सूची तैयार करने के नियम बदल दिए हैं तो उसी प्रकार वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए भी अगले पांच वर्षों के लिए सूची तैयार की जानी चाहिए।

अधिकांश मामलों में मीडिया तथा हम भी स्वयं कहते हैं कि गांवों की गतिविधियों के बारे में ग्रामीण जनता को स्वयं निर्णय लेना चाहिए तथा इसमें विधायकों तथा संसद सदस्यों को शामिल नहीं करना चाहिए। इस बात को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक तथा संसद सदस्य देश के सबसे भ्रष्ट लोग हैं तथा ग्रामीण प्रतिनिधि धर्म युधिष्ठिर हैं। तथापि, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कार्य का विकेन्द्रियकरण करके आपने केवल भ्रष्टाचार को विकेन्द्रीयकृत किया है। मैं केवल यही कहूंगा। *...(व्यवधान)* आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वयं देखें। यहां केवल भ्रष्टाचार का विकेन्द्रीकरण ही हुआ है। यदि आप वहां जाकर देखें तो आप

[श्री खारबेल स्वाईं]

पाएंगे कि अधिकांश सरपंच पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 15 से बीस लाख से अधिक रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। हम यह बात भली-भांति जानते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि पंचायत की निर्णय प्रक्रिया में, विधायकों तथा संसद सदस्यों अथवा कम से कम उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अधिकांश मामलों में, चूंकि विधायक संसद सदस्य जिला परिषद के सदस्य तथा सरपंच अलग-अलग दलों के होते हैं तथा यदि उनके प्रतिनिधि वहां उपस्थित रहें तो उनके लिए भ्रष्टाचार में संलिप्त होना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए, मैं आपसे अपील करता हूं कि वहां लोगों का मानना है कि केवल यही व्यक्ति ईमानदार है और वही व्यक्ति निर्णय लेगा। विधायकों तथा संसद सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि वे 'इंदिरा आवास योजना' के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु सबसे अधिक पात्र हैं, वे विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक पात्र हैं। इस स्थिति में, एक संसद सदस्य होने के नाते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं मजबूर हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाईं: आप मुझे तीन या पांच मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय: आप पहले ही दस निट ले चुके हैं। आप केवल एकाध मिनट ले सकते हैं। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री खारबेल स्वाईं: तीसरे, विधायकों तथा संसद सदस्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष हो।

होता क्या है कि, मिडिया सहित सब जगह लोगों का यह मानना है कि संसद सदस्यों द्वारा 'एमपीलैड' स्कीम की निधि का दुरूपयोग होता है तथा वे सब कुछ हड़प लेते हैं। यह आम धारणा है। यहां तक कि लोगों ने मोटी-मोटी किताबें प्रकाशित कर दी कि इसे समाप्त कर देना चाहिए।

हमारी पंचायती राज प्रणाली क्या है? जिला परिषद अथवा पंचायती राज समिति के सदस्यों को मिलकर एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। परन्तु होता क्या है, कम से कम मेरे राज्य में, मैं जानता हूं कि उपलब्ध कराई गई कुल धनराशि को जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सदस्यों के मध्य बराबर बांट दी जाती है, जिन्हें उतनी धनराशि की लागत वाली परियोजनाओं की सिफारिश करने के लिए कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, उन्हें कार्य क्रयादेश जारी करने की शक्तियां भी दी गई हैं तथा वे यह भी सिफारिश करते हैं कि किसे कार्य क्रयादेश मिलेगा तथा कौन ठेकेदार होगा। मंत्री महोदय, इसका अर्थ है कि इस प्रकार हम पंचायत समिति के सदस्यों तथा पंचायती राज सदस्यों का बचाव कर रहे हैं। यह वही बात है क्योंकि हर सदस्य यह जानता है कि वह इतनी धनराशि के लिए परियोजनाओं की सिफारिश कर सकता है। वे इसे कार्यान्वित करने वालों की भी सिफारिश कर सकते हैं तथा जैसा कि आप जानते हैं कि निष्पादन की सिफारिश करने का क्या अर्थ है। आप स्वयं इस बात को समझते हैं, मुझे कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है।

मेरी आपसे अपील है कि जिला परिषद में नियमित ठेकेदारों की एक क्रमानुसार सूची तैयार की जाए तथा उन्हें कार्य सौंपा जाए तथा किसी को भी यह कहने की अनुमति न दी जाए कि निष्पादक कौन होना चाहिए।

मैं यह भी नहीं जानता कि इस बारे में क्या किया जाए। यह एक अच्छी बात है कि महिलाओं को 33 तथा 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार से, हम धीरे-धीरे सही मायने में महिला नेतृत्व तैयार कर रहे हैं परन्तु अधिकांश मामलों में रिश्तेदार अथवा पुरुष सदस्य वास्तव में शासन करते हैं तथा असल में वे ही नेता होते हैं। मैं मंत्री महोदय से इस मुद्दे पर उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

अत:, मैं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के वेतन एवं भत्तों को बढ़ाया जाना चाहिए चूंकि यह भी एक मुख्य बाधा है। एक व्यक्ति रोजाना दिन हो या रात हो लगातार पांच वर्ष तक बिना कोई और कार्य किए यही काम करता है तथा उसे कभी 500 रुपये और कभी-कभार 1000 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। यह दयनीय स्थिति है। इसलिए मैं मंत्री महोदय, से यह अपील करता हूं कि इस पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिए तथा इन प्रतिनिधियों के वेतन एवं भत्तों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे बेहतर तरीके से कार्य कर सकें।

सभापति महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

अपराह्न 3.04 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006-07

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं वर्ष 2006-07 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों

को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5287ए/2006]

अपराह्न 3.04½ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2004-05

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं वर्ष 2004-05 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5287बी/2006]

अपराह्न 3.04¾ बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

पंचायतों की स्थिति-मध्यावधि समीक्षा एवं आंकलन-2006 संबंधी प्रतिवेदन—*जारी*

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, सर्वप्रथम, मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि पंचायतों की भूमिका पर चर्चा करने हेतु यहां एक मंच उपलब्ध है।

अपराह्न 3.05 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

इसके परिणामस्वरूप, हम शीर्ष निकाय जहां हम आज बैठे हैं तथा आधारभूत स्तर जहां पर पंचायतें, कार्य करती हैं के बीच एक संपर्क कायम कर सकते हैं।

वही लोग संसद सदस्य तथा ग्राम प्रधान एवं साथ ही सरपंचों का चुनाव करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप, वहां काफी भ्रम की स्थिति है। लोग उनका चुनाव करते हैं, मतदाता वही है। वही लोग ग्रामीण स्तर पर, तालुक स्तर, जिला स्तर सभी कार्यकर्त्ताओं, जिला स्तर पर विधायकों तथा राष्ट्रीय स्तर पर संसद सदस्यों का चुनाव करते हैं।

महोदय, संसदीय कार्य मंत्री चाहते हैं कि मैं संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करूं; इसलिए, मैं मुख्य बातें बता रहा हूं। अब मैं आशा करता हूं कि वे अध्यक्षपीठ से घंटी न बजाने तथा मुझे कुछ और समय बोलने की अनुमति देने का अनुरोध करेंगे।

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि वहां यही लोग अलग-अलग जनप्रतिनिधियों, आदि का चुनाव करते हैं तथा इसलिए, अनेक प्रतिनिधियों को एक ही कार्य का उत्तरदायित्व दे दिया जाता है तथा लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किसका क्या उत्तरदायित्व है। इसलिए कुछ करने के बाद, स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं के गठन के पश्चात संसद सदस्य, विधायक जैसे प्रत्येक प्रतिनिधियों तथा स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के कृत्यों एवं कर्त्तव्यों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो वहां अत्यधिक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। लोग स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों की तरह ही संसद सदस्यों से कार्य करने की उम्मीद करते हैं।

इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मंत्रालय या सरकार उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को संहिताबद्ध करने का प्रयास करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

दूसरी बात मूल्यांकन की है। आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? कार्य, पदाधिकारी और वित्त संबंधी यह परिवर्तन किए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 73वें और 72वें संशोधन के द्वारा ये तीन 'एफ' ऐसे हैं जो विशेष रूप से स्थानीय स्व-शासन को सौंपे गए हैं। यदि आप एक समुचित मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपके लिए उन कार्यों के बारे में जानना जरूरी है जिन्हें विशेष रूप से उत्तरदायित्व के रूप में स्थानीय स्व-शासन को सौंपा गया है। इन प्रत्येक कार्यों में से कितने मामले में कितनी पंचायतों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है? इस सूचना के अभाव में उनका मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा।

जहां तक मेरी जानकारी है, कई राज्य अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप यह जिम्मेदारी स्थानीय स्व-शासन की हो जाती है परन्तु उनके कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया और न ही ये कार्य उन्हें विशेषत: सौंपे गये हैं।

दूसरी बात, हमारे पास पदाधिकारी हैं। वास्तव में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत पहले पंचायती राज प्रणाली शुरू की थी। इसके लिए आधुनिक महाराष्ट्र के संस्थापक यशवंतराव

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

चव्हाण की प्रशंसा की जानी चाहिए। यहां तक की महाराष्ट्र राज्य में भी स्थानीय स्व-शासन के लिए कर्मचारी अभी भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। उनकी नियुक्ति करने का विशेषाधिकार स्थानीय स्व-शासन के पास नहीं है। इसलिए जहां तक दूसरे 'एफ' अर्थात् पदाधिकारियों का संबंध है, हमें इसमें सफलता नहीं मिली है।

जहां तक तीसरे 'एफ' अर्थात् वित्त का संबंध है, आज भी, 12वें वित्त आयोग के बाद पहली बार हमने पैसा सीधे तौर पर स्थानीय स्व-शासन को भेजा है। उस समय तक हम स्थानीय स्व-शासन को सीधे तौर पर कोई पैसा नहीं दे पाते थे बल्कि यह पैसा राज्य सरकार के माध्यम से उनको भेजा जाता था। यह एक संवैधानिक मुद्दा है और मैं इसे समझ सकता हूं। लेकिन इसके साथ ही यदि एक संवैधानिक प्रावधान अर्थात् 73वें और 74वें संशोधन की व्यवस्था की गई है तो क्या यह विशेष जिम्मेदारी स्थानीय स्व-शासन को सौंपी जा सकती है और हम उन्हें वित्त क्यों नहीं दे सकते।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक बड़ा कार्य करने के बाद उन्हें वास्तविक रूप से और ईमानदारी से इसका मूल्यांकन करना चाहिए क्योंकि पंचायती राज उनकी तीव्र इच्छा और उनका उद्देश्य है। इन तीन 'एफ' के संबंध में अपना मूल्यांकन इस सभा में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हम यह जान सकें कि कितनी पंचायतें संविधान की इस भावना जिसे लोगों ने इस सम्माननीय सभा में पारित किया है के अनुरूप कार्य करने में सक्षम रही है तथा इसे कार्यान्वित किया है।

मेरा दूसरा मुद्दा आयोजना के बारे में है। यह बहुत ही मौलिक मुद्दा है। जिला-स्तर पर आयोजना कार्य जिला स्तर पर ही होना चाहिए। एक के बाद एक हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाएं असफल रही हैं क्योंकि योजनाओं में उन जमीनी हकीकतों की पहचान नहीं हो पाई है जो ग्राम स्तर पर व्याप्त है। यही कारण है कि हम सभी ने सर्वसम्मति से यह तय किया है कि आयोजना को जिला आयोजना बोर्ड को सौंप दिया जाना चाहिए जिसका अध्यक्ष जिला परिषद प्रमुख होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह बताने का अनुरोध करता हूं कि कितने राज्यों में ऐसा हुआ है।

मेरे अपने राज्य में अपने ही चुनाव क्षेत्र के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि वहां आयोजना का कार्य जिला आयोजना समिति द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता योजना मंत्री करते हैं। इसलिए, मंत्री महोदय, जो इसमें संरक्षक हैं, से इस कार्य की अपेक्षा नहीं की जाती क्योंकि यह आयोजना प्रक्रिया की विशेष जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि इसका अभी अवलोकन किया जाना है। हो सकता है इसके बारे में कानून पारित हो गया हो। लेकिन हम इसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। आप हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं।

सभापति महोदय: इन सभी मुद्दों का विस्तारपूर्वक जिक्र पहले ही हो चुका है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: यदि हम स्थानीय स्तर पर इस जिम्मेदारी को दे देते हैं जैसा कि मेरे मित्र कह रहे थे, तो क्या हम स्थानीय स्वयं प्रतिनिधित्व का सृजन कर रहे हैं या एक नये प्रकार के ठेकेदार को पैदा कर रहे हैं। इसे सचमुच में स्पष्ट किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने के बारे में सोचना चाहिए कि स्थानीय स्व-शासन के प्रतिनिधि ठेका स्वयं ले लें क्योंकि इसमें हितों के लिए सीधा टकराव होगा। दुर्भाग्यवश संसद ने लाभ के पद संबंधी कानून बनाया है लेकिन इसके बारे में कोई टकराव नहीं है। आप अभी भी पदधारण कर सकते हैं। जब तक मैं सरकार के साथ नहीं हूं अपने आप को किसी काम में लगा सकता हूं। इसलिए, महोदय, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे स्थानीय स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए। हमें स्थानीय स्व-शासन को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दे सकते हैं। अक्सर गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया जाता है। इस गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य कौन करता है। कुछ सड़के जो 'एमपीलैड्स' के अंतर्गत बनी हैं, कुछ ऐसे दलीय पदाधिकारियों द्वारा बनाई गई हैं, जो अब ठेकेदार बन गए हैं, ये सड़कें एक मौनसून का भी सामना नहीं कर पाती। इसलिए, गुणवत्ता नियंत्रण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री से इस मुद्दे को भी हल करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि आप ज्यादा अधिकार दे रहे है, ज्यादा जवाबदेही तथा उत्पादकता के मानक सौंप रहे हैं, निर्धारित करे रहे हैं। जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता नियंत्रण पर उचित ध्यान दिया जाए।

जैसा कि मैं कह रहा था, हमें यह अधिकार सीधे तौर पर उन्हें दे देना चाहिए और एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे केन्द्रीय धन को सीधे स्थानीय पंचायतों को भेजा जा सके और वे इसका वितरण करें। इसके अलावा क्षमता सृजन भी एक मुद्दा है मैं समझता हूं कि जब आप मूल्यांकन का कार्य करेंगे तो कृपया हमें बतायें कि प्रत्येक राज्य में वास्तविक रूप से कितना क्षमता का सृजन हुआ है।

मैं पंचायती राज मंत्रालय से जोरदार शब्दों में यह अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान विशेष रूप से स्थानीय स्व-शासन द्वारा किया जाए। उसमें से एक मुद्दा पानी से संबंधित है। हमारे लिए पानी एक बहुत

ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है, इसलिए जल संरक्षण और जल-प्रबंधन का काम विशेष रूप से छोटे ग्राम स्तर पर किया जाना चाहिए। जब हम रोजगार गारंटी विधेयक पारित करेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं।

मैं जल और विद्युत वितरण जैसे मुद्दों के बारे में बातें कर रहा था। हमें वितरित उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्युत अधिनियम, 2003 में, जिसे मैंने ही इस सभा में प्रस्तुत किया था, ग्राम पंचायतों को विद्युत उत्पादन और इसके वितरण का अवसर देने की व्यवस्था की गई है। नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय जो इस मंत्रालय का नया नाम है, के मंत्री श्री विलास मुत्तेमवार यहां उपस्थित हैं वे बताएंगे कि देश में कितना बायोमास उपलब्ध है और कितने अक्षय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं। यदि इन शक्तियों का उपयोग स्थानीय स्व-शासन द्वारा किया जाता है जिसमें आप विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं श्री सुशील कुमार शिंदे जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू कर रहे हैं, को यह जानकर खुशी होगी और उसका वितरण भी ऐसा ही होना चाहिए था।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण व्यापार हब जो एक नई सोच है, शुरू करना चाहता था। हमारे गांवों में बहुत सारे ऐसे स्थानीय उद्यमी हैं जो कुछ ही समय में बर्बाद हो जाएंगे।

हमने उन्हें विकसित होने का मौका ही नहीं दिया है। इसके परिणामस्वरूप लोग नौकरी की खोज में गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं और गंदी बस्तियों के निवासी होते जा रहे हैं। वास्तव में जो उद्यमी थे वे मलिन बस्ती निवासी बनते जा रहे हैं, विस्थापित बनते जा रहे हैं और अन्य लोगों के लिए कष्टकारक बनते जा रहे हैं। इसलिए, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा उनके स्वयं के संसाधनों के बारे में है। स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने पर ही कोई स्थानीय स्व-शासन सफल हो सकता है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को मूल्यांकन में इन बातों का उल्लेख करना चाहिए था कि कितने स्थानीय स्व-शासन अपने संसाधन जुटाने में सफल रहे हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वे स्व-शासन ही नहीं हैं बल्कि वे किसी अन्य के द्वारा नियंत्रित सरकारें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: इस बड़ी सी पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि वे इस संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी अंतिम बात हो चुकी है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, ठीक है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (रायगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। न्याय पंचायतों का प्रावधान पंचायती राज में किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश न्याय पंचायतें शुरू नहीं हो पाई हैं। जो गरीब व्यक्ति है, उसे पंचायत में न्याय मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है। आप जानते हैं कि न्याय महंगा है और गरीब व्यक्ति कोर्ट और वकील की फीस नहीं दे पाता है। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक उदाहरण रूप में बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में श्यामाचरण जी मुख्यमंत्री थे, तब एक आदिवासी हाट के लिए बाजार जा रहा था। रास्ते में कद्दू का खेत पड़ा, उसने कद्दू तोड़ लिया और कद्दू के खेत के मालिक ने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर दी। थानेदार ने केस बनाया और कद्दू चोरी के केस में बेचारा आदिवासी एक हफ्ते तक जेल में बंद रहा और एक हफ्ते बाद उसकी जमानत हुई। ऐसी घटनाओं को देखकर ही हमने पंचायती राज का गठन किया। हमने देखा कि गरीबों को न्याय कैसे दिलाया जाए और इसीलिए न्याय पंचायतों का प्रावधान किया गया। मैं जानता हूं कि न्याय पंचायतों को लागू करने के लिए मंत्री महोदय बहुत चिंतित हैं, इस बारे में चर्चा भी हुई है और आपने समिति का गठन भी किया है। समिति की रिपोर्ट आपके पास आ गई होगी और आप हमें उत्तर में उसके बारे में बताएंगे। हम चाहते हैं कि उस पर जल्दी कार्रवाई करें, न्याय पंचायतों की प्रक्रिया क्रियान्वित करें ताकि गरीबों को पंचायतों में न्याय मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, समय की कमी के कारण मुझे अपने भाषण का थोड़ा भाग सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

सबसे पहले मैं, मध्यावधि मूल्यांकन के तीन खंड निकालने के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। यद्यपि, यह संशोधन 1993 में किया गया था और तबसे अब तक 13 वर्ष का समय बीत चुका है, परन्तु यह 'मध्यावधि मूल्यांकन वर्ष 2004 से आज

[श्री भर्तृहरि महताब]

की तारीख तक आपके कार्यकाल के संबंध में है। यदि इसके इतिहास पर नजर डाली जाए, तो उड़ीसा में पंचायती राज संस्थाएं 1948 से अस्तित्व में आई। 1957 में जिला परिषदें तथा 1962 में त्रिस्तरीय प्रणाली उड़ीसा में शुरू हुई। निस्संदेह संसद में संशोधन प्रस्ताव लाये जाने से पूर्व उड़ीसा में क्रांतिकारी परिवर्तन 1992 में आया और शामिल किए गए अधिकांश संशोधन हमारे स्वर्गीय नेता श्री बीजू पटनायक द्वारा लाये गए थे।

अब, मैं सीधे संबंधित विषय पर आता हूं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग कहा जा सकता है। निचले स्तरों पर अब अधिकाधिक महिलाएं चुनी जा रही हैं। यह विश्व भर में लोकतंत्र में कहीं भी कभी किए महान प्रयोगों में से एक है। चुनी गई महिलाओं की संख्या 10 लाख से कम नहीं है और बिहार में 50 प्रतिशत आरक्षण है। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

अब मैं मूल बात पर आता हूं। नब्बे के दशक के प्रारम्भ में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण भारत की कायापलट की माध्यम बनी थी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने बड़ी कुशलता से इस बात का उल्लेख किया था। पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां देने और उनके कार्यकरण के बारे में उन्होंने निम्नानुसार संकल्पना की थी:

> "स्व-शासन संबंधी संस्थाएं, जिन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को बनाना और कार्यान्वित करना है।"

स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने तीन प्रमुख घटकों पर जोर दिया था और आपने भी बताया है कि केवल स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संस्थापित करना ही नहीं, बल्कि इसे लोकतंत्र में भागीदारी का तंत्र बनाना है। मैं लोकतंत्र में भागीदारी पर बल देता हूं। मेरे मित्र श्री स्वाईं ग्राम सभाओं के बारे में बता रहे थे। चूंकि मैं एक समाचार पत्र का संपादक था, अत: मुझे ग्राम सभा के बारे में कुछ अनुभव है। ग्राम सभा झगड़े की सभा बन चुकी है। इसमें अक्सर पक्षपाती रवैये का बोलबाला रहता है। वर्ष 1998 से अब तक संसद में अपने संक्षिप्त अनुभव से मैंने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि ग्राम सभाएं 'काली सभाएं' या झगड़े की सभाएं क्यों बन गयी हैं? मुझे ऐसा लगता है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर नेता चुनने के लिए की जाती है, न कि ठेकेदार का पता लगाने के लिए। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर नेता चुनना होता है, उस नेता को कार्य कराने का भार सौंप दिया जाता है। उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गए कार्य का निरीक्षण करना होता है। ग्राम स्तर का नेता किये जाने वाले कार्य का दायित्व अपने पर ले लेता है। इस प्रकार निरीक्षण करने वाला कार्य करवाने वाला बन जाता है। समस्या वास्तव में यही है। तालुका स्तर या ब्लाक स्तर या मंडल स्तर के अधिकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारी आसानी से ग्राम स्तर के नेता द्वारा की जानी चाहिए। परन्तु वह कार्य करने वाला और इंजीनियर बन जाता है और ब्लाक स्तर के कर्मचारी निरीक्षक बन जाते हैं। क्या हम इस उलटफेर पर रोक नहीं लगा सकते?

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का हस्तांतरण अभी भी एक दिवास्वपन है। बहुत से राज्यों को अभी पंचायती राज्य संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करनी हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कार्य की रूपरेखा पंचायत स्तर की उन कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्यों और उनके लिए आवश्यक धनराशि के तर्कसम्मत हस्तांतरण की द्योतक हैं, जिन्हें उसके दायित्व और धनराशि सौंपी जाती है। यह ठीक भी है। परन्तु एक मूल प्रश्न, जो मुझे परेशान कर रहा है वह यह कि क्या पंचायती राज संस्थाओं, विशेषकर ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए या उन्हें दूसरे निकायों की खैरात पर निर्भर होना चाहिए। आप उन्हें छत नहीं छत्र प्रदान कर रहे हैं, जो कि एक अस्थाई उपाय है। गांधी जी के ग्राम-स्वराज का अर्थ आत्मनिर्भरता है। मीरा बेन ने इसका प्रभाव उद्धृत किया था। परन्तु आज पंचायती राज संस्थाएं राज्य प्रशासन की एक विस्तारित शाखा और विकास के मात्र डिलिवरी तंत्र बन कर रह गये हैं।

योजना आयोग ने पंचायतों, नगरपालिकाओं और जिला योजना समितियों के माध्यम से बिल्कुल निचले स्तर पर योजना बनाने हेतु राज्य सरकारों के लिए 24 अक्तूबर, 2005 और 25 अगस्त 2006 को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं। परन्तु यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले को प्रोत्साहन देने के लिए सभी तीन स्तरों पर पंचायतें बनाए जाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार-रहित पंचायतों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। परन्तु ग्राम सभा इसका जवाब नहीं है। काफी समय पूर्व 1950 दशक के अन्तिम वर्षों में बलवन्त राय मेहता ने कहा था कि प्रत्येक गांव एक ऐसा गणराज्य या पंचायत होगा जिसके पास सारी शक्तियां होंगी। प्रत्येक ग्राम आत्मनिर्भर और अपने कार्यों का प्रबन्धन स्वयं करने में समर्थ होना चाहिए। आज इसकी सही तस्वीर क्या है?

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपका बोलने का समय समाप्त हो चुका है।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखूंगा।

पंचायती राज प्रणाली के कार्यकरण और ढांचे में समानता लाने के लिए पंचायती राज मंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मेरा कहना यह है कि राज्यों में बहुत अन्तर हैं। आंध्र प्रदेश और

उड़ीसा में भी अन्तर है। मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या दलीय आधार पर मतदान होने चाहिए? क्या देशभर में एक जैसी पद व्यवस्था होनी चाहिए? क्या इस पर आपने एक मत बना लिया है? आज नौकरशाही से चुने हुए प्रतिनिधियों और पंचायतों के दिशानिर्देशों और निगरानी में काम करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु ऐसा हो नहीं रहा है। इसका हल यह है कि सामाजिक और प्रशासनिक प्रणाली के कार्य सुग्राह्य और पुनर्विन्यास किए जाने की आवश्यकता है। लोगों को मूलधार उत्तरदायित्वों और चुने गए पंचायत नेताओं के अधिकारों के बारे में जागरूक बनाए जाने की आवश्यकता है।

उड़ीसा में हमने दो बच्चों का नियम अपनाया है। कुछ कह रहे हैं कि यह भेदभावपूर्ण है। मेरा तो यहां कहना है कि "इसे विधानमंडलों और संसद के मामले में कार्यान्वित क्यों नहीं किया जाता?"

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): सभापति महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय सूची में 3.30 बजे निर्धारित किया गया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हां, मुझे यह पता है। आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार की तरफ से सभा को यह बताना चाहता हूं कि उस दिन प्रमुख विपक्षी दल इस चर्चा में भाग नहीं ले सका था। उन्होंने आग्रह किया था कि उनके कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाए। अत:, मुझे आशा है कि इस मुद्दे पर बोलने वाले वे अंतिम सदस्य हैं। अत: कृपया उनकी बात समाप्त होने तक इस चर्चा को चलाने की अनुमति दें। मंत्री महोदय का जवाब किसी अन्य दिन के लिए निश्चित किया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी तीन और सदस्यों को बोलना है। अपराह्न 3.30 बजे से पहले वे अपनी बात समाप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक अपराह्न 3.30 बजे मैं गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य संबंधी मद शुरू कर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपके माध्यम से सरकार की तरफ से सभा को मेरी हाथ जोड़कर यह विनती है कि मैं यह चाहता हूं कि पंचायती राज पर चर्चा आज समाप्त हो जाए। मंत्री महोदय किसी और दिन जवाब देंगे। कृपया आखिरी सदस्य को बोलने की अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि सभा सहमत हो तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है कि मंत्री महोदय किसी और दिन चर्चा का जवाब देंगे। यदि मंत्री किसी और दिन जवाब दे सकते हैं, तो सदस्य किसी और दिन क्यों नहीं बोल सकते? आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय क्यों खराब करना चाहते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं गैर-सरकारी सदस्यों का समय खराब नहीं कर रहा हूं। हम समय बढ़ा सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: हमारे लिए यह सुविधाजनक नहीं है। अपराह्न 3.30 बजे हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद आप चर्चा पुन: शुरू कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु निर्धारित समय में से पन्द्रह मिनट का समय लिया जाता है, तो पन्द्रह मिनट का समय और बढ़ाया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम 15 मिनट में इस विचार-विमर्श को समाप्त नहीं कर पाएंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं सभा की भावना जानना चाहूंगा। संसदीय कार्य मंत्री ने 15 मिनट और समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। क्या सभा इससे सहमत है? यदि सभा इससे सहमत है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदय: ठीक है। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं संसदीय कार्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि 3.45 बजे तक हम वाद-विवाद को समाप्त नहीं कर पाएंगे। तीन या चार और सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं। इसलिए मानवीय दृष्टि से यह संभव नहीं होगा कि विचार-विमर्श को

[सभापति महोदय]

15 मिनट में समाप्त कर दिया जाए। इसलिए हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य के लिए निर्धारित समय में से कुछ समय इसे चर्चा के लिए नहीं लें। हम निर्धारित समय के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य प्रारंभ करें और हम किसी दूसरे दिन अन्य वक्ताओं को सुनेंगे। माननीय मंत्री भी किसी दूसरे दिन जवाब दें।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं एक बात फिर आपसे निवेदन करता हूं। मुख्य विपक्षी दल के एक महत्वपूर्ण नेता ने मुझसे यह कहा है कि उनके दल के चार सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। अब यदि वे अपनी सूची में और नाम शामिल करते हैं तो यह सहयोग नहीं हुआ। *...(व्यवधान)* मैंने उस आधार पर ऐसा किया था। मैं सभा को गुमराह करने की कभी कोशिश नहीं करता। यह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप लोग एक दिन हाउस का बायकाट करेंगे और दूसरे दिन डिबेट के लिए कहेंगे। हम कितने दिन बहस चलायेंगे। फिर आप स्पीकर साहब से कहेंगे। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। मैंने स्वाईं साहब से बात की है और उन्होंने आपकी पार्टी के चार स्पीकर्स बताये हैं। अब कहा जा रहा है कि चार स्पीकर्स और बोलेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): नहीं ऐसा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): महोदय, हम सहयोग कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैं केवल तीन मिनट बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि चर्चा में केवल एक सदस्य भाग लेना चाहता है तो मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह सभा में निर्धारित किया गया है। मैंने विपक्षी दल के महत्वपूर्ण नेता श्री खारबेल स्वाईं से बात की है। उन्होंने मुझसे कहा कि केवल चार सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। तदनुसार मैंने समय निर्धारित किया। अब यदि वे कहते हैं कि और सदस्य भी बोलेंगे तो इस अनन्त बहस का जवाब इस सत्र में कभी भी नहीं दिया जा सकेगा। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, ऐसी स्थिति में हम निर्णय लें। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करें। आप इसके बारे में किसी और दिन फैसला कर सकते हैं। वे सभी उस दिन बोल सकते हैं और उसी दिन जवाब भी हो जाएगा। *...(व्यवधान)* इसे इस प्रकार नहीं किया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं अपनी सरकार का कार्य जानता हूं। मैं अगले दिन के लिए निर्धारित गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य के बारे में जानता हूं। मैं इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकता और गारंटी नहीं दे सकता कि यह कार्य इस सत्र के दौरान पूरा हो जाएगा। यह बहुत कठिन है। मुझे अन्य कार्यों के लिए भी समय निर्धारित करना है। मैं मंत्री जी को कब तक हर रोज इंतजार कराता रहूंगा और हर रोज इसी प्रकार बहस चलती रहेगी? *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: नहीं। आप जो कुछ कह रहे हैं वे उस प्रस्ताव पर राजी नहीं हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि वे सहमत नहीं होते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपनी समझ के अनुसार समय निर्धारित करूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य प्रारंभ करें।

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): नहीं, यदि माननीय सदस्य किसी और दिन नहीं आ पा रहे हैं तो उन्हें बोलने दिया जाए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे सभा की भावना जानने दें। क्या आप समय बढ़ाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने उनके साथ सहयोग किया है। चूंकि अब वे अपनी नीति बदल रहे हैं कि सदस्य भी बोलेंगे तो यह बहुत मुश्किल है।

महोदय, मेरा कहना है कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य प्रारंभ किया जाए। वे तभी बोलेंगे जब समय आएगा। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री स्वाईं, आप ने उस दिन कहा था। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, श्री स्वाईं ने कहा कि पहले हमारे मैम्बर तापिर गाव बोलेंगे। अब डा. पाण्डेय कह रहे हैं कि चार और बोलेंगे यह आज कैसे होगा।

श्री खारबेल स्वाईः हमने अपनी लिस्ट दी थी।

[अनुवाद]

हम अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः श्री तापिर गाव को बोलने दिया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, यह बहस कब तक चलती रहेगी? हमें समय बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष ने इनके साथ बात की थी लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि यह बहस अपराह्न 3.45 बजे तक पूरी कर ली जानी चाहिए। मंत्री महोदय आज इसका उत्तर नहीं देंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब कृपया यह निर्णय अध्यक्षपीठ पर छोड़ दीजिए। मैं निर्णय करूंगा। सभा ने पहले ही यह निर्णय लिया है कि यह बहस अपराह्न 3.45 बजे तक पूरी कर ली जाएगी और अपराह्न 3.45 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदय, इस समय तक मैं अपनी बात समाप्त कर चुका होता। *...(व्यवधान)*

महोदय, इस महत्वपूर्ण बहस में, मैं माननीय पंचायती राज मंत्री की सराहना करता हूं, मुझे अभी भी याद है कि एशियाई खेल गांव सभागार में माननीय मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर उन दिनों के हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी के साथ किस प्रकार पंचायत स्थानीय स्वशासन सम्मेलन आयोजित कर रहे थे। उन दिनों की इससे संबंधित लेखन सामग्री अभी भी मेरे पास है। अभी मैं उसे अपने साथ नहीं लाया हूं।

मैं यहां कुछ सुझाव देना चाहता हूं, मैं यहां ऐसा कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूं जिससे पंचायती राज मंत्री के रूप में आपके कद्दावर व्यक्तित्व को ठेस पहुंचे। मैंने आपकी तीन खंडों वाली पुस्तक देखी है। मैं उन्हें पूरा नहीं पढ़ सका। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अभी भी आपने उस कठिन श्रमम को जारी रखा है जो आपने राजीव जी के दिनों में शुरू किया था। हम भाग्यशाली हैं कि आप पंचायती राज मंत्री हैं। यहां मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सबसे पहले मुझे यह कहना है कि आपकी पुस्तक में यह उल्लिखित है कि यह विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता है। लेकिन यदि कोई राज्य पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से इसे लागू करने में असफल रहता है तो हम क्या करेंगे? मेरे राज्य का बतौर उदाहरण लें। आपने मेरे राज्य का दौरा किया है। सभा में आपने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन अभी भी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्तीय शक्तियां देना आदि कार्य नहीं किए जा सके हैं। मेरे राज्य के पंचायती राज मंत्री के साथ आपने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। पंचायत के एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने मामले को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर किया और न्यायालय द्वारा फैसला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि के पक्ष में दिया गया कि शक्तियों के विकेन्द्रीकरण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिए। लेकिन इस संबध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसका समाधान किया जाए। ताकि इसे अनिवार्यतः लागू किया जा सके यद्यपि यह विषय राज्य सूची में है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह जमीन से जुड़ी बहुत अच्छी संस्था है। लेकिन इससे संबंधित प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्थान नहीं है। राज्य और जिला स्तर पर भी पंचायती राज संस्थाओं के लिए अलग प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं है। इसलिए आपके कुशल नेतृत्व में आपसे यह आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक पृथक पूर्णतः प्रतिबद्ध प्रशिक्षण संस्थान स्थायी तौर पर स्थापित किए जायें ताकि गांधी जी के पंचायती राज के स्वप्न को सही तौर पर लागू किया जा सके।

हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री अभी सभा से जा चुके हैं। हमेशा जटिलताएं बनी रहती हैं। जिलों में निगरानी और सतर्कता समितियां बनी हुई हैं। संसद सदस्यों के रूप में हम इसकी निगरानी कर रहे हैं लेकिन पंचायती राज संस्थानों को कोई शक्तियां प्रदान नहीं की गयी हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। इसे लागू करना अव्यवहारिक है क्योंकि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में पंचायतों की कोई भागीदारी नहीं है।

इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ, समय का ध्यान रखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्रशिक्षण संस्थान खोलने संबंधी मेरे सुझावों की ओर ध्यान दें।

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज

[श्री कीरेन रिजीजू]

मंत्रालय में निश्चित ही काफी मेहनत कर रहे हैं। वे पंचायती राज मंत्रालय को एक सामान्य मंत्रालय की तरह नहीं बल्कि एक जूनून की तरह ले रहे हैं। मैं निश्चित ही उनकी भावना की कद्र करता हूं क्योंकि कोई व्यक्ति तो है जिसे इस बात की फिक्र है।

मुझे समय के अभाव के कारण इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु आप जैसे मंत्री, के होते हुए जो पूर्वोत्तर से भली-भांति परिचित हैं, मुझे इन बातों को विस्तार से बताये जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी, श्री आस्कर फर्नांडीस, श्री शिंदे सभी अरुणाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र से भली-भांति परिचित हैं। आपके कार्यकाल में यदि कुछ नहीं होता है, तो यह अत्यंत मुश्किल होगा कि हमें कुछ सुविधाएं तो प्राप्त हों।

आज, मैं बस एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करूंगा। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार, राज्य विधान मंडल को पंचायती राज प्राधिकरण को शक्तियां सौंपनी होंगी। और संविधान के भाग नौ के अनुसार पंचायती राज मंत्री को इस बात की निगरानी करनी होगी कि इसे पूर्णत: क्रियान्वित किया जाये।

महोदय, जब मैंने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम देखा तो मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ क्योंकि यह कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए दी जाने वाली धनराशि का न ही अन्यत्र उपयोग होगा और न ही दुरूपयोग। परन्तु, अरुणाचल प्रदेश में इसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उनके मंत्रालय को निधियों के अन्यत्र उपयोग अथवा उनके दुरूपयोग की कोई जानकारी नहीं है। परन्तु वास्तव में वर्ष 2004-05 में भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश को प्रदान किए गए 24.36 करोड़ रुपये भारतीय स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं। मैं, इसे निधियों का अन्यत्र उपयोग ही कहूंगा। मंत्री महोदय यह कहेंगे कि यह जमा है। परन्तु यह पूर्णत: संविधान की भावना तथा मंत्री महोदय द्वारा किए जा रहे कार्य के विरुद्ध जा रहा है। यदि इस प्रकार से धन का सदैव अन्यत्र उपयोग होता रहा तो हम किस प्रकार से पंचायतों को सुदृढ़ करेंगे।

तत्पश्चात् अरुणाचल प्रदेश का एक जिला पिछले अनेक वर्षों से बिना पंचायत के कार्य कर रहा है। मंत्री महोदय यह कहेंगे कि यह राज्य का विषय है, परन्तु संपूर्ण जिले में कोई पंचायत नहीं है। वहां विधान सभा में 7 सदस्य हैं परन्तु वहां पिछले अनेक वर्षों से कोई पंचायत नहीं है। मैं इसे आधारभूत स्तर पर प्रजातंत्र की हत्या कहूंगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए, माननीय मंत्री को व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए तथा इस विषय में कुछ करना चाहिए।

महोदय, मेरे पास कई मुद्दे हैं परन्तु समयाभाव के कारण मैं अधिक बोलना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि हमें भविष्य में इस प्रकार की समस्या का दुबारा सामना न करना पड़े और साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करें कि जिला एवं आधारभूत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शक्तियां दी जाएं।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक (नागालैण्ड): सभापति महोदय, मेरे विचार से संपूर्ण देश में केवल नागालैंड ही ऐसा राज्य है जहां इन संस्थाओं को हम पंचायत न कह कर ग्राम परिषद कहते हैं। माननीय मंत्री इससे भली-भांति परिचित हैं।

महोदय, ग्राम विकास बोर्ड, सर्वप्रथम नागालैंड में स्थापित किया गया था तथा भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों में नागालैंड माडल को ही अपनाया है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मुझसे सहमत होंगे।

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): जी हां, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रणाली अथवा माडल को संपूर्ण देश में उचित रूप से कार्यान्वित किया जाए। हम इसे पंचायत नहीं कहते, बल्कि ग्राम परिषद कहते हैं। श्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार ने नागालैंड की इस परम्परागत प्रणाली को स्वीकार किया था और मैं इसकी सराहना करता हूं।

मैं माननीय मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं। अब, ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायतों को धन प्रदान कर रहा है, परन्तु कार्यान्वयन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसलिए, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक समन्वय समिति होनी चाहिए ताकि हम संपूर्ण देश में तथा विशेष रूप से, नागालैंड में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं का उचित रूप से कार्यान्वयन कर सके।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): सभापति महोदय, पंचायतीराज द्वारा देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न कर रहे मंत्री जी का मैं अभिनन्दन करना चाहती हूं। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गुजरात राज्य द्वारा कुछ बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। मैं संक्षेप में कहना चाहती हूं कि एक तो ग्राम पंचायतों को रैगुलर किया जाए और उनसे संबद्ध सभी अधिकारियों को हाजिर रहने के लिए कम्पैल किया जाए। इसके

साथ-साथ जो भी संबंधित सांसद व विधायक हों, वे भी उपस्थित रह सकें, ऐसे प्रयास करने चाहिए। इस बारे में यहां से स्पष्ट निर्देश जाने चाहिए। ई-ग्राम और ई-गवर्नेंस सिस्टम भी इम्पलीमेंट किया जाए जिसके अंतर्गत इंटरनैट के द्वारा तीनों पंचायतों—ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत—को मालदार कचहरी और बी.डी.ओ. कचहरी के साथ जोड़ दिया जाए। उसके बाद जो हम करना चाहते हैं, वह करें, क्योंकि सारे फंड्स हम ग्राम पंचायतों को डाइवर्ट कर रहे हैं। इससे उनका रिकार्ड भी ठीक रहेगा और हम अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। तीसरी बात है ई-भरा-लैंड रिकार्ड को इंटरनैट द्वारा एक्टीवेट किया जाए जिससे लैंड रिकार्ड अच्छी तरह से सुलभ हो और हरेक ग्रामवासी को तुरन्त मिल जाए, जिससे इसमें करप्शन न हो, इसमें यही भाव है।

दूसरा कार्यक्रम विश्वग्राम है, ग्राम को पूरे विश्व के साथ जोड़ने वाली जो बात है, वह भी बहुत अच्छी तरह से की गई है। मैं चाहूंगी कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाये। तीर्थ ग्राम में झगड़े निपटाने की जो पहले व्यवस्था थी कि झगड़ों को ग्राम लेविल पर ही निपटाया जाता है। आज केस बन रहे हैं और केस कोर्ट में पैंडिंग हो रहे हैं और बहुत साल उसमें जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रही हूं। तीर्थग्राम भी एक इम्प्लीमेंट करने लायक चीज गुजरात में गवर्नमेंट ने करके दिखाई हैं, उसको भी मजबूत करें और पूरे देश में इसके लिए प्रयास करें। समरस ग्राम के लिए मैं कहती हूं कि हमारी ओर से जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने दो लाख रुपये एवार्ड करने के लिए बोला था, यह उनको कोई लार्ज रिश्वत देने की बात नहीं थी, लेकिन ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हैं, वे अगर झगड़े के बिना और खर्च के बिना होंगे तो उसे एवार्ड करना भी एक अच्छी बात है, इसे भी लागू किया जाये। गुजरात गवर्नमेंट ने जो अच्छा निर्देश दिया है और अच्छा काम हो रहा है, उसको ध्यान में रखकर काम किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: चर्चा समाप्त की जाती है और केवल माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया जाना शेष हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेगी। अब हम मद संख्या 25 पर विचार करेंगे।

अपराह्न 3.46 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा 6 दिसम्बर, 2006 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 6 दिसम्बर, 2006 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.47 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित*

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*

(अनुच्छेद 85 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.12.06 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.47½ बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*
(अनुच्छेद 124, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

(तीन) सिनेमा कलाकार कल्याण विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि सिनेमा कलाकारों के कल्याण हेतु उपाय करने तथा इससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सिनेमा कलाकारों के कल्याण हेतु उपाय करने तथा इससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित• करती हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.12.06 में प्रकाशित।
• राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.48½ बजे

(चार) राष्ट्रीय लघु और सीमान्त व्यापारी आयोग विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि लघु और सीमांत व्यापारियों के हितों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लघु और सीमांत व्यापारियों के हितों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित• करती हूं।

अपराह्न 3.49 बजे

(पांच) बीड़ी कर्मकार कल्याण विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के उपाय तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के उपाय तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.12.06 में प्रकाशित।
• राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.49½ बजे

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*

(अनुच्छेद 312 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.50 बजे

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*

(अनुच्छेद 370 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.12.06 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.50½ बजे

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*

(अनुच्छेद 102 और 191 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.51 बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*

(अनुच्छेद 51क का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.12.06 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा': महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.51½ बजे

(दस) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2006*
(धारा 3, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. आर. सेनथिल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.52 बजे

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*
(अनुच्छेद 15 का संशोधन)

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.12.06 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. आर. सेनथिल: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.52½ बजे

(बारह) महिला कल्याण विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं के लिए कल्याणकारी उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि महिलाओं के लिए कल्याणकारी उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती अर्चना नायक: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित• करती हूं।

अपराह्न 3.53 बजे

(तेरह) कृषक (वृद्धावस्था पेंशन) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.12.06 में प्रकाशित।
• राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती अर्चना नायक: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करती हूं।

अपराह्न 3.53$^{1}/_{2}$ बजे

(चौदह) मिथ्या विज्ञापनों पर पाबंदी विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्पादों और सेवाओं के मिथ्या विज्ञापनों और प्रचार पर पाबंदी लगाने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उत्पादों और सेवाओं के मिथ्या विज्ञापनों और प्रचार पर पाबंदी लगाने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती अर्चना नायक: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.55 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2006

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 40—कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2006 पर विचार करेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह। क्षमा करें। श्री हन्नान मोल्लाह, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपको वैसा कहने में कोई हर्ज नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, क्या यह व्यवस्था है? *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरजन दासमुंशी): महोदय, यदि यह व्यवस्था है तो मैं उनकी पत्नी को इस बारे में सूचना दे दूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। महोदय, मैं 24 नवम्बर, 2006 को निम्नलिखित प्रस्ताव पहले ही पेश कर चुका हूं:

"कि कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा उनके कार्य की दशा विनियमित करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। वैश्वीकरण के इस दौर में जनसंख्या के हाशिए पर रह रहे वर्ग सबसे अधिक कठिनाई झेल रहे हैं। गरीबों में सबसे गरीब, निचले तबके के लोग, ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों को बदलते आर्थिक परिदृश्य में परिस्थिति से सामंजस्य बैठाने में सबसे अधिक मुश्किलें आ रही हैं। उनके लिए तब और मुश्किल होगी जब उनके लिए कानूनी संरक्षण भी न हो।

महोदय, हमने अपनी स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूरे कर लिये हैं लेकिन इतनी लंबी अवधि में इस संसद ने विभिन्न वर्ग की जनता के लिए सैंकड़ों अधिनियम पारित किए हैं और हमारे देश में सभी वर्गों के लोगों को विधिक संरक्षण प्राप्त है। महोदय, हमारे देश में यहां तक कि जानवरों को, जंगलों और वनों को भी विधिक संरक्षण प्राप्त है। लेकिन यह आश्चर्यजनक बात है कि हमारे देश में इन दस करोड़ लोगों को जो चीजों का उत्पादन करने के लिए पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और किसी तरह अपना जीवनयापन करते हैं, कोई विधिक छत्रछाया प्राप्त नहीं है। इस वर्ग को विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमारे देश के कृषि मजदूरों के लिए कोई अधिनियम नहीं है।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 8.12.06 में प्रकाशित।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

महोदय, यह हमारे देश के कार्य बल के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक हैं और वे हैं ग्रामीण कार्यशील वर्ग। इनकी संख्या देश में 10 करोड़ से अधिक है। आज तक पूरे देश में उनकी मजदूरी, उनके कार्य समय, उनकी कार्य स्थिति, दुर्घटना संबंधी लाभों, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभों और उनकी सामाजिक सुरक्षा के उपायों के संबंध में एक समान अधिनियम नहीं है। यह वर्ग वंचित समूह है। इनमें से अधिकांश वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

एक अन्य बात यह है कि हमारे जाति विभाजित समाज में अधिकांश कृषि मजदूर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और बेहद पिछड़े वर्गों के हैं। ये लोग हमारी जनसंख्या के सबसे पददलित और उपेक्षित वर्गों के हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

कई वर्षों तक देश में लोकतांत्रिक आंदोलन इस मांग पर बराबर जोर दे रहे थे कि कृषि मजदूरों के लिए केन्द्रीय अधिनियम होना चाहिए। यह मांग कई वर्षों तक अनसुनी की जाती रही। अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ भी विगत 25 से 30 वर्षों से लगातार यह मांग करता रहा है कि हमारे भारतीय समाज के इस वर्ग का संरक्षण करने के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान आवश्यक है।

महोदय, इस सभा में कई वर्षों से बारबार मांग करने के बाद अंततोगत्वा सरकार ने इस पर गौर किया है।

महोदय, ऐसा कानून सबसे पहले केरल में 1974 में लागू किया गया था। उस समय, केरल में वामपंथी नेतृत्व वाली सरकार थी। केरल सरकार ने पहली बार कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए कृषि कर्मकार अधिनियम, 1974 नामक राज्य कानून केरल विधान सभा में अधिनियमित किया था। उसी अधिनियम के कारण केरल राज्य में कृषि मजदूर देश के अन्य भागों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं।

महोदय, उस अधिनियम के पारित होने के बाद यह मांग देश के अन्य भागों में जोर पकड़ती गयी और हरेक व्यक्ति ने मांग की कि केरल अधिनियम की तर्ज पर राष्ट्रीय अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। इसी मांग का परिणाम था कि सरकार ने मई 1975 में कृषि मजदूर संबंधी स्थायी समिति की दूसरी बैठक में केन्द्रीय कानून की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। पहली बार केन्द्र सरकार ने इस मसले पर प्रतिक्रिया की और उसके बाद जुलाई 1975 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 26वें सत्र में केरल विधान सभा के विधान की सराहना की गई तथा उसी तर्ज पर एक समान केन्द्रीय विधान का सुझाव दिया गया। इसलिए 1975 में केन्द्र सरकार ने इस मांग पर गौर किया और इस पर काम करना प्रारंभ किया। उसके बाद सितंबर 1978 में सरकार की सिफारिश पर ग्रामीण और असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति गठित की गयी। इस स्थायी समिति ने केन्द्रीय विधेयक के ढांचे के संबंध में सुझाव देने हेतु एक उप समिति बनायी।

महोदय, मैं घटनाक्रम की कालबद्ध जानकारी यह दर्शाने के लिए देने की कोशिश कर रहा हूं कि इस आंदोलन का विकास कैसे हुआ और इस मांग ने कैसे जोर पकड़ा। शायद यही कारण था कि केन्द्र सरकार ने इस पर गौर किया और उस दिशा में कार्य करना शुरू किया। तब उप समिति ने केरल माडल के आधार पर कृषि कर्मकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया और इसे वर्ष 1981 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में वितरित किया, लेकिन तब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। बहुत सारे मतभेद थे। कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया। जैसा कि हम जानते हैं कि भूमि राज्य का विषय है। कृषि मजदूर भी भूमि से संबंधित हैं। इसलिए, कई राज्य सरकारों के विचारों में भिन्नता रही। वे सहमत नहीं हो सके।

1981 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में एक मसौदा रखा गया था, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी और यह मामला लंबित रहा। लेकिन सितम्बर, 1982 में केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को ऐसा कानून पारित करने के लिए कहा गया। तथापि, केवल त्रिपुरा सरकार ने 1986 में ऐसा कानून बनाया। केंद्र सरकार से निदेश दिए जाने के बाद, केरल के बाद त्रिपुरा विधान सभा ने कृषि मजदूरों के लिए ऐसा कानून बनाया। बाकी राज्यों में अब तक ऐसा कानून पारित नहीं हुआ है।

इसीलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं। पिछले 25 साल से इस सदन में मैं यह मसला उठा रहा हूं। लगभग हर साल मैं इसे उठाता हूं, अनेक बार मैंने इसका मसौदा भी तैयार किया है, लेकिन यह व्यपगत ही हो जाता है। पहली बार आज इस पर चर्चा हो रही है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चलिए, 25 साल चिल्लाने के बाद ही सही! अब मैं इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले आया हूं और अब हरेक यह कह रहा है कि यह

अधिनियम आवश्यक है, हालांकि, हम इसे पिछले 25 वर्षों से उठाते आए हैं।

राजीव गांधी के समय, 28 फरवरी 1987 के बजट भाषण में, इस प्रयोजन को लेकर राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग बनाने की घोषणा की गई थी। फिर क्रमशः सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। तदनुसार, 11.8.1987 को राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की स्थापना हुई और 5.9.1987 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई।

कृषि श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान देने और इस विषय में सिफारिशें करने के लिए 17 दिसंबर, 1986 को श्रम मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के अधीन एक उप समिति गठित की गई। अतः यह किसी समिति के बारे में है। इस तह का क्रमवार प्रयास चला। आपको विदित हो कि यह उप समिति गुरुदास दासगुप्त समिति के नाम से जानी जाती है, श्री गुरुदास दासगुप्त इस उप समिति में संयोजक थे। इस समिति ने तीन साल काम किया और देशभर में दौरे किए। आखिरकार, उसने सुझाव दिया कि कृषि श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय अधिनियम आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने की भी सिफारिश की थी। इस बीच कई सारी बैठकें भी हुई। फिर सरकार ने श्रम मंत्रियों का सम्मेलन आहूत किया। श्रम मंत्रियों के लगभग हरेक सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया। कई सरकारें आईं कई प्रस्ताव तैयार हुए। बैठकों में इन पर चर्चा तो हुई पर संसद द्वारा विधि के रूप में इसका कोई ठोस आकार नहीं बन पाया।

चूंकि, मैं पहले से यह मुद्दा उठाता रहा हूं अतः मैं जानता हूं। अनेक श्रम मंत्रियों के कार्यकाल में मैंने यह मुद्दा उठाया। श्री पी.ए. संगमा पहले इस विभाग के मंत्री थे उन्होंने बैठक के लिए हमें बुलाया। फिर श्री अरुणाचलम मंत्री बने। इस बीच आधा दर्जन श्रम मंत्री आए, उन्होंने बैठके बुलाई और इस मुद्दे पर चर्चा की। लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से भूस्वामी वर्ग का दबाव था। फिर, कतिपय राज्य सरकारें भी इसके विरोध में थीं। इस कारण यह कानून नहीं बन सका।

एक और बात यह है कि इसके पहले जितने भी श्रम मंत्री आए सभी ने कम से कम हमारे संगठनों और यूनियनों को बैठक के लिए न्यौता भेजकर इस पर चर्चा की और कहा कि ऐसा कानून जरूरी है। लेकिन रा.ज.ग. सरकार के शासन काल के दौरान मेरे मित्र श्री जटिया श्रम मंत्री थे। उन्होंने राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भारत में कृषि श्रमिकों की हालत बेहतर है, उनके लिए केन्द्रीय विधान की आवश्यकता नहीं है। पहली बार सरकार की ओर से यह कहा गया कि हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए लेकिन हम इससे सहमत नहीं हुए। हम कृषि श्रमिकों के हितों के लिए संघर्षरत हैं।

मैं विगत 25 वर्षों से इन श्रमिकों की यूनियन के लिए काम कर रहा हूं। मैं उक्त सफाई को स्वीकार नहीं कर सका और हम केन्द्रीय विधान की मांग को लेकर संघर्ष करते रहे। फिर नई सरकार आई। सं.प्र.ग. सरकार के सत्ता संभालने के पूर्व ही साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा हो चुकी थी। हमने इसे सं.प्र.ग. सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया और हमें खुशी है कि यह बात स्वीकार की गई।

मैंने आपको विगत 60 वर्षों का घटनाक्रम बताया है कि कैसे साल-दर-साल यह मामला उठाया गया लेकिन इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। जो भी हो, अब हमें पता लगा कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। सं.प्र.ग. सरकार ने भरोसा लिया है कि वह इस ओर कार्यवाही करेगी।

सं.प्र.ग. सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात अर्जुन सेनगुप्ता समिति गठित की। इस समिति ने हर तरह के ब्यौरे एकत्रित किए। मुझे आशा है कि वह मामला अब और नहीं टलेगा क्योंकि पहले ही 60 वर्षों का समय निकल चुका है और हम केवल पछता रहे हैं। कृषि मजदूर बेचारे कानूनी संरक्षण के लिए दर-दर भटकते रहे हैं। देश के हर वर्ग के लोगों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, सिर्फ इन अभागे 10 करोड़ लोगों को छोड़कर, जो निर्धनतम तबके से आते हैं।

ऐसी स्थिति में मैंने यह विधेयक प्रस्तुत करने का फैसला किया। जब आपने यह विधेयक प्रस्तुत करने और इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान की तो मैंने सोचा कि शायद अब इस विधेयक के दिन बहुर जाएंगे। यह मेरी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि सारी सभा हमारी आबादी के इस निर्धनतम तबके को समर्थन देगी।

मैंने इस विधेयक को समय-समय पर गठित की गई विभिन्न उप-समितियों के सुझावों के अनुसार तैयार किया है। इन समितियों की सिफारिश थी कि कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय विधान होना चाहिए। उनकी कार्य स्थितियों को सुधारने के लिए एक

[श्री हन्नान मोल्लाह]

बुनियादी ढांचा होना चाहिए। उनकी मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा हेतु उपाय किए जाएं। इसके अलावा, विवाद आदि सुलझाने के लिए भी एक तंत्र होना चाहिए। इस तबके के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन भी मिले। महिला मजदूरों के लिए मातृत्व-सुविधाएं हों। फिर महिला मजदूरों के लिए समान कार्य के आधार पर समान पारिश्रमिक की व्यवस्था हो। उन्हें दुर्घटना लाभ की सुविधा भी रहे। उनके लिए न्यूनतम जदूरी तय की जाए जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहे और उसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार नियत किया जाए। इन लोगों को रियायती राशन भी प्रदान किया जाए। अनेक समितियों ने इस प्रकार की सिफारिशें की हैं।

इस कानून के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर निगरानी समिति भी होनी चाहिए। इस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं। प्रकरण तथा विवरण तय करने का जिम्मा राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जाए क्योंकि हमारे द्वारा विधि-निर्माण के पश्चात् राज्य सरकारें अपनी-अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार नियम बना सकती हैं। ये विवरण नियमों में शामिल किए जा सकते हैं। इस तरह देश भर में यह कानून लागू हो सकेगा। इस आशय की सिफारिशें आयोग की रिपोर्ट में दर्ज हैं।

कृषि-मजदूरों के संघर्ष का कार्यकर्त्ता होने के नाते मेरी आशा है कि जो समिति इस नए प्रारूप पर विचार कर रही है वह इन सब मसलों पर विचार करेगी। मेरे द्वारा तैयार यह विधेयक केरल में विद्यमान अधिनियम के अनुरूप है। वह अधिनियम काफी व्यापक है लेकिन वह केवल केरल प्रदेश के लिए है। ऐसे अधिनियम केरल और त्रिपुरा में विद्यमान हैं। यदि मेरे विधेयक का प्रादर्श वर्तमान आयोग द्वारा विचारित किया जाता है तो हमारा उद्देश्य साधित होगा—वह जिसके लिए हम इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश के लगभग 10 करोड़ कृषि-श्रमिकों की स्थिति बदहाल है। जैसा मैंने कहा, समाज के और सभी वर्गों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, सिवाय इस वर्ग के।

कृषि मजदूरों की एक और समस्या मैंने देखी है। उन्हें रोजगार नहीं मिलता। उनकी कोई नियत मजदूरी नहीं है। अलग-अलग राज्यों में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं, जिलों तक में दरें अलग-अलग हैं। विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर भी इसमें भिन्नता है। फसल के मौसम में तो उन्हें थोड़ी बहुत अधिक मजदूरी मिल जाती है, वरना बाकी दिन तो वे बिना काम के और निर्धनता में ही गुजारते हैं। उनके लिए किसी किस्म की वित्तीय या सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इस कारण उनकी समस्या अधिक हो गई है।

उनके कार्य का समय भी कोई नियत नहीं, सुबह से लेकर शाम या देर रात तक उन्हें काम करना पड़ता है। उनके बच्चों-स्त्रियों को भी काम करने के लिए मजदूर हैं। उनमें से कुछ आज भी जमींदारों की जकड़ में हैं और बंधुआ मजदूरों की भांति काम कर रहे हैं। इसलिए वे न तो घर जा पाते हैं, न ही उन्हें कोई आजादी है। वे बंधुआ मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। यद्यपि बंधुआ मजदूरी कानून समाप्त हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई कृषि-मजदूर हैं जो बंधुआ मजदूर की दशा में काम कर रहे हैं।

उनके लिए पेंशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। 60 साल से वे अन्न आदि उपजाकर हमें जिंदा रखे हुए हैं लेकिन हम यह जरा भी नहीं सोचते कि वे कैसी हालत में अपना जीवन गुजार रहे हैं। 60 वर्ष के हो जाने पर भी उनके लिए पैंशन जैसा कोई सामाजिक उपाय नहीं है। किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उनके लिए उपलब्ध नहीं है। अत:, सरकार द्वारा कोई अधिनियम बनाते समय इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

इन मजदूरों में से ज्यादातर अ.जा., अ.ज.जा. या पिछड़े वर्ग के हैं और उनके परिवारों की दशा बहुत दयनीय है। आर्थिक, सामाजिक और जातीय आधार पर वे कमजोर हैं और हर दृष्टि से उपेक्षित हैं। उनके परिवारों में काफी अशिक्षा है। यदि इनकी दशा ऐसी ही रहेगी तो हम भला उनमें साक्षरता का प्रसार भी कैसे करेंगे?

फिर, बालश्रम का मुद्दा भी है। उनके बच्चे श्रम करने पर मजबूर हैं। बच्चों की सबसे बदहाल दशा इसी वर्ग में है और हम देश भर में बाल-कल्याण की बात करते हैं।

कृषि-मजदूरों में भुखमरी से मौत के मामले भी सामने आए हैं। विगत 3-4 सालों में देश के विभिन्न हिस्सों में कई आदमी भूख से मर रहे हैं—वे सभी कृषि-मजदूर थे और ज्यादातर गरीबी-रेखा के नीचे के वर्ग के थे। जब हम उनके लिए विशेष पैकेज तय करें तो इन सभी बातों पर विचार करें।

अपराह्न 4.18 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

जहां तक उनकी बस्ती का संबंध है तो यदि आप कृषि मजदूरों के किसी गांव में जाएं तो आप को पता चलेगा कि वे किस स्थिति में रहते हैं। उदाहरणार्थ यदि आप किसी गांव में जाएं और वहां बड़ी और अच्छी सड़कें देखें तो आपको पता चलेगा कि

वहां धनी वर्ग रहता है। यदि आप थोड़ा आगे जाएं तो आप ईंट की सड़कें देखेंगे और आपको पता चलेगा कि वहां गरीब लोग रहते हैं। यदि आप और भीतर जाएं तो आपको कीचड़ की सड़कें दिखेंगी और आपको पता चल जाएगा कि वहां गरीब लोग रहते हैं। यदि आप गांव में और भीतर जाएं तो आप कुछ झोंपड़ियां देखेंगे और वहां कोई सड़क नहीं होगी तब आपको स्वयं ही पता चलेगा कि यही वह स्थान है जहां कृषि मजदूर रहते हैं। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि कृषि मजदूरों का गांव वहां से शुरू होता है जहां पर बिजली के खम्भे समाप्त होते हैं। उनके पास उचित मकान नहीं हैं। यह सब अभाव कृषि मजदूरों के गांव से शुरू होते हैं। उनकी बस्तियों में यही स्थिति है।

पेयजल की कोई सुविधा नहीं होती और उनमें से एक वर्ग अछूत भी है। उन्हें ऊंची जाति के क्षेत्रों से पानी लाने का अधिकार नहीं है। हमारे देश में ऐसी अमानवीय और बर्बर स्थिति है। वहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई सफाई भी नहीं है। उनके पास सफाई की कोई परिकल्पना ही नहीं है। वे वास्तव में दुर्गंधपूर्ण वातावरण में रहते हैं। सड़कें और अन्य सुविधाएं नहीं हैं। हम उनकी जीवन दशा में सुधार कैसे ला सकते हैं। उनके विकास हेतु योजनाएं बनाते हुए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक अन्य बात है महिला मजदूरों के सामने आने वाली समस्याएं। यह सुनिश्चित करने हेतु कि महिला कृषि मजदूरों को पुरुष मजदूरों के बराबर मजदूरी मिले हमें अधिनियम में विशेष प्रावधान करने चाहिए। उन्हें अन्य सामाजिक लाभ भी मिलने चाहिएं। उन्हें नियमित घंटों से अधिक कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और उनसे समय से अधिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। कृषि मजदूरों में महिलाओं का सर्वाधिक सामाजिक, आर्थिक और यौन शोषण होता है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मैंने एक दूसरी प्रवृत्ति देखी है वह है पलायन की प्रवृत्ति। कृषि मजदूर काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं। बहुत से कृषि मजदूर बिहार से पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर चले जाते हैं। हमने पंजाब में उग्रवाद के दिनों में देखा है कि ऐसे कृषि मजदूरों ने उस राज्य में कैसे अपनी जान गंवायी। यदि उसके अपने स्थान पर काम उपलब्ध हो जाए तो कोई भी कृषि मजदूर अपने मूल स्थान से पलायन के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसे पलायन को रोकने का एकमात्र तरीका है उन्हें उनके स्थानों पर काम उपलब्ध कराना। हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा।

जाति कृषि मजदूरों के लिए एक अभिशाप है और वे इसके कारण बुरी तरह से पीड़ित हैं। लगभग साठ प्रतिशत कृषि मजदूर या तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सबसे पिछड़े वर्गों से हैं और या अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। इन वर्गों का सामाजिक उत्पीड़न होता है। इन वर्गों पर अत्याचार होते हैं। कमोवेश देश के विभिन्न भागों में ऐसा होता है। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए।

विधेयक तैयार करते समय मैंने इन सब चीजों को इसकी परिधि में लाने का प्रयास किया है। मेरा सुझाव है कि सबसे पहले सभी कृषि मजदूरों का पंजीकरण किया जाना चाहिए। उनका खंड-वार और पंचायत-वार पंजीकरण किया जाना चाहिए और उनके नाम रिकार्ड में उपलब्ध होने चाहिएं। पंजीकरण के आधार पर उन्हें काम दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कभी भी काम दे दो। उस तरह का पंजीकरण उन लोगों को काम की गारंटी देगा। उन्हें काम के लिए अन्य स्थानों पर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

मैंने रोजगार की सुरक्षा और कल्याण का प्रावधान किया है। यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में स्थायी श्रमिक है तो उसे अधिमान दिया जाना चाहिए और खंड की सूची से अथवा पंचायत स्तर की सूची से काम दिया जाना चाहिए। सामान्यतः, कुछ लोगों को इस वर्ष काम पर लगाया जाता है और अगले वर्ष बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने लगातार तीन वर्षों तक काम किया है उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में अधिमान दिया जाना चाहिए। उसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

इस विधेयक में मैंने विवादों पर भी विचार किया है। कृषि मजदूर और कृषि मजदूर के बीच, कृषि मजदूर और प्रवासी मजदूर के बीच विवाद पैदा हो रहे हैं, साथ ही कृषि मजदूर और भू-स्वामियों के बीच विवाद होते हैं। इसलिए एक उचित विवाद निपटान तंत्र होना चाहिए। उस प्रयोजन के लिए एक समझौता अधिकारी होना चाहिए। मैंने कहा है कि यह समझौता अधिकारी पता लगा सकता है कि विवाद क्या है और इसका निपटारा करने का प्रयास कर सकता है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो वह इसे जिला कलेक्टर के पास भेजेगा। यदि इसका वहां भी निपटारा नहीं होता है तो यह अधिकरण में जाएगा। हमने एक अधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव किया है। अधिकरण अंतिम निर्णय देगा और वह सब पर बाध्यकारी होगा।

विवाद का निपटान उन प्रमुख विषयों में से एक है जिस पर अधिनियम में विचार किया जाना चाहिए। मैंने सुझाव दिया है कि सरकार को एक योजना बनानी चाहिए जिसे कृषि श्रमिक कल्याण कृषि योजना कहा जाना चाहिए। यह कोष आवश्यक है। योजना के कोष को कृषि कल्याण बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। इस योजना की व्यवस्था

[श्री हन्नान मोल्लाह]

करने हेतु अधिनियम में प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए। कल्याण कोष में सरकार, भू-स्वामी और कृषि मजदूरों की ओर से अंशदान दिया जा सकता है। बोर्ड का ब्यौरा अधिनियम में वर्णित किया जाना चाहिए।

जहां तक काम के घंटों का प्रश्न है तो मैं कहना चाहता हूं कि अधिनियम में काम के नियत घंटों का उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें ओवर-टाइम की मजदूरी का भी उल्लेख होना चाहिए। यदि उन्हें काम के नियत घंटों के पश्चात् काम करना पड़ता है तो उन्हें अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए और इन ब्यौरों का भी अधिनियम में उल्लेख होना चाहिए।

दंडात्मक उपायों का उल्लेख नहीं करने वाला एक प्रावधान भी अधिनियम में होना चाहिए। जो झूठे विवरण देते हैं अथवा निपटान पंचाट इत्यादि का उल्लंघन करते हैं उन्हें इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। समझौता अधिकारी को उनके मामलों पर ध्यान देना चाहिए जो बाधा उत्पन्न करते हैं और उन्हें सजा दी जानी चाहिए।

कृषि श्रमिकों का एक विधान होना चाहिए और उन सब अनुचित श्रमिक को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि जिस क्षेत्र में भी मजदूर आबादी है वहां अनुचित श्रमिक व्यवहार होता है लोग श्रमिकों को यूनियन बनाने अथवा आंदोलन चलाने से रोकते हैं। भू-स्वामियों द्वारा गलत विवरण अनुचित श्रमिक व्यवहारों के ऐसे अन्य कार्यों को रोकने के लिए अधिनियम में प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि इन सब मामलों पर ध्यान दिया जा सके।

मैंने केरल और त्रिपुरा में लागू अधिनियमों के आधार पर इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का विधेयक है। केन्द्र सरकार द्वारा भी निधियां सुनिश्चित की जानी चाहिएं यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि राज्य सरकारों को इसे लागू करना पड़ेगा और उनके पास धन की कमी है। यद्यपि, धन भू-स्वामियों से आता है परन्तु फिर भी इस अधिनियम को लागू करने हेतु, पेंशन कार्यक्रम और अन्य कल्याण कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता है। अधिकांश राज्य सरकारों को धन की समस्या हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह भी धन प्रदान करे। कम से कम उसे केंद्रीय कल्याण बोर्ड के लिए धन प्रदान करना चाहिए। अथवा कम से कम केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक कोष की स्थापना की जानी चाहिए ताकि आवर्ती खर्चों को पूरा किया जा सके। बाद में संग्रह किया जा सकता है। इस मामले पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमें इन चीजों पर उचित रूप से कार्यवाही करनी पड़ेगी।

कृषि मजदूरों के लाभ के लिए बहुत सी और योजनाएं भी हैं। पहले कृषि मजदूरों के लिए 100 से 150 दिनों का काम उपलब्ध था। अब, हमने देखा है कि कृषि श्रमिकों को 50 से 75 दिनों से ज्यादा का काम भी नहीं मिल रहा है। वे 365 दिन जीवन यापन कैसे करेंगे जबकि उन्हें 70 दिनों के काम की ही आय होती है। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। इसलिए सरकार को इस पक्ष पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पारित की है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाता है तो यह कृषि मजदूरों के लिए लाभकारी होगी। किन्तु, इसे लागू करने में बहुत सी कमियां हैं। हमें यह निश्चित करना है कि उन कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए ताकि कृषि श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटी से रोजगार प्राप्त हो सके।

मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि समाज के दबे-कुचले वर्ग का साथ दें; वे हमारी रक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। उनके प्रयास के कारण ही हम बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं और हम जीवित हैं; वे हमारे लिए खाद्यान्न पैदा करते हैं, वे जरूरतों की चीजों का उत्पादन करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह देखें कि वे भी मानव के रूप में उचित जीवन दशाओं में जीवन-यापन करें। इसलिए, मेरा सभा से अनुरोध है कि उनके लिए बेहतर उपायों का सुझाव दें और इस विधेयक को पारित करें ताकि हमारी स्वतंत्रता के 60 वर्षों के पश्चात् इस देश के कृषि श्रमिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। वे अभी स्वतंत्र नहीं हैं, वे बंधुआ हैं, वे गरीबी के बंधुआ हैं, भू-स्वामियों के बंधुआ हैं, ऊंची जातियों के उत्पीड़न के बंधुआ हैं और वे बहुत सी चीजों के बंधुआ हैं। इसलिए, अपनी आजादी के 60 वर्षों में हमें एक साथ मिलकर उन्हें वह आजादी देनी चाहिए जिसके लिए हमारे देश ने लड़ाई लड़ी। हम स्वतंत्र हैं किन्तु हम चाहते हैं कि वह वर्ग भी स्वतंत्रता को महसूस करे और वास्तव में अपने जीवन में आजादी का अनुभव करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा करें और इस पर विचार करें; और मैं सभा से अपील करता हूं कि इसे पारित किया जाए।

सभापति महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा उनके कार्य की दशा विनियमित करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी): मैं श्रमिक समुदाय में उपेक्षित वर्ग के कल्याण के बारे में चर्चा करने का सुअवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्षपीठ का बहुत आभारी हूं। हमारे माननीय

सदस्य, श्री हन्नान मोल्लाह ने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया और उन्होंने इस देश में कृषि मजदूरों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा भी की।

कल, श्री डी.पी. यादव ने असंगठित क्षेत्र के कल्याण के संबंध में चर्चा शुरू की थी। यह इस देश में असंगठित क्षेत्र के कई स्कंधों में से एक स्कंध है। यदि हम असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों की गणना करें तो यह संख्या 36.9 करोड़ है; उनमें से 23.21 करोड़ मजदूर कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। इस देश के कृषि मजदूरों की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करने का यही उचित समय है।

यद्यपि, हम कृषि मजदूरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तथापि कृषि की सफलता ही कृषि मजदूरों के कल्याण में अच्छा परिणाम दे सकती है। यदि कृषि क्षेत्र में ही असफलता मिलती है तो हम कृषि मजदूरों का संरक्षण नहीं कर सकते। हमारे देश के वर्तमान परिदृश्य में कृषि व्यवसाय की स्थिति कई समस्याओं के कारण दिन-प्रति-दिन बदहाल होती जा रही है। पहली बात तो यह है कि किसान मानसून की विफलता अथवा बाढ़ अथवा गरीबी, ऋणग्रस्तता और अन्य समस्याओं की वजह से उचित समय पर उपयुक्त फसल तैयार कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं।

साथ ही, हर जगह कृषि भूमि को उद्योग अथवा कारखाने आदि स्थापित करने के लिए बेचा जा रहा है। दिन-प्रति-दिन कृषि भूमि की स्थिति कम होती जा रही है और कृषि बदहाल होती जा रही है। कृषि मजदूरों को जीविकोपार्जन करना भी मुश्किल हो रहा है। मजदूर स्वयं को न केवल कृषि में लगा रहे हैं बल्कि वे कृषि क्षेत्र, मुर्गीपालन क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं जो कि कृषि का ही अंग है वे डेरी उद्योग में भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें समुचित मेहनताना मिल पा रहा है और क्या वे उचित तरीके से जीवन-यापन कर रहे हैं, हम नहीं जानते। गावों में, वे कई तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। यदि आप हमारे देश के किसी भी भाग के किसी भी गांव में जायें तो हम पाते हैं कि खेत में काम करने वाले कृषि मजदूरों का काम करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। लेकिन किसी सरकारी कार्यालय या संस्थान या किसी मिल में काम करने वाला व्यक्ति आठ घंटे काम करने के बाद घर जा सकता है। कृषि मजदूर यह निर्धारित नहीं कर सकता कि उसे खेत में कितने घंटे काम करना है। वह तो रात-दिन काम करता रहता है। यदि किसी कृषि मजदूर को कोई सांप काट ले तो वह सरकारी अस्पताल जाता है। सर्प दंश का उपचार करने के लिए उसे तीन इंजेक्शन लगाये जाएंगे। यह इंजेक्शन किसी गैर-सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। इसलिए, सरकारी चिकित्सक उसे केवल दो इंजेक्शन लगाता है और तीसरा इंजेक्शन वह या तो अपने निजी क्लिनिक में ले जाता है या फिर बेच देता है। इसके परिणामस्वरूप उस कृषि मजदूर का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

कृषि मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी खेत में धान की फसल तैयार करने में 50 मजदूर काम करते हैं। उसके बाद वे किसी अन्य खेत में काम करने चले जाते हैं। वे खेत में कैसे जाएंगे? क्या वे बस या रेलगाड़ी से जाएंगे? वे किसी लारी या सामान ढोने वाली गाड़ी से जाते हैं और कई जगह घूमते हैं। वे अपनी यात्रा सुबह शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि 30 मजदूर किसी लारी में यात्रा कर रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। देर रात को फसल संबंधी काम खत्म करने बाद वे उसी लारी में घर घर लौटते हैं। इसलिए, सुबह या शाम को लारी में यात्रा करते वक्त यदि उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है, यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। प्रयोग में लाया गया वाहन माल ढोने वाला वाहन था न कि व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला वाहन इसलिए वे कोई मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। स्वतः ही जोखिम वाहन के मालिक पर आ जाता है। हो सकता है कि वह पैसे वाला व्यक्ति न हो। उस वाहन को न्यायालय द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। मजदूरों को कुछ नहीं मिलेगा। वह न्यायालय से कुछ भी मुआवजा पाने में समर्थ नहीं हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जिसके संबंध में केन्द्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए कि माल ढोने वाले वाहन का उपयोग मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में नहीं किया जाना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत, यदि किसी चालक के कारण एक व्यक्ति या दस या सौ व्यक्तियों की जान जाती है तो उसे न्यूनतम 3000 रु. का जुर्माना देना होगा।

केवल श्रम मंत्रालय ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मलिाएं भी कृषि मजदूरों में शामिल हैं। वे चाहे सुबह खाना खायें ये न खायें, चाय-कॉफी पीयें या न पीयें परन्तु पान मसाला, गुटखा या पान पराग के 10 पैकेट रोजाना खरीदती हैं। अंततः इसी कारण उन्हें कैंसर हो जाता है। वे किसी भी प्रकार का इलाज कराने में समर्थ नहीं होतीं। विशेषकर महिला कृषि मजदूरों को संरक्षण देने के लिए सरकार को पान मसाला, गुटखा या पान पराग का उत्पादन करने वाले सभी कारखानों को बन्द करना होगा सरकार के इस कदम का लाभ सबसे पहले महिला कृषि मजदूरों को होगा।

सुदूर गांवों में झोपड़ियों में रहने वाले कृषि मजदूरों की दयनीय दशा का अन्य कारण यह भी है कि उन्हें स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। उन्हें या तो नमकीन या फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है। इसके परिणामस्वरूप उनका स्वास्थ्य पूरी तरह बरबाद हो जाता है। उन्हें कैंसर या टी बी हो जाती है। यहां तक कि मेरे पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी नाथम और कंगायाम तालुके हैं जहां 40 से 50 बिस्तर वाले और सभी उपकरणों के सुसज्जित बहुत बड़े-बड़े अस्पताल हैं लेकिन वहां न तो चिकित्सक हैं और न ही परिचारिकाएं (नर्स)। एक गरीब मजदूर, जो रोजाना 60 से 70 रु.

[श्री एस.के. खारवेनथन]

ही कमा पाता है कैसे अपोलो अस्पताल या बड़े अस्पताल में जाकर अपने उपचार पर लाखों रुपये खर्च कर सकता है? इसलिए, इस देश के कृषि मजदूरों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल बहुत ही महत्वपूर्ण है।

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है आवास। भारत सरकार की योजना 'इंदिरा आवास योजना' पंचायतों के माध्यम से लागू की जाती है। ग्राम सभाएं लाभार्थियों का चयन मात्र करती हैं। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास दिया जाता है। दस आबंटित आवासों में से छः से सात आवास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को तथा तीन से चार आवास अन्य पिछड़े वर्गों को दिए जाते हैं। ये सभी लोग कृषि मजदूर हैं। मैं कहूंगा कि पूरी चयन प्रक्रिया गलत है। बेचारे कुलियों और अन्य मजदूरों को आवास नहीं मिल पाता। इस देश में हालत यह है कि उन्हें न तो आवास, न बिजली, न पेय जल और न ही पौष्टिक भोजन मिल पाता है। सरकार केवल कानून बनाकर इस समस्या को हल नहीं कर सकती। यह मसला राज्य और केन्द्र, दोनों रूप से हल करने लायक है उन दोनों को इस देश में कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए मिलकर काम करना होगा। तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

यदि हम किसानों की आय पर नजर डालें, तो यह बहुत कम है। जब किसान सुखी जीवन बिताएंगे तभी कृषि मजदूर भी सुखी जीवन जी सकते हैं। यहां मैं कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं । इस देश में किसी किसान की घरेलू आय प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। यदि आप किसान की उच्चतम प्रतिमाह आय पर नजर डालें तो यह जम्मू और कश्मीर में 5488 रु., पंजाब में 4960 रु., केरल में 4004 रु., असम में 3168 रु., हरियाणा में 2882 रु, मध्य प्रदेश में 1430 रु., राजस्थान में 1490 रु., उत्तर प्रदेश में 1633 रु., तो बिहार में 1624 रु. है। और उड़ीसा में यह सबसे कम 1062 रु. है। यदि किसान को ही 1000 रु. प्रति माह आय होगी तो कृषि मजदूर को कैसे अच्छी आय हो सकती है? यही स्थिति है।

मेरे विद्वान मित्र, श्री हन्नान मोल्लाह ने नमूने के तौर पर केरल का उल्लेख किया था। केरल में हुए कई आंदोलनों के कारण 63 लाख परिवारों में से 34 लाख परिवार इस अनौपचारिक क्षेत्र से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। सरकार ने कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए 20 कल्याण बोर्डों का निर्माण करने का निश्चय किया। 1969 में 32 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की गई थीं। ये सभी बोर्ड कुछ समय तक तो सफलतापूर्वक कार्य करते रहे लेकिन अब इनमें से कई कार्य नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ताड़ी मजदूर कल्याण बोर्ड (टोडी टेपर वेलफेयर बोर्ड), मत्स्य पालक कल्याण बोर्ड, निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, कृषि श्रमिक कल्याण बोर्ड, और बांस श्रमिक कल्याण बोर्ड आदि कार्यशील हैं। सरकार ने ताड़ी मजदूर बोर्ड में 10 प्रतिशत योगदान किया है। ताड़ी मजदूर हर जगह दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। यदि आप दक्षिण तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, त्रिचूर, कन्याकुमारी और नागौर जैसे क्षेत्रों में जाएं तो आप अधिकतर लोगों को ताड़ी मजदूर पाएंगे। जो व्यक्ति ताड़ वृक्ष के सबसे ऊपरी सिरे पर चढ़ रहा है, उसकी सुरक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं रहती। यदि वह ऊपर से गिर जाता है तो उसके लिए कोई बीमा और चिकित्सा सुविधा नहीं है। यदि उसके सिर या टांग या फिर हाथ की कोई हड्डी टूटती है तो भी उसे बगैर उपचार के जीवन गुजारना पड़ेगा। हो सकता है कि वह अपने परिवार की रोजी-रोटी कमाने वाला एकमात्र सदस्य हो और ऐसे में उसका पूरा परिवार बदहाल हो जाएगा। इसलिए, स्थिति बेहद खराब है। ये सभी योजनाएं केरल सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। हमारे मित्र ने सुझाव दिया था कि केरल के मॉडल का अनुकरण किया जाना चाहिए। लेकिन वे बोर्ड कहां गये जिसका गठन उन्होंने किया था? यह पूरी तरह असफल रहा है। इन बोर्डों की सफलता के लिए राज्य के कुल बजट का करीब तीन प्रतिशत आवश्यक है। आज कोई भी बोर्ड ठीक से कार्यशील नहीं है। भारत सरकार को मजदूरों की पहचान करनी होगी। आज कृषि मजदूर उसी व्यवसाय को जारी नहीं रख पा रहे रहे हैं। यदि आप हमारे कोयम्बटूर जिले में जाएं तो वहां आप कृषि प्रयोजनार्थ एक एकड़ भूमि भी नहीं खरीद सकते। सारी जमीनें कारखानों और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के लिए बेची जाती हैं। मैं किसान हूं पर मैं कृषि मजदूर जुटा पाने में समर्थ नहीं हूं। सभी मजदूरों को मिनि बसों द्वारा वस्त्र मिलों में ले जाया जा रहा है। उन्हें 100 रु. खाना और चाय मिल रही है। यह स्थिति है। इसलिए, कृषि मजदूरों की संख्या दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। उदाहरण के लिए, 1961 में कुल श्रमिकों का 73.5 प्रतिशत कृषि मजदूर थे लेकिन वर्ष, 2000 में यह केवल 54.04 प्रतिशत रह गयी है। इसलिए, संख्या दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। भारत सरकार ने डॉ. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में गांवों में मजदूरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आर ई जी पी योजना शुरू की थी, लेकिन उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, हमारी सरकार को सभी मजदूरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यापक अधिनियम बनाना होगा। उसे मजदूरों की पहचान करनी होगी और फिर उसके बाद सबसे पहले उन्हें इस अधिनियम के माध्यम से आवास सुविधाएं, दुर्घटना संबंधी लाभ, मातृत्व लाभ, बीमा आदि सुविधाएं दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदया, मैं श्री हन्नान मोल्लाह जी द्वारा प्रस्तुत कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005

का समर्थन करता हूं और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

महोदया, मुझे याद आता है:

"माया से माया मिले कर-कर लम्बे हाथ,
तुलसी हाय गरीब की पूछे न कोई बात।"

सचमुच कृषि कर्मकार सब से ज्यादा गरीब और पीड़ित समाज का तबका है। जब मौसम ठीक होता है, खेती और बुवाई ठीक हो गई तो उसे रोजगार मिल जाता है। अगर रबी और खरीफ फसल अच्छी हुई तो उसे रोजगार मिल जाता है लेकिन साल के बाकी महीने उसे भुखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ऐसे कर्मकारों के कल्याण के लिए यह विधेयक लाया गया है। इस संबंध में कई आयोग और कमेटियां बनाई गईं। कई सरकारें आयीं और चली गईं, कई श्रम मंत्रियों ने आश्वासन दिए परन्तु इस सब के बावजूद आजादी के 59 साल के बाद भी खेती क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए कोई कानून नहीं बन पाया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है?

सभापति महोदया, जब हम कल्याणकारी शासन की बात करते हैं, ऐसे समय में शासन का यह दायित्व हो जाता है कि कृषि कर्मकारों की दयनीय स्थिति पर विचार करें। इन बेचारों के पास न बीमे की पौलिसी है, न सोशल सिक्योरटी है, न पेंशन की व्यवस्था है और न इन लोगों को समय पर मजदूरी मिलती है। इनके लिए न शिक्षा की कोई व्यवस्था है न इन लोगों के रहने के लिए मकान की सुविधा है। परिणामस्वरूप, आज यहां तो कल वहां, जायें तो जायें कहां? जहां इन लोगों को काम-धंधा मिल जाता है, वहां बस जाते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि ये समाज के सबसे ज्यादा गरीब, कमजोर, पीड़ित तबके के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। ये शोषित और खेतों के अंदर काम करने वाले हैं। वहां अपना खून और पसीना एक करते हैं लेकिन पूरी मजदूरी फिर भी इन लोगों को नहीं मिलती है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि जिन राज्यों में सूखा पड़ जाता है, ये लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। वहां ये खेती का काम करते हैं। कश्मीर में आज भी आतंकवाद है जबकि पंजाब में आतंकवाद पहले था। जब ये निर्दोष लोग दिन भर मजदूरी करके रात में सोते हैं तो एक कवि की ये पंक्तियां याद आती हैं:

"श्वानों को मिलता दूध-दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं,
मां की छाती से चिपक सिसक-सिसक रह जाते हैं।"

उन बच्चों की दयनीय स्थिति होती है। जब ये लोग रात में गहरी नींद में सोये हुये होते हैं तो आतंकवादी इन्हें गोलियों से भून जाते हैं। इन लोगों को कम्पनसेशन देने की व्यवस्था भी नहीं है। वर्ष 1999-2000 में नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार मालूम हुआ कि देश के अंदर संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 39.7 करोड़ है। इनमें केवल 2.8 करोड़ कर्मकार ही संगठित क्षेत्र से हैं, बाकी 36.9 करोड़ कर्मकार असंगठित क्षेत्र के हैं। असंगठित क्षेत्र के 36.9 करोड़ कर्मकारों में से 23.7 करोड़ लोग खेती के क्षेत्र में कार्यरत हैं और शेष 1.7 करोड़ कर्मकार अन्यान्य क्षेत्रों में काम करते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां की व्यवस्था कृषि पर आधारित है। मैं बंगाल के साथियों से एक बात कहना चाहूंगा जिसे वे अन्यथा न लें।

सभापति जी, अभी सिंगूर का मामला हमारे सामले आया है। बंगाल में जमींदारी प्रथा चलती थी जहां खेतिहर मजदूर कार्य करते थे। सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त कर उस जमीन का कब्जा कृषि कर्मकारों को दे दिया गया जिन्हें बरगादार या बटाईदार कहा जाता है। आज इस इलाके में टाटा समूह के लिए कृषि भूमि अधिग्रहीत की गई है। बड़े-बड़े जमींदारों को तो पैसा मिल गया है लेकिन जो बेचारे गरीब किसान हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला है। जब उन्हें अपने हिस्से की राशि नहीं मिली तो वे आन्दोलित हो गए और सिंगूर का मामला हो गया। अब उन गरीब किसानों को पैसा भी नहीं मिला और कृषि कार्य भी बंद है। यह समस्या केवल सिंगूर में नहीं, बल्कि देश के कई भागों में है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो कृषि योग्य भूमि है, उसमें एस.ई.जेड्स न बनाये जायें। केवल बंजर भूमि ही इस काम के लिए ली जानी चाहिए या जो जमीन ऊबड़-खाबड़ है, उसे लिया जाना चाहिये।

वहां पर फैक्ट्रियां वगैरह बनें या वहां जो भी हो, लेकिन अगर खेती योग्य जमीन को लिया जाएगा तो जो खेती से मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो बड़े-बड़े जमीन के मालिक हैं, वे पंखों की छाया में बैठे रहते हैं और हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं, लेकिन श्रमिकों को काम करना पड़ता है। अगर उन बेचारों को काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी और भी बढ़ेगी। अगर वे जमीन लेते हैं तो उनके बच्चों को, किसान को, जिनकी जमीन ली गई है, उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कह रहा था कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहां की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था खेती के ऊपर आधारित है, लेकिन खेती पर आधारित क्षेत्र के अंदर भी, जो बेचारे खेती के अंदर मजदूरी करने वाले लोग हैं और जो धरती से सोना पैदा करते हैं, उन लोगों को इतनी दयनीय स्थिति में रहना पड़ रहा है।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि अब तो समय आ गया है, यूपीए सरकार बड़े जोर-शोर से कहती हैं कि हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया है तो फिर अब तक क्यों नहीं लाए? लगभग ढाई साल का समय बीतने वाला है और इतने समय बाद भी नहीं लाए? हन्नान साहब की पार्टियां इस पर पूरा समर्थन दे रही हैं। आप उनके ऊपर दबाव डालें कि कि इतने वर्षों के बाद आप जो विधेयक लाए हैं, वह भी केरल और त्रिपुरा की सरकार ने, जो छोटे-छोटे राज्य हैं, वहां जो असंगठित कृषि कर्मकार हैं, उनके कल्याण के लिए जो कानून बने हैं, उसके आधार पर उन्होंने यह विस्तृत विधेयक बनाया है और संसद के सम्मुख लाए हैं। इसके अंदर लाने का इनका जो उद्देश्य है, इन्होंने जो बताया और इसके अंदर भी इसका उल्लेख किया है कि कृषि कर्मकारों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कृषि के काम में जो महिलाएं हैं, उनके बारे में और जो दूसरे विवाद वगैरह हैं, उनके निपटारे के बारे में संसद ऐसे कानून का अधिनियमन करे, श्रम कानूनों को लागू करने का प्रयास करे और वह सारे देश में लागू हो। इस दृष्टि से सारे देश को सम्मुख रखकर यह बिल लाया गया है। इस बिल में पहले तो इन्होंने परिभाषा दी है कि कृषि कर्मकार किसे कहते हैं, इसके अर्न्तगत कौन-कौन से खेती में काम करने वाले लोग आए हैं। फिर अधिकरण का गठन करने की बात भी इन्होंने कही है। निरीक्षण की बात भी कही गई है। उनकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था की जा रही है या नहीं। निरीक्षकों की भी नियुक्ति करने की बात कही गयी है। सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार क्या करे। बोर्ड का गठन वगैरह, निधि की बात इसमें सबसे बड़ी बात है कि खेतिहर श्रमिकों के लिए कल्याण निधि का भी प्रावधान किया है, क्योंकि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, कोई बीमारी का शिकार हो जाए, अभी जैसे कह रहे थे कि गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है। कई बेचारे अशिक्षित होते हैं, उनसे दिन भर काम लिया जाता है। मैं जानता हूं कि वे बेचारे शाम को इधर-उधर की बनी हुई शराब अपना गम और थकान मिटाने के लिए पीकर सो जाते हैं। उन्हें खाने की भी सुध नहीं रहती, परिणामस्वरूप वे टीबी या कैंसर के मरीज बन जाते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण निधि के माध्यम से इलाज हो सके। उनके लिए ईएसआई कार्ड वगैरह भी बने या अस्पतालों में उनकी व्यवस्था हो। उनकी जहां बस्तियां हों, उन्हीं के पास में चलते-फिरते मोबाइल युनिट्स हों, जहां उनका इलाज हो सके। ये भी सब इन्होंने इसमें किया है। फिर जो मालिक मजदूर का ध्यान न रखे तो उनकी कुड़की वगैरह या उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही होनी चाहिए, इसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। रबी और खरीफ के मौसम के अलावा, जिन दिनों चार महीने, आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान का बजट मानसून का जुआ है, अच्छी वर्षा, अच्छी खेती, तो सब कुछ अच्छा और मजदूर भी खुशहाल, क्योंकि रोजगार मिल रहा है, लेकिन अगर वर्षा ज्यादा हो गई, तब भी खतरा और वर्षा कम हुई तो भी खतरा, सूखा पड़ा तो खतरा, बाढ़ आई तो खतरा। बिजली गिरी, ओले गिरे, ज्यादा ठंड हुई, ये सारे संकट उन खेतिहर मजदूरों पर आए हैं। इसलिए उन लोगों के लिए रोजगार गारंटी की व्यवस्था भी इसमें की गई है यह सरकार लाई है, लेकिन अभी देश के केवल दो सौ जिलों में ही उसे लागू किया है।

सभापति महोदया, यह जितने अच्छे ढंग से लागू करना चाहिए, वह नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसे सभी श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी का प्रावधान होना चाहिए। उनमें विवाद हो जाता है, तो उसको सुलझाने के लिए व्यवस्था की गई है। मालिक और नौकर के बीच, खेतिहर मजदूर और उसके मालिक के बीच यदि कोई विवाद होता है, तो उसका फैसला करने की व्यवस्था भी इस विधेयक में की गई है। कानून तो इस देश में बहुत बन जाते हैं, लेकिन उनका पालन ठीक प्रकार से नहीं होता है। इसलिए मैं श्री हन्नान मोल्लाह साहब से कहना चाहता हूं कि "कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार" कहना तो हम लोगों के लिए आसान है। ये मजदूरों की हितों की बात तो करते हैं, लेकिन मजदूरों के कल्याण के लिए वास्तव में जो योजनाएं और कानून बनने चाहिए वे नहीं बनाए गए हैं। इनके सहयोग से सरकार चलते हुए भी ढाई साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों के हितों के कानून नहीं बनाए गए हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारे किसानों को और मजदूरों के हितों के कानून जल्दी लाइए, ताकि देश के अंदर धरती से सोना पैदा करने वाले अन्नदाता के संकटों का वास्तव में निवारण हो सके और सच्चे अर्थों में उनका वेलफेयर हो सके। इसके साथ-साथ मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। जहां खेतिहर मजदूर रहें, वहीं उन्हें पी.डी.एस. की दुकानों के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदया, भाई हन्नान मोल्लाह जी द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2006 को सदन में कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया गया था जिसके अंतर्गत कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा उनके कार्य की दशा विनियमित करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर आज सदन में चर्चा हो रही है। कल ही हमने माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी द्वारा असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए नियम 193 में चर्चा की। इन दोनों विषयों पर हमारे अनेक सम्मानित सदस्यों ने विचार किया। आज हम देश के अंदर 15 करोड़ खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सुझाव और विचार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई माकूल कानून नहीं बना सके हैं। देखा जाए तो कृषि वानिकी, मछली पकड़ने वाले और प्लांटेशन क्षेत्र के तमाम ऐसे मजदूर हैं जो खेतिहर मजदूरों की श्रेणी में आते हैं। जैसा अभी हन्नान मोल्लाह जी ने अपने वक्तव्य में कहा, यह बात सत्य है कि हमने पेड़, पौधों और जानवरों के लिए तो कानून बनाए हैं,

लेकिन खेतिहर मजदूर और असंगठित मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं बना पाए हैं और न सदन में इस प्रकार का कोई कानून आया है जिसकी प्रतीक्षा करते हुए 30 वर्ष बीत गए हैं। सरकार बराबर आश्वासन दे रही है कि इस संबंध में एक कारगर बिल लाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक वैसा कानून नहीं लाया गया है। हम लोग आशा में जीते हैं। सरकार कहती है कि असंगठित मजदूरों के लिए हम एक बहुत अच्छा बिल लाने वाले हैं। देखा जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और खासकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के तमाम लोग हैं जिन्हें जन्म से लेकर मृत्यु होने तक भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। स्थिति यहां तक बदतर है कि इन लोगों के धर्मस्थल, धर्मशालाएं और श्मशान घाट तक अलग होते हैं। इनकी समाज द्वारा घोर उपेक्षा होती है, चाहे सरकारी दफ्तर हो, थाना हो या कचहरी हो। कहीं भी आप जाइए, इनके साथ भेदभाव होता है।

महोदया, कम खेती होने के कारण खेतिहर मजदूरों और कर्मकारों के लिए रोजगार की नियमित व्यवस्था करने हेतु नियम बनाने के लिए विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं। देश में बहुसंख्यक खेतिहर मजदूर ऐसे हैं जिनके पास केवल 2, 3 या 5 बिस्वे जमीन होती है, बीघे में भी जमीन नहीं होती है जिसके ऊपर वे अपनी खेती-बाड़ी कर के अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। यदि देश की संपूर्ण आबादी को देखा जाए, तो आज भी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 2000 के प्रतिवेदन के अनुसार 26 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं यानी बी.पी.एल. धारा के अंतर्गत रह रहे हैं, लेकिन कृषि श्रमिकों के बीच गरीबी का आकलन करने हेतु हमने अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है जिससे उनकी वास्तविक संख्या का पता लगाकर उनके रोजगार की, उनके रहन-सहन और शिक्षा की व्यवस्था की जा सके।

अपराह्न 5.00 बजे

उनको जो भी काम दिया जाता है, वह जोखिम भरा काम हम उन मजदूरों से लेते हैं, लेकिन न उनके लिए जीवन बीमा है, न उनके स्वास्थ्य बीमे की कोई गारण्टी है, न उनके लिए कोई पैंशन, न कोई वृद्धावस्था पैंशन की सुविधा है। इस तरह की तमाम दिक्कतें उनके सामने हैं, लेकिन श्रमिकों के लिए व्यापक विधान बनाने के लिए सरकार ने वायदा किया है और वह उसके लिए कटिबद्ध है और मेरे ख्याल से इसी सत्र में वह विधेयक आने वाला है।

जहां तक इनकी न्यूनतम जदूरी की बात कही गई है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर और लखनऊ में अकुशल मजदूरों को 120.37 और कुशल मजदूरों के लिए 161.47 रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन अगर देखा जाये तो आज भी सामाजिक सुरक्षा के नाम पर इनके लिए हमने कुछ नहीं किया। अभी कल ही जब हम यहां चर्चा कर रहे थे तो श्री अर्जुन सेनगुप्ता जी की अध्यक्षता में जो आयोग बना है, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन अभी तक उनके जो विचार और सुझाव आये हैं, वे तो बिल आने के बाद ही हम उन पर कुछ कर पाएंगे, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने थोड़ी बहुत इसमें पहल की है, जिससे उनको थोड़ी बहुत राहत मिली है। उसमें तमाम छोटे किसान भी हैं, खेतिहर मजदूर हैं, लघु-उद्योग के कामगार हैं और दिहाड़ी मजदूरों के अलावा विशाल जनसंख्या में पूरे देश में अगर देखा जाये तो खेतिहर मजदूर हमारे सामने हैं। इस सरकार ने तमाम योजनाएं लागू की हैं। अभी लेटैस्ट एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देने की बात की गई है, लेकिन अगर देखा जाये तो 265 दिन वे मजदूर क्या करेंगे, आज यह भी प्रश्नचिन्ह हमारे सामने है। श्री अर्जुन सेनगुप्ता जी की अध्यक्षता में जो आयोग बना है, उसने यह सिफारिश की है कि पांच हजार रुपये महीने से कम आमदनी वाले जो असंगठित मजदूर हमारे हैं, जिनमें कृषि मजदूर भी हैं, उनके लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष बनाये जाने के लिए उन्होंने सिफारिश की है और उसमें यह कहा गया है कि 25 परसेंट अंशदान श्रमिकों का होगा और तीन चौथाई केन्द्र सरकार देगी, बाकी को राज्य सरकार वहन करेगी। इसका बहुत बड़ा बजट आयोगा, लेकिन यह भी तभी पूरा हो पाएगा, जब हम सब लोग इसके लिए सोचेंगे और अपनी मंशा, अपनी मानसिकता बदलेंगे, तभी हम इस काम को पूरा कर पाएंगे।

जहां तक 30 करोड़ असंगठित मजदूरों को पैंशन और स्वास्थ्य बीमा व अन्य सुविधाएं देने की बात है, वह हम तभी कर पाएंगे, जब हमारी मानसिकता बदलेगी और ईमानदारी से, दिल साफ करके अगर हम कुछ करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर देखा जाये तो ये भी समाज में एक इन्सान हैं, ये भी बहुत मेहनत-मजदूरी, मशक्कत करके बहुत बड़ा निर्माण खड़ा करते हैं, जो हमारे देश के विकास में मेन भागीदार बनते हैं।

अगर देखा जाये तो आज रोजगार का भी अभाव है, गांवों में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब तो तमाम मशीनें आ गई हैं, कारवाइन हारवेस्टर मशीनें हैं, जो 250 मजदूरों का काम कम लागत में अकेली करती है। मजदूर जिस काम के 900 रुपये लेते हैं, यह मशीन 500 रुपये में पूरे खेत की कटाई का काम कर देती है। पहले तो इन मजदूरों को जब मशीन नहीं थी तो 9-10 महीने का काम मिल जाता था, लेकिन इस मशीनीकरण के युग में आज मात्र उनको दो महीने भी काम मिल जाये तो बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि आज ये श्रमिक सब्जी बेचते हैं, कबाड़ बेचने का काम करते हैं, रंग-रोगन करने का काम करते

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

हैं, राज-मिस्त्री का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि शहरों में जहां पर चौराहे होते हैं, वहां पर मजदूरों की मंडियां लगती हैं। उसमें यह भी नहीं होता कि सभी को रोजगार मिल जाता हो। जिनको काम मिल गया, वे तो काम करने के लिए काम पर चले गये, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे खेतिहर मजदूर हैं, जो गांव से शहरों की ओर जाते हैं तो वे बेचारे धक्के खाकर चले आते हैं, उनको काम नहीं मिलता है तो उनके यहां दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। तब वे किसी प्रकार से कर्जा लेकर अपने बच्चों का भरण-पोषण करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। आज भी अगर देखा जाये तो उनके बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें खेतिहर मजदूरों के बच्चे हैं, छोटे किसानों के बच्चे हैं। सरकारी स्कूलों में देखा जाये तो आज हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 85 परसेंट बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वे प्राइमरी विद्यालय हो या जूनियर हाई स्कूल हों, उनमें ये लोग अध्ययन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा और कल भी इस सदन में चर्चा हुयी थी, डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी का स्लोगन मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हर बेकारों को काम दो, नहीं तो कम से कम उन्हें बेरोजगारी भत्ता दो। आज अगर हम उनको काम नहीं दे पाते, तो उनके लिए जो हम बिल लाने वाले हैं, उसमें बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, तभी जाकर उनका जीवन स्तर सुधर सकता है।

एक सिफारिश हम सुझाव के तौर पर हम करना चाहेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जो तमाम राशन की दुकानों में और अन्य जगहों पर जो सामान मिलते हैं, चाहे वह गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, मिट्टी का तेल हो, चीनी हो, चाय की पत्ती हो, साबुन हो, कपड़ा हो, इनको खेतिहर मजदूरों को, असंगठित मजदूरों को आधे दामों पर देना पड़ेगा, चाहे वह कैंटीन के माध्यम से या जैसे भी हो, इनकी आय को देखते हुए, इनकी स्थिति को देखते हुए, इनको आधे दाम पर हर सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी। इन्हें आज तक समाज में सम्मान नहीं मिल पाया है। उनके साथ पुलस का दुर्व्यवहार हुआ है, जैसा कि रासा सिंह रावत जी कह रहे थे कि अगर आदमी कमाने के लिए शहर जाता है, औरतें भी गांव में छोटा-मोटा काम पा जाती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई बाधित होती है। बच्चे भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, जो बाल मजदूर होते हैं। उनको मां भेज देती है कि पता नहीं तेरा पिता गए हैं, उन्हें काम मिले या न मिले, तो वे बाल मजदूरों को प्रोत्साहन देती हैं कि जाकर तू कमा के ला, तब जाकर दो वक्त की रोटी नसीब होती है। आज हमें इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि देहात में और ग्रामीण स्थलों में जो इस प्रकार के मजदूर हैं, उनको चिन्हित करके, जैसा कि कुछ सरकारों ने पहल की थी कि उनके घरों में कम से बिजली पहुंचे और उनसे बिल न लिया जाए, उनको मुफ्त बिजली दी जाए। उनके लिए शुद्ध पेयजल, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा आदि की व्यवस्था हमें करना पड़ेगा, तभी जाकर जिसके लिए हम चिंतित हैं, उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं।

एक सवाल और भी है, समय-समय पर इन लोगों का शोषण हुआ है और ये अन्याय और अत्याचार से जुड़े हैं। हम जिन्हें बंधुआ मजदूर के नाम से जानते हैं, उनके भी उन्मूलन का सवाल है। गांव स्तर पर देखें तो बड़े-बड़े लोगों के यहां उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती आ रही है, एक तरीके से बंधुआ मजदूर हैं। ऐसे लोगों को भी वहां से छुड़ाने की जरूरत है, ताकि अपने घरों में अपना स्वयं का रोजगार वे कर सकें, यह व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। आज देश में ऐसी स्थिति है कि देश में 71 प्रतिशत मजदूर ऐसे हैं, जिनका प्रतिमाह चार सौ बीस से पांच सौ रुपए के बीच उनके परिवार का गुजारा होता है। जहां तक एक समस्या जो हमारे सामने विकराल है, मैं उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, जो महिला मजदूर हैं, कल भी हमने उनके बारे में बात की थी। मणिपुर में आज भी हजारों महिलाएं बीए पास हैं, जो खेतों में धूप में काम करती हैं, धूप से बचने के लिए चंदन का लेप करके खेतों में मजदूरी करती हैं, उनकी भी समस्या है। उनके छोटे-छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और उनको क्रेच जैसी व्यवस्था मिले, तभी हम उनको सहूलियत दे सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यूनान, ग्रीस गया था, एथेंस गया था, वहां मैंने देखा कि पंजाब के करीब दो-ढाई हजार लोग हैं, वे बड़े-बड़े फार्म हाउस में खेती-बाड़ी का काम देखने का काम करते हैं। आज उनकी समस्या की तरफ भी गौर करना पड़ेगा कि यहां रोजगार नहीं मिल पाया, किसी कारण हमारे मजदूर विदेश गए हैं, वे असंगठित मजदूर ही कहे जाएंगे, उनके लिए भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस बिल में उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था या प्रावधान हों, ताकि हम उन्हें सहूलियत दे सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री सुग्रीव सिंह* (फूलबनी): सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक सभा में पेश किया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारी आबादी के अधिकांश लोगों का प्राथमिक पेशा कृषि है। कृषि मजदूरों की संख्या भी बहुत बड़ी है। कल इस सम्माननीय सभा में हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सौभाग्यवश, आज हम अपनी आबादी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक, कृषि श्रमिकों के बारे में चर्चा कर रहे

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

हैं। माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह ने बहुत ही उपयुक्त और उचित समय पर इस विधेयक को पेश किया है।

महोदया, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा कृषि श्रमिक हैं। लेकिन वास्तव में यह संख्या इससे भी कहीं अधिक होगी। हमारा देश कृषि पर बहुत अधिक आश्रित है। कृषि हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत है। साफ शब्दों में कहें तो हम कृषि या कृषि श्रमिकों के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने कभी भी इन लोगों की जरूरतों की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। चाहे उनकी शिक्षा की समस्या हो अथवा स्वास्थ्य की समस्या हो या उनके जीवन दशाओं का प्रश्न हो उनकी घोर उपेक्षा हुई है। हमने कभी भी उनकी दशा में सुधार करने की बात नहीं सोची है।

अभी तक उनके लिए जो कुछ किया गया है, वह बहुत ही नगण्य है। कृषि श्रमिक इस देश की बढ़ती हुई लाखों की आबादी का पेट भरने के लिए कठिन श्रम करते हैं। न तो सरकारी स्तर पर न ही निजी क्षेत्र में इस वर्ग के प्रति कोई ध्यान दिया गया है। उन्हें न तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हैं और न ही उनका जीवन स्तर अच्छा है। चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार, कोई भी उनके कल्याण के बारे में चिंतित नहीं है। मैं मानता हूं कि समय-समय पर कृषि श्रमिकों की मजदूरी केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर बढ़ाई गई है लेकिन यह बहुत ही कम वृद्धि है जिसका वास्तव में उनके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है।

चुनाव लड़ते समय हर राजनीतिक दल उनकी दशा में सुधार करने का वायदा करता है लेकिन सत्ता में आने के बाद कृषि मजदूरों को एकदम भूल जाते हैं। केन्द्र सरकार इन लोगों के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करती है लेकिन इन लोगों के निमित्त बनी ये योजनाएं कभी-कभी बीच में असफल हो जाती हैं। अब समय आ गया है कि इन योजनाओं का विश्लेषण किया जाए कि ये योजनाएं कितनी सफल या असफल रही हैं। हमें इस स्थिति का जायजा लेना होगा। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे को लोगों में कृषि श्रमिकों की संख्या 26% है जिनकी हालत बहुत ही दयनीय है। ये लोग समाज के सबसे निचले स्तर के होते हैं और बहुत ही गरीब होते हैं।

सरकार ने उनके कल्याण के लिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना आदि जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हाल ही में संप्रग सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्य को कम से कम 100 दिन का काम देने के बारे में सोचा गया है। तथापि, यह योजना बहुत जटिल लगती है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणित श्रमिक है तो भी इस योजना के तहत उसे लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को सरल बनाने की आवश्यकता है। हमें प्रत्येक पहलू का विश्लेषण और जांच करने की आवश्यकता है।

कृषि श्रमिक सुबह से शाम तक खेतों में कठिन श्रम करते हैं। कभी-कभी वे दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, चोट या बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन्हें बीमा सुरक्षा नहीं मिलती है। सरकार ने गरीब लोगों के लिए जनश्री बीमा योजना यूनिवर्सल हेल्थ इन्श्योरेंस स्कीम जैसी योजना बनायी हैं। क्या इसका लाभ लोगों को मिल रहा है? सरकार को समय-समय पर इन चीजों के बारे में जायजा लेने की जरूरत है? यदि इन लोगों को इस बात का विश्वास नहीं है कि उन्हें प्रतिदिन दोनों जून का भोजन मिल पायेगा। तो क्या वे अपने प्रीमियम का भुगतान करने के बारे में आश्वस्त होंगे।

इसलिए, महोदय मैं यह मांग करता हूं कि एक ऐसी बीमा योजना शुरू की जाए जिसका लक्ष्य कृषि श्रमिक और असंगठित मजदूर हों। मैं मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ाने का भी मांग करता हूं। भारत के सभी राज्यों में मजदूरी में समानता होनी चाहिए। यह समानता पाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त विधिक उपाय किये जाने चाहिए। महोदय, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि कृषि श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा एक नया कानून पारित किया जाना चाहिए। महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 5.18 बजे

[श्री चरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं कामरेड हन्नान मोल्लाह को यह विधेयक सभा में पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक के माध्यम से सभा को लोगों की एक महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ। जी हां, हमें इस पर चर्चा के लिए 24 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर भी चर्चा हो रही है। जब यह चर्चा हो रही है तो यह अच्छी बात है कि श्री हान्डिक यहां उपस्थित हैं।

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

श्री हान्डिक, क्या आप को याद है कि तीन सत्र पूर्व जब मैं एक चर्चा में भाग ले रहा था तो आपने इस सभा को आश्वासन दिया था कि उस सत्र के अंत तक या अगले सत्र के प्रारंभ में आप असंगठित क्षेत्र के लिए यह विधेयक सभा में रखेंगे। शायद आपको यह स्मरण होगा।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मुझे याद है। कुछ समस्याएं हैं जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया था?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यही समस्या है। मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में बहुत सी बातों में समानता है, अर्थात् जैसे भूलने की आदत, राजनीतिक वचनबद्धता का अभाव और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव। पिछले चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी का यह मुख्य नारा नहीं था कि आम आदमी और उसकी समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा।

प्रो. रासा सिंह रावत और उनके सहयोगी यहां उपस्थित हैं। प्रो. रावत, आपका भाषण आश्चर्यजनक था। आप इसका समर्थन कर रहे थे। यह अच्छी बात है।

महोदय, छह वर्षों से उनकी पार्टी सत्ता में रही लेकिन उन्होंने इस पर चर्चा के लिए छह मिनट का भी समय नहीं निकला। इसलिए भूलने की आदत और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव दोनों में है। अब, मैं उनके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बीती हुई बात है। ...*(व्यवधान)* विपक्ष में बैठकर इसका समर्थन करना आपके लिए आसान है। सत्ताधारी पार्टी के रूप में आपके पास चर्चा के लिए छह मिनट का भी समय नहीं था। आपने कभी प्रयास भी नहीं किया। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ...*(व्यवधान)* अब, मैं संप्रग सरकार की चर्चा करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं और आपके माध्यम से मैं दोनों पक्षों से यह बात कह रहा हूं।

महोदय, संप्रग सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में एक वायदा किया था कि वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे। मैं जानता हूं कि यदि आप इसी तरह भूलते रहे या आपके साथ कोई समस्या आ गई तो आपका क्या होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: हम उसे भूले नहीं हैं। हमारे पास अभी भी ढाई वर्ष का समय है। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: समस्या यह है कि वे कुछ कह नहीं सकते। अब, समस्या इच्छा शक्ति के अभाव की है। मैं इस विषय पर और कुछ नहीं कहना चाहता।

महोदय, आजादी के आंदोलन के समय जब कांग्रेसी सरकार यहां पर थी तब पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में पहले योजना आयोग का गठन किया गया था। श्री सुभाष चन्द्र बोस जैसे विद्वान लोग उस आयोग के सदस्य थे। क्या संक्षेप में बताएंगे कि उस आयोग ने क्या सिफारिशें की थी? महोदय, आपको याद होगा क्योंकि आप एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। आयोग ने सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास की बात की थी। यही इसका सार तत्व था। मुझे इसका विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इन साठ वर्षों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उस सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया। यही स्थिति है। जब आप आम आदमी के बारे में बोल रहे थे तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रम का प्रचार कर रहे थे तब आपने कहा था कि आप इसका हल खोजेंगे। अब, ढाई वर्ष बीत चुके हैं। कृपया यह याद रखें। सूर्यास्त आरम्भ हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है। यह आत्मन्थन का समय है। कृपया ऐसा न सोचें कि कार्यकाल के अंत में आप एक ऐसा विधान लायेंगे और इसे लागू कर देंगे, कोई भी व्यक्ति इस लीपापोती पर विश्वास नहीं करेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: हमारे पास अभी भी ढाई वर्ष शेष हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: आप हमें ढाई वर्ष की और प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं। यही बात मैं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: यह शीघ्र ही लाया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: पिछले ढाई वर्षों में आप इसे लाने में नाकाम रहे। मुझे यकीन नहीं है कि अगले ढाई वर्षों में आप इसे ला सकेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): आप क्या मानते हैं कि उन्हें क्या हो जाएगा? ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: जो आपको हो गया है वह आपको हो जाएगा। इसलिए, मैं सं.प्र.ग. सरकार को चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो, तो सौ बार सोचें और इस विधेयक को लायें, इस सत्र में नहीं तो कम से कम आगामी

बजट सत्र में इसे लायें। आप यह वचन अब दे सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: हम देखते हैं। निश्चित ही ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह एक समस्या है। आप वचन नहीं दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: मैं केवल यह कह सकता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं मैं सरकार पर इस प्रकार का विधेयक लाने का दबाव डाल सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: आप देख सकते हैं कि वे चालाकी से बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): इसलिए, वे मंत्री हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधेयक के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं।

महोदय, हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। यहां राजनैतिक इच्छा की कमी है। केवल यही समस्या है। वर्ष 1979 में केरल में असंगठित कामगारों के संबंध में विधान लाया गया था। महोदय, 3 वर्ष पूर्व केरल जैसा एक गरीब राज्य ऐसा विधान ला सकता है।

सभापति महोदय, आपके मित्र या गुरू श्री अच्युत मेनन, उस समय केरल के मुख्यमंत्री थे।

आपको जानना चाहिए कि इस विधेयक द्वारा कामगारों को वे सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिनकी श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थीं, ने संसद में सिफारिश की थी। उस समय भी मैं संसद सदस्य था उन्होंने कहा था कि मैं सभी मुख्य मंत्रियों को लिखूंगी....." उन्होंने लिखा भी होगा...." इस प्रकार का विधान प्रत्येक राज्य में लाने के लिए।" परन्तु श्री हान्डिक जी एक भी मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी को सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। मैं नहीं जानता कि आज उन्होंने आपकी बात कहां तक सुनी होगी, जबकि आपातकाल के दिनों में भी उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी।

महोदय, समस्या यह है कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वे केवल बातें करते हैं। परन्तु उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग इन सब बातों को भूल जायेंगे।

मंत्री महोदय, आपको पता होगा कि दो सप्ताह पूर्व, कामगारों-विनिर्माण उद्योग के कामगार तथा असंगठित क्षेत्र के कामगार विशेषरूप से कृषि कामगारों का एक बड़ा जलूस निकला था। वे लाखों की संख्या में एकत्रित हुए थे। वे वही लोग थे जिन्होंने पिछली बार आपको वोट दिया था जब आपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत एक जीवन, एक नए भविष्य का वायदा किया था। उन्होंने आपके लिए मतदान किया। उस जलूस में वे भी गुस्साये हुए थे तथा उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें धोखा दिया गया है। हमने उन्हें कहा कि "हमें इस मामले पर विचार करने दें।"

श्री विजय हान्डिक: आपने अपना विचार बदल लिया।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: आप खड़े हो जाइये तथा अपनी बात कहिए। ...*(व्यवधान)* मैं भाषण समाप्त कर सकता हूं, आप अपनी बात कहिए।

श्री विजय हान्डिक: मैंने सोचा कि आपने भाषण समाप्त कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: सभापति महोदय, देखिये वे वायदा करने के लिए भी खड़े नहीं हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: जी हां। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: आप अत्यंत वाकपटु हैं क्यों नहीं? ...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: मैंने कहा, अपने विचार बदलें ...*(व्यवधान)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): आज, मैं मौन रहकर वाकपटु होना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह एक अन्य विचार है, क्या आप जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: नहीं, श्री चन्द्रप्पन जी मेरा विचार है कि आपको यह समझना चाहिए कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां 1.5 बिलियन लोग निवास करते हैं, प्रगति पथ पर आगे बढ़ना हमारे देश का मूलभूत विचार होना चाहिए और इसके लिए गरीबों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: जी, हां।

श्री कपिल सिब्बल: हमारे पास गरीबों तक पहुंच के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, इसलिए यह सब साथ-साथ चलना चाहिए. आर्थिक विकास ग्रामीण क्षेत्र में निवेश, कृषि कामगारों तक पहुंच....

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: तथा सामाजिक न्याय।

श्री कपिल सिब्बल: जी हां, सामाजिक न्याय भी। ये सब साथ-साथ चलना चाहिए, चूंकि समानता के बिना कोई उन्नति नहीं होगी। ठीक है? मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पांच वर्षों के समय में, जबकि आप सोचते हैं कि यह सूर्यास्त का समय है, पांच वर्षों के अंत में, आप देखेंगे कि पुन: सूर्योदय होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: इसलिए उन्होंने कहा कि 'भारत उदय' ...*(व्यवधान)* सूर्यास्त के बाद, उन्होंने कहा: देखो भारत उदय हो रहा है।''

श्री कपिल सिब्बल: आप देखेंगे कि यहां प्रत्येक पांच वर्षों के बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: जी हां।

श्री कपिल सिब्बल: ऐसा होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल पर यहां सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, जिससे यहां नए लोग आते हैं; हमें इसे भूलना नहीं चाहिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: मेरा विचार है कि उन्होंने शायद यह कहा है कि पांच वर्ष बाद यहां से पुन: सूर्योदय होगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: इस बात का मैं उन्हें स्मरण करा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: जी नहीं। सामान्यत: उस दिशा से सूर्योदय होता है। वह पूर्व दिशा है। ...*(व्यवधान)* इसलिए राजनीति में, संसद में हम इस प्रकार बैठते हैं जिससे कि सूर्य हमेशा विपक्ष से उदित होता है तथा हमेशा सत्ता पक्ष पर अस्त होता है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह ठीक है।

श्री कपिल सिब्बल: चिन्ता मत कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैंने कहा था कि आपको चिंता करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: आप हमारे साथ होंगे, आप हमारा समर्थन करेंगे, आप हमारे साथ संघर्ष करेंगे तथा एक साथ सूर्योदय होगा। इसलिए, इसकी चिन्ता न करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: हम आपके साथ हैं, इसलिए हम अधिक चिन्तित हैं। आपके साथ कहीं हम न डूब जाएं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं अपने भाषण के अंतिम भाग पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय: यह चर्चा आपस में नहीं हो सकती है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, हम आपको बीच में रखकर चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यहां समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आपका समय पूरा हो गया है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मुझे भाषण समाप्त करने दें।

सभापति महोदय: सामान्यत: संसदीय कार्य मंत्री चुप ही रहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: यह अत्यधिक निर्दयता होगी।

सभापति महोदय: श्री हान्डिक, आप हमेशा शान्त रहते हैं। यहां, आप हर बात का उत्तर क्यों दे रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सामान्यतया, वे सभा में चुप रहते हैं। लेकिन आज वे हर बात पर बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसका श्रेय आपको जाता है, श्री चन्द्रप्पन।

श्री विजय हान्डिक: यह पहली बार है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं उन्हें आश्वस्त कर दूं कि ऐसा कानून शीघ्र ही वास्तविकता बन जाएगा।

सभापति महोदय: ठीक है। आपका धन्यवाद।

जी हां, श्री चन्द्रप्पन।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: अब मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा करने के लिए मजबूत राजनैतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए।

महोदय, आप केरल के रहने वाले हैं। मैं भी वहीं का हूं। क्या इस विधान को इसलिए पारित किया गया था कि हमारे पास बहुत अधिक संसाधन हैं और हम उन्हें किसी भी तरह से व्यय कर सकते हैं? जी नहीं, हमने यह निर्णय लिया था कि इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आप देखिए कि आप में और साम्यवादियों में कोई तो अंतर है। आप इसे समझिए। वर्ष 1936 में कराची में प्रसिद्ध कराची संकल्प पारित किया गया था।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: आपको समय में वृद्धि करनी पड़ेगी। यह एक अच्छा विषय है।

सभापति महोदय: मेरे पास वक्ताओं की एक लंबी सूची है। दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए। आप बहुत अधिक समय ले चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: सत्ता पक्ष से बोलने वाला कोई नहीं है, सभी विपक्ष के हैं। महोदय, यदि हम आपको भी सम्मिलित कर लें तो आप भी इसी पक्ष के हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: इसलिए सारे सदस्य हमारे पक्ष के हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि कराची संकल्प किस प्रकार कार्यान्वित किया गया था। साम्यवादी वर्ष 1957 में पहली बार केरल में सत्ता में आए थे। उस समय श्री ई.एम.एस. नम्बूदरीयाद मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा था? उस समय ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी कि साम्यवादी सत्ता में आना शुरू हो गये हैं और अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा था: "चिन्ता मत कीजिए। कांग्रेस जो भूल गई है हम उसे अर्थात् कराची संकल्प को कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे।" पद पर आसीन होते ही पहला आदेश यह जारी किया गया कि अब काश्तकारों को बढाईदारों को हटाया नहीं जायेगा। झोंपड़ियों में रहने वालों को हटाया नहीं जायेगा। इसके बाद इसके बारे में विधान बनाने का उपाय किया गया। महोदय, आपको उस समय का स्वतंत्रता संघर्ष याद है।

हम सत्ता से बाहर हो गए। फिर हम 1971 में सत्ता में वापस आए। एक ही बार में भूमि सुधार पूरी तरह से कार्यान्वित किए गए। एक ही बार में शुरू से आखिर तक भूमि सुधार लागू किए गए। मैं यह कह सकता हूं कि आज तक भी केरल का वह भूमि संबंधी विधान एक मील का पत्थर बना हुआ है। हम जिस विधान के बारे में बात कर रहे हैं, यह उसी का एक भाग है। श्री जवाहर लाल नेहरू और श्री सुभाष चन्द्र बोस ने इस देश को यह बताया था कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। हम भी यही सोचते हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। आप इन लोगों के साथ न्याय कीजिए। हमने यह किया है।

आपको आश्चर्य होगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ताड़ी निकालने वालों की स्थिति बहुत खराब है। जी नहीं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। ताड़ी निकालने वालों के लिए विधान बनाया गया है। ये कल्याणकारी विधान है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनके पास सारे साधन हैं। उनके बच्चे, उन लोगों की दूसरी पीढ़ी, इंजीनियर हैं, अध्यापक हैं, वैज्ञानिक आदि हैं। अत: हम एक नए जीवन का निर्माण कर रहे हैं। हम आम आदमी के परेशान जीवन में रोशनी ला रहे हैं। हम कृषि संबंधी विधान के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें पेंशन दी जाती है। विधवाओं की सहायता के लिए उपाय किए गए हैं। उनकी बच्चियां हैं। उनकी शादी के समय कल्याणकारी कोष उनका ध्यान रखता है। आम आदमी की सहायता के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

लेकिन क्या केरल में हमारे पास इतने संसाधन हैं? आपने ऐसा तब कहा है जब आपके पास संसाधन आ गए हैं। आप सब के साथ सामाजिक न्याय करेंगे और इसका लाभ प्रत्येक को मिलना चाहिए। गत 60 वर्षों से यह न्याय सब को नहीं मिला है।

श्री कपिल सिब्बल: मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा था कि यह सब को मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में विकास दर में वृद्धि हुई है। हमारे देश के बहुत से लोगों को सामाजिक न्याय मिला है। आज मध्यम वर्ग की जनसंख्या 400 मिलियन है। केरल में शिक्षा के बावजूद गरीबी का स्तर उतना ही है। यदि आप संख्या के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं भी बता सकता हूं।

श्री कपिल सिब्बल: पश्चिम बंगाल में यह कानून कहां है। आपने साम्यवादियों की बात की है। इस पर मैत्रीपूर्ण चर्चा की जाए। अन्यथा, मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखूंगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: नहीं, ऐसा नहीं है। इस दृष्टि से यह एक मैत्रीपूर्ण चर्चा है कि यह आपको याद दिला दे कि। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। श्री फ्रांसिस जार्ज को बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह आपको इस बात का अहसास दिलाने के लिए है कि आपको यह विधान बनाना चाहिए; अन्यथा, आप पुन: सत्ता में नहीं आ पाएंगे।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय: आप लंबे समय से यही कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह अंतिम निर्णय है। *...(व्यवधान)* मैं कामरेड हन्नान मोल्लाह द्वारा पुर:स्थापित इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं। सरकार को यह वादा करना चाहिए कि वह इस विधेयक की मूल बातों को स्वीकार करेगी और सारे असंगठित क्षेत्र के लिए एक व्यापक विधेयक लाएगी।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: श्री फ्रांसिस जार्ज। आप अपने स्थान पर नहीं हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मुझे वहां बैठने में थोड़ी आशंका हो रही है। मैं अकेला था अत: मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था इसलिए मैं इस ओर आ गया। *...(व्यवधान)* इसलिए, मैं अच्छी संगत के लिए यहां आ गया। *...(व्यवधान)* मैं यहां से बोलना चाहता था। अत: मैं यहां आ गया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जहां खड़े हैं मैं आपको वहीं से बोलने की अनुमति देता हूं क्योंकि इस पर बहस करने के लिए समय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मैं सबसे पहले अपने वरिष्ठ साथी, श्री हन्नान मोल्लाह को बधाई देना चाहता हूं कि वे एक ऐसा विधेयक लेकर आये हैं जो इस देश में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले मेरे प्रत्येक आदरणीय साथी ने कहा है।

महोदय, हाल में हमने कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के बारे में बहुत सारी चर्चा की है, हमारा कृषि क्षेत्र गत कई वर्षों से संकटग्रस्त है। मैं नहीं जानता कि श्री कपिल सिब्बल पुन: इस पर आपत्ति करेंगे या नहीं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह संकट केवल कई आर्थिक नीतियों को अपनाने के कारण हुआ है, इसके बहुत से कारण हैं। संभवत: वे नीतियां भी उनमें से एक कारण हैं। हमने वर्ष 1991 में इन नई आर्थिक नीतियों को आरंभ किया था और मैं इस बात से सहमत हूं कि हम लंबे समय तक इनसे दूर नहीं रह सकते थे। हमें विश्व का हिस्सा बनना ही था।

महोदय, हमने संकट के बारे में बात की है लेकिन यह संकट इस स्थिति में पहुंच गया है कि किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे देश में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, केरल और विदर्भ में हजारों की संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं। हमने किसान और कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता के बारे में अनेक बातें की हैं। इसके संबंध में बहुत सी नीतियां बनाई गई हैं। इस नई सरकार के सत्ता में आने के बाद बजट के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सी धनराशि आबंटित की गई है। संभवत: इसके परिणाम सामने आने में समय लगेगा। हम भी इसकी सराहना करते हैं। लेकिन किसान और कृषि मजदूर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरे दल ने इस देश में पहली बार यह कहा था कि कृषि मजदूर और किसान साथ चलते हैं और उन्हें साथ चलना पड़ेगा। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं लेकिन हमारे कृषि मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है और वे पूर्णतया असंगठित हैं। संभवत: केरल और त्रिपुरा को छोड़कर, मेरे विचार से ऐसा कोई राज्य नहीं है- शायद मैं गलत होऊं और मैं यह आशा करता हूं कि मैं गलत होऊं- जिसने अभी तक हमारे समाज के इन नि:सहाय वर्गों की सहायता के लिए ऐसा कोई व्यापक विधेयक तैयार किया हो।

जैसा कि श्री हन्नान मोल्लाह ने कहा है कि कृषि जोतों, खेतों में, और कृषि भूमि पर 10 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। यह उचित समय है कि ये लोग संगठित हों और हमारे देश के अन्य कामगार लोगों को जो लाभ मिल रहे हैं, वे इन्हें भी मिलें। यही इस विधेयक का उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात पर गंभीरता से सोचेगी और एक ऐसा व्यापक कानून बनाएगी जिसे पूरे देश में समान रूप से इन नियमों और विनियमों पर लागू किया जाएगा। जिस संकट का उल्लेख मैंने पूर्व में किया है, उससे न केवल किसान प्रभावित हैं बल्कि कृषि मजदूर संभवत: सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

केरल में मेरे चुनाव क्षेत्र, इदुक्की जिले जोकि नकदी फसलों और मसालों की पैदावार वाली भूमि है तथा जहां पर बड़ी संख्या में चाय और कॉफी की पैदावार भी होती है, वहां भी, इस समय मजदूरों की स्थिति बहुत बुरी है। बहुत कम आय के कारण सामान्य किसानों को अपनी कृषि भूमि से कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए, वे व्यावहारिक रूप में अपने खेतों में कोई काम नहीं कर रहे हैं और इस समय कोई भी मौसमी खेती नहीं हो रही है। इलायची, काली मिर्च और अन्य मसालों के मामले में सही मौसम पर काम करना होता है लेकिन इन फसलों से कोई आय प्राप्त होने के कारण किसान ऐसी मौसमी कार्यों से अलग होते जा रहे हैं। इससे कृषि श्रमिक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं।

इनमें उर्वरक नहीं डाला जा रहा है, उनकी कटाई नहीं हो रही है तथा रसायनों का उपयोग और अन्य कई बातें, जो इससे जुड़ी हैं नहीं हो पा रही हैं। इस विशेष क्षेत्र में संकट अर्थात् कीमतों के भारी गिरावट के कारण किसानों द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। इससे कृषि श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसलिए, कई लोगों ने पलायन कर लिया है, जैसा कि सभा में मेरे साथियों ने पहले ही कहा था। उनमें से अधिकांश काम की तलाश में नगरों और शहरों में पलायन कर गये हैं और इससे कृषि क्षेत्र और प्रभावित हुआ है।

इस विशेष वर्ग के लिए रोजगार के मामले में किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है जिसका उल्लेख इस विधेयक में किया गया है। काम के घंटों को निश्चित करने के लिए कोई नियम नहीं है। तथा उनके लिए कोई भविष्य निधि नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसे लागू नहीं किया गया है। जहां तक इन वर्गों का संबंध है इसे लागू करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। कृषि से होने वाली बहुत ही अल्प आमदनी के कारण परिवार के सदस्य भी अत्यंत गरीबी की स्थिति में होते हैं। वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पाते हैं, परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं आदि का सही समाधान नहीं कर पाते हैं। ये श्रमिक अपने परिवार के सदस्यों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में भी बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं।

अब मशीनीकरण का युग आ गया है। मैं मशीनीकरण के विरुद्ध नहीं हूं, हमें समय के साथ चलना होगा। हमें अपने कृषि जोतों में मशीनों का इस्तेमाल करना होगा लेकिन इस मशीनीकरण ने किसी न किसी रूप में इन श्रमिकों को भी प्रभावित किया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्वयं सभा में उपस्थित हैं। इसलिए, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो अनुसंधान और उपलब्धियां हासिल की गई हैं उनका लाभ कृषि फार्म और खेतों को भी मिले। यह बहुत जरूरी है और इसे हमें सुनिश्चित करना चाहिए अब तक हम इस क्षेत्र में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। हमने बहुत कुछ किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। वास्तव में, मैंने स्वयं इस पहलू को देखा है और भारत के सभी राज्यों की योजनाओं को भी मैंने देखा है। यदि आप उनकी योजनाओं में से किसी भी एक पर नजर डालें तो आप पायेंगे कि राज्य सरकारों की योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में एक वाक्य भी नहीं लिखा है।

हाल ही में मैंने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से भेंट की थी और मैंने उनको बताया कि केन्द्र उनके सात सहयोग करने और उनके साथ भागीदारी करने के लिए तैयार है। इसका कारण है कि प्रत्येक राज्य में खेती के अलग-अलग तरीके हैं। उत्तरी भाग में गेहूं की पैदावार होती है जबकि दक्षिण और उत्तर पूर्व में चावल उगाई जाती है और आपके यहां इलायची, चाय, कॉफी, मसाले जैसे तथा अन्य नकदी फसल भी उगाई जाती है। इसलिए प्रत्येक राज्य को अपनी अलग रणनीति बनानी होती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के साथ भागीदारी करता हूं और अनुसंधान तथा विकास लाभों को कृषि क्षेत्र को स्थानांन्तरित करता हूं। दुर्भाग्यवश राज्य सरकारों का सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने-अपने मुख्यमंत्रियों को केन्द्र के साथ सहयोग करने को कहें ताकि हम उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ दे सकें।

बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो आज कृषि क्षेत्र में विकास दर 1.7 प्रतिशत है। अंतिम तिमाही में सामान्य विकास दर 9.2 प्रतिशत था। इसलिए, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र के बारे में हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि इससे 700 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस मदद के बारे में आप इस सभा में बात कर रहे हैं उसके लिए आप हम तक आएं।

सभापति महोदय: श्री जार्ज, उन्होंने आपकी बातों को स्पष्ट कर दिया है। इसलिए, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री के. फ्रासिस जार्ज: महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। जैसा कि माननीय सिब्बल जी ने बताया है मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सभी कृषि मंत्रियों या सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी एक विशेष बैठक बुलायें

श्री कपिल सिब्बल: मैंने कृषि मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: या हम राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान उनसे मिल सकते हैं।

महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा बताया गया है, हमारा लक्ष्य 9 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का है और हमने कृषि क्षेत्र के लिए 4 प्रतिशत कर विकास दर निर्धारित किया है। यदि हमें वह लक्ष्य प्राप्त करना है तो सभी वर्गों को पूरा प्रयास करना होगा।

इस विशेष क्षेत्र के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए मैं सरकार से उचित दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करता हूं। हमें सभी राज्यों में कृषि श्रमिकों की दशा के बारे में सही आकलन और सर्वेक्षण कराना चाहिए। हमें उन कल्याणकारी कदमों का सत्यापन करना चाहिए जिनका क्रियान्वयन सभी राज्यों में किया जा रहा है और हमें एक ऐसा व्यापक कानून बनाना चाहिए जिसे पूरे देश में लागू किया जा सके। मैं एक बार पुन: अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री हन्नान मोल्लाह को तथा माननीय मंत्रियों को भी धन्यवाद देता हूं जो यहां उपस्थित हैं और जो इन सभी चर्चाओं में सक्रियता से भाग ले रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डा. सिबैस्टियन पाल (एर्णाकुलम): महोदय, कल हमने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लम्बी चर्चा की थी। आज हम कॉमरेड हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत कृषि श्रमिक कल्याण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

यह विधेयक कृषि श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रकार के कानून बनाने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाया गया है। हम जानते हैं कि अंतत: यह विधेयक वापस ले लिया जाएगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा के दौरान दिए गए बहुमूल्य सुझाव सरकार द्वारा लाए गए विधेयक में सम्मिलित किए जाएंगे।

इस विधेयक को पेश करते हुए कॉमरेड हन्नान मोल्लाह ने केरल और त्रिपुरा के बारे मे चर्चा की थी। 1957 में जब कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार केरल में सत्ता में आई तो उन्होंने उन कृषि श्रमिकों जिनके वोट से जीतकर आए थे, को न केवल बातों से बल्कि कार्य रूप में धन्यवाद दिया था। उन्होंने भूमिहीन कृषि श्रमिकों से बलात् भूमि खाली कराने की घटना को रोका और उनको काम की गारंटी दी तथा श्रमिकों के लिए पेंशन और अन्य कल्याणकारी उपाय किए। केरल बाकी देश के लिए मार्गदर्शक बन गया। केन्द्र सरकार को भी उसी तर्ज पर कानून बनाने चाहिए और अन्य राज्यों द्वारा भी इसका अनुकरण किया जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वैश्वीकरण के युग में पूरा कृषि क्षेत्र संकट से गुजर रहा है। किसान और कृषि श्रमिक, दोनों ही बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। भारत में एक बड़ी हरित क्रांति हुई थी। लेकिन वैश्वीकरण के इस युग में जब तक हम कृषि क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं करते हैं, इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

वेनाड और विदर्भ इस संकट के ज्वलंत उदाहरण हैं जिसने कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है। जब कृषि श्रमिकों के कल्याण की बात करते हैं तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी इसमें सम्मिलित हैं और बड़े पैमाने पर वंचित वर्ग भी इसमें सम्मिलित है। सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए इस वर्ग के आजीविका का साधन हमें सुनिश्चित करना होगा।

इसलिए सामाजिक न्याय और आर्थिक सम्पन्नता का दोहरा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम किसानों और कृषि श्रमिकों को परेशान करने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। श्री हन्नान मोल्लाह के भाषण के बाद में जो चर्चा हुई उसमें इस संकट को हल करने के लिए सुझाव और दिशानिर्देश दिये गए हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन सुझावों को सम्मिलित करेगी और एक और व्यापक विधान लाएगी। केरल और त्रिपुरा के उदाहरण का अनुकरण करते हुए केन्द्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा कृषि कल्याण विधेयक बनाया जाना चाहिए।

इसी आशा के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया। सदन के विद्वान माननीय सदस्य, कामरेड हन्नान मोल्लाह ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मजदूरों के कल्याण के बारे में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के जरिए माननीय सदस्य ने यह चाहा है कि देश के खेतों में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके काम की गारंटी हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मनुष्य जीवन की जो तमाम आवश्यकताएं हैं, उनकी गारंटी हो, यह काम हमारे देश में आज तक 15 करोड़ मजदूरों के हित में नहीं किया गया है। इस संबंध में माननीय सदस्य, श्री चंद्रप्पन जी ने कई तर्क और पुराने स्वर्गीय महान नेताओं के संकल्पों का भी जिक्र किया और और कई जगहों के महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिये।

महोदय, माननीय मंत्री, श्री कपिल सिब्बल जी चले गये हैं, मैं उनसे पूछना चाहता था कि यह वही देश है जिसमें हवाई जहाज पर उड़ने वाले चाहे कोई लोग हों, यदि वे लोग हवाई जहाज के एक्सीडैन्ट में मरते हैं तो उन्हें दस लाख रु. मिलते हैं और खेतों में काम करने वाला मजदूर यदि मर जाता है तो उसे दस हजार रु. भी नहीं मिलते हैं। यह कानून किसने बनाया है? यह कानून बना है या नहीं। बड़े आदमियों के लिए इस देश में बहुत अच्छे कानून बने हैं। लेकिन गरीबों के लिए, अमीरों को और अमीर बनाने वाले लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। बड़े-बड़े तमाम तरीके के तर्कों और तमाम तरीके के कानूनों के आदर्श सिद्धांत यहां पढ़े जाते हैं। हिन्दुस्तान में सिद्धान्तों की कमी नहीं है। यह देश गीता, रामायण, वेद, कुरान, पुराण से भरा हुआ देश है। यदि उन पर अमल होता तो ये सामाजिक और आर्थिक विसंगतियां नहीं होतीं। इस देश में यदि कोई चाहे कि गरीबों के लिए शांति से कानून बन जाएं तो अबकी बार हमारे वामपंथी साथी केन्द्र सरकार के साथ हैं। इस बार यही सबूत हो जाएगा कि गरीबों के लिए कितने कानून बनते हैं। ...*(व्यवधान)* आपको यह कहना चाहिए कि माननीय मंत्री जी कल से हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। जब तक आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, तब तक

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू नहीं हो पाएगा। श्री हन्नान मोल्लाह जी जो विधेयक लाये हैं, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं। लेकिन देश के लिए कमाने वाले मेहनतकश मजदूरों के लिए, जिनके द्वारा खेतों में की गई मेहनत की बदौलत आज हिन्दुस्तान की आमदनी और हिन्दुस्तान की करोड़ों लोगों की जिन्दगी निर्भर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस चर्चा के लिए आबंटित समय समाप्त हो गया है। मेरे पास इस विधेयक पर वक्ताओं की लंबी सूची है। यदि सभा सहमत हो तो चर्चा के लिए समय एक घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्यगण: जी हां, महोदय।

सभापति महोदय: इस विधेयक पर चर्चा करने हेतु समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है परन्तु आज नहीं।

'शून्य काल' सायं 6.00 बजे के पश्चात् लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: हमने देखा है कि जो गांवों के खेतिहर मजदूर हैं, वे भागकर मुम्बई, कोलकाता, नवसारी, भड़ौंच, अहमदाबाद आदि शहरों में जाते हैं। मशीनों के चक्के चलाते हैं, लाखों मीटर कपड़ा तैयार करते हैं, एक-एक मीटर कपड़ा पांच सौ रुपया का होता है। लेकिन जो लोग पांच सौ रुपये मीटर के हजारों रुपये के कपड़े तैयार करते हैं, गांवों में उनके बच्चे जाड़े के दिनों में आज आम की पत्तियों का अलाव लगाकर हाथ सेंकते हैं और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है। जाड़े में उनको रजाई नहीं मिलती। मुम्बई में हमने देखा है कि जो बीसों मंजिली कोठियां बनाते हैं और मशीनों पर चढ़कर चिड़ियां की तरह जाते हैं और गिरते हैं तो उनकी हड्डी, पसली नहीं मिलती और उनके घर पर कोई सूचना देने वाला नहीं होता। जब ये कोठियां बनकर तैयार हो जाती हैं तो अटैची में गड्डी में नोट रखने वाले लोग जाकर कोठियों में रहते हैं, गरीब आदमी नाले के किनारे पोलीथिन का टट्टर डालकर रहता है जहां उसे मच्छर काटते हैं। कोठियां बनाने वाले पोलीथिन के टट्टर में रहते हैं जहां उनको मच्छर काटते हैं और जो हाथ से मिट्टी नहीं छूते हैं, वे कोठियों में रहते हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं खासकर अपने वामपंथी साथियों से निवेदन करूंगा कि हम भरपूर उनका साथ देंगे लेकिन आप जिस विषय के दावेदार हैं जिसके लिए आप वामपंथी पार्टियां हिन्दुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मजदूरों की पार्टियां मानकर उनके लिए कहा जाता है कि यह पार्टी मजदूरों की भलाई के लिए लड़ती है, आज हिन्दुस्तान में जिस प्रकार से मजदूरों की दुर्गति हो रही है, उस लड़ाई को आप मजबूती से लड़कर इस सांझा सरकार को आप मजबूर करिए कि ये मजदूरों के हितों में कोई ऐसा कानून बनाए जो मजदूरों के हितों में हो। जो विधेयक माननीय हन्नान मोल्लाह जी लाए हैं, उसका कारगर फैसला आने वाले दिनों में माननीय मंत्री जी को करना पड़े, ये इस समय आपके हाथ में है। सूरज इधर निकलेगा या उधर निकलेगा, इसका इन्तजार आप नहीं करिए। अगर यह इन्तजार करिए कि जो सजा इनको मिलेगी, वही सजा आपको मिलेगी। इससे बचने के लिए आप इस सरकार को मजबूर करिए कि गरीबों के हितों में कानून बनाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस अति महत्वपूर्ण विषय को चर्चा हेतु उठाने के लिए श्री हन्नान मोल्लाह को बधाई देता हूं। इस विधेयक में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनका स्वागत होना चाहिए। इन्होंने इस देश के उपेक्षित कृषकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करने का वास्तव में प्रयास किया है। इन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिसके द्वारा इस देश में कृषकों के लिए एक निश्चित कार्य समय सुनिश्चित किया जाएगा, उन्हें रोजगार की गारंटी जैसी सुविधा मिलेगी और उनके पास न्यूनतम मजदूरी की कुछ गारंटी होनी। इन तीन उद्देश्यों के साथ इन्होंने यह विधेयक तैयार किया है। मैं उनके ईमानदारी से किए गए प्रयास की प्रशंसा करता हूं।

कुछ चिंता की बातें हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता हूं। मूलत:, निगरानी रखने के लिए अथवा यह सुनिश्चित करने हेतु कि इसे लागू किया जाए, इन्होंने एक कृषि अधिकरण बनाने का सुझाव दिया है, जिसकी अध्यक्षता वस्तुत: अधिकारी और अंतत: उनका प्रमुख जिला कलेक्टर करेगा। मैं इस देश की कार्यपालिका का पूरा सम्मान करता हूं। परन्तु हमें एक ऐसी प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसमें हम कार्यक्रमों को लागू करने हेतु अपने अधिकारियों अथवा जिला कलेक्टर पर पूरी तरह निर्भर न हों। मैं मानता हूं कि हम जिला कलेक्टर पर अधिक से अधिक दबाव डाल रहे हैं और उसे जिले का राजा जैसा बना रहे हैं। उसे जिले में कार्यों को लागू करने और उनका पर्यवेक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है और मैं नहीं जानता कि ऐसा कब तक चलेगा। यदि आप प्रशासन को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसी प्रणाली विकसित करनी

[डा. आर. सेनथिल]

होगी जो इस बात का बेहतर ढंग से ध्यान रख सके। उदाहरणार्थ वह जिले की अच्छी स्थिति बनाने का प्राधिकारी होता है; वह जिले में न्याय लागू करने का प्राधिकारी होता है; वह जिले में पुलिस गतिविधियों की निगरानी करने का प्राधिकारी होता है। एक ही व्यक्ति को ये सभी कार्य कैसे सौंपे जा सकते हैं। हमें ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसमें प्रशासन बहुत वैज्ञानिक हो। जहां तक इसके कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी अधिकारियों को दिए जाने का संबंध है तो मेरा सुझाव है कि हमें इसकी जिम्मेदारी पंचायतों का देनी चाहिए।

सायं 6.00 बजे

इससे पंचायतों की शक्तियां बढ़ेंगी और इस तरह कार्यान्वयन भी बेहतर होगा।

दूसरी बात, अध्याय 3 में नियोजन की सुरक्षा संबंधी एक सुझाव में इन्होंने सुझाव दिया है कि इस धारा के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भू-स्वामी किसी ऐसे कृषि कर्मकार को नियोजित करने के लिए किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा। जो 60 वर्ष से अधिक उम्र का हो। इन्होंने कृषि कर्मकार के लिए 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु दी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि कृषि कर्मकार को किसी भी आयु तक नियोजित किया जा सकता है। मेरे पिता 76 वर्ष के थे और वह अपनी मृत्यु तक कार्य करते रहे। उन्होंने एक फार्म खोला था और उस आयु तक कार्य करते रहे। भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न आयु तक कार्य कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें कृषि कर्मकार के लिए सेवानिवृत्ति की आयु तय करनी चाहिए।

इसी तरह, अध्याय 4 धारा 17 में इन्होंने उल्लेख किया है, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी भी कृषि कर्मकार के लिए किसी भी दिन आठ घंटे से अधिक और किसी भी कुमार या बालक के लिए किसी भी दिन छह घंटे से अधिक समय तक काम करना अपेक्षित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि किसी भी अन्य रोजगार की भांति कुमार या बालक को कृषि क्षेत्र में भी काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि कृषि क्षेत्र में भी बाल श्रम कानून बनाकर हम कुछ गलत कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को कृषि कार्यों में भी नहीं लगाया जाये और उन्हें स्कूल भेजा जाये। विधेयक के बारे में यही कुछ सुझाव हैं।

व्यापक तौर पर वे कृषक समुदाय की कृषि नियोजन के माध्यम से आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप इसे देखें तो पायेंगे कि हमारी 60 प्रतिशत आबादी कृषि आय पर निर्भर है। कृषि आय का क्या हो रहा है? तमिलनाडु का उदाहरण लीजिये। वर्ष 1991 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 25 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001 में 13.3 प्रतिशत आ गया है। कृषि में घटती हुई आय और एक बड़ी आबादी की कृषि आय पर निर्भरता के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान अनुपात में और अधिक गिरावट आएगी। इस परिदृश्य में हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां इतने सारे लोग इतनी कम आय पर निर्भर हैं। मुझे ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती जिसमें कृषि आय बढ़ने जा रही हो। मैं समझता हूं कि सरकार को कृषि संबंधी कार्यों से अधिक से अधिक लोगों को लाना चाहिए और उन्हें वैकल्पिक रोजगार देना चाहिए। उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें अधिकार देने चाहिए और कुशल कार्यों के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए, उनकी सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए और उन्हें किसी अन्य रोजगार पर स्थानांतरित करना चाहिए।

अंत में, चीन के माडल इत्यादि पर भी चर्चा हुई थी। चीन एक अच्छा माडल है। इसने विश्व को दिखाया है कि कैसे यह अपनी आय बढ़ा सकता है। चीन के पास ऐसा बुनियादी ढांचा था जिसका अधिक आय से उन्नयन किया जा सकता है। हमारे पास ऐसा कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। इसलिए, मैं माननीय सदस्य को ऐसा बुनियादी ढांचा और ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करने का प्रयास करने के लिए बधाई देता हूं। जिससे देश को अधिक से अधिक आय हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक के प्रस्तावक और सभापति महोदय को पुन: धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: श्री टी.के. हमजा एक मिनट के लिए बोल सकते हैं और फिर अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): सबसे पहले, मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पुर:स्थापित कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005 पर कुछ शब्द बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

कृषि कर्मकार असंगठित क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के अन्य कर्मकारों की भांति, कृषि कर्मकार भी कई कठिनाईयों यथा रोजगार की अनियमित प्रकृति, नियोक्ता-कर्मचारी के बीच निश्चित संबंध की अनुपस्थिति, अज्ञानता और निरक्षरता के कारण अपने सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर पाते।

सभापति महोदय: आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सूनामी से बर्बाद हुए क्षेत्र में कार्य करने के लिए 40 युवा कनिष्ठ अभियंताओं (जूनियर इंजीनियर) को अस्थाई तौर पर लोक निर्माण विभाग में नियुक्त किया गया था। सुनामी के समय कोई भी स्थायी कर्मचारी, स्थायी इंजीनियर इतने दूर क्षेत्रों में जाने का इच्छुक नहीं था क्योंकि एक दिन में पानी एक या दो फुट ऊपर बढ़ रहा था, कभी घट रहा था तथा कभी-कभी घट भी नहीं रहा था। उन मुश्किल दिनों में इन 40 इंजीनियरों ने अपने जीवन की परवाह नहीं की और गहरे क्षेत्रों तक में गए। उन्होंने अंडमान के सुधार और विशेषकर आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन दिए। उन्होंने लाशें भी बाहर निकालीं। वहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं था दूर-दूर के द्वीपों पर कोई कुली भी नहीं था। वे स्वयं नारियल के पेड़ों की पत्तियां काटते थे। यहां तक कि उन्होंने शवों को दफनाया भी था। उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया।

अब ऐसा प्रतीत होता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लोक निर्माण विभाग 40 नए इंजीनियरों की भर्ती कर रहा है। मैं नहीं जानता कि वे इन नए इंजीनियरों की भर्ती क्यों कर रहे हैं। सूनामी के समय, इन्हीं लोगों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना पीड़ित लोगों की मदद की थी।

इसलिए, मेरा अनुरोध है कि या तो उन्हें तदर्थ आधार पर वहीं रहने दिया जाए या उन्हें स्थायी आधार पर खपाया जाए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री, संप्रग की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय गृह मंत्री और माननीय गृह राज्य मंत्री को इस मामले से अवगत कराया था। ये 40 इंजीनियर बहुत मेहनती हैं। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें खपा लिया जाएगा। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि या तो उन्हें वहीं रहने दिया जाए या उन्हें स्थायी आधार पर खपाया जाए।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो बहुत वर्षों से राष्ट्र के सामने लम्बित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को राज्य का दर्जा प्रदान करने के बारे में है। यह बहुत पुरानी मांग है। जैसा कि हम जानते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक संघ राज्य क्षेत्र है। अंडमान के लोगों को अपनी निर्वाचित सरकार बनाने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अंततः, वहां पंचायत प्रणाली लागू की गई और जिला परिषद और अन्य प्रणालियां वहां हैं। अंडमान के लोग शुरू से ही मांग करते रहे हैं कि अंडमान को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमने सभा में इस मसले को कई बार उठाया है। इस संदर्भ में श्री बसुदेव आचार्य ने इस सभा में एक गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक भी प्रस्तुत किया था। जब इस पर चर्चा की गयी तो सभा के सभी वर्गों ने इसका समर्थन किया था। वाद-विवाद का जवाब देते समय, तत्कालीन गृह मंत्री ने आश्वस्त किया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमें इस पर और देर नहीं करनी चाहिए। वर्तमान प्रशासन व्यवस्था समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है। सुनामी के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास संबंधी कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यदि वहां निर्वाचित सरकार होगी तो वे इस कार्य को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को यथाशीघ्र राज्य का दर्जा दिया जाये।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं सभा का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के महत्वपूर्ण मसले की ओर आकृष्ट करता हूं।

उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार की मंजूरी से 1993 में उड़ीसा मेरीटाईम एकेडमी की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी नौवहन कंपनियों के लिए नाविकों को प्रशिक्षण देना था। पाठ्यक्रम और प्रति बैच विद्यार्थियों की संख्या को भारत सरकार से मंजूरी प्रदान की गयी थी। पूर्वी तट पर अपनी तरह का यह एकमात्र संस्थान है और यह दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को भी प्रशिक्षण दे रहा है। इस संस्थान द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता की जहाज मालिकों और स्वतंत्र परीक्षकों द्वारा सराहना की गयी है। अकादमी ने आईएसओ प्रत्यायन भी प्राप्त किया है। 1 अप्रैल, 1993 से 1 जुलाई 2006 की अवधि के दौरान, कई बैचों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पूर्ववर्ती बैचों के लिए नौवहन कंपनियों में रोजगार सुनिश्चित किया गया था। हालांकि, स्थानीय मजदूर संघों और प्रमुख पत्तनों के दबाव के कारण उड़ीसा मेरीटाइम एकेडमी के उम्मीदवारों को रोजगार मिलने में मुश्किल हो रही है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भारतीय नौवहन निगम को प्रशिक्षित और परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए कहे। नौवहन महानिदेशक को सभी नाविकों की नौवहन क्षेत्र में भर्ती करने के लिए और पूरे देश में उम्मीदवारों के लिए एक समान मौके प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा आयोजित करने का निदेश दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पटले (भण्डारा): सभापति जी, मैं आपका ध्यान कृषि प्रधान देश के किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं। किसान अपनी मांगों को लेकर अनेक प्रकार के आन्दोलन चला

[श्री शिशुपाल एन. पटले]

रहे हैं। महाराष्ट्र में भी किसान अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। यह आन्दोलन मुख्य रूप से महाराष्ट्र के नव जिलों में धान की फसल के सरकारी समर्थन मूल्य के खिलाफ हो रहा है। सरकार ने जो समर्थन मूल्य घोषित किया है वह बहुत कम है। आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को मानने के बजाय सरकार द्वारा उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। इसीलिए आज किसान सड़कों पर उतर कर अपनी मांगों को मनवाने हेतु आंदोलन कर रहे हैं और उनकी तरफ सरकार का ध्यान खींच रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र के इन नव जिलों में जहां धान की फसल होती है, वहां के धान उत्पादक किसान अनेक वर्षों से मांग करते हैं कि धान का समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है और सरकार ने 580 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया है। इस प्रकार से किसानों के ऊपर सरकार द्वारा बहुत अत्याचार करने की कोशिश की गई है। किसानों का उत्पादन खर्च और सरकार के समर्थन मूल्य में 356 रुपए प्रति क्विंटल का अन्तर है। वे अपना धान 356 रुपए प्रति क्विंटल घाटे से बेच रहे हैं। इसलिए मैं अपने धान उत्पादक किसानों की ओर से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के धान का कम से कम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। सरकार किसानों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय उनके ऊपर बर्बरता से गोलियां चला रही है। यह ठीक नहीं है। मैं मांग करता हूं कि सरकार गोलियां बरसाना बन्द करे और उनके धान का कम से कम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत के संविधान में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े, कमजोर वर्गों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर की गई है। परन्तु संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण को सर्वथा नकार दिया था। धर्म के आधार पर आरक्षण आदि के नाम पर ही देश विभाजन की ओर अग्रसर हुआ और देश के टुकड़े हुए। हमें सावधान हो जाना चाहिए, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सच्चर रिपोर्ट को उछाल कर राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न करने के लिए केवल वोट बैंक के नाम पर देश के अन्दर कुछ राजनैतिक दल मजहब के आधार पर आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, जबकि इस्लाम एवं ईसाइयत में समानता के सिद्धान्त को लागू किया गया है तथा वहां ऊंच-नीच आदि की कोई भावना नहीं है। देश की संविधान सभा द्वारा अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाई गई समिति ने मजहबी आरक्षण की सिफारिश नहीं की थी और इसका विरोध किया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा. अम्बेडकर जैसा नेता इस समिति के सदस्य थे। समिति के सभापति सरदार पटेल ने 25 मई, 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण स्वीकार किया गया, लेकिन अल्पसंख्यक आरक्षण प्रस्तावित नहीं किया गया। इस तरह के आरक्षण की मांग पर बेगम अहजाज रसूल, तज्जुम हुसैन तथा मौलाना हसरत मोहानी जैसे सदस्यों ने भी अल्पसंख्यक आरक्षण का विरोध किया।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि दलित मुस्लिम, दलित ईसाई आदि के नाम पर अथवा मजहब के आधार पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं किया जाये।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले की चकरभाटा हवाई पट्टी के चौड़ीकरण तथा हवाई सेवा की मैं मांग करता हूं।

छत्तीसगढ़ की सैकिण्ड राजधानी बिलासपुर बड़ा शहर है। उस शहर बिलासपुर से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, लखनऊ, आगरा एवं पूरे देश में आवागमन के लिए हवाई सेवा के लिए बिलासपुर की चकरभाटा हवाई पट्टी का चौड़ीकरण किया जाये। बिलासपुर की चकरभाटा हवाई पट्टी के चौड़ीकरण की वर्तमान में स्थिति सामान्य है, वहां से हवाई सेवा प्रारम्भ की जा सकती है, इसलिए वहां से हवाई सेवा प्रारम्भ की जाये, जिससे हम लोगों को वहां हवाई सेवा की सुविधा मिल सके।

बिलासपुर में रेलवे जोन है, हाई कोर्ट है कोरबा ई.सी.सी.एल. का आफिस है, वहां पर कोल इंडिया का आफिस है, एन.टी.पी.सी. का आफिस है। बिलासपुर अनेक सुविधायुक्त जगह है, इस कमी के कारण यात्री सेवाएं में कमी हो रही है, बहुत से यात्री यात्रा नहीं कर पाते। अत: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के चकरभाटा हवाई पट्टी का चौड़ीकरण किया जाये और हवाई यात्री सेवा प्रारम्भ की जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा सोमवार 11 दिसम्बर 2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 06.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 11 दिसम्बर 2006/ 20 अग्रहायण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री पंकज चौधरी	242
2.	श्री बापू हरी चौरे श्री कृष्ण मुरारी मोघे	243
3.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु श्री शैलेन्द्र कुमार	244
4.	श्रीमती नीता पटैरिया	245
5.	श्री मोहन रावले श्री असादूद्दीन ओवेसी	246
6.	श्री निखिल कुमार श्री पी.सी. थामस	247
7.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	248
8.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ श्री रायापति सांबासिवा राव	249
9.	श्री उदय सिंह	250
10.	श्री तथागत सत्पथी	251
11.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	252
12.	श्री बसुदेव आचार्य	253
13.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री थावरचन्द गेहलोत	254
14.	श्री काशीराम राणा श्री वी.के. दुम्मर	255
15.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	256
16.	श्री गिरिधारी यादव श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	257
17.	श्री एल. राजगोपाल	258
18.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	259
19.	श्री कैलाश मेघवाल डा. धीरेंद्र अग्रवाल	260
20.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री अधीर चौधरी	261

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	2473
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2514, 2548, 2566
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2494, 2495, 2508, 2541, 2566
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2505
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2447, 2479, 2539, 2576, 2596
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	2565, 2566, 2568, 2580
7.	आठवले, श्री रामदास	2455, 2478, 2526, 2557
8.	"बाबा", श्री के.सी. सिंह	2491
9.	बैठा, श्री कैलाश	2448, 2540
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2510
11.	बर्मन, श्री हितेन	2521, 2528
12.	बर्मन, श्री रनेन	2498, 2528, 2585
13.	बखला, श्री जोवाकिम	2453, 2510
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	2524
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2434, 2483, 2533
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2469, 2524
17.	बोस, श्री सुब्रत	2498, 2526
18.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2457
19.	चौरे, श्री बापू हरी	2507
20.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2468
21.	चौधरी, श्री पंकज	2506
22.	चौधरी, श्री अधीर	2520
23.	धनराजू, डा. के.	2489, 2496, 2536, 2543

1	2	3
24.	धोत्रे, श्री संजय	2442, 2507, 2586
25.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2524
26.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2475, 2588
27.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2450, 2522, 2555, 2566, 2598
28.	गंगवार, श्री संतोष	2465, 2524, 2587
29.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2442, 2507, 2516
30.	गीते, श्री अनंत गंगाराम	2468
31.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	2582
32.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2579
33.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	2521
34.	हसन, चौधरी मुनव्वर	2493, 2515, 2590
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	2472, 2524
36.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2459
37.	जयाप्रदा, श्रीमती	2443, 2512, 2546
38.	जिन्दल, श्री नवीन	2566
39.	जोगी, श्री अजीत	2463, 2518
40.	कनोडीया, श्री महेश	2474
41.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2485
42.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2577
43.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2441, 2585
44.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2445, 2500, 2593, 2597, 2600
45.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2581
46.	कृष्ण, श्री विजय	2478, 2481, 2538, 2566, 2554
47.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2444
48.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2583
49.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2516
50.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	2524
51.	माने, श्रीमती निवेदिता	2450, 2522, 2555, 2566, 2598
52.	मसूद, श्री रशीद	2584, 2594
53.	मेघवाल, श्री कैलाश	2469
54.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2489, 2536, 2543
55.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2477
56.	मिश्रा, डा. राजेश	2579
57.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2465, 2532
58.	मोहन, श्री पी.	2453
59.	मो. ताहिर, श्री	2492, 2552, 2591
60.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2457
61.	मूर्ति, श्री ए.के.	2436, 2566
62.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2486, 2534, 2561
63.	नायक, श्रीमती अर्चना	2460, 2464, 2529, 2559, 2571
64.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2499, 2543, 2558
65.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2439, 2498, 2506, 2592
66.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2435
67.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2469, 2569
68.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	2453, 2478, 2525
69.	पटैरिया, श्रीमती नीता	2508, 2544, 2563
70.	पाठक, श्री ब्रजेश	2479, 2482, 2526, 2527, 2566
71.	पाठक, श्री हरिन	2528
72.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2464, 2482

1	2	3
73.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2458
74.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	2480, 2530
75.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2501, 2543, 2572
76.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2510, 2516, 2550, 2567
77.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2471, 2523, 2556, 2570
78.	राजगोपाल, श्री एल.	2497, 2552, 2568, 2576
79.	रामदास, प्रो. एम.	2454, 2503
80.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2456, 2528
81.	राणा, श्री काशीराम	2515
82.	राणा, श्री रबिन्दर कुमार	2566
83.	राव, श्री के.एस.	2440, 2531
84.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2565, 2566
85.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	2461
86.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2509, 2545, 2564, 2574
87.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2453, 2566
88.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2466, 2516, 2550, 2567
89.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2470
90.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2521, 2578
91.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2504, 2553, 2599
92.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2543
93.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2486, 2534
94.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2449, 2495, 2566
95.	शिवन्ना, श्री एम.	2484
96.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2458, 2552, 2591
97.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2465, 2515
98.	सिद्धु, श्री नवजोत सिंह	2524
99.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2505, 2549, 2565, 2575
100.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2476
101.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2560
102.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2438
103.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2522
104.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2490, 2589, 2594
105.	सिंह, श्री राकेश	2483
106.	सिंह, श्री रेवती रमण	2488, 2514, 2535, 2595
107.	सिंह, श्री सीताराम	2464
108.	सिंह, श्री सुग्रीव	2451, 2453, 2478, 2502, 2542
109.	सिंह, श्री उदय	2511
110.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2474
111.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2467
112.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2445, 2446, 2537, 2562, 2573
113.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	2462
114.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2487
115.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2566
116.	थामस, श्री पी.सी.	2513, 2547
117.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2515, 2565
118.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2435, 2437
119.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2519, 2554
120.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2521
121.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2513
122.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2494, 2495, 2508, 2566
123.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	2466, 2575
124.	यादव, श्री गिरिधारी	2549
125.	यादव, श्री मित्रसेन	2452, 2517, 2551
126.	यादव, श्री पारसनाथ	2464
127.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2468

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	
वित्त	:	242, 244, 245, 246, 250, 251, 254, 255, 260, 261
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	243
विधि और न्याय	:	
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	249, 252
विद्युत	:	253, 259
ग्रामीण विकास	:	247, 248, 256, 257
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	258
शहरी विकास	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	2459, 2477, 2516, 2556, 2584, 2593,
पृथ्वी विज्ञान	:	2445, 2500
वित्त	:	2435, 2436, 2437, 2441, 2442, 2443, 2444, 2450, 2451, 2458, 2463, 2466, 2470, 2471, 2472, 2473, 2475, 2476, 2486, 2491, 2492, 2494, 2497, 2499, 2502, 2505, 2506, 2508, 2511, 2512, 2514, 2519, 2520, 2522, 2523, 2529, 2530, 2534, 2535, 2540, 2542, 2543, 2544, 2546, 2550, 2553, 2555, 2557, 2558, 2562, 2565, 2567, 2568, 2569, 2574, 2576, 2578, 2579, 2581, 2582, 2583, 2586, 2588, 2590, 2597, 2599, 2600
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2448, 2453, 2482, 2484, 2498, 2510, 2521, 2526, 2528, 2564, 2580
विधि और न्याय	:	2455, 2469, 2532, 2545, 2561, 2570, 2575, 2598
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	2490, 2524, 2537, 2552, 2592, 2594
विद्युत	:	2434, 2446, 2447, 2457, 2460, 2462, 2465, 2468, 2478, 2481, 2493, 2503, 2507, 2509, 2515, 2527, 2536, 2539, 2541, 2547, 2548, 2551, 2566, 2573
ग्रामीण विकास	:	2438, 2480, 2487, 2496, 2504, 2531, 2533
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	2483, 2495, 2501, 2559, 2563, 2571
शहरी विकास	:	2439, 2440, 2449, 2452, 2454, 2456, 2461, 2464, 2467, 2474, 2479, 2485, 2488, 2489, 2513, 2517, 2518, 2525, 2538, 2549, 2554, 2560, 2572, 2577, 2585, 2587, 2589, 2590, 2591, 2595.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली, द्वारा मुद्रित।